राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2 नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का तेइसवां दिवस संख्या–16

बुधवार

दिनांक 18 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत (प्रश्न संख्या 403)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)
प्रश्न संख्या 404

माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास (अनुपस्थित कृपया आगे देखें) प्रश्न संख्या 405

माननीय श्री गोविन्द सहाय (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ प्रश्न संख्या 406 (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माननीय श्री लक्ष्मी चन्द मेहता।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : प्रश्न संख्या 407 के लिए मुझे अधिकृत किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास अथोरिटी है क्या ?

श्री रतनाराम चौधरी : मौखिक अथोरिटी दे रखी है हमको।

श्री टीकम चन्द कांत : (वे आपसे मिले थे ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा पूछिये, पूछिये। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : मेरे बिल्कुल पड़ौसी हैं, साहब। मैं जालोर जिले का हूं। ये तो सिरोही जिले के हैं।

श्री अध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं तो एक ही बात है।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो सिरोही से हैं। माननीय सदस्य रेवदर क्षेत्र से विधायक हैं, मैं रानीवाड़ा से हूं। मेरा क्षेत्र और सांचौर बिल्कुल लगते हुए हैं।

श्री टीकम चन्द कांत : पूछने में कोई बात नहीं, जवाब तो मंत्री जी देंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : यह अथोरिटी तो मुझे दी है। आपको नहीं दी है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : यह अथोरिटी कांत के नाम से है। इनके नाम से है।

सांचौर तहसील मुख्यालय पर 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन

407. श्री टीकम चन्द कांत (रेवदर) : एवं **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : की ओर से क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के सांचौर तहसील मुख्यालय पर 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन लगाने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या ग्रिड स्टेशन का कार्य चालू हो गया ? यदि नहीं, तो कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री ऊर्जा (श्री रामेश्वर दयाल यादव : (1) जी हां, इसका शिलान्यास। 1 मई, 1989 को किया गया था।

(2) जी नहीं, इस ग्रिड सब स्टेशन पर कार्य चालू नहीं हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष (1991–92) में सब स्टेशन कार्य चालू किये जाने की सम्भावना है।

श्री टीकम चन्द कांत वहां पूर्णत : यह कह दिया गया है कि कार्य चालू हो गया है। वहां आफिस भी यह कह कर प्रारम्भ कर दिया गया है। और उसके बाद में आपका जवाब आ रहा है कि कार्य चालू नहीं हुआ है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि तत्कालीन गृह मंत्री माननीय श्री बूटासिंह व माननीय श्री रघुनाथ जी विश्नोई, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में इस ग्रिड सब स्टेशन 132 के. वी. का शिलान्यास हुआ था। इसका सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 17 स्थानों पर स्टफसेटिंग भी बनाया जा चुका है। इस चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए हमने 46 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह स्पेसिफिक ग्रिड सब स्टेशन का पूछा है। जब तक लाइनें इन्स्टाल नहीं हो, जब तक उस ग्रिड सब स्टेशन का प्राइमरी वर्क कम्प्लीट नहीं हो, उसके पहले सब स्टेशन कायम करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, 132 के. वी. ए. की लाइन हम करोड़ो रुपये डालकर लगाते हैं, अगर ग्रिड सब स्टेशन साथ-साथ प्रारम्भ नहीं हो तो पोजीशन यह आती है कि 132 के. वी. ए. की लाइन खींचने के बाद में यह कहा जाता है कि हम 33 के. वी. ए. पर उसको चार्ज कर लेते हैं और ग्रिड सब स्टेशन साल भर तक, दो साल तक बन नहीं पाता। इसलिए जब तक दोनों कार्य एक साथ प्रारंभ नहीं हों तब इसका लाभ

(श्री टीकम चन्द कांत)

नहीं मिल पाता। एक साल तक या दो साल तक वह कार्य पिछड़ जाता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय क्या इसकी तरफ ध्यान देंगे कि ग्रिड सब स्टेशन है, का काम भी साथ-साथ प्रारम्भ हो जाय? अब रही बात इक्विमैण्ट की, तो इक्विपमैन्ट के आर्डर साथ-साथ दिये जायं। ताकि 8 महीने 9 महीने के बाद में वह इक्विपमैण्ट मिलना सम्भव हो जाय। इधर पूरी लाइन 132 के. वी. ए. की तैयार हो जाती है, इधर ग्रिड सब स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है, इक्विपमैण्ट आ जाते हैं तब कार्य एक साथ चालू हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी लाइन के लिए खंभे गाड़ने का काम तो शुरू कर दिया लेकिन जी. एस. एस. का काम शुरू नहीं किया। दोनों कार्य साथ-साथ हों। यही हालत रेवदर की भी है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है कि लाइन इन्स्टाल होने के बाद जी. एस. एस. कम्प्लीट नहीं हो पाता है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 4 करोड़ 53 लाख 13 हजार रुपये का व्यय होगा और इसमें जो प्राइमरी वर्क है, वह हमने स्टार्ट कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 46 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि अभी हाई टेंशन लाइन का इन्स्टालेशन नहीं हुआ है। जब वहां हाई टेंशन लाइन का इन्स्टालेशन हो जायेगा, उसके साथ-साथ जो ग्रिड सब स्टेशन का वर्क है, उसको हम प्रोग्रेस में रखेंगे। मैंने यह पहले ही जवाब में कह दिया है कि 1991-92 में इसको कम्प्लीट करने का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि पूर्व में अगर ऐसी कोई गलती हुई है कि लाइन इन्स्टाल होने के बाद ग्रिड सब स्टेशन का काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसी गलती भविष्य में होने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रतनाराम जी।

श्री रतनाराम चौधरी : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जानकारी दी कि लाइन खड़ी करने के साथ-साथ हम ग्रिड सब स्टेशन चालू कर देंगे। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि रानीवाड़ा में 132 के. वी. ए. की लाइन साल भर पहले खड़ी कर दी परन्तु अभी तक 132 के. वी. ए. का ग्रिड सब स्टेशन का काम चालू नहीं किया है। दूसरा, सांचौर में ग्रिड स्टेशन पर इतना लोड है कि आज उन काश्तकारों को पूरी बिजली नहीं मिल पाती। यह कार्य युद्ध स्तर पर नहीं किया जायेगा तो काश्तकार बिल्कुल ही बिजली से वंचित रह जायेंगे। रानीवाड़ा का ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए, मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री जी का जवाब दिलवावें। लाइन चालू करने में वहां करोड़ो रुपये खर्च हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री टीकम चन्द कांत : एक अन्तिम प्रश्न है मेरा।

(4)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में सांचौर में भीनमाल से कितनी बिजली दी जा रही है ? और यह 132 के. वी. का जो बिजली स्टेशन लगाया जा रहा है, यह पैसा क्या जापान सरकार का है ? अगर जापान सरकार का है तो इसमें 132 के. वी. के जालौर और सिरोही के लिए कितने बिजली घर बन रहे हैं ? अगर जापान सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है तो वह देरी किस बात की हो रही है ? मेरा एक प्रश्न और है कि रानीवाड़ा सांचौर भीनमाल 132 के. वी. से बिजली जाती है। भीनमाल ग्रिड स्टेशन के ऊपर अभी कितना लोड है और उस लौड से अगली फसल के लिए कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा ? इन सारी बातों का मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री टीकम चन्द कांत : एक अन्तिम प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये अन्तिम प्रश्न।

श्री टीकम चन्द कांत : यही हाल रेवदर का है। लाइने लगभग खिंच गई हैं, 2 या 3 महीनों में लाइन कम्प्लीट हो जायेगी। रेवदर में जी. एस. एस. के लिए जमीन ले चुके हैं और उसका जो सिविल कार्य होना चाहिये, वहां जो उसके लिए बिल्डिंग बननी चाहिये, वह कार्य तो प्रारम्भ कर देते इसके लिए बजट का प्रावधान भी है इस वर्ष जहां तक इक्विपमैण्ट की बात है, उसके आदेश हो चुके हैं। 8 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आना होगा, वह आ जायेगा। लेकिन यह कार्य अभी तक बंद क्यों है ? बजट उसका सैंक्शन हो चुका है तो वह जी एस. एस. का कार्य रेवदर में प्रारम्भ क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रानीवाड़ा और रेवदर के बारे में जो बात कही है, यह प्रश्न सांचौर ग्रिड सब स्टेशन के बारे में है। जहां तक माननीय सदस्य ने जापान का हवाला दिया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा, यह जो योजना है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत है, इसमें कोई जापान का हवाला नहीं है। आर. ई. सी. से वहां से योजना स्वीकृत करके भेजते हैं। जैसे-जैसे वह फण्ड भेजते हैं उस ढंग से हम वर्क को चालू करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है दूसरे के बारे में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो भी ग्रिड सब स्टेशन कायम हो रहे हैं या होंगे या जिनका काम गति से नहीं हो रहा है उनमें ऐसी गलती नहीं होने देंगे जो पूर्व समय में पूर्व सरकार ने गलती की कि लाइनें इन्स्टाल कर दी और ग्रिड स्टेशन नहीं बनाया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जगमालसिंह (व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप बिराजिये। मंत्रीजी बोल रही हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जापान गवर्नमेंट ने इसके लिये 56 करोड़ दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : आप जापान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य, मैंने कल आपको निवेदन किया था कि आपका या हमारा यह अधिकार नहीं है कि जो हम कहें वह सरकार कहे। सरकार को जो जवाब देना है, दे दिया। There will be no end to it.

श्री प्रेमसिंह दहिया : मंत्री जी को जानकारी नहीं है पूरी।

श्री अध्यक्ष : नहीं होगी जानकारी इसकी और व्यवस्था करिये। यदि सरकार ने पूरी जानकारी नहीं दी है तो उसके लिये और प्रक्रिया में नियम हैं। वह जो दी है, दे दी उन्होंने।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जानकारी पूरी लेकर आयें।

श्री अध्यक्ष : दे दी जानकारी, जो थी उनके पास।

श्री प्रेमसिंह दहिया : पूरा प्लान वर्क है। जालौर, सिरोही का आज तक 8–10 ग्रिड स्टेशन का पैसा....

श्री अध्यक्ष : जब भी मौका मिले आपको तब इस पर बोल लेना आप। जब भी मौका मिले तब आप अपने विचार व्यक्त कर देना। अभी तो इसमें डिबेट का मौका नहीं है। यह तो सवाल है। मंत्रीजी। आप विराजिये, हो गया।

श्री रतनाराम चौधरी : एक छोटा प्रश्न है। मंत्री जी ने कहा, 132 के. वी. ए. की लाइन जहां खड़ी हो गयी है उन ग्रिड स्टेशन को हम प्राथमिकता के आधार पर चालू करेंगे। इनका जवाब दिलवा दीजिये। रानीवाड़ा में....

श्री अध्यक्ष : कह दिया न। वह कह दिया रानीवाड़ा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी : हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : हां, कह दिया।

श्री रतनाराम चौधरी : जो हुकुम, धन्यवाद।

अलवर जिले में पर्यटक स्थल

408. श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) :(श्री जगतसिंह दायमा के स्थान पर) :क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अलवर में कौन-कौन से स्थान विभाग के अधीन हैं ?

(2) क्या सरकार किशनपोल, जयसमन्द, सती नारायणी, पाण्डूपोल, भर्तृहरि, तालवृक्ष, अलवर किला, विजय मंदिर, सूरजमुखी (तिजारा), नलदेश्वर इत्यादि मुख्य स्थानों को पर्यटन विकास हेतु विभाग के अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनके लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विगत पांच वर्षों में उक्त जिले में पर्यटन विकास की दिशा में क्या-क्या कार्य किये गये ?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) :

(1) कोई भी स्थान पर्यटन विभाग के अधीन नहीं है।

(2) जी नहीं, क्योंकि विभाग किसी भी स्थान को अपने अधीन नहीं लेता, अपितु उसका पर्यटन की दृष्टि से विकास करता है।

(3) विगत पांच वर्षों में अलवर जिले में तालवृक्ष को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का कार्य हाथ में लिया गया है। इस स्थल के विकास के साथ-साथ वहां के मंदिरों एवं छतरियों का जीर्णोद्धार एवं ट्यूबवैल की ड्रिलिंग की गई है, वहां एक कैफेटेरिया का निर्माण तथा स्टीम बाथ, सल्फर एवं सोना बाथ की व्यवस्था करने के कार्य प्रगति पर हैं। पर्यटन विभाग ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से सिलीसेढ़ स्थित झील में नौकायन सुविधा में वृद्धि हेतु वर्ष 1988-89 में 3.15 लाख रुपयों की स्वीकृति प्राप्त कर 8 नौकाएं क्रय की हैं। पर्यटकों के आगमन की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने भारत सरकार से बहरोड़ में एक पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु वर्ष 1988-89 में 17.60 लाख रुपयों की स्वीकृति प्राप्त की है एवं इसका निर्माण कार्य प्रगति कार्य पर है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को प्रश्न के अलावा एक सलाह भी दूंगा। माननीय मंत्री महोदया, हरियाणा सरकार अलवर जिले से लगती हुई सीमा पर डिजनी लैण्ड का निर्माण कर रही है। यह डिजनी लैण्ड वह है जो हिन्दुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा विवादास्पद स्थल बन गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी हरियाणा के जो अभी इस्तीफा दे गये उनका तो एक प्रण-सा था कि मैं डिजनी लैण्ड बनऊंगा। यह अलवर जिला हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है। उसमें इस तरह के पर्यटन स्थल हैं। अलवर जिले में जो मुख्य मुख्य स्थान हैं, बड़े आकर्षक और प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थान हैं नेचुरल ब्यूटी है, फारेस्ट और सब तरह का मामला है, तो पर्यटक आज सरिस्का में आने लगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं. जैसे सूरजमुखी तिजारा में एक स्थान है इस समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैन मंदिरों के निर्माण से जिस तरह से जैन पर्यटक वहां आ रहे हैं तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं होने से अगर आप सूरजमुखी को, सिलीसेढ़, सरिस्का और पाण्डूपोल को पर्यटन स्थान के रुप में विकसित करने की योजना बनायें। हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी जमीन एक्वायर करके डिजनी लैण्ड बना रहे थे, आपका तो यह बना बनाया डिजनी लैण्ड है अलवर, अलवर को लोग ड्राई काश्मीर कहते हैं, बर्फ और बरसात इतनी नहीं होती बाकी नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से काश्मीर से ज्यादा सुन्दर है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तिजारा का सूरजमुखी स्थान, सिलीसेढ़, सरिस्का और पाण्डूपोल में पर्यटन के हिसाब से सरकार ज्यादा ध्यान देगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिये, मैं उनका स्वागत करती हूं। उस पर विभाग निश्चित रूप से विचार करेगा। आपने सिलीसेढ़ के बारे में पूछा 1988-89 के दौरान विभाग ने भारत सरकार से प्राप्त 3.15 लाख रुपये की राशि से सिलीसेढ़ झील हेतु नौकाओं को क्रय कर नौकायन की सुविधा में वृद्धि की। इसमें 6 पैडल बोट एवं दो मोटर बोट सम्मिलित हैं।

इसके अलावा आपने सरिस्का के बारे में कहा। सरिस्का के पर्यटक विश्राम गृह में 4.15 लाख रुपये की राशि की लागत से 10 नये हट्स के निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं। यह प्रस्ताव दिनांक 22-2-88 को प्रेषित किये गये थे। इस अभ्यारण्य में दो विद्युत चालित बसों की व्यवस्था हेतु 7 लाख रुपये के प्रस्ताव जो दिनांक 29-2-87 को भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे, भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : सारा ही अलवर को देना है क्या? बहुत है।

सुश्री पुष्पा जैन : इसके अलावा आपने पाण्डूपोल के बारे में कहा। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने जो प्रस्तावित योजना दी है उसमें सिलीसेढ़ जयसमन्द अलवर, पाण्डूपोल, भर्तृहरि क्षेत्र, अलवर शहर गार्डन का विकास, अजबगढ़ इन सब के प्रस्ताव हमने बनाये हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये, लेकिन उनको अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है। योजना के आकार एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इन स्थानों के विकास के कार्यों पर काम करना सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां। आप मत पूछों। अब आखिर में नम्बर है आपका। आप बिराजिये। आप पूछ लें, फिर लास्ट में आपका है।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : एक ही है तो लास्ट में पूछ लीजिये। हां, जुबेरजी बोलिये। पहले यह हो जाय।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अभी तक अलवर के पर्यटन स्थलों के लिये जो भी राशि दी गई है, केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई है।

सुश्री पुष्पा जैन : कब कहा?

श्री जुबेर खान : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार भी कोई प्रावधान रखती है? अलवर जिले में जो पर्यटन केन्द्र हैं उनके विकास के लिये राजस्थान सरकार कुछ पैसा देगी या नहीं देगी? मेरा दूसरा निवेदन है कि पाण्डूपोल एक जगह है सरिस्का से जिसमें निकल कर जाते हैं, एक धार्मिक स्थान है। आजकल तो महाभारत चली है तो इसलिये ज्यादा महत्व बढ़ गया है, लोग देखने के लिये

(श्री जुबेर खान)

जाते हैं। उसके लिए क्या आप का कोई प्रावधान है कि उसको इन यात्रियों के लिए खुला करेंगे या नहीं करेंगे ? वन विभाग वाले उसमें जाने नहीं देते किसी को। टाईमिंग फिक्स कर रखे हैं, किराया लेते हैं गाड़ी का भी और आदमियों का भी। इन दो सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, सरिस्का क्षेत्र में पर्यटन विभाग की तरफ से एक होटल है, वह काफी मंहगा है और ठीक उसके सामने निजी क्षेत्र में बड़ा होटल है। क्या माननीय मंत्रीजी साधारण पर्यटकों के लिये कोई साधारण होटल बनाने या हट्स बनाने की व्यवस्था रखती हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गूर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा, नये वित्तीय वर्ष में कौन कौनसे स्थान को पर्यटन विकास के लिये लिया गया है ? मेरा एक इससे जुड़ता हुआ प्रश्न और है, क्या माननीय मंत्री महोदया की जानकारी में है कि भलेश्वर और गणेश्वर पर्यटन विकास के लिये चयनित हैं ? क्या इनका भी विकास अगले वित्तीय वर्ष में शुरु किया जायगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अलवर जिले में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आने के बाद अलवर के पर्यटन विकास में जो रुचि ले रही है उसके लिये तो मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक प्रश्न और है।

श्री सम्पत सिंह : उसमें नेचुरल ब्यूटी की वजह से नहीं ले रही, ब्लैक ब्यूटी की वजह से ले रही है।

श्री जगमाल सिंह यादव : पाण्डूपोल, सिलीसेढ़ और दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं उन पर जो सरकार ध्यान दे रही है इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदया। जिस डिजनी लैण्ड का मैंने आपसे जिक्र किया यह डिजनी लैण्ड तिजारा में जो सूरजमुखी स्थल है उससे बिल्कुल लगता हुआ फिरोजपुर से भिड़ता हुआ ताउड़ू का क्षेत्र है, बिल्कुल उससे लगता हुआ है। यह स्थान जैनियों का एक मंदिर है बहुत बड़ा, वहां हर इतवार को लगभग चार सौ-पांच सौ बसें आती हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिये, धार्मिक जो जैनियों का मंदिर है उसके लिये भी और यह चूंकि उस डिजनी लैण्ड के बिल्कुल नजदीक आयेगा, छोटा-सा डिजनी लैण्ड तिजारा में आप भी बनाने का कष्ट करेंगी ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या राज्य सरकार पर्यटन के विकास में पैसा लगाएगी या केन्द्र सरकार

(सुश्री पुष्पा जैन)

से मांग करेगी ? मैंने आपसे कहा कि अलवर जिले में विगत 5 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं उनमें केन्द्र सरकार से भी पैसा लिया गया है और राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर विकास करवाया है । जैसे ताल-वृक्ष के विकास में 5. 93 लाख रुपये की केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है और 5.50 लाख रुपये राज्य सरकार ने वर्ष 1987-88 और 1988-89 में स्वयं उपलब्ध करवाये हैं ।

श्री जुबेर खान : मैं तो आगे के लिए निवेदन कर रहा हूं ।

सुश्री पुष्पा जैन : आगे के लिए आप कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके यहां भी कोई डिजनीलैण्ड की जगह है क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : जहां तक माननीय सदस्य ने होटल्स के लिए कहा तो सिली-सेढ़ और सरिस्का में दो होटल चलाये जा रहे हैं । पाण्डुपोल क्षेत्र के विकास के लिए हमने 10 लाख रुपये की अनुमानित राशि का प्रावधान रखा है जिसकी योजना विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पाण्डुपोल में दुबारा महाभारत लाने का विचार है क्या, इनके पूछने का सवाल यह है ।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है आर. टी. डी. सी. के होटल्स की रेट के बारे में । यद्यपि माननीय सदस्य इस बात से इत्तफाक करेंगे कि चाहे हरियाणा हो, राजस्थान या कश्मीर हो, जितने भी टूरिस्ट्स होटल चलते हैं उनकी दरें छोटे और और सस्ते होटलों के अनुपात में अधिक होती हैं, मैं इस बात को मानती हूं ।

श्री सम्पतसिंह : मेरा प्रश्न दरों के बारे में नहीं था बल्कि कुछ गरीब पर्यटकों, साधारण टूरिस्टों के लिए होटल्स की व्यवस्था दूसरी जगह होती है । वहां बड़े होटल तो निजी क्षेत्र और आपके विभाग के दोनों हैं परन्तु कोई हट्स बनाने या साधारण किराये से उपलब्ध करवाने की कोई व्यवस्था है ?

सुश्री पुष्पा जैन : इस समय तो कोई सस्ती दरों पर, जो दरें हमारी वर्तमान में हैं इनसे कम दरों पर कोई सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लिया जाएगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे । सवाल कानूनी है, वन्य जीव अभयारण्य में क्या कोई होटल का लाइसेन्स आगे से देने का विचार रखती हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं दिया जा सकता ।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि माननीय सदस्य के सुझावों पर विचार करेंगे । यहां तो विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(श्री जगमालसिंह यादव)

हिन्दुस्तान में जहां-जहां वन्य जीव अभयारण्य के रिजर्व क्षेत्र हैं वहां किसी होटल का कानून में प्रावधान नहीं है, आप कैसे विचार करेंगी ?

सुश्री पुष्पा जैन : आपने कैसे सोचा कि उन्होंने उन्हीं जगहों के लिए कहा है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : उस जगह नहीं बनाएंगे तो उनका उपयोग ही क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती तारा भण्डारी ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने कहा इस पर विचार किया जाएगा । अगर उपयोगिता नहीं होगी तो राज्य सरकार इसको बनाने नहीं जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : अब यह डिबेट मत करिये श्रीमती तारा भण्डारी । (अनुपस्थित कृपया आगे देखें) प्रश्न संख्या 409
श्री अमीन खां ।

बाड़मेर-जैसलमेर जिले में सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण

410. श्री अमीन खां (शिव) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:– क्या सरकार जनहित में जिला बाड़मेर-जैसलमेर के गडररोड, शिव रामदेवरा व बाड़मेर गिराव बंधड़ा सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यह हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

यातायात मंत्री (डा. चन्द्रभान) : जी नहीं । निगम विद्यमान राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वाहन संचालन को सुव्यस्थित करने व उसे सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयास कर रहा है, अतः वर्तमान में गडरारोड से शिव-रामदेवरा तथा बाड़मेर से गिराव-वंधड़ा सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण किये जाने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय यह तो मंत्री महोदय का जवाब आ गया कि कोई विचार नहीं है । क्या यह सही है कि गडरा रोड सन् 1965 से बनी हुई है और सबसे बढिया और अच्छी सड़कों में है उस पर कोई 30 साल से पहले के माडल की मोटर प्राइवेट बस आपरेटर्स चलाते हैं । 85 किलोमीटर की रोड पर आठ घंटे में बस पहुंचती है शिव । तो क्या सरकार वहाँ जनता को होने वाली असुविधाओं पर कोई विचार करेगी और इसका राष्ट्रीकरण करेगी ? इसका राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को कोई दिक्कत है, और गैर कानूनी रूप से बस मालिक जनता को लूट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं उसके लिए क्या यातायात विभाग से कोई इन्तजाम करेंगे कि वहां कायदे से जो बसें अलाउ हों, वही चालू करें । इसी प्रकार बाड़मेर-बंधड़ा रोड भी 1965 से बनी हुई है और बहुत अच्छी आलीशान डिफेन्स रोड़ है जिस पर भी बसों की वही की वही हालत है । यह 100 किलोमीटर से ज्यादा है । मंत्री महोदय, आप इसको गम्भीरता से लें । वहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस पर आपने क्या सोचा है ?

डॉ. चन्द्रभान : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि यह सड़क मार्ग काफी पुराना है और प्राइवेट बसें इन मार्गों पर संचालित हैं। मैं बसों की अव्यवस्था से भी सहमति प्रकट कर सकता हूं लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी मार्ग का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पहले मुख्य रूप से दो-तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है—एक तो बसों की उपलब्धता और यात्री भार। बाड़मेर जिले की बद-किस्मती तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह मैं मानता हूं कि वहां गांव काफी दूर-दूर हैं इसलिए यात्री-भार नहीं मिलता है और हमारे पास बसों की कमी भी है। फिर भी मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। इस मार्ग का सर्वे कर लेंगे और बसों की उपलब्धता हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीयकरण का सरकार विचार करेगी।

जहां तक प्राइवेट बसों का सवाल है, वे काफी देरी से पहुंचती हैं इसकी हम जांच कर लेंगे कि बसों पहुंच नियमित समय पर हो। यदि आवश्यकता होगी तो और किसी प्राइवेट बस आपरेटर को उनका परमिट दिया जाएगा।

श्री अमीन खां : मंत्री महोदय, एक तो प्राइवेट बसों की धांधली है और जो गैर-कानूनी चलती हैं उनकी जांच कर, कब तक व्यवस्था करेंगे ? दूसरे, आपको निगम की बसों में कितना समय लगेगा, वह समय बता दें ?

डॉ. चन्द्रभान : देखिये, आपका सवाल विषय से हट कर रहे है। फिर भी मैं जवाब दे देता हूं। एक तो आपने कहा कि कब व्यवस्था करेंगे जो मैंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीयकरण के लिए सर्वे करवा लेंगे कि निगम के पास बसों की उपलब्धि हो जाएगी और जब हम यह महसूस करेंगे या स्पष्ट हो जाएगा कि यात्री भार सम्भव है। यदि थोड़ा बहुत घाटा होगा तो भी हम जन हित में इसको करेंगे। एक आपने अवैध वाहन की बात कही तो अवैध वाहन, अवैध निर्माण, अवैध संगठन यह सब कुछ देश में चल रहा है मैं मानता हूं लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि अवैध वाहनों को रोकने के लिए इस सरकार ने जितने प्रयास किये हैं, पूर्व सरकार ने नहीं किये।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूर्व सरकार की नैतिकता का प्रश्न नहीं है और आपको सरकार पर कोई इल्जाम नहीं है। सवाल यह है कि आप सरकार हो और सरकार से हम चाहते हैं कि यह अव्यवस्था जो बस आपरेटर्स की मनमानी से है और जनता को परेशान करते हैं उस पर क्या सरकार का फर्ज बनता है कि इसमें इन्तजाम करेगी या नहीं ?

डॉ. चन्द्रभान : सरकार का फर्ज बनता है। इसके लिए मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इसकी जांच कर लेंगे और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी करेंगे। इस तरह की कोई स्पेसिफिक शिकायत न आपकी ओर से मिली, न किसी....

श्री अमीन खां : मंत्री महोदय, मैंने स्वयं सर्किट हाउस में आपको लिख कर दिया है और मैं पर्सनली मिला हूं।

डॉ. चन्द्रभान : आपने चर्चा जरूर की लेकिन शिकायत के रुप में लिख कर नहीं दिया। आपने कहा नई बसें शुरू होनी चाहिए। मैंने आपको आश्वासन भी दिया है कि नई बसों की व्यवस्था करेंगे। अवैध वाहनों को रोकने के लिए चैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। पिछली सरकार ने साल भर में 46.50 हजार वाहनों की चैंकिग की और हमने 23.50 हजार की है।
(व्यवधान)

श्री अमीन खां : मैंने यह कब कहां कि पिछली सरकार ने अच्छा इन्तजाम किया था और आप बिगाड़ रहे हो? यह मेरा सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये और लोग भी पूछ रहे हैं, अभी चल रहा है, हां, बोलिये आप।

डॉ. चन्द्रभान : मैं तो आपको इतना ही आश्वासन दे रहा हूं कि यदि कोई अव्यवस्था है तो हम उस अव्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? जांच करवा लेगें और जरूरी होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और नये परमिट की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, आप पूछिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव से निर्वाचित माननीय सदस्य ने जो राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो दो मापदण्ड बतायें कि किसी भी मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने हेतु एक तो यात्री भार और दूसरा बसों की उपलब्धता होना आवश्यक है, इससे भी मैं सहमत हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करूंगा कि जैसलमेर जिले में पोकरण से नाचना और जैसलमेर से मोहनगढ़ अभी निजी बसें ऑपरेट कर रही हैं। इस मार्ग पर पूर्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चला करती थीं। लेकिन इनको डिसकन्टीण्यू कर दिया गया। लिहाजा यात्रियों को घोर असुविधा अनुभव हो रही है। माननीय मंत्री महोदय को मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना नितान्त आवश्यक है। प्राइवेट बसें बहुत पुरानी हालत में हैं। वहां पर यात्री भार बहुत ज्यादा है। जितनी भी बसें चलती हैं वे ओवरलोडेड केयेसिटी में चलती हैं। एवं मनमाना किराया वसूल किया जाता है। कई घंटों का समय यात्रियों का वहां व्यर्थ में जाता है। वहां पर यात्री भार की कोई कमी नहीं है। जहां तक बसों की उपलब्धता का सवाल है, जब पूर्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इन मार्गों पर अपनी बसें चला रहा था तो उनको डिसकन्टीन्यू करके निजी बसें क्यों चलाई गई। रोडवेज की बसें तो बढ़नी चाहिए थी, घटनी नहीं चाहिए। जैसे-जैसे....

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये। श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिला परिषदों द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गो के लिए जो प्रस्ताव पारित किये गये हैं और किये जाते हैं,

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

उन पर सरकार कब अमल करना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के अन्दर मार्ग के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, से पूछना चाहूंगा कि भविष्य के अन्दर क्या सरकार का राजस्थान के अन्दर अन्य मार्गों का जहां पर प्राइवेट बसें चलती हैं, राष्ट्रीयकरण करने का इरादा है या नहीं ? नहीं करना है तो प्राइवेट बसों पर आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी। अन्यथा अगर भविष्य में राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो उसके बारे में नीति स्पष्ट करें। आज जो 35 से 40 पर्सेन्ट के बीच के राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, 60 पर्सेन्ट के अन्दर नेशलाइजेशन होना है, तो भविष्य के अन्दर इनका नेशलाइजेशन करने का इरादा है या नहीं ? इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बतलाया कि वहां पर यात्री भार की कमी रहती है। जनकल्याणकारी राज्य में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लाभ कमाना सरकार का ध्येय होता है या लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाना। अगर यात्री सुविधा उपलब्ध करवाना ही सरकार का उद्देश्य है तो फिर उसमें यात्री भार को प्राथमिकता देने की बजाय यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी पूछिये। अगर आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आप भी पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने राष्ट्रीयकरण के लिए दो बातें दी हैं। क्या राजस्थान सरकार की यही नीति है कि जहां यात्री भार मिलेगा और ज्यादा यात्री भार मिलेगा उसी का राष्ट्रीयकरण करेंगे दूसरी जो बात उन्होंने रखी है बसों की उपलब्धता की, मैं समझता हूं कि जिन जगहों पर यात्री भार मिलता है अगर वहां पर बसें नहीं चलायेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि बसें मुनाफे के अन्दर आयें। मैं गंगानगर जिले में उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा, संगरिया....

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा है उन्हें उनका जवाब देने दीजिए, गंगानगर इसके अन्दर नहीं आता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं राष्ट्रीयकरण के लिए भार की बात बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने जो सवाल पूछे हैं वे महत्वपूर्ण हैं। अच्छा होगा कि इन सवालों का जवाब पहले आये। गंगानगर के सम्बन्ध में सवाल नहीं है यहां वरना माननीय मंत्री जी दवा लेगें। कोई मालूम

(14)

(श्री अध्यक्ष)

नहीं। आपने जो पहले पूछा है उसका जवाब आने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि....

श्री अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य, आपने जो सवाल पूछ लिये हैं वे ठीक है। माननीय श्री रामप्रसाद जी क्या आप पूछ रहे हैं? पूछिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (बैर) : मैं पूछना चाहता हूं, मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी लिखकर दे दिया था कि मोलोनी गांव है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया, मोलोनी गांव वहां नहीं है, यहां बाड़मेर है। विराजिये आप। श्री राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, आप भी पूछ रहे थे, आप भी पूछिये (व्यवधान)

आप बैठिये, हो गया इसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किसी भी मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या-क्या मापदण्ड हैं?

श्री अध्यक्ष : यह तो सवाल आ गया। आप बिराजिये। हां, माननीय श्री मिश्रीलाल जी आप भी कुछ पूछ रहे थे?

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, के नोलेज में लाना चाहता हूं कि कुछ राष्ट्रीयकृत मार्ग के लिए प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त भी कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण उनको राष्ट्रीयकृत नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरा क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कुछ अवैध वाहन रोड़वेज के अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं चल रहे हैं? यह आपके नोलेज में हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछिये, माननीय श्री चुन्नीलाल जी। हां, आप भी पूछिये। एक मिनट, मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि समय इसी में समाप्त करना है। या आगे के भी सवाल लेने हैं। आपको यदि आगे के सवाल लेने हैं तो इस तरह से हाथ मत उठाइये। अगर आप इसी पर करना चाहते है तो मेरे सामने पच्चीस हाथ उठ रहे हैं। देखिये, आप किसी भी सवाल के महत्व को समझने का प्रयत्न कीजिये। मैं समझता हूं कि जो प्रश्न आये हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पर्याप्त होगा।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : पिछले टाइम के तो क्या सभी रेगुलराइज हो गये?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उपरोक्त राष्ट्रीयकृत मार्ग आज से चार साल पहले मंजूरी शुद्धा था, बसें भी आपके विभाग की यहां पर चलती थीं? इनको क्यों बन्द

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

किया गया और किन परिस्थितियों में ? क्या सरकार इनको पुनः चालू करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । अब कोई भी नहीं पूछेगा इसके बारे में ।

श्रीमती तारा भण्डारी : साहब मेरा प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आप अनुपस्थित थीं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : ट्रेन लेट हो गई । मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूं, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष : यहां की ट्रेन भी निकल गई ।

डॉ. चन्द्रभान (यातायात मंत्री) : उन सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया था लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने एक नीतिगत सवाल रखा है राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में । यह एक कन्टीन्यूअस प्रोसेस है । वर्तमान सरकार के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों की दूरी और संख्या दोनों को ही बढ़ाना चाहती है । नई सरकार ने आने के बाद कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है । जिला परिषदों की चर्चा भी एक माननीय सदस्य ने की । जिला परिषदों से भी सुझाव आयेंगे और आते है और आप लोग भी जो सुझाव देंगे, उनके बारे में जांच करवाई जाती है, सर्वेक्षण करवाया जाता है । यदि आवश्यक होता है और जनता के हित में होता तो मार्गों का राष्ट्रीयकरण किये जाने पर सरकार विचार करती है । अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, यह बात ठीक है कि वर्तमान में राजस्थान में 29.14 प्रतिशत मार्ग है जिनका राष्ट्रीयकरण है । शेष का नहीं है । राष्ट्रीयकरण के पीछे सरकार की मंशा साफ है । यात्रियों को ज्यादा सुविधायें मिलें । इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी वित्तीय स्थिति होती है । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो आर्थिक स्थिति है उससे आप सभी लोग परिचित हैं । वर्तमान में 6 करोड़ 34 लाख रुपये का घाटा है । फिर भी प्राइवेट गाड़ियों को अलाउ करने का सवाल है, वह तो कर ही रखा है 70 प्रतिशत मार्गों के ऊपर ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : दूसरों को लाइसन्स नहीं दे रहे हैं तो लोगों का क्या होगा ?

डॉ. चन्द्रभान : ऐसे कुछ नहीं होगा । देखिए, परमिट का जहां तक सवाल है अब परमिट की स्वतंत्रता है, कोई भी बाध्यता नहीं है । जो भी एप्लाई करेगा । उसे परमिट दे दिया जायेगा । राष्ट्रीयकरण को बढ़ाने की सरकार की मंशा है । लेकिन जब तक मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तब तक प्राईवेट बसें ही चल पायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनीराम ।

श्री रतनाराम चौधरी : हर साल लाखों रुपया कमाते हैं और अपनी यह रोडवेज की बसें घाटे में क्यों हैं ? इसका उपाय आप क्यों नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मनीराम जी ।

लूणकरणसर क्षेत्र की सड़कें

411. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (1) क्या लूणकरणसर क्षेत्र की निम्न सड़कें :

(क) मलकीसर से वाया शेखसर खोड़ाला सड़क

(ख) लूणकरणसर से राजपुरा हुड्डान सड़क

(ग) कालू से गुसाईसर सड़क

(घ) लूणकरणसर से बडेरण सड़क

(च) मेहराणा प्याऊ से सूभलाई सड़क

(छ) लूणकरणसर से वाया कालू सरदारशहर सड़क

यातायात के लिए पूर्णतया सुरक्षित हैं ? यदि नहीं, तो इनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था की जा रही है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) अब कब तक इनकी मरम्मत करा दी जायेगी ?

राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चुन्नी लाल गरासिया) : (1) जी हां ।

(2) साधारण मरम्मत कार्य :— आंधियों से आई मिट्टी हटाने का कार्य चालू है । डामर सड़कों से मिट्टी हटा दी पटरियों पर से मिट्टी माह जुलाई के अन्त तक हटा दी जायेगी । डामर सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य अक्टूबर माह के अन्त तक करवा दिया जायेगा । विशेष मरम्मत कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेंगे ।

श्री मनीराम सियाग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी द्वारा दिये हुए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरा पहला प्रश्न था कि यातायात के लिए पूर्णतया सुरक्षित हैं क्या वे सड़कें, तो इन्होंने कहा कि–जी हां । मैं तो यहां तक कहता हूं कि इन सड़कों में बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं जैसे मलकीसर से शेखसर वाया खोड़ाला सड़क भी पूरी तरह से टूटी हुई है और यहां तक कि जब बस खड्डों में चलती है तो ड्राइवर से स्टेयरिंग तक टूट जाता है । दूसरे, लूणकरणसर से राजपुरा हुड्डान तक की सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है । यहां किसी भी यात्री का जीवन सुरक्षित नहीं है । कालू से गुसाईसर सड़क भी टूटी हुई है और जो लूणकरणसर से सरदारशहर वाया कालू सड़क बनी हुई है, इस पर तो मैं अभी जाकर आया हूं, रविवार को आया हूं, पूरी सड़क मिट्टी से भरी पड़ी है और जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं । इसमें मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सड़क इसी वर्ष में कम्पलीट करा दी जायेगी । इस पर लगने वाली राशि कितनी है ? कितनी तत्परता से, कब तक यह पूरी करा दी जायेगी ? मेहराना प्याऊ से सूभलाई सड़क भी ऊपर से पूरी मिट्टी से भरी हुई है और इस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जबकि इन्होंने कहा है कि मिट्टी पूरी तरह से हटा दी

(श्री मनीराम सियाग)

गई है । इनका उत्तर बिल्कुल गलत है और अधिकारियों ने इनको गुमरा किया है । इसके लिए मैं आश्वासन चाहता हूं कि वे सड़कें कब तक ठीक हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आश्वासन चाहते हैं ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो सलाह दी है, जो जानकारी बताई है, उसकी मैं विभाग द्वारा जानकारी लेकर जो उन्होंने कमियां बताई हैं वे अविलम्ब दूर करवा दी जायेंगी । उनको मैं और जानकारी दे देता हूं कि यह जो छह सड़कें इन्होंने बताई हैं—मलकीसर, करपूरसर, मनासर से, उसका इसी वर्ष प्रस्तावित जो किलोमीटर है–6 से 10 और 17 से 21, वह इस साल कराया जायेगा । यानि हम इस साल टोटल 34 किलोमीटर का....

श्री अध्यक्ष : वे केवल इतना आश्वासन चाहते हैं, जो उन्होंने बताया है उनकी जांच करवा लीजिए ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक करवा दीजिए । इतना ही चाहते हैं ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय विधायक महोदय ने जो कहा....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, माननीय श्री अमृत लाल । बिराजिए अब आप ।

श्री मनीराम सियाग : मेरा एक अधूरा रह गया है, सर ।

श्री अध्यक्ष : आपको आश्वासन मिल गया है । आपने जो बताई है वह ठीक कर देंगे....

श्री मनीराम सियाग : एक और है ।

श्री अध्यक्ष : और अब क्या रह गया बाकी ? आपने कहा था कि इन्होंने जबाव गलत दिया है और आपने वताया कि यह सही है, इतना आश्वासन चाहिए । दे दिया आश्वासन ।

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, यह तो मिट्टी हटाने का ही आश्वासन दिया है । बाकी जो इस सरदारशहर रोड़ पर काफी मात्रा में मेटीरियल पड़ा है यह मेटीरियल क्या इस सड़क के बनाने में उपयोग में लिया जायेगा या कहीं और उसको ले जाया जायेगा ? इस रोड़ पर दस वर्षों से काफी मात्रा में मेटीरियल पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । माननीय श्री अमृत लाल ।

फालना में आवासीय योजना

412. श्री अमृत लाल (बाली) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फालना में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के तहत पंजीकरण किया गया था ? यदि हां, तो कब व कितने व्यक्तियों ने

(श्री अमृत लाल)

पंजीकरण करवाया और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ? बिलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

आवासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। वर्ष 1989 में कुल 438 आवेदकों ने पंजीकरण करवाया था। आवेदकों से प्राप्त राशि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) फालना आवासीय योजना के अन्तर्गत सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुछ भूमि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास हवाई पट्टी के रूप में रियासत के समय थी उसे लेने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने केन्द्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग को स्वीकृति हेतु पत्र लिखा था लेकिन अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी आवासन मण्डल आपसी समझौते के आधार पर दो खातेदार श्री नरसिंह भाई पुत्र श्री गमनाजी, 30 बीघा भूमि एवं अन्य श्री खेमाराम गहलोत से भी जमीन अवाप्त करने की कार्यवाही कर रहा है। अतः बिलम्ब के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अमृत लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस जमीन का हवाला दिया है उस जमीन पर आज कई लोगों ने, पैसे वालों ने कब्जा कर रखा है तो वह जमीन तो मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको जिसने यह खबर दी है या सूचना एकत्रित की है वह बिल्कुल गलत दी है। अभी तक फालना में इस प्रकार की कोई कार्यवाही हुई नहीं, न हो रही है। वहां पर मैं खुद मिल कर आया हूं, जो दो खातेदारों के नाम बतायें हैं–नरसिंह पुत्र गमनाजी और खेमाराम, उनसे मैं खुद मिलकर आया हूं। वे यह जमीन देने से पहले ही मना कर चुके हैं। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पैसे इकट्ठे किए, जिनको विश्वास में लिया गया था कि तुमको हम दो–तीन साल के अन्दर मकान बना कर देंगे तो यह योजना तो मेरे ख्याल से दस वर्षों तक पूरी होगी ही नहीं। जिन लोगों ने अपने जेवर और अन्य चीजें बेच कर पैसे भरे हैं उनका क्या होगा, वे कहां जायेंगे ? इसका जवाब कौन देगा ? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जो यह योजना बनाई है उसके तहत जिन लोगों ने यह बात आपको कही है, वह गलत दी है, सूचना भी गलत दी है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सदस्य, यह बात सही है कि जिस समय ये प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे आवासन मण्डल को उसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समय जमीन की तलाश करनी चाहिए थी। वह नहीं की गई। जो जमीन हवाई पट्टी के लिए थी, जो सार्वजनिक निर्माण के पास थी, केवल उसके आधार पर ही यह योजना बनाई गई। यह भी आपका कहना ठीक है कि और कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। यह जो काश्तकार हैं, इन दो काश्तकारों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। वहां के जिलाधीश महोदय भी उनसे मिले हैं और हमारे विभाग के बड़े अधिकारी भी इनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं स्वयं कह रहा हूं कि अभी कोई निर्णायक बात नहीं है। जब तक निर्णय नहीं होगा, यह बात सही है कि इनको भूमि या मकान नहीं दिये जा सकते। इनके पैसे जमा हैं। आपको ध्यान होगा कि यह योजना 1989 की है, पहले-पुराने जमाने की है। उस समय यह देख कर निर्णय लेना चाहिए था कि जमीन है या नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। अब स्थिति यह बनी हुई है कि पैसे तो जमा हैं और जमीन उपलब्ध हो नहीं रही है। ये दो काश्तकार यदि राजी होते हैं तो यह योजना पूर्ण हो जायेगी। मान लो, ये राजी नहीं हो पाते हैं तो कठिनाई है। उस स्थिति में आप क्या सुझाव दे रहे हैं, यह बता दीजिए। आवासन मण्डल यह कर सकता है कि जिन व्यक्तियों ने पैसे जमा कराए, उनको पैसा लौटा सकता है और जो उस पर ब्याज की देय राशि है वह भी दे देंगे। लेकिन जब तक जमीन उपलब्ध नहीं होती है तब तक यह कठिनाई रहेगी। इसके अलावा कोई सुझाव हो तो आप बता दीजिए।

श्री अमृतलाल परमार : माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि यह जमीन कब तक ली जायेगी और जिन आदमियों ने पैसे भरे हैं उनको हम क्या जवाब देंगे? जब हम जाते हैं तो वे हमको पकड़ते हैं क्योंकि उस समय हम उस काम के अन्दर शरीक थे। यह कार्यवाही कब होगी, कब तक उनको मकान मिलेंगे? यह प्रश्न नहीं है कि मिल जायेंगे। कब तक मिलेंगे, आदमी मरने के बाद उनको पट्टे मिलेंगे क्या।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने मंत्रीजी की बात सुनी?

श्री अमृतलाल परमार : इनकी बात नहीं है। जिन्होंने पहले धोखाधड़ी की, पूर्व सरकार ने, पहले मेरी बात सुनिए, जो पूर्व सरकार थी, इन्होंने जो धोखाधड़ी की है, लोगों को अनजाने में रखकर पैसे लिए गए हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्य करेंगे? मकान कहां है? (व्यवधान)

न जमीन का पता है, न मकान का पता है, क्या होगा इनका? मैं तो यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। नैक्स्ट, श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री अमृतलाल परमार : अध्यक्ष महोदय, यदि यह जमीन नहीं मिलेगी तो (व्यवधान)

श्रीमती ताराभंडारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा रिलेटेड प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजिए आप। माननीय श्री मोहन लाल बारूपाल।

बरसिंहसर थर्मल पावर प्लांट

413. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के बरसिंहसर में थर्मल पावर प्लांट चालू करने का इरादा है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अधीन जिन किसानों की खातेदारी भूमि आई है ऐसे किसानों को उनका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां तो कितनी धनराशि का कितने किसानों को किस दर से भुगतान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना में आई भूमि के मालिक बहुत से किसानों का मुआवजा अभी तक बाकी है ? यदि हां, तो कितने किसानों का ? व इनको भुगतान कब तक कर दिया जायेग ?

(4) क्या उपरोक्त योजना में आए हुए नागरिकों को कहीं अन्यत्र बसाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां और उसकी क्या रूपरेखा है ?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री रामेश्वर दयाल यादव : (1) हां यह सही है कि बीकानेर जिले के बरसिंहसर में थर्मल पावर प्लांट चालू करने के लिए मैसर्स नेवेली लिग्नाईट कारर्पोरेशन, नेवेली, तमिलनाडु एवं राज्य सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं । मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा फरवरी, 1988 में बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार इस पावर हाउस की पहली इकाई योजना को मंजूरी से 56 महीनों के अन्दर चालू होने की सम्भावना है ।

(2) जी नहीं, अभी तक राज्य सरकार द्वारा मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. को थर्मल पावर प्लांट लगाने हेतु भूमि अवाप्ति के लिए धारा 17 (4) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की है तथा भूमि अवाप्ति के लिए मुआवजा आदि निर्धारित करने तथा उसके भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी की नियुक्ति की है ।

(3) उपरोक्त योजना के लिए किसी भी भूमि के मालिक को मुआवजा नहीं दिया गया है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि मालिकों से भूमि का कब्जा प्राप्त होते ही मुआवजे की कार्यवाही कर ली जायेगी ।

(4) राज्य सरकार के पास उपरोक्त योजना में आए हुए नागरिकों को कहीं अन्यत्र बसाने के लिए अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, मंत्री महोदय ने बता दिया । मैं बोलना तो कुछ जानता नहीं हूं, मगर मैं उसके लिए आपको एक कविता सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : कविता से बिजली पैदा हो जायेगी ?

श्री नत्थीसिंह : कविता से भी ऊर्जा होती है ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार है, आप सुनिए, पांच महीने हो गए और कुछ होता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : नहीं तो ऐसी कविता सुनाएं जिससे बिजली पैदा हो जाए।

श्री मोहनलाल बारूपाल : वह महात्मा कह रहे हैं- गोकुल गाड़ी चल रही सीटी दे रही टैम टिकट बाबू खटखट करे तो समझे क्या ऐम। रे गाड़ी सैर सिग्नल लग्यो बैठे तो जग बैठ और अहा टैम से क्या बजे वैसे पहुंचे ठेठ।

रे टैम से क्या कठिनाई मिले, पीछे करेंगे, करना है सो कर लो। टैम से क्या टिकट नहीं मिले, चाहे बाबू राख्यो प्रेम और गोकुल गाड़ी चल रही, रे सीटी दे रही टैम।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि किसी भी किसान को आज तक तक भूमि का मुआवजा नहीं दिया है। आपने भाग दो में जिस तरह का जवाब दिया है उससे तो इस प्लाण्ट को चालू करने का आपका इरादा नहीं लगता है। तब तक आपको भूमि नहीं मिलेगी जब तक कि किसानों को मुआवजा नहीं दोगे। जब किसानों को इस भूमि का मुआवजा नहीं मिलेगा तो आप इस प्लाण्ट को हथेली पर लगाओगे क्या? आपके किसानों को मुआवजा देने का कोई प्लान नहीं है, आपके पास उनकी भूमि लेकर अन्य जगह भूमि देने का प्लान नहीं है, ढाणी के बदले में रिहायशी मकान देने का कोई प्लान नहीं है, तो प्लाण्ट क्या हथेली पर लगाओगे?

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्लाण्ट को लगाने के लिए सन् 1987 में राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था कि वहां खनन कार्य होगा और उस पर आधारित प्लाण्ट वहां लगाया जायेगा। इसी सम्बन्ध में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए अभी हाल ही में 12-7 1990 को भी एक समझौता हुआ है। यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 56 माह के अन्दर यह प्लाण्ट चालू हो जायेगा।

जहां तक जमीनों का प्रश्न है, जमीन एक्वायर करने का एक प्रोसिजर होता है। लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत हमने धारा 17 (4) के अन्दर पब्लिकेशन किया है। इसमें क्लेम्स आयेंगे, फिर सुनवाई होगी। लैण्ड एक्विजीशन आफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। फिर अवार्ड होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भूमि का कब्जा लेने से पहले अवार्ड हो जायेगा और जो किसानों को मुआवजा देने की बात है वह हो जायेगी। जहां तक अन्य जगह बसाने का प्रश्न है, मैंने यह नहीं कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा प्रस्ताव नहीं है और जब इस तरह का प्रस्ताव आयेगा हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री प्रकाश चन्द बैरवा प्रश्न संख्या 414 (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें) (व्यवधान)

माननीय इंदलियाजी, बहुत साफ हो गया है । आप बिराजें । श्री लक्ष्मीनारायण दवे ।

सोजत क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

415. लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में किन-किन सड़कों का डामरीकरण अधूरा है तथा कितने पुल क्षतिग्रस्त पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सोजत सिटी से सोजत रोड़ वाया रेंदड़ी भैंसाना, वड़ा गुड़ा से हरियामाली वाया गुड़ा श्यामा केर खेड़ा, शिवपुर से सरदार सम्बन्ध, सोजत सिटी से राजौला, सोजत से मण्डला वाया रमासनी वाला हिंगावास' से मोडा वाया गागुड़ा सड़कें अपूर्ण पड़ी हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक कितने किलोमीटर पर है तथा इनका कब तक डामरीकरण कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में कुल विभागीय सूची की 19 सड़कों का डामरीकरण अधूरा है जिसकी सूची संलग्न है तथा कोई भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं है ।

(2) जी हां । इन सड़कों की लम्बाई सूची "अ" में दर्शायी गयी है · 21 कि.मी. मेटल रोड में 10 कि. मी. डामरीकरण प्रगति पर है । बाकी के मेटल रोड का डामरीकरण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि सोजत सिटी से जो जोधपुर जाने वाली सड़क वाया रोगुला है उसके बीच में दो पुल क्षतिग्रस्त हैं । दूसरा, सोजत सिटी से मण्डला जाने वाली सड़क है उसके अन्दर भी दो पुल क्षतिग्रस्त हैं । सोजत सिटी से जोधपुर जो सड़क जाती है वह विधान सभा क्षेत्र सोजत की सबसे पुरानी सड़क है, पर यह कांग्रेस सरकार की गलत और पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण आज तक पूर्ण नहीं हो सकी है । अगर राज्य सरकार तत्काल इसको हाथ में लेकर पूर्ण करा दे तो सोजत सिटी से जोधपुर मात्र सवा दो घण्टे में पहुंचा जा सकता है ।

दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से सेन्टर रिजर्व फण्ड के द्वारा 1989-90 में सड़कों के ऊपर कितनी राशि आवंटित की गयी है ? 1990-91 के अन्दर सैण्ट्रल रिजर्व फण्ड से कितनी राशि आवंटित की गयी है ? 1989-90 के अन्दर केन्द्रीय सरकार ने जो राशि दी है, जो पेट्रोल पम्पों और नाना प्रकार के टैक्सों से एकत्रित की गयी है, जिसके लिए अलग प्रकार प्रकार का फण्ड निर्धारित है और जो अलग-अलग राज्य सरकारों को आवंटित की जानी है इस सैण्ट्रल फण्ड

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

द्वारा प्राप्त राशि से किन-किन स्थानों पर किन-किन सड़कों का डामरीकरण किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप इतने प्रश्न करते चले जायेंगे तो जवाब नहीं आयेगा। हर प्रश्न को दूसरा बता रहे हैं। आप 10 वां प्रश्न कर रहे हैं और हर एक को दूसरा बता रहे हैं। आप सूचना चाहते हैं तो सही प्रश्न पूछिए। आप लम्बा चौड़ा पूछ लेते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। There is mo end to it.

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पुलियाओं के बारे में बताया कि राजनीतिक द्वेष के कारण पुलियाओं का निर्माण नहीं हुआ तो हम यह शिकायत दूर कर देंगे।

दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है कि सैन्ट्रल से हम को कितनी राशि मिली और उसका उपयोग कहां हुआ तो वह मैं माननीय सदस्य को व्यक्तिशः अवगत करा दूंगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक प्रश्न और है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष फण्ड से जो पैसा आवंटित होता है, क्या राज्य सरकार का भी यातायात विभाग को जो टैक्स मिलता है उसके आधार पर राजस्थान में भी ऐसा ही फण्ड निर्धारित करने का विचार है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल रोड फण्ड के विषय में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इससे सीधा सम्बन्ध नहीं रखता है। मैं फिर भी उनको बताना चाहता हूं कि 1990-91 का जो सैण्ट्रल रिजर्व फण्ड है उसमें हम कौन-कौन से काम लेना चाहते हैं, उसकी सूची केन्द्रीय सरकार को दे दी है। किन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार ने हमको कोई सूचना नहीं दी है कि वह कितना फण्ड आवंटित करने वाली है। मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मांगों का उत्तर देते समय जब सरदार शहर और गंगानगर की सड़कों का जिक्र आया था तब मैंने इस संदर्भ में सारी चर्चा की थी।

एक मूलभूत नीतिगत प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है कि क्या राज्य सरकार भी सैण्ट्रल रिजर्व फण्ड देते समय जिन योजनाओं को लेती थी उनको लेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले समय केन्द्रीय मंत्री वे हुआ करते थे जो राजस्थान से सम्बन्ध रखते थे इसलिए कुछ विशिष्ट सड़कों के लिए उन्होंने कुछ विशिष्ट प्रावधान करने के लिए पैट्रोल वगैरह की व्यवस्था करने की कोशिश की थी। सारे देश में उस आधार पर पैसा लेकर केन्द्र से निधि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहां जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उसमें नये टैक्स जनता पर नहीं लगाना चाहते हैं। जिसके आधार पर नयी नीति निर्धारित की जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

(24)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल

416. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का घाटा प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार घाटे को कम करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में खेतीहर व्यक्तियों द्वारा सीधा लाइन से कनेक्शन लेकर विद्युत की चोरी की जाती है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न जिलों में इसके आंकड़े रखे जाते हैं ? ऐसे प्रथम तीन जिले कौन से हैं जहां बिजली की सर्वाधिक चोरी होती है ? राज्य सरकार चोरी पर अंकुश लगाये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री रामेश्वर दयाल यादव) : (1) जी हां । उपभोक्ता के छोर पर विद्युत प्रदाय का औसत लागत मूल्य लगभग 114 पैसे प्रति यूनिट पड़ता है मध्यम औद्योगिक, मिश्रित भार तथा वृहत औद्योगिक उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लागत मूल्य से भी कम दर पर विद्युत प्रदान की जा रही है । सबसे ज्यादा हानि कृषि उपभोक्ताओं से हो रही है जिनको कि मात्र 32 पैसे यूनिट की दर से विद्युत प्रदान की जा रही है । इससे मण्डल का घाटा प्रति वर्ष बढ़ रहा है । प्रति वर्ष सैंकड़ों नये गांवों के विद्युतीकरण से यह घाटा और भी बढ़ रहा है । इस घाटे को कम करने हेतु विभिन्न स्तरों पर अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं । जैसे कुछ अत्यावश्यक नियुक्तियों को छोड़कर नयी नियुक्तियों पर रोक लगाकर प्रशासनिक व्यय में कमी, वाहनों के संचालन एवं संधारण व्यय की सीमा का निर्धारण, प्रसारण एवं वितरण हानि को काम करने के प्रयास, विद्युत की चोरी रोकने के लिये सतर्कता दल का गठन, विद्युत चोरी बताने वाले को मण्डल द्वारा पुरस्कार देना मीटरों की सघन जांच व खराब मीटरों को शीघ्र बदलना, मण्डल की बिलिंग माह अगस्त, 1990 से टेरिफ में वृद्धि, राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ की इक्विटी केपीटल दिया जाना, मण्डल की बकाया राशि वसूली करने हेतु तीन स्तरीय समितियों का गठन आदि । परन्तु कीमतों में हो रही निरन्तर वृद्धि के कारण इन प्रयासों की उपलब्धि नजर नहीं आती ।

(2) यह सही है कि राज्य में कुछ खेतीहर व्यक्यिों द्वारा सीधे लाइन से लेकर विद्युत की चोरी की जाती है । बिजली चोरी के जिलेवार आंकड़े रखे जाते हैं अपितु वृतवार आंकड़े संकलित किये जाते हैं । विद्युत चोरी करने वाला खुले आम चोरी नहीं करता और इसी वजह से बहुत से मामलों में चोरी करने वाले का पता नहीं चलता । हालांकि मण्डल ने चोरी की खबर देने, पकड़ने या पकड़ने में मदद कराने वालों की इनाम देने की घोषणा भी की हुई है । पर सब चोरियों का पता नहीं लगने की वजह से इस विषय में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं तथापि पिछले वर्ष मण्डल के सतर्कता अनुभाग द्वारा पकड़े गये

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

मामलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक चोरियां, अलवर, सवाई-माधोपुर व भीलवाड़ा वृत में हुई हैं।

चोरी पर अंकुश लगाने हेतु विद्युत मण्डल में अलग से एक सतर्कता प्रकोष्ठ कायम किया हुआ है जिसके अधीन 1. जयपुर 2. अलवर 3. कोटा 4. सीकर 5. भीलवाड़ा 6 उदयपुर 7. जोधपुर 8. अजमेर वृत्त मुख्यालयों पर सतर्कता इकाइयां स्थापित हैं। बड़े (एच. टी) एवं मध्यम (एम. आई. पी.) उद्योगों के द्वारा संभावित चोरी को रोकने के लिये मीटर प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है जो इन प्रतिष्ठानों पर लगाये गये मीटर इत्यादि की समय-समय पर जांच करता है एवं सील करता है। विद्युत की सूचना देने वाले को प्रेरित करने हेतु नक़द पारितोषिक देने का भी प्रावधान मण्डल द्वारा किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रेशम कीटपालन

403. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा रेशम के कीड़े पालन का कार्य किया जाता है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष इन संस्थाओं द्वारा कितना रेशम तैयार किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रेशम के कीड़े पालने वाली अधिकांश संस्थाएं घाटे में चल रही हैं? यदि हां तो गत 3 वर्षों का लाभ/हानि मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान वैज्ञानिक युग में रेशम से भी अच्छा धागा तैयार किया जाता है? यदि हां, तो इस प्रकार के धंधे से विभाग को क्या फायदा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रत्येक किस्म के धागे का अलग-अलग महत्व है।

नृसिंह मन्दिर, कदीम महल आमेर

404. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नृसिंह मन्दिर कदीम महल आमेर पुरातत्व विभाग के अधीन है?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त मन्दिर में सेवा पूजा के लिए देवस्थान विभाग ने श्री पुरुषोत्तम पुरोहित को पुजारी नियुक्त कर रखा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुजारी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ने विभाग को यह शिकायत प्रस्तुत की है कि उक्त मन्दिर में कुछ असामाजिक तत्व सर्वश्री चतरसिंह, मोहनसिंह, करणसिंह नन्द सिंह आदि अवैध रूप से रहते हैं व मन्दिर के भवन को खराब कर रहे हैं ?

(4) यदि हां, तो विभाग द्वारा भवन की सुरक्षा एवं उक्त असामाजिक तत्वों को वहां से निकालने की क्या कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) स्मारक की सुरक्षा हेतु चौकीदार नियुक्त है । अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को लिखा गया है और पुलिस में एफ. आई. आर. भी दर्ज करवा दी गई है ।

उपवैद्य एवं नर्स प्रशिक्षण केन्द्र

405. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में उपवैद्य एवं नर्स प्रशिक्षण के कुल कितने केन्द्र संचालित हैं तथा कब-कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि निजी प्रशिक्षण केन्द्रों (नर्स) में प्रवेश के समय डोनेशन के रूप में 10,000 रु. से 25,000 रुपये तक की राशि प्रति छात्र वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक उक्त संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) चालू सत्र में प्रवेश के समय डोनेशन के रूप में वसूली न हो, इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "क")

(2, 3 एवं 4) राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है । जयपुर स्थित दोनों केन्द्रों का निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा करवाया गया हैं, जिसमें इनमें इन संस्थाओं में कुछ कमियां पाई गई हैं । प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय को दिनांक 14-6-90 को लिखा है कि जयपुर स्थित दोनों केन्द्रों के संबंध में इनकी सम्बद्धता समाप्त करने के बारे में विचार कर निर्णय लें ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

प्रावेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में अनियमितताएं

406. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन ने लिखित रूप में कई बार विभाग के उच्चाधिकारियों को की है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) उक्त कार्यालय में कार्यरत जिला परिवहन अधिकारी तथा परिवहन निरीक्षक कितने समय से लगातार कार्यरत हैं?

(3) क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध भी भ्रष्ट तरीके से भारी सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार इनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा भेजी गयी सामान्य प्रकृति की शिकायतें दिनांक 2-6-90 एवं 17-6-90 को प्राप्त हुई थी। शिकायतों में सुस्पष्ट (Specific) मामला नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं था।

(2) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर–प्रथम में कार्यरत जिला परिवहन अधिकारी एवं परिवहन निरीक्षक उनके नाम के सम्मुख दर्शायी तिथि से निम्नानुसार कार्यरत हैं:—

क्र.सं. 1	नाम एवं पद 2	पदस्थापन तिथि 3
1.	श्री देशराज सिंह, जिला परिवहन अधिकारी	7-5-88 से
2.	श्री रामकरण विश्नोई, जिला परिवहन अधिकारी	16-4-87 से
3.	श्री जयनारायण मीणा, जिला परिवहन अधिकारी	17-5-90 से
4.	श्री रवीन्द्र यादव, जिला परिवहन अधिकारी	2-7-90 से
5.	श्री रघुनन्दन शर्मा, परिवहन निरीक्षक	11-10-88 से
6.	श्री जगदीश प्रसाद, परिवहन निरीक्षक	12-6-89 से
7.	श्री सुरेश चन्द सिंहल, परिवहन अधिकारी	25-5-90 से
8.	श्री रोशनलाल परिवहन निरीक्षक	30-6-90 से
9.	श्री पी.एल. सोनी, परिवहन निरीक्षक	7-7-90 से
10.	श्री महेन्द्र सिंह, परिवहन निरीक्षक	16-7-90 से
11.	श्री देवीदयाल श्रीवास्तव, परिवहन निरीक्षक	5-7-90 से
12.	श्री घीसाराम, परिवहन निरीक्षक	ज्वाइन नहीं किया

(3) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्ट तरीके से भारी सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिरोही में आवासन मण्डल के मकान

409. श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही): क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिरोही में आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे मकानों की नींवें तकनीकी मानदण्डों के अनुसार भरी जा रही हैं व मकानों का निर्माण भी तदनुसार किया जा रहा है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या मण्डल नींव व मकानों में प्रयुक्त सामग्री की जांच करवा कर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुरातात्विक महत्व के किले

414. श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुरातात्विक महत्व के कितने प्राचीन एवं खंडहर किले राज्य सरकार के अधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनके रख-रखाव पर सालाना कितनी राशि व्यय की जाती है ? विगत 5 वर्ष के वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फागी के माधोराजपुरा ग्राम में स्थित विशाल किले की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु किले को विभाग के अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुरातात्विक महत्व के 23 प्राचीन खण्डर किले राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किये हुये हैं। सूची संलग्न है। इनके रख-रखाव पर नियमित रूप से सालाना राशि व्यय नहीं की जाती है। इनकी मरम्मत पर व्यय के विगत 5 वर्ष के वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

1985–86	कोई राशि व्यय नहीं की गई।
1986–87	38,507·00 रुपये
1987–88	43,744·00 रुपये
1988–89	55,806·00 रुपये
1989–90	107,381·00 रुपये

(2) जी नहीं।

उक्त किला पुरातात्विक, कलात्मक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपेक्षित महत्वपूर्ण न होने के कारण विभाग की परिधि में नहीं आता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कुए एवं ट्यूब-वैल के मध्य न्यूनतम दूरी

660. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कुएं व ट्यूब वैल के बीच न्यूनतम दूरी रखने का मापदंड तय किया है? यदि हां, तो पाली जिले में एक कुएं से कितनी दूरी पर ट्यूबवैल खोदा जा सकता है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने काश्तकारों की शिकायत पर मुख्य अभियन्ता जलदाय विभाग को पर्याप्त दूरी पर ट्यूबवैल खोदने के निर्देश दिनांक 30-3-1990 को दिये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश को दिनांक 30-5-1990 को किस आधार पर बदला गया?

उत्तर

(1) जी हां, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, पाली जिले की विभिन्न समितियों में, 1977 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, सामान्यतः रेतीले क्षेत्रों में 260 मीटर एवं पथरीले क्षेत्रों में 150 मीटर की कुओं में न्यूनतम अन्तः दूरी कृषि कार्य हेतु प्रस्तावित की गई थी।

(2) कुछ व्यक्तियों द्वारा नलकूप खोदने के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया था जो दूसरे पक्ष द्वारा निरस्त करवा लिये जाने पर नलकूप बनाने की कार्यवाही की गई। विधिवत राज्यादेश प्रसारित नहीं किये गये थे।

नगर परिषद् जयपुर के कर्मचारियों का पदस्थापन

661. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद्, जयपुर के कितने कर्मचारी अपने मूल पद के अतिरिक्त अन्य पदों पर पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) परिषद् के आदेशों के विरुद्ध कितने कर्मचारी न्यायालय की शरण में गये व स्टे आदेश प्राप्त किया?

(3) क्या उन पर परिषद् ने अमल किया? इनके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जयपुर में अपने मूल पद के अतिरिक्त अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) नगर परिषद्, जयपुर के आदेशों के विरुद्ध जो कर्मचारी न्यायालय की शरण में गये व स्टे आदेश प्राप्त किये उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) नगर परिषद् ने ऐसे प्रत्येक आदेशों पर अमल किया है। अधिकतर मामलों में समकक्ष पदों का कार्य लिया गया है। जिन मामलों में अनुभव व योग्यता को देखते हुए अन्य पदों का काम लिया गया है उन कर्मचारियों को न्यायालय के आदेशानुसार पालना की जा रही है। किसी आदेश विशेष से पदोन्नति अथवा नियुक्ति नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में कार्यवाही प्रश्न ही नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील सिकराय के हैण्डपम्प

662. श्री राम किशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिकराय तहसील में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं ? उनमें से वर्तमान में कितने चालू हालत में हैं और कितने खराब पड़े हैं ?

(2) क्या उक्त तहसील में लगे हैण्डपम्प निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दंड देने का विचार रखती है ?

(3) क्या बसवा तहसील में लगे हैण्ड पम्प निर्धारित मानदण्डों के अनुसार (गहराई में) लगे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी ठेकेदारों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील सिकराय में कुल 684 हैण्डपम्प लगे हुए हैं जिनमें से 614 हैण्डपम्प चालू, 20 सूखे तथा 50 परित्यक्त हैं।

(2) उक्त तहसील में हैण्डपम्प निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लगे हैं, अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(3) ऐसी कोई सूचना नहीं है, अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अजमेर जिले के हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल

663. श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में 1 अप्रेल, 1990 के बाद कुल कितने नये हैण्ड पम्प एवं ट्यूब वैल खोदे गये ?

(2) वहां पंचायत समितियों के अनुसार जहां-जहां हैण्ड पम्प एवं ट्यूबवैल अप्रेल, 1990 के बाद खुदे उनकी सूची मय स्थान गांव, ढाणी, कस्बा, शहर एवं दिनांक सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त हैण्डपम्प ए वं ट्यूब वैल क्या सभी चालू हालत में हैं या कुछ असफल भी हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रैल से 13 जुलाई, 1990 तक की अवधि में 538 हैण्ड पम्प तथा नलकूप खोदे जा चुके हैं।

(2) हैण्डपम्पों व नलकूपों की ग्रामवार तथा नगरवार सूचना प्रपत्र "क" में संलग्न है। ये हैण्ड पम्प तथा नलकूप उपरोक्त वर्णित अवधि में खोदे गये।

(3) सफल व असफल हैण्डपम्पों तथा नलकूपों का विवरण संलग्न "क" में दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

गंगवाड़ा से पीपलवाड़ा (सवाई माधोपुर) लिंक रोड का निर्माण

664. श्री कुंजीलाल मीणा(बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कुंजीलाल मीणा)

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति वाली निवाई सड़क पर गगवाड़ा से पीपलवाड़ा लिंक रोड पर मिट्टी का कार्य हो चुका है और मैटेरियल काफी मात्रा में पड़ा है ?

(2) क्या सरकार उक्त लिंक रोड का कार्य पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । 6 कि.मी. में 4 कि.मी. की लम्बाई में आंशिक रूप से मैटेरियल गंगवाड़ा से पीपलवाड़ा सड़क पर कार्य स्थल पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां । उक्त सड़क को पूर्ण करवाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जयपुर की आवासन मंडल की योजनाओं में सुविधाएं

665. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् सीमा में आवासन मण्डल की कितनी योजनाएं हैं ? इस योजना में निर्मित आवास गृहों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या आवासन मण्डल में इस प्रस्तावित व पूर्ण निर्मित योजनाओं में जन सुविधा की दृष्टि से अनिवार्य जन-सुविधायें, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, पार्क तथा जन उपयोगी भवन, सड़कें आदि प्रस्तावित अथवा निर्मित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस योजना में इन सुविधाओं को पूरे तौर पर निर्मित कर दिया गया, किन योजनाओं में अपूर्ण है तथा किन योजनाओं में केवल प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जयपुर नगर के पूर्वांचल में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय मार्ग की लिंक रोड पर आवासीय मंडल की वन विहार योजना में कुल कितने आवासीय प्लेट हैं ?

(4) क्या वन-विहार योजना, जयपुर में डिस्पेन्सरी व स्कूल भवन निर्माण कर आवासन मण्डल ने सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित कर दिये हैं यदि हां, तो कब और इन भवनों के निर्माण पर मण्डल द्वारा कितना धन व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) जयपुर की नगर परिषद् सीमा में आवासन मण्डल के अधीन 7 आवासीय योजनाएं हैं । इन योजनाओं में गृहों की संख्या परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) आवासन मण्डल की पूर्ण निर्मित योजनाओं में जन सुविधा की दृष्टि से अनिवार्य जन सुविधाएं, विद्यालय, चिकित्सालय, पार्क एवं जनउपयोगी सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(९२)

(आवासन मंत्री)

(3) दिल्ली आगरा राष्ट्रीय मार्ग की लिंक रोड पर आवासन मण्डल की वन-विहार योजना में 752 आवास है।

(4) आवासन मण्डल की वन विहार योजना में डिस्पेंसरी एवं स्कूल भवन का निर्माण आवासन मण्डल द्वारा नहीं किया गया है। वन विहार योजना में प्राथमिक विद्यालय का भूखण्ड है, जो वन विहार शिक्षण संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नसीराबाद क्षेत्र के कुएं

666 श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अधिकांश गांवों में पिछले 5 साल से अकाल पड़ने अथवा कम वर्षा के कारण कुओं का पानी सूख गया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया है जिससे किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा सकें? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस तकनीकी जानकारी के अभाव में अनेक काश्तकार कुओं को गहरा कराने में काफी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं और कुओं में पानी नहीं आने से वे ऋणी होकर बर्बाद होते जा रहे हैं?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई योजना बनाकर काश्तकारों को तकनीकी सहयोग देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या भारत सरकार ने किसानों के कुएं गहरे करने के लिए कुछ मशीनें राज्य सरकार को उपलब्ध कराई हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के किसानों को इन मशीनों का लाभ दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां, पिछले पांच सालों में समुचित वर्षा के अभाव स्वरूप नसीराबाद क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर में औसतन 5·69 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण कुछ कुओं का जल तकरीबन सूख भी गया है। इस क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत कुओं का सर्वेक्षण वर्षा पूर्व व वर्षा के उपरान्त किया जाता है जिसके आधार पर भू-जल उपलब्धि का आधारभूत कुओं का सर्वेक्षण कर, पुनः मूल्यांकन किया जाता है। पूर्व में (वर्ष 1968 तक) इस क्षेत्र को तीनों जल धारक इकाइयों का भू-जल आंकलन समिति द्वारा डार्क श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। इस क्षेत्र के विषय में तकनीकी जानकारी वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, अजमेर के कार्यालय में उपलब्ध है।

(2) निजी तरीके से जो काश्तकार कुओं को गहरा कराते हैं उसकी सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नये कुओं के निर्माण व असफल कुओं के

(भू-जल मंत्री)

मुआवजे के लिए तकनीकी परामर्श एवं नई योजना का सृजन किया गया है इस योजना के इसी वर्ष से लागू किये जाने की संभावना है।

(4) जी, नहीं।

अल्माअता डिक्लरेशन पर कार्यवाही

667. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सोवियत संघ के नगर में अल्माअता में किये गये डेक्लरेशन के मुताबिक सन् 2000 तक "स्वास्थ्य सब के लिए" कार्यक्रम पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? बिन्दुवार प्रगति प्रतिशत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सोवियत संघ के नगर अल्माअता में किये गये डिक्लरेशन के मुताबिक सन् 2000 तक "स्वास्थ्य सब के लिए" भारत सरकार ने कुछ आधार बिन्दु निर्धारित किये हैं। राज्य सरकार अपने उपलब्ध साधनों से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यथाशक्ति प्रयास कर रही है। उपलब्धियों एवं सन् 2000 तक के लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

आधार बिन्दु	लक्ष्यों की प्राप्ति		2000 तक लक्ष्य प्राप्त करने हैं
1. मृत्यु दर	13·2	(198)	89
2. जन्म दर	32·8	(1988)	21
3. शिशु मृत्यु-दर	103	(1988)	60
4. ग्रोथ रेट	1·96%	(1988)	1·2%
5. कपल प्रोटेक्शन रेट	28·1%	(1989)	60%
6. नेट रीप्रोकडेटीव	1·6	(1989)	1
7. जन्म पर संभावित आयु	55 वर्ष	8-1-86	65

इन्द्रगढ़ (बून्दी) में रेफरल अस्पताल की स्थापना

668. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेफरल अस्पताल खोलने की सरकार की नीति एवं मानदण्ड की पूर्ति के आधार पर बून्दी जिले के इन्द्रगढ़ में रेफरल अस्पताल होना वांछनीय है ?

(2) यदि हां, तो सरकार जनहित में इन्द्रगढ़ में रेफरल अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) रेफरल अस्पताल एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक खोलने का मानदण्ड है, जो चिकित्सा अधिकारी युक्त संस्था को कमोन्नत कर बनाया जाता है।

इन्द्रगढ़ पंचायत समिति केशवरायपाटन के अन्तर्गत आता है, जिसकी जनसंख्या

(चिकित्सा मंत्री)

0.99 (1981) है। इस पंचायत समिति का रेफरल अस्पताल कापरेन में वर्ष 1982-83 में स्वीकृत किया जा चुका है। अतः इन्द्रगढ़ में रेफरल अस्पताल खोलने का फिलहाल औचित्य नहीं बनता।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड जोधपुर में अनियमितता की जांच

669. **श्री राजेन्द्र कुमार** (सीकर) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के महालेखाकार ने राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1974–76 तक की अवधि में जोधपुर के तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा एक ठेकेदार को सीमेन्ट की 10 हजार बोरियाँ अतिरिक्त देना दिखाया गया जबकि अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अस्पताल भवन बनाने के लिये यह बोरियां देना बताया गया है परन्तु ठेकेदार द्वारा उक्त सीमेन्ट की बोरियां प्राप्त करने से बिल्कुल मना कर दिया है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में यह शिकायत मिली थी कि यह सीमेन्ट की बोरियां अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शास्त्रीनगर, जोधपुर में अपने निजी मकान बनाने के उपयोग में ले ली ? क्या इस दृष्टिकोण से भी इस प्रकरण की जांच की गई ?

(4) क्या महालेखाकार द्वारा इस अनियमितता को बताने पर तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने मामले को आडिट के दायरे से बाहर करने के लिए यह मामला 83–84 में जोधपुर पुलिस को सौंपा गया बताया था ? पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अब तक क्या जांच कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। ठेके के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु आवश्यक जितनी भी सीमेन्ट की बोरियां ठेकेदार को दी गई थी उनकी प्राप्ति को ठेकेदार ने अस्वीकार नहीं किया है।

(2) जांच उपरान्त किसी भी अभियंता को दोषी नहीं पाया गया, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में की गई जांच में किसी अभियन्ता को दोषी नहीं पाया गया।

(4) यह सही नहीं है। ठेकेदार के खिलाफ एक आपराधिक मामला विभाग द्वारा धारा 406 आई.पी.सी. के अन्तर्गत पुलिस विभाग में दिनांक 28-8-1980 को दर्ज करवाया गया था उसका पुलिस विभाग ने सिविल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

था। वह अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

पीपल्दा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

670 श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार का विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विकास हेतु निम्न सड़कों का निर्माण कराने का विचार हैं:—

1. रजोपा-ठीपरी-इन्द्रगढ़

2. गैता-ठीपरी चम्बल वाया बमूलिया-ककरावदा

3. अमाना-पीपल्दा कलां वाया लुहावद

4. करवाड-खातोनी

5. अयाना-डीपरी कालीसिंध वाया अयानी

6. अयाना-बमोरी कलां

7. लुहावद-बड़ोली वाया लक्ष्मीपुरा।

(2) यदि हां, तो सरकार जनहित में उक्त सड़कों के निर्माण की कब तक व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) सड़कों के कार्य योजना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं धन की उपलब्धता पर विचार किया जा सकता है।

(2) उपरोक्तानुसार।

तहसील निवाई के चिकित्सीय संस्थान

671. रामनारायण बैरवा (निवाई): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील निवाई में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्ट स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों के कई बड़े-बड़े ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं एडपोस्ट की व्यवस्था नहीं है?

(3) यदि हां, तो सरकार उक्त स्थानों पर चिकित्सीय संस्थान कब तक खोल कर सुविधा उपलब्ध करा देगी?

उत्तर

(1) तहसील निवाई में 24 उप केन्द्र व 3 उच्चीकृत उप केन्द्र/एडपोस्ट स्वीकृत हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। सामान्य क्षेत्रों में प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक उप केन्द्र खोलने का मापदण्ड है। उप केन्द्र के स्थान का चयन गांव की स्थिति एवं आस-पास के गांवों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्येक उप केन्द्र सामान्यतया कई गांवों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। निवाई तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों की सन् 1993 की आबादी 1,36,000 होनी सम्भावित है। जिसके लिए 27 उप केन्द्रों की आवश्यकता होगी जो आज भी उपलब्ध हैं।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

प्लास्टिक बोतलों में फ्लूड का विक्रय

672. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कई दवा निर्माता कम्पनियों द्वारा फ्लूड प्लास्टिक बोतलों में भारी मात्रा में बेचा जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उष्ण (गर्म) प्रदेश में प्लास्टिक के फ्लूड में मिश्रण होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ?

(3) क्या राज्य सरकार प्लस्टिक की बोतलों में फ्लूड बिकने और उससे मरीजों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने तथा सम्भावित क्षति के बारे में उच्च स्तरीय तकनीकी सलाहकारों से राय जानने का विचार रखती है और क्या तब तक राज्य में प्लास्टिक बोतलों के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्लास एवं प्लास्तिक बोतलों के बारे में इण्डियन फार्माकोपिया–1985 के संस्करण में मापदण्ड निर्धारित है। अतः प्लास्टिक के फ्लूड में मिश्रण होने की सम्भावनायें नगण्य हैं।

(3) जी नहीं। यह मामला सारे देश में समान रूप से नीति निर्धारित करने का है, जिसके लिये केवल भारत सरकार ही ड्रग्स एवं कोस्मेटिक अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सक्षम है।

मण्डा से खूड वाया खाटू श्यामजी (सीकर) सड़क

673. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में मण्डा से खूड वाया खाटू श्यामजी सड़क प्लान में स्वीकृत हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क को मण्डा से खाटू श्यामजी एवं खूड से ग्राम मान्डोता तक बनाकर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण से दो प्राचीन धार्मिक स्थानों खाटू श्यामजी व जीणमाता का सीधा सम्पर्क हो रहा था ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के बनने से जयपुर से डीडवाना, सुजानगढ़ जाने वाले वाहनों को डीजल की बचत भी होती है तथा सीकर शहर में भी यातायात कम होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को सर्वोच्च प्राथ-

(श्री दिलसुख राय)

मिकता पर पूर्ण करवायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जो स्वीकृति जारी की गई थी, वह खुड से मण्डा (खुड से मन्दाता टुकड़े) के लिए थी।

(2) कार्य स्वीकृतियों के अनुसार किया गया है।

(3) जी हां।

(4) प्रस्तावित सड़क बनने पर केवल 5 कि. मी. मार्ग कम हो जायेगा। निर्माण कार्य प्राथमिकता के निर्धारण, योजनान्तर्गत मापदण्डों एवं उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

नागौर में चिकित्सकों के रिक्त पद

674. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में किस-किस राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) जिला नागौर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद कब से रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) उप केन्द्रों पर चिकित्सकों के पद सृजित नहीं होते हैं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

विद्युत की मांग और उपलब्धता

675. श्री हजारीलाल (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में विद्युत की मांग और उपलब्धता में वर्ष 1989-90 में कितना अन्तर रहा ?

(2) विद्युत की मांग और उपलब्धता में वर्ष 1990-91 में कितने प्रतिशत विद्युत का अन्तर सम्भावित है ?

(3) राज्य सरकार इस अन्तर को पूरा करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 13 वें वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की विद्युत ऊर्जा की अप्रतिबन्धित मांग 12,520 मि. यू. थी, जब कि इसी अवधि में राज्य में ऊर्जा उपलब्धि लगभग 10,045 मि. यू. थी। इस प्रकार लगभग 19·7 प्रतिशत का अन्तर रहा।

(2) वर्ष 1990-91 में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता 14129 मि. यू. होगी, जब कि उपलब्धि 11,694 मि. यू. रहने की सम्भावना है। इस प्रकार उपलब्धि में लगभग 17 प्रतिशत की कमी रहेगी।

(3) इस अन्तर को माह दिसम्बर, 1990 से फरवरी, 1991 में जब कि कृषि की मांग बढ़ जाती है, अन्य पड़ौसी राज्यों से बिजली खरीद कर पूरा करने का प्रयास किया जावेगा। इसके बाद भी जो अन्तर रहेगा उसे उद्योगों पर कटौती लगाकर व कृषि सैक्टर को तीन पारियों में विद्युत आपूर्ति कर पूरा किया जाने का विचार है।

बिलाड़ा क्षेत्र की चिकित्सीय संस्थायें

676. श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कहां-कहां पर, किस-किस स्तर के कितने चिकित्सीय संस्थान हैं ?

(2) उपरोक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों सहित क्या-क्या स्टाफ पदस्थापित है ? क्या स्टाफ पर्याप्त रूप से पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं ? अब सरकार रिक्त पदों की पूर्ति करने का कब तक विचार रखती है ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिलाडा क्षेत्र में निम्न चिकित्सीय संस्थान हैं :—

1. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र पीपाड़ शहर
2. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, पीपाड़-शहर
3. नगर परिवार कल्याण केन्द्र, पीपाड़ शहर
4. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, बिलाड़ा
5. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, खारिया-मीठापुर
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़-शहर
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाड़ा
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेजड़ला
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरून्दा
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाला
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलावसिनी
12. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मावी
13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरड़ा

(2) इन संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के कुल 35 पद रिक्त हैं, जिसका ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त

(चिकित्सा मंत्री)

पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किये जा रहे हैं।

(ब्यौरों के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पाली जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ

677. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1988 से जनवरी, 1990 तक पाली जिले में कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल व अन्य चिकित्सीय संस्थान खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त केन्द्रों में कहां-कहां कितना-कितना स्टाफ स्वीकृत है और उनके विरुद्ध कितना-कितना स्टाफ पदस्थापित है?

(3) उक्त केन्द्रों पर रिक्त पड़े स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1988 से जनवरी, 1990 तक पाली जिले में 5 रेफरल अस्पताल, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें 10 नए तथा 16 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 167 उप केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। सूची संलग्न है।

(2) स्वीकृत/कार्यरत स्टाफ का ब्यौरा प्रश्न के भाग एक के साथ संलग्न सूची में अंकित है।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पम्प सेटों का क्रय

678. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा वर्ष 1985 से अब तक कितने पम्प सेटों का क्रय किया गया?

(2) उनमें से कितने पम्प सेट स्टाफ में हैं, कितने पम्प सेट उपयोग में आ रहे हैं एवं कितने पम्प सेट डिस्पोजल में बेचे गये?

(3) क्या स्टाक और उपयोग में आ रहे तथा बेचे गये पम्प सेटों का योग खरीदे गये पम्प सेटों के योग से मिलता है?

(4) यदि नहीं, तो कितने पम्प सेट का अन्तर है, और कम पड़ रहे स्टाक के लिए कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्ष 1985 से जून, 1990 तक 14820 पम्प सेटों का क्रय किया गया।

(2) 503 पम्प सेट स्टाक में हैं, 14273 पम्प सेट उपयोग में हैं एवं 44 पम्प सेट डिस्पोजल में बेचे जाने शेष हैं।

(3) जी हां।

(40)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

नेहरू कॉलोनी, भीलवाड़ा

679. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा 80 अनुसूचित जाति बैरवा गरीब तबके के परिवारों के लिए नेहरू कॉलोनी में कृषि भूमि पर मकान निर्माण किये हैं? क्या अब उनको नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास ने चार तरह की दर अलग-अलग इन गरीब परिवारों से:—

(अ) 51/- रुपये प्रति वर्ग गज

(ब) 80/- रुपये प्रति वर्ग गज

(स) 112/- रुपये प्रति वर्ग गज

(द) 130/- रुपये प्रति वर्ग गज

वसूल करने का फैसला किया है जबकि जयपुर शहर में गत वर्ष केवल 25/- रुपये प्रति वर्ग गज हिसाब से भुगतान लिया है?

(3) क्या नगर विकास न्यास अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों से आधी दरें लेकर इन गरीब आदमियों की बस्ती को बेदखल न कर, नियमन करने का निर्णय लेगी?

उत्तर

(1) न्यास की आजाद नगर योजना में अवाप्त की गई भूमि में किए गए अनाधिकृत निर्माणों को हटाने की कार्यवाही न्यास द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। नेहरू कॉलोनी इसी आजाद नगर योजना में "ई" सैक्टर है। इसमें स्थित बैरवा समाज के मकानों को गिराने का न्यास द्वारा अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(2) न्यास की साधारण बैठक दिनांक 29-3-90 को पारित प्रस्ताव के अनुरूप आजाद नगर योजना में नियमन योग्य क्षेत्र जिसमें सैक्टर "ई" में आजाद नेहरू कॉलोनी भी शामिल है के लिए भूखण्डों के आकार के अनुरूप व आजाद नगर योजना की आरक्षित दर 85/- रुपये प्रति वर्ग गज होने से राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 17 (4) के अनुसूची में दी गई दरों के अनुरूप चार दरें इस प्रकार निर्धारित हैं।

144 वर्ग गज तक	51/- रुपये प्रति वर्ग	(आरक्षित दर का 60 प्रतिशत)
145 से 239 वर्ग गज तक	85/-रुपये प्रति वर्ग गज	(आरक्षित)
240 से 322 वर्ग गज तक	111/-रुपये प्रति वर्ग गज	(आरक्षित दर + 30 प्रतिशत)
323 से अधिक	130/-रुपये प्रति वर्ग गज	(लगभग बाजार दर)

(नगरीय विकास मंत्री)

चूंकि गरीब परिवारों के पास सामान्यतः 144 वर्ग गज से कम का भूखण्ड है। अतः उनके लिए आरक्षित दर 85/-रुपये प्रति वर्गगज का 60 प्रतिशत ही वसूल किया जा जा रहा है। जयपुर शहर में गत वर्ष 25/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से विकास शुल्क उन भूखण्डों का लिया जा रहा था, जो कृषि भूमि में राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्र में भूमि स्थानान्तरण) नियम, 1981 के नियमों के तहत स्थानान्तरण योग्य थे यानि जो आविष्त में नहीं थे खरीददारों के पास वैध स्वामित्व था जो शहरी सीमा-बन्दी अधिनियम (अल्सर) से प्रभावित नहीं थे व अन्य पूर्तियां करते थे।

(3) नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के बेदखल न कर जहां आबाद है वहीं नियमन कर रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए नियमन की आधी दर लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है न न्यास का ऐसा निर्णय है।

नगर परिषद् जोधपुर के सेवामुक्त कर्मचारी

680. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदार-पुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद् जोधपुर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ की पालना के विरुद्ध वरिष्ठता सूची बनाये बिना वर्ष 1986 में कर्मचारियों को सेवा से पृथक् किया गया ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को व क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सेवा से पृथक् किये गये किसी कर्मचारी को वापस सेवा में लेने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो आश्वासन किस आधार पर दिया गया ?

(3) 1986 में सेवा से पृथक् किये गये कर्मचारियों में से अब तक कितने कर्मचारियों को नगर परिषद् जोधपुर की सेवा में पुनर्स्थापित किया है और कितनों को नहीं, और क्यों ? क्या यह नियुक्तियां अनियमित तरीके से की गई हैं ?

(4) 1986 से अब तक जोधपुर नगर परिषद् में कुल कितने नये कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ की पालना के विरुद्ध 873 कर्मचारियों को पद सृजित किये बिना नियुक्ति देने, नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति नहीं देने एवं बजट में पदों का प्रावधान किए बिना नियुक्ति दिये जाने के कारण सेवा से पृथक् किया गया था।

(2) यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा अनावश्यक आर्थिक हानि से बचने के लिए कानूनी सलाह के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सेवा से पृथक् किये गये उन कर्मचारियों को जिन्होंने रिट दायर की

(42)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

थी पुनः सेवा में लिये जाने का आश्वासन दिया गया था।

(3) 1986 में सेवा से पृथक् किये गये कर्मचारियों में से 26 कर्मचारियों को पद सृजित कर राजकीय स्वीकृति से पुनः सेवा में लिया गया है। शेष 847 को पद रिक्त नहीं होने व परिषद् की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नहीं लिया गया।

(4) वर्ष 1986 से अब तक नगर परिषद् में कुल 14 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति तथा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को ही दी गई हैं।

सीकर जिले में पेयजल संकट

681. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहर में गम्भीर पेयजल संकट है? यदि हां, तो क्या सरकार युद्ध स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर में जलाशय की योजना की स्वीकृति विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार जलाशय निर्माण की स्वीकृति देने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल के उपयोग का मापदण्ड जलदाय विभाग द्वारा दोहरा रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अविलम्ब इस भेद-भाव को दूर करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सीकर शहर में पेयजल का गम्भीर संकट है? यदि हां, तो इसकी योजना को आज तक केन्द्र सरकार से मंजूर क्यों नहीं करवाई?

उत्तर

(1) जी नहीं। सीकर जिले के सभी 813 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है। सीकर शहर में वर्तमान में 63 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मात्रा वितरित की जा रही है। ग्रामीण योजनाओं में संवर्धन किए जाने के कार्य तथा स्वीकृतियां प्रगति पर है जिन्हें धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जा सकेगा।

(2) सन्दर्भित ग्राम में भूतल जलाशय के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है।

(3) जी हां, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं पर्यावरण संस्थान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का निर्धारण अलग-अलग मात्रा में किया गया है।

(4) मात्रा का निर्धारण प्रति व्यक्ति प्रदिन मांग के अनुरूप है तथा इस असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) सीकर शहर की जल वितरण व्यवस्था सामान्य है। परन्तु आने वाले समय में बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पुनर्गठन योजना विचाराधीन है जिसे धन उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित किया जाना सम्भव होगा।

पेयजल संकट के समाधान हेतु केन्द्रीय अनुदान

682. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) राज्य में भंयकरपेयजल संकट के समाधान हेतु केन्द्र सरकार ने विगत 3 वर्षों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि राज्य को अनुदान के रूप में कब-कब दी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या को प्रधान मंत्री ने भी जटिल मानते हुए सहयोग देने का आश्वासन दिया था ?

(3) यदि हां, तो क्या विशेष राशि प्राप्त होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक व कितनी राशि ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार से विगत 3 वर्षों में प्राप्त धनराशि का वितरण प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिलाधीश अलवर के निवास पर व्यय

683. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा जिलाधीश, अलवर की कोठी के रख-रखाव पर खर्चा किया गया है ? यदि हां, तो जनवरी, 1985 से मई, 1990 तक किन-किन कार्यों पर कितना-कितना खर्च किया गया है ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खर्चा करने में न्यास सक्षम था ?

(3) यदि हां, तो यह खर्चा किन वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया गया ? कृपया न्यास के निर्णय एवं सम्बन्धित नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जिलाधीश अलवर की कोठी के रख रखाव पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

ग्राम कोयला (बांरा) की पेयजल योजना

684. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बांरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(1) क्या कोटा जिले की तहसील बांरा के ग्राम कोयला की पेयजल योजना का लाभ ग्राम से दूरी पर स्थित बस्तियों को मिल रहा है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या इन बस्तियों की पेयजल समस्या हल करने के लिए इन बस्तियों में हैण्डपम्प लगायें जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) धन राशि की उपलब्धता के अनुसार हैण्डपम्प लगाये जा सकेंगे।

कोटा जिले के ग्राम गोपालपुरा में पेयजल समस्या

685. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बांरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की बांरा पंचायत समिति का ग्राम गोपालपुरा पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है ?

(2) यदि हां, तो इस ग्राम में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना बनाई जाकर कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम में 3 हैण्डपम्प कार्यरत हैं।

(2) पेयजल व्यवस्था विद्यमान है।

असत्य मृत्यु चिकित्सा प्रमाण-पत्र

686. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 4 अप्रेल, 1990 को नखा पिता शम्भू गिरी निवासी पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत देवदा तहसील घाटोल थाना खमेरा की मृत्यु का चिकित्सा प्रमाण-पत्र घाटोल के डाक्टर पारस कुमार जैन एवं डा. सुभाष जैन द्वारा सर्पदंश का दिया गया था ?

(2) क्या बाद में बांसवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड ने नखा की सर्पदंश के स्थान पर हत्या होना बताया गया है ?

(3) क्या इस प्रकार झूठे प्रमाण-पत्र देने के आरोप में राज्य सरकार उक्त दोनों डाक्टरों को निलम्बित करने की कार्यवाही पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुलिस द्वारा अपनी छानबीन के दौरान उक्त चिकित्सों की रिपोर्ट पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने निम्न प्रकार टिप्पणी दी :—

"The Board is of opinion that matter may be investigated on line of suspicious death from Asphyxia as a result of smother-

(45)

(चिकित्सा मंत्री)

ing or throttling, as the site of described bite is quite unusual and the description of the bite is not proper and reasonably sufficient to prove the snake-bite."

यह टिप्पणी पूर्व में दी गई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर दी गई क्योंकि मृतक का दाह संस्कार पूर्व में कर दिया था।

(3) उक्त दोनों डाक्टरों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

दानपुर क्षेत्र के हैण्ड पम्प

687. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दानपुर क्षेत्र (बांसवाड़ा) में कुल कितने हैण्ड पम्प लगाये गये ? उनमें से कितने सही हैं एवं कितने हैण्ड पम्प कब से खराब हैं ? उन्हें कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

(2) 15 अप्रेल से 30 अप्रेल तक चलाये गये हैण्ड पम्प अभियान में उक्त क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प सही किये गये ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल योजना की स्वीकृति का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में मार्च 90 तक कुल 1228 हैण्ड पम्प लगाये लगाये जा चुके हैं। इनमें से 1115 हैण्ड पम्प चालू हैं, 57 परित्यक्त एवं 56 सूखे हुए हैं। इन्हें ठीक किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उक्त अवधि में 70 हैण्ड पम्प चालू किये गये।

(3) क्षेत्र के समस्त ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

मानपुर-माचेड़की से चंदवाजी सड़क हेतु अधिगृहित भूमि

688. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति आमेर के ग्राम मानपुर माचेड़की से चन्दवाजी तक सड़क निर्माण किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहण की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि सड़क में आई है उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो जिन काश्तकारों को मुआवजा दिया गया, उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा कितने समय में देने का प्रावधान है ?

(श्री गोपीराम जाट)

(4) जिन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया उन्हें कब तक मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ? क्या नियमानुसार ब्याज की राशि भी अदा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर के ग्राम मानपुर माचेड़ी से चन्दवाजी सड़क पर काश्तकारों की अधिग्रहण की गई भूमि की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। भुगतान हेतु एवार्ड दिनांक 26-3-1990 को दिया गया था उनमें से जिन व्यक्तियों को भुगतान दिया चुका है उनकी सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है। जिनको भुगतान नहीं किया गया उनको भुगतान न होने के कारणों सहित सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(3) अधिगृहित की गई भूमि के घोषित एवार्ड में मुआवजा 6 (छः) सप्ताह में भुगतान किये जाने का प्रावधान था।

(4) जिन काश्तकारों का स्वामित्व प्रमाणित होना है, उनका भुगतान स्वामित्व प्रमाणित होने पर तथा जिन काश्तकारों का भुगतान अनुपस्थित होने के कारण नहीं हो पाया, उपस्थित होने पर कर दिया जायेगा। ब्याज की अदायगी नियमानुसार की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 689

(स्थगित)

सोजत नगरपालिका क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

690. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सोजत नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं एवं नगरपालिका सोजत की वित्तीय स्थिति कमजोर होने से सड़कों का निर्माण नगरपालिका सोजत नहीं करवा सकती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार नगरपालिका सोजत की सड़कों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगरपालिका, सोजत की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण सड़कों के निर्माण हेतु नगरपालिका द्वारा सड़क निर्माण हेतु विकास फण्ड से 1,90,160/– रुपये आहरण की स्वीकृति मांगी है, जो विचाराधीन है। विकास कार्य हेतु विशेष अनुदान के लिए भी नगरपालिका से 1,32,720/–रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर निर्णय लिया जाना है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) प्रश्न के भाग एक में इसका उत्तर भी सम्मिलित हैं।

मित्रपुरा-पीपल्दा सड़क निर्माण

691. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम मित्रपुरा से कस्बा पीपल्दा को जोड़ने वाली सड़क जो करीब 40 वर्ष से अपूर्ण है, उसको पूर्ण कराने का सरकार इरादा रखती है, जहां मैटेरियल काफी मात्रा में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या मित्रपुरा से दतूली पुरानी सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या उसके पुनर्निर्माण एवं आवश्यकतानुसार उस पर पुलिया का निर्माण कराने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सड़क पर जो पहले कार्ट ट्रेक था। लगभग 2 कि. मी. का मैटेरियल ही उपलब्ध है। इस सड़क का निर्माण योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। केवल मिट्टी की सड़क बनी थी जो क्षतिग्रस्त है। इस सड़क का पुनः निर्माण करांना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

बामनवास से डूंगरी सड़क निर्माण

692. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर में बामनवास से डूंगरी रोड पर 5 कि. मी. तक मैटेरियल पड़ा हुआ है और सड़क पर मिट्टी का कार्य हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का कार्य पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल कि. मी. 1 व 2 में क्रेश प्रोग्राम का कुछ मैटेरियल पड़ा हुआ है। इस सड़क पर 4 कि. मी. में मिट्टी का कार्य हो चुका है।

(2) इस सड़क का निर्माण किया जाना योजनान्तगर्त प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

क्षेत्र दानपुर के ग्रामों हेतु पेयजल योजना

693. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्रामों हेतु पेयजल योजना किस वर्ष में कितने उपभोक्ताओं हेतु बनाई गई थी ?

(2) उक्त योजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है एवं कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है ?

(श्री बहादुर सिंह)

(3) क्या उक्त योजना से दानपुर के सभी उपभोक्ताओं को पेयजल उपलब्ध हो रहा है ? क्या यह सही है कि केवल सघन बस्ती के लोगों को ही पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कच्ची बस्ती एवं बिखरी बस्ती के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दानपुर ग्राम हेतु पेयजल योजना वर्ष 1978–79 में 3500 की अभिकल्पित जनसंख्या हेतु बनाई गई थी।

(2) योजना पर अब तक 5·02 लाख रुपये की राशि व्यय की जा कर स्वीकृत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

(3) ग्राम दानपुर की जल योजना मे 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से सभी उपभोक्ताओं को पेयजल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम की सघन बस्ती में 5 हैण्ड पम्प एवं कच्ची तथा बिखरी बस्ती में 8 हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम की वर्तमान लगभग 1400 की सघन जनसंख्या को 5 हैण्ड पम्पों से तथा वितरण व्यवस्था से औसतन 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। बिखरी बस्तियों की लगभग 1900 जनसंख्या को वितरण व्यवस्था से जुड़े न होने के कारण हैण्डपम्पों से जल प्राप्ति हो रही है।

पेयजल हेतु राशि आवंटन

694. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में पेयजल के लिए अनुसूचित जाति/जन जाति की बस्तियों के लिए कितनी धनराशि आवंटन का विचार है ? जिलेवार आवंटित राशि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में अनुसूचित जाति व जन जाति की कितनी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत पेयजल योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या हेतु सामान्यतः आनुपातिक राशि का प्रावधान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में पृथक् से एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है जिसका जिलेवार आवंटन होना शेष है।

(2) संदर्भित जिलों की अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों की संख्या का निर्धारण आवंटन के पश्चात् किया जायेगा।

जिला सवाई माधोपुर में सड़क निर्माण

695. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री प्रभुलाल)

(1) क्या पंचायत समिति, सपोटरा जिला सवाई माधोपुर के ग्राम करनपुर से रोधई तक निर्माणाधीन सड़क का तखमीना दो भागों में बना हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की पुलियाओं का तखमीना तब तैयार किया गया जब सड़क का आधा कार्य पूरा हो गया था? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सड़क पर प्रारम्भिक कार्य खण्ड गंगापुर सिटी द्वारा करवाया गया जबकि यह सड़क खण्ड करौली के अन्तर्गत आती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त सड़क पर, खण्ड गंगापुर सिटी व खण्ड करौली द्वारा विभागीय स्तर पर व संवेदकों द्वारा अभी तक कितना कार्य हुआ है? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त सड़कें कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से केवल सड़क का तखमीना पहले बनाया गया था, बाद में पुलियाओं और सड़क बनाने हेतु सर्वे एवं डिजायन में काफी समय लगता है, इसलिये तखमीने दो भागों में बनाये गये, जिससे सड़क के कार्य का सम्पादन शीघ्र सम्भव हो सके।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रारम्भिक सर्वे आदि का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड-गंगापुर सिटी जो कि सवाई माधोपुर खण्ड के अधीन था, द्वारा करवाया गया था। डाकू उन्मूलन के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को शीघ्र पूरा कराने के उद्देश्य से सर्वे एवं तखमीना आदि बनाने के कार्यों को खण्ड करौली एवं सवाईमाधोपुर में बांटा गया।

(4) खण्ड गंगापुर सिटी द्वारा इस सड़क का कार्य विभागीय स्तर पर करवाया गया जिस पर कुल व्यय रुपये 72,948·80 का हुआ। इस खंड द्वारा संवेदक के माध्यम से कोई कार्य नहीं करवाया गया है। करौली खण्ड द्वारा संवेदकों के माध्यम से 35,40,604·00 रुपये एवं विभागीय स्तर पर 74,59,302·00 रु. का कार्य करवाया गया है।

(5) इस सड़क का निर्माण दिसम्बर, 1991 तक पूर्ण होने की संभावना है।

परिवहन निगम द्वारा बस एलाटमेंट

696. श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1985 से 1990 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्थान के विभिन्न डिपो को कुल कितनी कितनी नई बस एलाट की गई?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1986 के पश्चात् नागौर डिपो को एक भी नई

(507)

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

बस अलाट नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त कमी पूर्ति के लिए कितनी नई बसें कब तक नागौर डिपो को उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा एक जनवरी, 1985 से 5 जुलाई, 1990 तक विभिन्न आगारों को 1739 नई बसें आवंटित की गई हैं। विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

अलवर जिले के उद्योगों में बकाया विद्युत राशि

697. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में कार्यरत उद्योगों में किन-किन उद्योगों में कितनी-कितनी धन-राशि विद्युत व्यय की बाकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार बकाया की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के उद्योगों में बकाया राशि का विवरण सूची "अ" व "ब" में संलग्न है।

(2) अधिकतर उपभोक्ताओं में बकाया प्रोवीजनल रेट ऑफ फयूल सरचार्ज तथा फाइनल रेट ऑफ फयूल सरचार्ज के एरियर बिलों पर न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारणों से हैं। जिन मामलों में कोई स्थगन आदेश नहीं हैं उनके अधिकांश बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं। परन्तु हाइटेन्सन उपभोक्ताओं के मामलों में कनेक्शन काटने के बाद भी उनके द्वारा किये गये संविदा के प्रावधानों के अनुसार मिनिमम चार्जेज के बिल भेजने के कारण भी बकाया राशि में बढोतरी होती है। बकाया वसूली के लिए विद्युत बकाया कानून के तहत भी कार्यवाही की जाती है। कुछ उपभोक्ताओं को बकाया राशि किस्त में जमा कराने की अनुमति दी जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य सरकार की विद्युत मण्डल में सहभागिता

698. **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में राज्य सरकार 50 प्रतिशत को

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

इक्विटी सहभागिता में शामिल है ? यदि नहीं, तो कब तक शामिल होने का विचार रखती है ?

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । क्योंकि अभी तक राज्य सरकार द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 54) की धारा 12-क के तहत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को एक निगमित निकाय मानते हुए इसकी पूंजी की सीमा 10 करोड़ रुपये ही निर्धारित की है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 31-3-90 से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 10 करोड़ रुपये के ऋण को परिवर्तन कर इक्विटी सहभागिता दी है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

ग्राम ईसरदा में कनिष्ठ अभियन्ता का पद

699. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई माधोपुर तहसील के ग्राम ईसरदा में कनिष्ठ अभियन्ता पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कब से एवं किस कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति कर रखी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय जिला हैड-क्वार्टर पर ही बना रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त गांव में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सवाई माधोपुर तहसील के ग्राम ईसरदा के लिए कनिष्ठ अभियन्ता का कोई पद पृथक् से स्वीकृत नहीं किया गया । सवाई माधोपुर तहसील के ब्रोड गेज लाइन के पश्चिमी भाग (सिटी तथा डी. एस. एम. रोड को छोड़कर) के कार्यों के लिए उपखण्ड–3, सवाई माधोपुर के अधीन अनुभाग-2, ईसरदा के नाम से बनाया गया था ।

(2) जी हां । क्योंकि मुख्यालय की कई अन्य सड़कें भी ईसरदा सैक्शन द्वितीय के अधीन आती है ।

(3) जी नहीं ।

जिला जोधपुर की निर्माणाधीन सड़कें

700. श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनोहरसिंह इन्दा)

(1) क्या यह सही है कि गत 15 वर्षों से अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्मित विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जिला जोधपुर में बनी ग्रेवल सड़क मरम्मत योग्य है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक कर दी जावेगी?

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नई ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो इनको कब प्रारम्भ किया जायेगा?

(3) जोधपुर से जैसलमेर जिले तक निर्माणाधीन सड़कें कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है? इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इस अपूर्ण सड़क को पूरा करने हेतु किस ठेकेदार को ठेका दिया गया है?

(4) क्या इस ठेकेदार ने निर्धारित अवधि में निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुरूप सड़क के निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों? और ठेकेदार के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है?

(5) क्या सरकार को जानकारी है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है?

(6) क्या इस सड़क पर बाईपास के निर्माण का भी प्रावधान है? यदि हां, तो कहां-कहां, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जो ग्रेवल सड़कें पूर्व में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कभी बनी थी और अभी विभाग की रख-रखाव की सूची में नहीं है, उनकी मरम्मत नहीं की जाती है और उन ग्रेवल सड़कों की मरम्मत के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है। अतः उनकी मरम्मत का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जोधपुर से जैसलमेर जिले की सीमा तक एक सड़क जोधपुर-बालेसर-देचू-पोकरण तक सड़क को चौड़ी एवं सुदृढ़ करने का कार्य सामरिक महत्व की सड़कों के सुधार की योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 1991–92 तक समाप्त होने की सम्भावना है इस कार्य के लिए कुल 704·54 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है। इस अपूर्ण सड़क को पूरा करने हेतु निम्नलिखित ठेकेदारों को कार्य उनके सामने दर्शाये गये भागों में आवंटित है—

1. श्रीराम एण्ड कम्पनी, बीकानेर–
   कि.मी. 17/0 से 37/0
2. श्री पूनाराम सांखला, जोधपुर–
   कि.मी. 37/0 से 57/0
3. भवन व पथ निर्माण
   बोहरा एण्ड कम्पनी, बाड़मेर–
   कि.मी. 57/0 से 78/0
4. श्री सोहनलाल पुगलिया, बीकानेर–
   कि.मी. 78/0 से 102/0
5. श्री खरताराम चौधरी, बाड़मेर–
   कि.मी. 102/0 से 123/0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

6. श्रीराम एण्ड कम्पनी, बीकानेर– कि.मी. 123/0 से 153/0

7. बाड़मेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी– बाड़मेर (जैसलमेर जिले के अधीन) कि.मी. 153/0 से 175/5

(5) कुल कार्य 7 ठेकेदारों को आवंटित किये गये थे। एक ठेकेदार ने कार्य निर्धारित समय अवधि में एवं मापदण्ड व शर्तों के अनुरूप पूरा कर दिया है। दो ठेकेदारों ने कार्य निर्धारित मापदंड एवं शर्तों के अनुरूप पूर्ण कर दिया है। किन्तु निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा नहीं किया है। शेष चार कार्य प्रगति पर है, इसमें से तीन कार्यों की समय अवधि शेष है। एक कार्य की समय अवधि समाप्त हो गई है किन्तु कार्य प्रगति पर है। ठेकेदारों की धीमी प्रगति के कारण कार्य समय अवधि में नहीं हो सके हैं। ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया जारी है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

डेगाना के ग्रामों में पेयजल संकट

701. **श्री रिछपालसिंह** (डेगाना), **श्री मोहनलाल** (परबतसर), **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) एवं **श्री रामकरण** (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामों में बनी पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1990–91 में नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कितनी और उन पर कार्य कब शुरू होने की संभावना है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में हैंडपम्प खराब पड़े हैं, जिससे पेयजल का गम्भीर संकट बना हुआ है ? क्या हैण्ड-पम्पों को ठीक करने की प्रक्रिया में कोई सुधार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक नई कार्य प्रणाली शुरू की जा सकेगी ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के कई ग्रामों में पानी खारा एवं पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसके समाधान के लिए कोई योजनाएं शुरू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में वर्ष 1990–91 12 में ग्रामों हेतु कन्टीन्जेंसी प्लान के अन्तर्गत संवर्धन के कार्य स्वीकृत किये जाकर पूर्ण किये गये हैं।

(2) विभाग द्वारा किये गये हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान 13-7-90 तक उक्त क्षेत्र के 32 ग्रामों में स्थित कुल 117 हैण्ड पम्पों में से 107 कार्यरत हैं, 4 सूखे व 6 परित्यक्त हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचायतों एवं विशेष अभियान के माध्यमों से मरम्मत करने की वर्तमान प्रक्रिया संतोषप्रद है तथा इनमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उक्त क्षेत्र में पेयजल योजनाओं से लाभान्वित सभी ग्रामों में से तीन ग्रामों का पानी खारा है। इनमें से 2 ग्रामों में खारापन हटाने के संयत्र स्थापित किये जा रहे हैं व 1 ग्राम में संयत्र को चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केवल ग्राम ओरियाना जो अभी पेयजल योजना से लाभान्वित नहीं है, हेतु स्त्रोत का चयन किया जा रहा है। जिसकी योजना का वर्ष 1990-91 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

राज्य के बड़े शहरों में निगम बस सेवा

702. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के द्वारा पेट्रोल खर्च में किफायत करने की नीति की दृष्टि में जयपुर जैसे बड़े शहरों में निजी सिटी बस व्यवस्था की अपेक्षा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में संचालित मिनी बसों के मालिक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण सरकार इन्हें बन्द कर निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने में अपनी असमर्थता महसूस कर रही है? यदि नहीं, तो अन्य क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों में चलने वाली मिनी बसों टेम्पों आदि में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां लेने से जयपुर में सड़क दुर्घटनाएं असाधारण रूप से बढ़ रही हैं?

(4) यदि हां, तो सरकार इन मिनी बसों, टेम्पों आदि में सवारी संख्या के नियन्त्रण तथा इन वाहनों के चैकिंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में निगम के पास बसों का अभाव है। बसों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर और संसाधन उपलब्ध होने पर निगम की बसें चलाया जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में निगम के पास बसों का अभाव एवं संसाधनों की कमी मुख्य कारण है।

(3) जी नहीं। असाधारण रूप से नहीं बढ़ रही है।

(4) निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां लेने के सम्बन्ध में पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर चैकिंग कर मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं नियम 1989 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

बीकानेर शहर में विद्युत लाइन

703. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में भाटों का बास; बीका कालोनी, गुलजार कालोनी, छीपों का मोहल्ला, लाल गुफा, हरिजनों की छोटी एवं बड़ी गुवाड़ी, प्रताप बस्ती, विनोबा बस्ती में विद्युत लाइनें नगर परिषद् के द्वारा वांछित राशि जमा कराने के बाद भी नहीं डाली गई हैं ? विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(2) अब इन बस्तियों में खम्भे कब तक लग जायेंगे ? क्या हरिजन एवं कमजोर वर्ग व गरीब बस्तियों में लगभग 550 से 750 रुपये कनेक्शन करने हेतु विभाग में जमा कराने पड़ते हैं ? यदि हां, तो यह राशि कम करने हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) 1 मार्च, 1990 से अब तक नगर परिषद् ने कब-कब कितनी-कितनी राशि अधिशाषी अभियन्ता, शहर कार्यालय में जमा करवाई एवं उक्त कार्यालय से कितने-कितने खम्भे कहां-कहां लगाये गये ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, बीकानेर द्वारा वांछित राशि रुपये 2,46,296/- में से केवल मात्र 40,000/– रुपये की राशि प्रश्न में वर्णित बस्तियों में लाइन डालने हेतु मण्डल को जमा करवाई थी। प्राप्त राशि से बीका कालोनी, गुलजार कालोनी एवं छीपों के मोहल्ले में कार्य कर दिया गया। रकम जमा होने के बाद लाइन के कार्य करने में विलम्ब नहीं हुआ। अतः कोई दोषी नहीं है।

(2) नगर परिषद् द्वारा शेष राशि जमा कराने व कार्यक्षेत्र दर्शाने के बाद उपरोक्त शेष बस्तियों में लाइन बिछाने का कार्य किया जा सकेगा। सभी घरेलू आवेदकों को कनेक्शन लेने हेतु वांछित तकमीने की राशि जमा कराने के पश्चात् ही कनेक्शन की कार्यवाही की जाती हैं। तकमीने की राशि कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) 1 मार्च, 1990 से अब तक नगर परिषद् द्वारा दिनांक 24-5-90 को 20,000/– रुपये की राशि विद्युत मण्डल में जमा कराई गई। उक्त कार्यालय से 8 पोल का कार्य बीका कालोनी, गुलजार कालोनी एवं छीपों का मोहल्ले में किया गया।

किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में कृषि कनेक्शन

704. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में 1990–91 कितने कृषि कनेक्शन दिये जाने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1990 में कितने कृषि कनेक्शन किशनगंज, शाहबाद के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) 1985-86, 86-87, 87-88 व 88-89 में कृषि कनेक्शन कौन-कौन से गांव में किस-किस व्यक्ति को दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

56

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 के लिए कृषि कनेक्शन देने हेतु पंचायत समितिवार लक्ष्यों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि किशनगंज व शाहबाद में इस वर्ष कितने-कितने कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे।

(2) विद्युत मण्डल के ग्रामीण उपखंड किशनगंज व शाहबाद में 31-3-1990 को कुल 285 कृषि कनेक्शन विचाराधीन हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है:—

किशनगंज	169
शाहबाद	116
कुल	285

(3) उपरोक्त उपखण्डों में वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 व 88-89 में दिये गये कृषि कनेक्शनों का वर्षवार, ग्रामवार तथा नामवार विवरण सूची "अ" व "ब" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

दांतारामगढ़ एवं ढाणी अहीरों की तन आतरी में सार्वजनिक कुएं

705. श्री उम्मेद सिंह (डीड़वाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम भुनकाबास तहसील दांतारामगढ़ एवं ढाणी अहीरों की तन आतरी तहसील सीकर में पीने के सार्वजनिक कुएं बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन कुओं पर पम्पिंग सैट्स लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों ग्रामों पर पम्पिंग सैट्स लगाने हेतु संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सीकर ने योजना बनाकर भेजी है? यदि हां, तो स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं? अब स्वीकृति कब तक भिजवा दी जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि इन दोनों ही गांवों में सरकार की ओर से पेयजल की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक कुओं पर पम्पिंग सैट लगाने का कार्य धन उपलब्धता के अनुसार किया जाना संभव होगा।

(2) अधिशाषी अभियंता, सीकर द्वारा प्रेषित योजना की स्वीकृति तकनीकी जांच के पश्चात् होना संभव हो सकेगा।

(3) ग्राम भुनकाबास में 3 तथा ढाणी अहीरों की तन आतरी में 3 हैण्डपम्प कार्यरत हैं।

विद्युत मण्डल में विशेष पदोन्नति नीति

706. श्री सांवरलाल (भिनाय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विद्युत मण्डल ने विद्युत उत्पादन एवं वितरण में लागत कम करने के

(श्री सांवर लाल)

कोई ठोस उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या विद्युत मण्डल में विशेष प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पदोन्नति के प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) विद्युत मण्डल में ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं जिन्होंने कलकत्ता इन्स्टीट्यूट से कास्ट अकाउन्टेन्ट को इन्टर/फाइनल परीक्षा पास की है ? क्या मण्डल ने इन कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पदोन्नति की नीति बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल ने विद्युत उत्पादन एवं वितरण में लागत कम करने की दिशा में अनेकों प्रयास किये हैं। उत्पादन लागत कम करने की दिशा में बेहतर किस्म का कोयला लेने तथा उसे निकट की खानों से प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किये गये हैं। विभिन्न उपकरणों के आधुनिकीकरण करने हेतु धन की उपलब्धि के प्रयास किये जा हैं। वितरण लागत कम करने के लिये लाइन लोसेज कम करने, चोरी पर अंकुश लगाने, प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता आदि के प्रयास किये गये हैं। परन्तु कीमतों एवं भाड़े में वृद्धि के कारण इन प्रयासों की की उपलब्धि नजर नहीं आती। कोटा तापीय विद्युत गृहों में आने वाला अधिकांश कोयला करीब 1600 किलोमीटर दूर स्थित खानों से आता है, जिसका भाड़ा ही कोयले की कीमत से ज्यादा हो जाता है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये विशेष प्रावधान किया हुआ है। इसके अनुसार जो लेखाकार कलकत्ता इन्स्टीट्यूट से कास्ट एकाउन्टेन्ट की इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है एवं 5 वर्ष का लेखाकार के पद पर कार्य करने का अनुभव रखता है उसे सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति होने योग्य माना जाता है। उक्त योग्यता रखने वाले लेखाकारों के लिये मण्डल के नियमों में सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 25 प्रतिशत का कोटा निर्धारित कर रखा है जो मेरिट के आधार पर है। लेखाधिकारी के पद पर 60 प्रतिशत सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत कलकत्ता इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट अकाउन्टेंट फाइनल योग्यता रखने वाले प्रार्थी योग्य माने जाते हैं।

(3) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिन मण्डल कर्मचारियों ने कलकत्ता इन्स्टीट्यूट से कास्ट अकाउन्टेन्ट की इन्टर/फाइनल परीक्षा पास की है उनके नाम संलग्न परिशिष्ट "अ–I" व "अ–II" में दर्शाये गये हैं। इन कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने हेतु नियमों में प्रावधान का उल्लेख उपरोक्त (2) में किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

डेगाना क्षेत्र के कृषि कनेक्शन

707. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना), **श्री मोहन लाल** (परबतसर), **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर), **श्री रामकरण** (मेड़ता) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के किसानों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों के बारे में 31 मार्च, 1990 से पहले स्वीकृत किये गये थे, बोर्ड द्वारा डिमांड नोटिस जारी किये गये थे और इसकी रकम भी उपभोक्ता द्वारा भरी जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि कुओं तथा अन्य पावर कनेक्शनों के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार का सामान उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा न ही अभी कनेक्शन दिये गये हैं ?

(3) विद्युत बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है एवं उपभोक्ताओं को खम्भे तथा अन्य उपकरण कब तक दिये जायेंगे और उनको कनेक्शन कब तक दिये जा सकेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्ष 1990-91 में कृषि कनेक्शन देने हेतु पंचायत समितिवार लक्ष्यों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है तथा लक्ष्यों के आवंटन के बाद कृषि कनेक्शन लक्ष्यों के अनुसार दिये जा सकेंगे। अन्य पावर कनेक्शन वरीयता के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप दिये जा रहे हैं। सामान की अनुपलब्धि के कारण कनेक्शन ही रुके हुये हैं।

(3) मण्डल द्वारा वर्ष 1990-91 के लिये कृषि कनेक्शन हेतु लक्ष्यों के आवंटन की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। लक्ष्यों के आवंटन व नीति निर्धारण के पश्चात् कृषि कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

रतनगढ़ से नागौर 132 के. वी. लाइन

708. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़ से नागौर 132 के. वी. की लाइन लगाने हेतु वर्ष 1980 या उसके आस-पास राज्य सरकार द्वारा विद्युत मण्डल की राशि जमा करवाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्युत लाइन रतनगढ़ से शुरू न होकर सुजानगढ़ से तारानगर के बीच बिछाई गई थी ?

(3) यदि रतनगढ़ से सुजानगढ़ तक की लाइन नहीं बिछाई गयी तो फिर उक्त राशि का भुगतान विद्युत मण्डल द्वारा वापस लौटाया गया अथवा नहीं ?

(4) उक्त योजना में किस अधिकारी के कहने से परिवर्तन किया गया और क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि यदि उक्त बिजली की लाइन रतनगढ़ से सीधी नागौर पूर्व योजना के अनुसार आती तो नागौर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली के बार-बार गुम होने से परेशानी नहीं होती ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत इस लाइन के लिए राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल में 135 लाख रुपये जमा करवाये थे।

(2) जी हाँ।

(3) इस लाइन पर विद्युत मण्डल ने 1979-80 से 1983-84 तक जमा कराई गई राशि के विरुद्ध 162·41 लाख रुपये खर्च किये जो कि जमा कराई गई राशि से अधिक है।

(4) उस समय व अब भी नागौर की ऊर्जा मांग इतनी नहीं है कि एक अलग से 132 के. वी. की लाइन रतनगढ़ से नागौर के लिये डाली जावे। इसलिये मण्डल ने यह निर्णय लिया कि नागौर को फिलहाल रतनगढ़ के बजाय सुजानगढ़ से जोड़ दिया जाये।

(5) जी नहीं। सामान्य स्थिति में नागौर की बिजली बन्द नहीं की जाती है पर विद्युत की अत्यधिक कमी या सिस्टम डिस्टरबैंस होने पर अन्य स्थानों की तरह नागौर पर भी कटौती करनी पड़ती है।

सागवाड़ा तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

709. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के कितने ग्रामों को विद्युतीकरण स्कीम के तहत विद्युतीकृत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युतीकृत ग्रामों में कितनी आदिवासी ढाणियों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है? इन ढाणियों को कब तक विद्युतीकृत करने का विचार है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में 193 ग्रामों का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) 71 ग्राम अविद्युतिकृत हैं, जिनकी सूची 'ब" संलग्न है। इसमें 29 ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत हैं तथा शेष 42 ग्राम अभी विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं है।

(3) विद्युतिकृत ग्रामों में विद्यमान आदिवासी ढाणियों की सूचना विद्युत मंडल द्वारा संकेलित नहीं की जाती। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि विद्युतिकृत गांवों में कितनी आदिवासी बस्तियां अविद्युतिकृत हैं। जो ग्राम विद्युतिकृत हैं उन ग्रामों की आदिवासी बस्तियों को अलग से विद्युतिकृत नहीं किया जाता है तथा इनमें विद्युत हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उनमें लाईन आदि का कार्य कर नियमानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला सवाई माधोपुर में राहत कार्य

710. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने राहत कार्य खोले गये ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने अकाल राहत कार्य खोले गये ? कितना पैसा स्वीकृत हुआ, कहां-कहां कार्य चालू है ? अगर चालू नहीं हुए, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल 441 राहत कार्य खोले गये हैं। पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 43 अकाल राहत कार्य खोले गये एवं 7,73,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। समस्त 43 राहत कार्य प्रारम्भ किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" एवं "स" में दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

बीकानेर जिले में सांड़ों व भोठों हेतु सहायता राशि

711. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल के वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी नस्ल के सांड व भोठों की चराई के नाम पर सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत व तहसीलों में साँड़ों के लिये सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अच्छी नस्ल के सांड़ों की चराई हेतु चारे व बांट की सहायता का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके भुगतान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सम्वत 2044 तक उक्त सहायता दी जाती रही है। सम्वत 2043 व 2044 में ग्राम पंचायत व तहसीलवार सांडों को सहायता देने का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

मस्ट्रोल पर नियुक्त कर्मचारियों को सुविधाएं

712. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विभाग में मस्ट्रोल पर कितने कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? इन

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

कर्मचारियों को कितने रुपये प्रतिदिन मिलते हैं एवं इनको राज्य कर्मचारियों के मुकाबले क्या-क्या सुविधाएं देय और प्राप्त हैं ?

(2) सरकार इनके भविष्य के बारे में क्या सोचती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में 13,271 के लगभग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। इस संख्या में समय-समय पर कमी अथवा बढ़ोतरी होती रहती है। कुशलता एवं योग्यता के आधार पर इन्हें 22 रुपये से 25 रुपये तक प्रतिदिन तक भुगतान किया जाता है। नियमित कार्य करने वालों को नियमानुसार एवं कार्य अनुरूप साबुन, डस्टर, वर्दी, छाता, जूते इत्यादि उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) प्रकरण विचाराधीन है।

बनास पाइप लाइन पर व्यय

713. **श्री मोतीलाल** (सवाई माधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर नगर की मुख्य जल स्रोत बनास नदी पर 250 अश्व शक्ति की मोटर लगी हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं जून, 1990 के दौरान कुल कितने घण्टे चली एवं माहवार कितना विद्युत खर्च हुआ ?

(2) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष (वित्तीय वर्ष) कब-कब मोटर जली व मरम्मत में कितना व्यय हुआ ? मरम्मत किस फर्म के द्वारा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बनास से मुख्य हैड वर्क्स तक वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं जून, 1990 तक बनास पाइप लाइन पर मरम्मत कार्य प्रत्येक माहवार किये गये खर्चे का मय मजदूरी एवं क्रय किये गये सामान का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वांछित विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) वांछित विवरण प्रपत्र "ख" में संलग्न है।

(3) वांछित विवरण प्रपत्र "ग" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

नागौर नगरपालिका में रिक्त पद

714. **श्री हरीश चन्द्र** (नांवा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले की नगरपालिकाओं में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जावेंगी तथा इन पदों की भर्ती की क्या प्रक्रियाएं अपनाई जायेंगी ?

(2) क्या परबतसर नगरपालिका में राजस्व निरीक्षक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो इस रिक्त पद पर क्या किसी नये

(श्री हरीशचन्द्र)

कर्मचारी की भर्ती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की नगरपालिकाओं में संलग्न सूची के अनुसार पद रिक्त हैं। इन पर नियुक्तियां नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सही होने, नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटाए जाने तथा नियुक्ति की स्वीकृति दिए जाने के बाद ही राजस्थान नगरपालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 व राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1964 के प्रावधानानुसार की जावेगी।

(2) जी हां, किन्तु नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं की गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

परिवहन निगम में खरीद-घोटाले

715. श्री हजारीलाल (खेतड़ी), **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम द्वारा बस बॉडी निर्माण के ठेकों में पक्षपात बर्ता जाता है ? पक्षपात की जांच के लिए बनाई गयी कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है ? मैसर्स महेन्द्र फर्म द्वारा बनाई गयी बाडीज में उक्त कमेटी द्वारा खामियां बताये जाने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) हरिनारायण एण्ड सन्स बॉडी बिल्डर्स पर निगम की देरी से बॉडी बनाने के कारण अब तक कितनी पैनल्टी लग चुकी है ? क्या निगम इस पैनल्टी को अपने स्तर पर माफ करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा टायर रिट्रेडिंग रबर सामली के किसी फर्म से खरीदा जा रहा है। इस खरीद घोटाले को जांच पूर्व यातायात मंत्री द्वारा करायी गयी थी ? उस जांच पर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गठित कमेटी की रिपोर्ट पर प्रशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है। मैसर्स महेन्द्र बॉडी बिल्डर्स के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) मैसर्स हरिनारायण एण्ड सन्स पर अब तक 57,01,500 रुपये की पैनल्टी हो चुकी है। उसमें से 4,99,500 रुपये की वसूली की जा चुकी है। जी नहीं।

(3) जी हां। जांच पर कार्यवाही विचाराधीन है।

सेटेलाइट अस्पताल शाहपुरा में रिक्त पद

716. श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरुलाल बैरवा)

(1) सेटेलाइट हास्पीटल शाहपुरा में कुल कितने डाक्टर के पद पर सृजित हैं ? क्या सभी पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति हैं ?

(2) क्या शाहपुरा में नियुक्त डाक्टर कहीं और स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

(3) प्रतिनियुक्तियां कब समाप्त की जा रही हैं ?

(4) रिक्त सभी पदों पर कब तक डाक्टर नियुक्त हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) सेटेलाइट अस्पताल, शाहपुरा में 6 कनिष्ठ विशेषज्ञ, 2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं 8 चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। इनमें से एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी 0), 2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं 2 चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं।

एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी 0) तथा एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग) दिनांक 7·4·89 एवं 29·12·89 से अनुपस्थित चल रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रैफरल अस्पताल, सिकराय में महिला चिकित्सक का पद

717. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकराय में रैफरल अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर में महिला चिकित्सक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) रैफरल अस्पताल सिकराय में अलग से महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर ही स्वीकृत पदों पर लगाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजगढ़ (अलवर) में सड़कों हेतु स्वीकृत राशि

718. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) में राजगढ़ बाई पास रोड़ की वित्तीय स्वीकृति होने पर भी सड़क निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? राज्य सरकार इस निर्माण कार्य को कब तक चालू करने का इरादा रखती है ?

(2) क्या ग्राम बैरर से बहड़को कलां के लिये सड़क राशि की स्वीकृति जारी होने

(श्री श्रीराम मीणा)

पर भी सड़क निर्माण कार्य आज तक चालू नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

(3) ग्राम ईश्वाणा से जामडोली तक की सड़क का निर्माण कार्य राज्य सरकार कब तक चालू करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, वित्तीय स्वीकृति होने पर कार्य चालू करने के लिए सब प्रक्रियाएं पूर्ण कर निविदाएं 7·7·1990 को स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य इसी माह चालू हो जायेगा।

(2) राज्य सरकार से जारी की गई स्वीकृति बैरर से वहड़को कलां न होकर बहरोड कलां के लिए हैं। बैरर से बेटडकी कलां के लिए संशोधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) ईश्वाणा से जामड़ोली तक की पूरी सड़क की कोई स्वीकृति नहीं है। केवल जामड़ोली से भुलेरी तक का कार्य स्वीकृत हो चुका है और शीघ्र चालू कर दिया जायेगा।

ढाणी पीपलोदा में लगाये गये ट्रांसफार्मर एवं खम्भे

719. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की ग्राम पंचायत सांगलिया तहसील दांता-रामगढ़ के अन्तर्गत ढाणी पीपलोदा (भुनकाबास) में एक 63 किलो वाट का ट्रांसफार्मर एवं आठ खम्भे गत विधान सभा के समय डाले गये थे? यदि हां, तो किसके आदेश से डाले गये; और अब तक बिना काम के ही क्यों पड़े हैं? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में उक्त पंचायत के सरपंच द्वारा बार-बार शिकायतें भी की हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) ग्राम बानूड़ा तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर में वर्ष 1989–90 में एक व दो पोल में कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रश्न के भाग 2 उल्लेखित स्थान पर निर्धारित दूरी के अभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि निर्धारित दूरी में आने वाले कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिये गए हैं और इस मापदण्ड में न आने वालों को कनेक्शन दे दिये गये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत सांगलिया में 63 के. वी. ए. का एक ट्रांसफार्मर व आठ खम्भे गत विधान सभा चुनाव के समय डाले गये थे लेकिन वस्तुस्थिति इस तरह से है कि 12 खम्भे ढाणी पीपलोदा के समीप माह जनवरी, 1990 में ग्राम सांगलिया के 2 लघु उद्योग आवेदकों को कनेक्शन देने हेतु डाले गये थे,

(ऊर्जा मंत्री)

जिनमें से एक आवेदक को 4 पोल लगाकर कनेक्शन दे दिया गया। शेष 8 पोल उसी ग्राम के लघु उद्योग आवेदक को कनेक्शन देने हेतु पड़े हुये हैं जिसकी मांग-पत्र की राशि भी जमा है।

सरपंच की शिकायत पर विभागीय जांच करवा ली गई है तथा जांच के दौरान केवल 8 पोल ही पड़े हुये पाये गये।

(2) ग्राम बानूडा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में वर्ष 1989–90 में एक एवं दो पोल स्कीम के अन्तर्गत दो उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

नाम	कनेक्शन का दिनांक
1. श्री रामपाल पुत्र दूलाराम	26·11·1989
2. श्री कजोडाराम पुत्र श्री भींवाराम पुत्र भुंथाराम	6·2·1990

(3) ग्राम बानूडा में निर्धारित दूरी (एक पोल एवं दो पोल स्कीम) के अन्तर्गत आने वाले 10 उपभोक्ताओं में से 2 उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। शेष 8 उपभोक्ताओं के मांग-पत्र की राशि दिनांक 31·3·1990 को ही जमा हुई है। इन कनेक्शनों के लिये वर्ष 1990–91 का फेस प्रोग्राम तय नहीं होने के कारण कनेक्शन जारी करने की आगामी कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) ग्राम बानूडा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में एक पोल एवं दो पोल की निर्धारित दूरी में आने वाले सभी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन/मांग-पत्र जारी किये गये हैं एवं निर्धारित दूरी एवं प्राथमिकता के मापदण्ड में नहीं आने वाले किसी भी उपभोक्ता को कनेक्शन/मांग-पत्र नहीं दिया गया है।

क्षेत्र अटरू के गांवों का विद्युतीकरण

720. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1983 से अब तक विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया ? कितनों को स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत ग्रामों में से किस-किस गांव को विद्युतीकृत नहीं किया गया एवं क्यों ?

(3) शेष गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में कुल 251 ग्राम हैं जिनमें से 226 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। वर्ष 1983 से अब तक विधान सभा क्षेत्र अटरू के 33 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है। 44 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 90 तक दी गई सूची "अ" व "ब" संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) स्वीकृत 44 ग्रामों में से 17 ग्रामों (संलग्न सूची "स" के अनुसार) का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है। सीमित संसाधनों के कारण वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही प्रतिवर्ष ग्रामों का विद्युतीकरण करना संभव होता है।

(3) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप होना संभव हो सकेगा अतः फिलहाल समयावधि बना पाना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

अभियांत्रिकी विभाग में रिंग मशीनों की खरीद

721. श्री हरि सिंह (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा एल. एम. पी. कम्पनी से डी. आर. 1500 नामक रोटेरी रिंग्स खरीदी गई ? यदि हां, तो कितनी मशीनें खरीदी गई ? और कब ? इनकी पूरी कीमत कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि एल. एम. पी. द्वारा सप्लाई की गई रोटरी रिंग मशीनों में करीब 9 लाख रुपये के सहायक उपकरण (ऐसेसरीज) सप्लाई नहीं किये गये ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मशीनों को चालू हालत में लाने के लिये विभाग को अठ्टाइस हजार रुपया प्रति मशीन अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है ?

(4) क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा महानिदेशक आपूर्ति एवं निस्तारण के माध्यम से 5 रोटेरी रिंग्स प्राप्त की गई जिनका कुल मूल्य (मय ऐसेसरीज, टैक्स इत्यादि अतिरिक्त) 1,93,67,250/– है।

(2) प्राप्त रिंगों के साथ लगभग 26 लाख रुपये के सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। महानिदेशक आपूर्ति एवं निस्तारण भारत सरकार के स्तर पर भी कार्यवाही प्रगति में हैं।

(3) उपरोक्त रिंग्स को चालू करने एवं मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(4) क्रय महानिदेशक आपूर्ति एवं निस्तारण, भारत सरकार द्वारा किये जाने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही उन्हीं के स्तर पर अपेक्षित है। फिर भी इससे संबंधित पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मांगी गई थी, जो भिजवा दी गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें।)

निगम की दिल्ली-जोधपुर बस सेवा

722. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की दिल्ली से जोधपुर के लिए प्रतिदिन सीधी बस सेवा थी ? यदि हां, तो पूर्व में निगम द्वारा दिल्ली-जोधपुर के बीच प्रतिदिन कितनी और किस समय पर बस सेवा उपलब्ध थी ?

(2) क्या अब यह सेवा स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जोधपुर से दिल्ली तक सीधी बस सेवा चालू करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में निगम द्वारा दिल्ली-जोधपुर के बीच प्रतिदिन निम्न तीन बस सेवायें संचालित की जाती थी :–

दिल्ली	जोधपुर	जोधपुर	दिल्ली
06.00	20.00	06.00	20.00 (द्रुतगामी)
13.40	03.30	11.45	02.00 (द्रुतगामी)
23.00	11.30	16.00	06.00 (सुविधा वाहन)

(2) जी हां। जोधपुर से दिल्ली के लिये इन सेवाओं को सीधा पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण बंद कर दिया गया है।

(3) जी नहीं, जोधपुर से दिल्ली के लिये सीधा पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं है। जोधपुर से जयपुर 18 व जयपुर से दिल्ली 34 सेवायें दैनिक यथावत चालू है।

डीग कालेज भवन की देखरेख

723. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डीग कालेज भवन की देखभाल का कार्य अभी तक शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक कालेज भवन की देखभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दी जायेगी ?

(2) भरतपुर जिले में ऐसे और कितने भवन हैं, जिनकी देखभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग को करनी चाहिये परन्तु किन्हीं कारणोंवश नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जन सहयोग से निर्मित यह भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुआ है। भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तान्तरण होने के तुरन्त बाद इसकी देख-भाल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाने लगेगी।

(2) दो अन्य भवन हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है।

पाली, ब्यावर एवं सोजत मार्ग पर निगम की बसें

724. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पाली, सोजत, ब्यावर मार्ग पर पथ परिवहन निगम की बसों में कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर आवश्यकतानुसार बसें लगाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग पर होकर चलने वाली 3 बसें बन्द की गई है। तीनों ही लम्बी दूरी की द्रुतगामी सेवायें थी, जिन्हें प्रारम्भिक स्थान से गन्तव्य स्थान के लिये पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण बन्द किया गया है।

(2) जी हां। वर्तमान में इस मार्ग पर कुल 62 परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं। निगम की बसों में बढोत्तरी होने पर परिचक्रों की संख्या में वृद्धि किया जाना सम्भव है।

भूतपूर्व सरपंच पांचौली द्वारा गेहूं का अवैध बेचान

725. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ग्राम पंचायत पांचौली सिकराय में अकाल राहत में मिले गेहूं की 118 बोरी को भूतपूर्व सरपंच द्वारा दिनांक 11-3-1987 को अवैध रूप से बेचान हेतु बाहर ले जाते वक्त अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया थ ?

(2) यदि गेहूं जब्त किये गये थे तो क्या राज्य सरकार ने अब तक दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा उक्त गेहूं को अवैध रूप से बेचान हेतु ले जाने के बारे में थाना मानपुर में एफ. आई. आर. संख्या 37/87 दर्ज करवाई थी। पुलिस अनुसंधान पर उक्त प्रकरण सही नहीं पाये जाने पर अदम बकुवा के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट दी गई। उक्त मामले का पुनः अन्वेषण राज्य अपराध शाखा में किया जा रहा है।

जयपुर शहर में शहरी जमाबंदी दर

726. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही हैं कि फ्री होल्ड प्लाट जब विक्रय किया जाता है तो उस पर शहरी जमा बंदी (लीज मनी) ली जाती है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ? शहरी जमा बंदी की दर क्या है ? जयपुर

(69)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

शहर की विभिन्न बस्तियों में शहरी जमा-बंदी की दर की सूची बस्तीवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, यह सही है कि फ्री होल्ड प्लाट जब विक्रय किया जाता है तो उस पर शहरी जमा बंदी (लीज मनी) ली जाती है। इस सम्बन्ध में कोई आदेश/कानून उपलब्ध नहीं है तथापि पूर्व परम्परा एवं विभिन्न समय पर लिये गये निर्णयानुसार फ्री होल्ड भूखण्डों की स्थिति में शहरी जमा-बंदी ली जाती है।

भूमि निस्तारण नियम 1974 से पूर्व आवंटित/बेचे गये भूखण्डों की शहरी जमा बंदी नजराना राशि के आधार पर वसूल की जाती थी। तथा इसकी दरें आवासीय भूखण्डों के लिये नजराना की 2-1/2 प्रतिशत एवं व्यवसायिक व अन्य श्रेणी के भूखण्डों के लिए 5% थी। भूमि निस्तारण नियम 1974 के पश्चात् आवंटित/बेचे गये भूखण्डों पर शहरी जमाबंदी भूमि की सुरक्षित दर के आधार पर वसूल की जाती है। प्राधिकरण क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में शहरी जमा बंदी की दरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

शेरगढ़ क्षेत्र में पेयजल

727. श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में जनसंख्या के अनुरूप पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के निवारण के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है व कब तक?

उत्तर

सन्दर्भित क्षेत्र में सभी ग्रामों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मांग के विरूद्ध 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा की व्यवस्था है। हाल ही में 12 स्वीकृत योजनाओं में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के संवर्धन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं जिनका धन की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वयन कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में कन्टीजेन्सी प्लान के अन्तर्गत हाल ही में 23 ग्रामों में 29 हैण्डपम्प लगाये गये है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री सुरेन्द्र व्यास, विधान सभा, सदस्य, की ओर से सिंचाई विभाग राजस्थान द्वारा कृषि पंडित बलबन्तसिंह को 93 बीघा भूमि में सिंचाई का पानी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, एवं श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ट लिपिकों को नियुक्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में।

(3) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) डॉ. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जालौर के कनिष्ठ अभियन्ता श्री शिवशंकर की पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर द्वारा पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गंगाराम चौधरी, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री मोतीलाल मीणा, श्री मोहनलाल, श्री राजेन्द्र राठोड़, श्री रामकरण सिंह, श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में पुलिस द्वारा जोधपुर ट्रक आपरेटर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्रीमती रमा पायलट, श्री सुनील विश्नोई, श्री परसादीलाल मीणा, श्री जुबेर खान, श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की और से शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन कर हो रहे बाल विवाह के सम्बन्ध में।

(7) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की और से लालसोट तहसील के ग्राम नगरियावास में आवंटित भूमि को चारागाह घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरुप मीणा, श्री प्रकाश चन्द बैरवा एवं श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की शिक्षण संस्थाएं बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर में पुरानी आबादी में हनुमानजी के मन्दिर की दीवार को नगर-परिषद् के कर्मचारियों द्वारा तोड़े जाने से उन्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर की लालसोट तहसील के ग्राम लालपुरा के चारागाह का सीमांकन नहीं कराने से उत्पन्न विवाद के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि सीमांकन तहसीलदार, लालसोट द्वारा पटवारी के माध्यम से दिनांक 13-9-89 के बामौजूदगी सरपंच, लालपुरा एवं पंचायत के सदस्य की मौजूदगी में किया गया है। सीमांकन से पंचायत सन्तुष्ट भी है। फिर भी माननीय सदस्य के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा ग्राम लालपुरा के चारागाह

(श्री अध्यक्ष)

खसरा नं. 82 के सीमांकन कराये जाने के भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को निर्देश जारी कर दिये गये हैं अतः माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) श्री रामनारायण वर्मा व श्रीमती रमा पायलट, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री इन्द्रसिंह पूनिया एवं श्री परसादीलाल मीणा। सदस्य, विधान सभा की ओर से अकाल राहत कार्यों में किये जा रहे कम भुगतान के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है। अकाल राहत कार्यों पर भुगतान टास्क बेसिस पर 14 रुपये प्रतिदिन की दर से किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 14 रुपये प्रतिदिन की दर राहत कार्यों हेतु निर्धारित की गई है। इसलिए 22 रुपये की दर निर्धारित नहीं है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टाडा की धारा 5 को चार जिलों में लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि आतंकवादी एवं तोड़फोड़ की कार्यवाही (निरोधक) अधिनियम भारतवर्ष में वर्ष 1987 में लागू हुआ था और प्रारम्भ में इसे 24 मई, 1987 से दो वर्ष के लिए प्रभावी बनाया गया था और बाद में अधिनियम में संशोधन करते हुए दो वर्ष की अवधि को चार वर्ष की अवधि में परिवर्तित कर दिया गया है।

अवैध हथियारों एवं बम विस्फोटक सामग्री की बरामदगी विशेषकर जयपुर में बम काण्ड से संबंधित व्यक्तियों के पकड़े जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा गया था कि इस प्रकार के अवैध और अनाधिकृत रूप से अस्त्र शस्त्र को लोग अपने पास न रखें और इनकी पूर्णतया रोकथाम हो। अस्तु टाडा एक्ट की धारा 5 हेतु जयपुर, श्री गंगानगर, कोटा एवं बून्दी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(4) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री ग्यारसी लाल पुत्र कस्तूरचंद कुली, मलेरिया नगरपरिषद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर द्वारा मुकदमें से डिसचार्ज करने के बाद भी बहाल नहीं करने के सम्बन्ध से स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि श्री ग्यारसी लाल पर श्री पूरण के साथ मिलकर लड़की भगाने का आरोप था और अब और अब यह मामला विशेष न्यायालय सती निवारण राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत हो गया है अतः विशेष न्यायालय से जानकारी प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन में दुग्ध समितियों तथा पशु नस्ल सुधार केन्द्रों में करोड़ों रुपये की दुग्ध केनों व अन्य कीमती सामानों

श्री अध्यक्ष]

के दुरूपयोग व भारी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि यह सही नहीं है कि करोड़ों रुपये का सामान इन केन्द्रों पर पड़ा रह गया है क्योंकि इस सामान का स्थानान्तरण नये केन्द्रों पर हो जाता है। अतः इसका वार्षिक भौतिक सत्यापन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थिति होता। फिर भी डेयरी फैडरेशन ने सभी संबंधित जिला संघों को निर्देश दिये हैं। जिसके अनुसार यदि किसी केन्द्र पर सामान बकाया रह गया तो उन्हें तुरन्त संघ में वापस जमा कर लिया जावे। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री बुलाकीदास कल्ला एवं श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले में किसानों की खातेदारी भूमि पर सेना द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्य को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री चन्दनमल वैद, श्रीमती रमा पायलट श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिगम्बर जैन मन्दिर डीग जिला भरतपुर से 20 जैन मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

(3) श्री ईश्वरलाल सैनी, एवं श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर के श्री सीताराम जी महाराज सिद्धिपुरा मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की सम्पत्ति के नाजायज बेचान के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव को अस्वीकार कर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधानसभा की ओर से चूरू तहसील में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत जन अभिवर्द्धन योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय मार्गों पर चल रही बसों पर टैक्सों में बढ़ोतरी करने के कारण आन्दोलन व धरना जारी रहने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधानसभा की ओर से माफी मंदिर श्री नरसिंह भगवान कस्बा बारां में मंदिर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा को जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधानसभा की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा में छूट व अन्य सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवासन मण्डल के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी एवं अनियमिता के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दुगारी तहसील नैनवां के हरिजन मौहल्ले में निर्मित कुए पर कार्य करने वाले मजदूरों के भुगतान के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधानसभा की ओर से कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में भू-प्रबन्ध कार्य में वरती गई अनियमिता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से वृक्षारोपण की आवश्यकता एवं उपादेयता के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान क्षेत्र पीलीवंगा में इन्दिरा गांधी नहर की शाखाओं के निर्माण में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में।

(11) श्री सांवरलाल एवं दिलसुखराय, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रधान व्यवस्थापक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(12) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान प्रीमिसेज (कण्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) एक्ट, 1950 के प्रभाव से समस्त हिन्दू मंदिर अस्पताल, धर्मशाला, शिक्षण संस्थान ट्रस्ट आदि को उक्त एक्ट की उप धारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अनुसार मुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई साधनों के अभाव के सम्बन्ध में।

(14) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधानसभा की ओर से श्री गंगानगर जिले के नगर सांगरिया में भगतपुरा रोड़ पर नगरपालिका सांगरिया की सरकारी भूमि पर हरियाणा के लोगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री नवनीत लाल नीनामा एवं श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव परीक्षण करने के बाद ज्ञात हुआ कि प्रस्तावों में 500 शब्दों से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः पढ़ने की अनुमति नहीं होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह जी।

(74)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी, श्रीमान्, अकाल राहत के एक स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी, जिसमें सरकार ने कहा है कि कोई 22 रुपये की मजदूरी की रेट अभी नहीं की गयी है....

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, अकाल राहत में 14 रुपये की है। राजस्व मंत्री ने जिस दिन बजट के ऊपर इण्टरवीन किया था उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी यहां पर कि 22 रुपये की रेट कर दी गयी है। तो क्या यह मानकर चला जाय कि उन्होंने हाउस को गुमराह किया ? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज उनके खिलाफ लाया जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : इसका जवाब अकाल राहत की आज ही डिबेट है उस समय दे दिया जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन को गुमराह करने का सवाल है। यह रिकार्ड के अन्दर है यहां पर कि जब उन्होंने बजट के ऊपर इण्टरवीन किया था, उस समय कहा था कि राज्य सरकार ने 22 रुपये की रेट कर दी है। आपके पास जो उत्तर आया है उसमें यह कहा गया है कि कोई 22 रुपये की रेट नहीं की गयी है, 14 रुपये की रेट है। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है, श्रीमान् सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज जब जवाब देंगे उसके बाद आप आवश्यक समझो तो उठा देना।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी। (व्यवधान)

मैं नाम पुकारता जा रहा हूं, कुछ तो धैर्य रखिये। मैं नाम पुकार रहा हूं एक-एक का।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल गंगानगर में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि माननीय योजना मंत्री के घर के सामने एक मन्दिर है। उसे जब म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने तोड़ा तो उस पर 100-150 औरतें थीं। सारा पुराना शहर इकट्ठा हो रहा है। हमें सूचना अभी यह मिली है कि उधर से म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, वह भी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और उधर सारे शहर के नागरिक इकट्ठे हो रहे हैं। इस गम्भीर स्थिति में पुलिस ने नागरिकों के खिलाफ 452 के गम्भीर मुकदमें बनाये हैं पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह का रोल अदा किया है, एक तरफ राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कर्मचारियों को समर्थन दे रही है। वहां भिड़न्त की स्थिति है। कल गम्भीर दुर्घटना हुई है, आपस में मारपीट हुई है, कुछ शीशे फूटे हैं, पूरी म्यूनिसिपैलिटी टूट गयी है। आज भी यह स्थिति बनी हुई है शहर में। इस पर, मैं समझता हूं, राज्य सरकार को अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री वर्मा जी। एक-एक को पुकार रहा हूं, जिन-जिन ने हाथ उठाये हैं सब को पुकार लूंगा मैं।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, राज्य सरकार की और

(श्री रामनानारायण वर्मा)

से जो जवाब आया है, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को जब हड़ताल पर बैठे थे श्रमिक नेतागण उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंजीजी ने एक वक्तव्य दिया था, जो 14 जून, 1990 की राजस्थान पत्रिका के कोटा संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर आया है, "राज्य में श्रमिकों की न्यूनतम वेतन वृद्धि की घोषणा।" मुख्य मंत्री के विचार विमर्श के उपरान्त योजना मंत्री प्रोफेसर श्री केदार नाथ शर्मा और राज्य मंत्री श्री रामेश्वर दयाल....

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो देंगे। प्रद्युम्नसिंह जी ने उठा दिया वह।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने पाइण्ट ऑफ ऑर्डर उठा दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने इसका जवाब आज देने का कहा है।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में फिर बोल लेना, आज बहस में बोल लीजिए आप।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं अखबार की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह रिपीट मत कीजिए। और लोग बोलने वाले हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : रिपीट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रिपीट है, आप वैठिये। माननीय सचेतक जी ने उठा दिया, आप वैठिये। पाइण्ट ऑफ आर्डर हो चुका, उसमें वह जवाब देंगे। अब आप उसमें नयी बात क्या कह रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : लेकिन क्या जवाब देंगे? मैं भी तो कुछ....

श्री अध्यक्ष : क्या जवाब देंगे। अब आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन। और लोग बोलना चाहते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं दूंगा टाइम।

श्री रामनारायण वर्मा : सदन का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सैनी जी, प्लीज माननीय श्री सैनी जी। (व्यवधान) नहीं बोलना चाहते? माननीय श्री कल्ला जी। बोलिये। आप बैठें।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार गरीबों का भी ध्यान नहीं रख रही है। अकाल राहत जैसे मामलों पर अगर सुनवाई नहीं होगी तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलना ही नहीं चाहते।

श्री रामनारायण वर्मा : क्षेत्र में लोग भूखे मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं बैठेंगे, यह मेरा कहना मानने को तैयार नहीं हैं, माननीय सदस्य यह तैयार ही नहीं हैं। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

उठा दिया सचेतक जी ने । हां, बोलिये, श्री सैनी जी ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से । मैंने आपको नियम 119 में एक निन्दा प्रस्ताव दिया था । उसमें मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है कि इसमें आप अपना स्पष्टीकरण तो दे सकते हैं, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं, सर ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आप अपना स्पष्टीकरण चाहें तो दे सकते हैं दे दीजिए स्पष्टीकरण । वैसे मैंने इसको एक्सपंज कर दिया है सारे को । रिकार्ड से सब एक्सपंज कर दिया गया है, फिर भी आप दे दीजिए ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बढ़िया होता अगर इसको आप 6 तारीख को ही एक्सपंज कर देते ।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त शायद मैं यहां बिराजा हुआ नहीं था, आई वाज नाट इन चेयर.

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप उस समय बिराजमान थे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं था ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसमें है, सर ।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं था, उपाध्यक्षजी थे । मैंने पूरा रिकार्ड देखा है, एक्सपंज किया है । मैं नहीं था । आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह अखबारों में आ गया है । सारे राजस्थान में अखबार पहुंचते हैं । इसके अलावा भी मैं और मेरे परिवार के सदस्य मेरे ब्रदर ने भी जो उस वक्त अलवर में थे, जब सात तारीख को यह अखबार उनके पास पहुंचा तो उसको पढ़ा । एक पत्र आपको उन्होंने ने भी लिखा है । मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा-सा निवेदन कर दूं मैंने नियम 119 में एक निन्दा प्रस्ताव दिया है । दिनांक 6-7-1990 को सदन की कार्यवाही में जब कोतवाली में श्री लालाराम की मृत्यु के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री सम्पतराम जी वक्तव्य दे रहे थे, तब माननीय सदस्य श्री अनंग कुमार जैन ने चर्चा के दौरान मेरे विरूद्ध कुछ अनर्गल एवं आधारहीन आरोप लगाये थे, जो स्पष्टतया मानहानिकारक हैं । माननीय सदस्य ने न तो अपने शब्द वापस लिये और न ही खेद प्रकट किया और न ही उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला गया है इस प्रकार यह विधान सभा की कार्यवाही का भाग हो गया है जो आने वाले समय में हमेशा मेरी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल पढ़ा जायेगा । कार्यवाही के अंश निम्न प्रकार उद्धृत किये जाते हैं : "श्री अनंग कुमार जैन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे फिर रिकार्ड पर लाते हो ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई बात नहीं, साहब, बदनामी तो मेरी खूब हो गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो चीज मैंने एक्सपंज कर दी है उसको मैं दुबारा नहीं लाने दूंगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : साहब, यह तो अखबारों में आ गया।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं। आपको जो कहना है, आप कह दीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : बदनामी जो मेरी होनी थी, होली, मेरे सारे परिवार की बदनामी हो गयी। एक असत्य इस तरह का आरोप लगा दिया....

श्री अध्यक्ष : हां, लगा दिया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसके बाद यहां तक माननीय सदस्य ने चैलेंज किया है मुझको, मेरे कहने के बाद भी, कि अगर यह बात साबित कर देंगे तो मैं सदन से त्याग पत्र दे दूंगा वर्ना उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक मुझे चैलेंज किया है कि मैं एफ आई. आर. की कापी लाकर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 6 तारीख की बात है और आज 18 तारीख हो गयी है। अभी मैं इस प्रकरण को बन्द नहीं करूंगा 24 तारीख तक यह सदन चल रहा है। उनको फिर चैलेंज है मेरा कि 24 तारीख आखिरी दिन तक वह एफ. आई. आर. प्रस्तुत करें। जब वह शब्द एक्सपंज नहीं हुए तो इसका मतलब यह है कि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के प्रति कुछ भी कह सकता है। वह जब अखबारों में आ जाता है तो स्पष्ट है कि सब जगह उसका प्रचार हो जाता है। आप स्वयं सोच सकते हैं, यह तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पढूंगा। इसके बाद भी माननीय श्री पूनम चन्दजी विश्नोई ने इस पर स्पष्ट व्यवधान डाला है कि इस प्रकार जो सदस्य नहीं हो, इस सदन का उसके खिलाफ ऐसे मानहानिकारक शब्द नहीं कहे जाने चाहिए। उसके बाद भी इसको नहीं किया। न एक्सपंज किया, न माफी मंगवायी, न उन्होंने शब्द वापस लिये, न उन्होंने कोई बात कही और न उपाध्यक्ष जी की तरफ से कोई व्यवस्था आयी। मेरे भाई को बड़ी वेदना हुई। वह पत्र बड़ा मार्मिक है, मैं उसको सदन में पढ़कर अवश्य सुनाऊंगा आपकी अनुमति से।

"आदरणीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर। दिनांक 6-7-1990 को विधान सभा सदन में एक भाजपा सदस्य श्री अनंग कुमार जैन द्वारा मेरे विरूद्ध निराधार व झूठा मुकदमा बलात्कार की एफ. आई. आर. दर्ज होने के आरोपों के सम्बन्ध में। दिनांक 7-7-1990 को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह उनकी सफाई पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

उनके पत्र उद्धत कर रहे हैं। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज। आप सुनिये, बैठ जाइये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दिनांक 7-7-1990 को मैं अलवर निवास पर था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : उस दिन प्रातः दैनिक राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुझे कोई एतराज नहीं है। आप एक काम करा दीजिए, मेरे भाई (व्यवधान)

दिनांक 7-7-1990 को मैं अपने अलवर निवास पर था। उसी दिन प्रातः दैनिक राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर मेरे विरुद्ध विधान सभा सदन में दिनांक 6-7-90 को एक भाजपा सदस्य श्री अनंग कुमार जैन द्वारा बलात्कार करने बाबत अकलेरा में मुकदमा दर्ज होने बाबत समाचार पढ़ा। यह निराधार एवं मनगढ़न्त समाचार पढ़कर अपना सन्तुलन खो दिया और मैं हतप्रभ हो गया।

मैं राजस्थान पुलिस सेवा से 33 वर्ष का सेवाकाल समाप्त कर लगभग 10 वर्ष पूर्व सेवा निवृत हो चुका हूं। मैं मेरे सेवा काल में विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्ति के अतिरिक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानों पर व प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर जैसे नगरों में तैनात रह चुका हूं। इन सभी जगह मेरा कार्य निहायत सराहनीय रहा है। अकलेरा में ही नहीं, बल्कि कहीं भी किसी जगह मेरे विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा। मैं कभी भी निलम्बित नहीं रहा हूं। जब-जब प्रदेश के बड़े नगरों में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई, तब केवल मुझे राज्य सरकार ने लगाया जिसके लिए मुझे सम्मान मिले हैं। अति-विशिष्ट सेवाओं के लिए मुझे अनेकों मैडल प्राप्त हुए हैं मेरी समस्त राज्य सेवा मेरे पुलिस विभाग व राज्य सरकार की नजरों में अति प्रशंसनीय रही है।

सन् 1973 में केवल एक अल्प अवधि के लिए मैं उप अधीक्षक, अकलेरा रहा हूं उसके तुरन्त बाद कोटा नगर का सम्पूर्ण चार्ज वहां की लॉ एण्ड आर्डर की बिगड़ती स्थिति को देखकर राज्य सरकार ने मुझे नियुक्त किया था। अकलेरा नियुक्ति के दौरान कोई किसी प्रकार का 376 भा. दं. सं. का मुकदमा मेरे विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ। फिर इस प्रकार का मनगढ़न्त व बे-बुनियाद आरोप उक्त भाजपा सदस्य ने मेरे विरूद्ध अब लगभग 17-18 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लगाए हैं, वह खेदजनक ही नहीं बल्कि मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यन्त गम्भीर हैं। मेरे समाज में मेरा परिवार प्रदेश में ही नहीं उत्तरी भारत में जाना-माना व प्रतिष्ठित है। मेरे बड़े-बड़े विवाहित पुत्र-पुत्रियां, भाई बहनें विवाहित हैं, प्रदेश एवं देश के बड़े नगरों में प्रतिष्ठित उच्च घरानों में रिश्तेदारियां हैं। इस तरह के अनर्गल व बेहूदा समाचार पढ़कर उन सभी को बड़ी वेदना हुई है और मुझसे इस बाबत टेलीफोन से पूछा है। मेरे दोस्त एवं मिलने वालों को भी भारी आघात पहुंचा है जिससे मेरी प्रतिष्ठा एवं छवि धूमिल हुई है।

मैं वृद्धावस्था में हूं और आप जितनी हम उम्र होने से आप कल्पना करेंगे कि

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

ऐसे निराधार बलात्कार के मुकदमें की दरजगी को लेकर, जो भी मेरे अकलेरा की 17-18 वर्ष पुरानी नियुक्ति के समय को लेकर अब विधान सभा में अकारण आरोप लगाए हैं, वह क्या मायने रखते हैं ? मैं तो सदन का सदस्य भी नहीं हूं ताकि आरोप लगते समय या उसके पश्चात् उसका स्पष्टीकरण देता ताकि इस मिथ्यापूर्ण चर्चा के अंश तो सदन के रिकार्ड में सदा-सदा के लिए अंकित नहीं होते ।

आप राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष हैं ! आप इस स्टेज पर भी अगर कोई ऐसे मुकदमे की एफ. आई. आर. कहीं किसी थाना या अदालत में दर्ज हुई हो तो कृपया उसकी प्रतिलिपि मंगवा सकते हैं । मैं यह भी निवेदन करूं कि राजस्थान पुलिस रेग्युलेशन के नियमानुसार अगर किसी भी पुलिस विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के विरूद्ध अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज हो तो उसकी दुराचार रिपोर्ट (मिस कन्डक्ट रिपोर्ट तुरन्त पुलिस मुख्यालय व राजपत्रित अधिकारी हो तो राज्य सरकार को भेजी जाती है । अगर मेरें विरूद्ध ऐसा कोई मुकदमा कायम हुआ हो तो उसकी सूचना आज भी पुलिस मुख्यालय या राज्य सरकार के रिकार्ड से उपलब्ध हो सकती है कृपया वह भी आप मंगवा सकते हैं । मैं यह तथ्य भी इसलिए अंकित कर रहा हूं कि आप इन सभी कार्यालयों से अपने निर्णय के लिए यह सूचना मंगवा सकते हैं ।

राजस्थान विधान सभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है । इस ऐतिहासिक विधान सभा का मैं भी विभाग की ओर से कुछ समय के लिए सुरक्षा अधिकारी रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूं । अब आप जैसे विद्वान् महापुरूष अध्यक्ष की मौजूदगी में मुझ जैसे वर्षों पूर्व सेवा निवृत्त बेगुनाह अधिकारी पर अब ऐसे मनगढ़न्त अकारण आरोप थोपा जावे तो यह इस विधान सभा के इतिहास में एक लज्जाजनक त्रुटि होगी और आने वाली भावी पीढ़ी उसको कभी माफ नहीं करेगी ।

यह कृत्य ऐसे भाजपा सदस्य के लिये घोर निन्दनीय ही नहीं बल्कि बेहूदगी की सभी सीमाओं का उल्लंघन करता है । मेरे पर जिस प्रकार अकारण ऐसे झूठे बेबुनियाद आरोप सदन में लगाये गये हैं, उनकी किसी भी प्रकार पैसों से कभी पूरी नहीं हो सकती है ना ही और किसी अन्य प्रकार से । आप कृपया इसका रास्ता निकालकर कोई समाधान निकालने की कृपा करें तब तक मैं एवं मेरा परिवार बैचेन रहेगा ।

आदर सहित ।

प्रतिलिपि–वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) श्री भैरोंसिह जी शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर

(2) श्री हरिदेवजी जोशी, नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस (ई) पार्टी विधायक दल, जयपुर ।

(3) श्री नत्थीसिंह जी, नेता, जनता दल विधायक दल, जयपुर ।

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

(4) श्री हेतराम जी बेनीवाल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जयपुर।

श्रीमान्.................

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। स्पष्टीकरण उनका हो गया। यह पूरा हो गया। अब आप मेरी राय सुन लीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लास्ट में 2 बात कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी सुन लीजिए। प्लीज हियर मी फर्स्ट। असल में जो स्पष्टीकरण आपके भाई साहब ने लिखा है, वही आना चाहिए था वह रिकार्ड पर आ गया है और मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। जो भी आरोप उस वक्त लगाए थे मैंने रिकार्ड देखकर उन सबको एक्सपंज कर दिया है और आपके भाई ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह रिकार्ड में आ गया है। मामला सैट हो गया है इसलिए अब ज्यादा बोलने की इसमें गुंजाइश नहीं है। आप बोलेंगे तो विवाद बढ़ेगा लेकिन इस विवाद का समाप्तिकरण यहीं होना स्वाभाविक है और यह न्यायोचित भी है इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसमें आप और कुछ न बोलें।

डॉ. हरिसिंह।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह जी। आप बोल रहे हैं? (व्यवधान) आप विराजिए। डॉ. हरिसिंह जी बोलिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने मेरे भाई का स्पष्टीकरण पढ़ा है। इसमें उन्होंने उस रोज चेलेंज किया था कि वह एफ. आई. आर. की कापी लाकर देंगे अभी तक यहां नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है, धन्यवाद।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा निवेदन है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह सदन में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप सीमा पार कर रहे हैं। प्लीज सिट डाउन। Now you are crossing the limit. I have allowed you. This is more than sufficient. Now, I will not allow any challenge. If he has accepted the challenge, he will stand-up. (व्यवधान)

अब दुबारा से उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना केस.... (व्यवधान)

अब हो गया, अब आप विराजिए।

मैं निन्दनीय शब्द को अलाऊ नहीं करूंगा। न आपको करूंगा न उनको करूंगा। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : निन्दनीय शब्द कहूंगा तो क्या उनको आप एक्सपंज नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : कर दिया मैंने एक्सपंज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उनसे पूछिए

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

तो सही। इतना तो मेरा अधिकार है आपके द्वारा कि वह कौनसी एफ. आई. आर. दर्ज करके लायेंगे या बताएंगे।

श्री अध्यक्ष : जब मैंने एक्सपंज ही कर दिया तो क्या पूछेंगे ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : रिकार्ड तो कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बात खत्म हुई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेकिन वह रिकार्ड नहीं है। इसमें आ गया था और पेपर का मसला बन गया है सारे राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : मसला बन गया उसका स्पष्टीकरण आपका पूरा हो गया है। अब बाकी क्या बचा है ? चलिए, माननीय डा. हरिसिंह जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान में शिक्षा केन्द्र बंद हो जाने के बारे में उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि इस पर स्टेटमेंट आ रहा है। मैं यह चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, इस पर एक-दो दिन में ही स्टेटमेंट आप दिला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : हां, आ जाएगा। आपका स्टेटमेंट आ रहा है। तैयार हो रहा है।

डॉ. हरिसिंह : आज ?

श्री अध्यक्ष : आज नहीं सोमवार को मिलेगा। हां, बोलिए श्री हीरालाल इंदौरा जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 50 के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित दोदी-प्रथम में कृषि पंडित बलवंतसिंह जी को एक्सेस पानी देने का मामला उठाया है और, मामला बहुत महत्व का है वहां किसानों में रोष है। आपने व्यवस्था दी है कि इसकी जानकारी प्राप्त होने के बाद में आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जब तक जानकारी आएगी तब तक सदन समाप्त हो जाएगा। इसलिए टाइम बांध दीजिए कि दो दिन में, तीन दिन में....

श्री अध्यक्ष : मैं 3 दिन का समय देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : यह नहीं है। 3 दिन का आप समय दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मेरी ही बात है। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पालना करेंगे नहीं बोलेंगे, वहां तक ठीक है लेकिन 9 तारीख को सबस्टेन्टिव मोशन, सेंशर मोशन मंत्रिमण्डल के एक सदस्य के खिलाफ दिया। 16 तारीख को आपने व्यवस्था दी। आज 18 तारीख को हमें आपके सामने यह एडजोर्नमेंट मोशन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

की शक्ल में इसलिए लाना पड़ा। वैसे यह मैटर सेंशर मोशन का बनता है लेकिन यह एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में इसलिए लाना पड़ा कि हमारा पहला सेंशर मोशन आपने रिजैक्ट कर दिया। अब ये गवर्नमेंट के आर्डर हैं 2 (जी) के अन्दर कृषि पंडित को अनुसंधान के नाम पर 93 बीघा जमीन को, यानी 5 घंटे पानी उसको मिलना चाहिए, 16 घंटे पानी दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री लोग गड़बड़ करें तो करें लेकिन कानून-कायदे से काम करना तो सिखाओ आप। बाकायदा गवर्नमेंट आर्डर है। 14-5-90 का एफ/12 (2) सिंचाई 90 यह गवर्नमेंट आर्डर है अब अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत लंबी-चौड़ी····

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में एक बात सुनिए। आपने जो दिया है आज मंत्री जी यहां नहीं हैं। आज होते तो मैं उनको इसके बारे में स्टेटमेंट देने के लिए कहता। वह आज उदयपुर गए हैं। मैंने पता लगा लिया आते ही मैं उनसे बात करके इसकी व्यवस्था करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इसको यही समाप्त करता हूं अगर आपका आश्वासन है तो।

श्री अध्यक्ष : कह रहा हूं आते ही पता लगा लूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मंत्रीजी आ जाएंगे····

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी को बोलने दीजिए। श्री कल्ला जी बोलने वाले हैं श्री कल्ला जी का हाथ उठा है पहले। क्योंकि इसमें आप और श्री इंदौरा जी एक साथ थे इसलिए मैंने आपको अलाउ किया अब श्री कल्ला जी बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल्लाजी के कहने से ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह फिर बोलेंगे। फिर पहले वह बोलेंगे। वह देखिए उनके साथ हैं, श्री कल्लाजी को बोलने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने राजकीय सांस्कृतिक नीति के बारे में 295 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था लेकिन उसमें 20-25-50 शब्द ज्यादा हैं तो उन शब्दों को, आप जिनको उपयुक्त समझेंगे कम बोल दूंगा। लेकिन....

श्री अध्यक्ष : हजार शब्द हों तो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हजार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता नहीं है कितने हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ढाई पेज है ज्यादा से ज्यादा।

श्री अध्यक्ष : वह अपन एग्जामिन कर लेंगे, बात कर लेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं 25 शब्द कम कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां बात कर लेंगे । आज तो होगा नहीं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 3 दिन में एक बार भी मौका नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : तो मैं क्या करूं आप नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं क्या करूं । आप बिराजें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप जितना कहेंगे उतना कम कर देंगे । दो मिनट का तो है यह ।

श्री अध्यक्ष : अब आज तो खारिज कर दिया ना । मैंने खारिज कर दिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बोलने का अवसर दें । आप पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : पुनर्विचार अपन चैम्बर में करेंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था नगरपालिका की हड़ताल पर, टोडाभीम सड़ रहा है, नगर पालिका की हड़ताल चल रही है । उसके बारे में कब विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : चैम्बर में बात कर लेंगे पूरा याद नहीं रहता है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत महत्वपूर्ण है साहब ।

श्री अध्यक्ष : बात कर लेंगे । आप बोलिए, आप तो लम्बा बोलेंगे, पहले इनको बोलने दीजिए । आप तो पूरी बहस करेंगे ।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 में एक प्रस्ताव दिया था । आपने मेरा नाम आज दिया नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आज दिया है ।

श्री भंवरलाल : आज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दिया है, नहीं दिया है तो 500 शब्द से ज्यादा होगा ।

श्री भंवरलाल : नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं दिया है तो देख लेंगे । वह पड़ा हुआ है नहीं दिया है तो पैण्डिग होगा । वह कल देखेंगे ।

आप बोलिए श्री व्यास जी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को 5-7 सदस्यों ने हिण्डौली में पुलिस कस्टडी में जो रामनाथ का मर्डर हुआ जिसके विषय में 9 तारीख को गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था । उस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा और आपने जानकारी के लिए उसे भिजवाया और आज 18 तारीख हो गई । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । क्योंकि उस रोज मंत्री जी ने खुद ने यह बात कही थी कि अल्प समय में जो सूचना उपलब्ध हो सकती थी वह सदन के समक्ष मैंने रखी हैं और उस समय सूचना से कुछ ज्यादा अपेक्षा करना भी उनसे वाजिब नहीं था । इसलिए उस समय उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया । लेकिन हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती रमा पायलट खुद वहां पर जाकर आई हैं और कुछ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उन्होंने फैक्ट्स को वैरीफाई किया है उसके आधार पर हमने स्थगन प्रस्ताव रखा।

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर प्रस्ताव पढ़ने लग गए, आप अपनी बात बताइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रस्ताव नहीं पढ़ रहा हूं मैं। एफ. आई. आर. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सब नकलें यह हैं, मंत्रीजी को उस रोज विभाग द्वारा जो फीड किया गया था उससे हाउस के अन्दर यह इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि गांव वालों ने उसको मारा है, पुलिस वाले यह प्ली लेकर चल रहे हैं। हुआ क्या है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं यह बताइए ना?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था चाहते हैं, बिराजें। हां, तो वह मैं जवाब दूंगा। आप मेरे से व्यवस्था की बात करिए। बैठिए। देखिए, आपने जो भेजा है वह मैंने, क्योंकि इस विषय पर पहले हाउस में वक्तव्य आ चुका है, उस समय तक जितने तथ्य आप सबके पास थे उन पर डिबेट हो गई लेकिन अब आपने कुछ नये तथ्यों के आधार पर यह एडजोर्नमैण्ट मोशन दिया है इसलिए स्वाभाविक है कि उस सम्बन्ध में मैंने सरकार से जानकारी मांगी है। जैसे ही जानकारी आ जाएगी व्यवस्था दूंगा। अब व्यवस्था और जल्दी हो इसके लिए आज सरकार से और निवेदन करूंगा कि जल्दी जानकारी भेज दें। उसके बाद व्यवस्था दूंगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 6 दिन हो गए। 12 तारीख का दिया हुआ है, 18 तारीख हो गई 3 दिन का समय आप बताते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 6 दिन हो गए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मान लिया आज और मैं जानकारी कर लेता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : तो बिना जानकारी के व्यवस्था दे नहीं सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, तो इसलिये मैं तुरन्त जानकारी और करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आज मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। आप वक्तव्य दिलाने का क्यों नहीं कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी करने के बाद ही। आप देखिए, सवाल मेरी व्यवस्था का है, सवाल मुख्य मंत्रीजी का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है, वह जानकारी देते हैं तो ठीक है, क्या परिस्थितियां बनती

(श्री अध्यक्ष)

हैं, वह देने की स्थिति में हैं या नहीं तब मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय आप रोजाना यह कहते हैं कि 3 दिन की समय सीमा निर्धारित कर रखी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं सब के लिए नहीं कहा है। आपको कहा था।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सब के लिए 3 दिन का है।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डौली) : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य उस दिन अधूरा रह गया था इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि वह वक्तव्य को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अलाऊ तो किया नहीं। आप बोल रही हैं। अब मैं एक साथ 4-4 को तो अलाऊ नहीं कर सकता। आप मेरी जगह होती तो यह करतीं, 4-4 को अलाऊ करतीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब स्थगन प्रस्तावो पर सदन में हमेशा यह बात कहते हैं कि भाई जानकारी के लिए 3 दिन....

श्री अध्यक्ष : What will be the end to it Mr. Vyas tell me. This is my direct question, what will be the end to it ? I will not give any decision until and unless I know something from the Government.

मैं इसको जल्दी करवा सकता हूं। यह बात ठीक है। आज आपने इस पर मेरा ध्यान दिलाया है। मैं आज ही इसके बारे में सरकार से बात कर सकता हूं लेकिन मेरी व्यवस्था तो तभी होगी जब जानकारी कर लूंगा। अब आप मेरे से क्या चाहते हैं ? मेरे से आप चाहते क्या हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम यह चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया, आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन अगर राज्य सरकार जवाब नहीं देगी....

श्री अध्यक्ष : नहीं देगी तो मैं डिसीजन करूंगा। I will do it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो यह कहें आप।

श्री अध्यक्ष : I will do it. मैं कह रहा हूं। I will do it. व्यवस्था दूंगा व्यवस्था देना मेरा काम है। In and case, in any eventu ality. व्यवस्था मैं दूंगा वह यदि जानकारी देते हैं तो दूंगा, नहीं देते हैं तो दूंगा। अब आप मेरे से बार-बार यह क्यों कहलवा रहे हैं। श्री बुलाकीदास कल्ला, : दो मिनट बोलिए। शुरू करिए। (व्यवधान) बीकानेर जिले के किसानों की खातेदारी के सम्बन्ध में। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।.... आर्डर प्लीज।.... आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। शुरु करिए। श्री बुलाकीदास जी कल्ला आप शुरु क्यों नहीं करते हैं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के ग्राम उदासर ग्रौर पैमासर में लगभग 131 काश्तकारों जो नियमित रूप से करते थे उनकी जमीन को सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में ले लिया गया। जहां तक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में जमीन लेने का प्रश्न है, वहां के किसानों ग्रौर हमको ग्रापत्ति नहीं लेकिन आपत्ति इस बात की है कि अनुसूचित जाति के 131 भाइयों को जिन्होंने ग्रपनी जमीन दी, उनको ग्रभी तक मुआवजा ग्रौर जमीन के बदले जमीन नहीं मिलने से वह लोग बेरोजगार हो गये हैं। वैसे आप भी जानते हैं कि जो खेती करने वाले लोग होते हैं उन्हें 6 महीने काम मिलता है ग्रौर 6 महीने उन्हें ग्रर्द्ध बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर ग्रकाल ग्रौर ग्रभाव की स्थिति रही है जिसके कारण से ऐसे किसानों को काफी परेशानी रही है ग्रौर इस पर उनकी जमीन छीन जाने से, जमीन का पर्याप्त मुग्रावजा ग्रौर जमीन के बदले जमीन नहीं मिलने से वह 131 परिवार ग्राज सड़क पर ग्रा गए हैं। मै चाहता हूं कि उन सभी के मामलों को राजस्व मंत्रीजी जल्दी से जल्दी निपटाएं उन 131 परिवारों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग के माध्यम से ग्रथवा राजस्व विभाग के माध्यम से जमीन के बदले जमीन दिलवायें, मुग्रावजा दिलवाएं ग्रौर उन लोगों के रोजगार की व्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ग्रवार्ड कब मिला है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे एग्जेक्ट तारीख तो मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब मिला है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्रभी कोई चार महीने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 महीने हुए हैं, उस ग्रवार्ड में है क्या जमीन के बदले जमीन देना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, ग्रवार्ड में जमीन के बदले जमीन ग्रौर मुग्रावजा दोनों की बात कही है। मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्रीजी इस मसले पर ध्यान देंगे।

(12.39 म. प.)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैंने चन्देरिया थाने के ग्रन्तर्गत पंकज श्रीवास्तव की हत्या सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था, ग्राज उसको करीब 9-10 दिन हो गए हैं उमके बारे में जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इसके बदले में सरकार कोई स्टेटमैण्ट दे।

डेयरी के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में कह दिया कि इसका फिजिकल वैरीफिकेशन करना सम्भव नहीं है....

श्री समापति : अभी तो आप इसी मुद्दे पर बोलिए किसानों की खातेदारी के बाबत ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह हो गया । दे देंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसके बारे तो मुझे आश्वासन मिल गया कि वह दे देंगे । आज आसन से व्यवस्था दी गई थी उसके बदले मैं आपसे यह चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में सरकार स्टेटमैंण्ट जारी करे डेयरी स्कीम में जो गड़बड़ हुई है उसके बारे में और दूसरा चन्देरिया थाने के अन्तर्गत पंकज श्रीवास्तव की हत्या हुई उसके सम्बन्ध में, यह दोनों स्टेटमैण्ट होने चाहिए ।

श्री सभापति : श्री हेतरामजी बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय जो स्थगन प्रस्ताव उदासर गांव के 131 किसानों का हमने रखा था, वास्तव में वहां की स्थिति यह है कि वह जिस उपयोग के लिए भूमि ली गई है सुरक्षा के उपयोग के लिए मिलिट्री के पर्सनल्स ने उस जगह अपने इक्विपमेंट्स रखने को, अपनी गाड़ियां रखने को, अपने कैम्पस बनाने को ली है । उस सिलसिले में राज्य सरकार ने सिर्फ उनकी इतनी मदद की है वह वहां स्थापित कर दिए गए । अपनी तरफ से राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की । सबसे पहले राज्य सरकार को चाहिए था और निश्चित तौर से यह राज्य सरकार और मामलों में तीव्र गति से कदम उठाती है । किसान के मामले में उसका दृष्टिकोण अलग है । मुझे इस बात का एतराज है कि उस किसान के पास, जिसके पास जमीन ही साधन है और जमीन को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, मिलिट्री इस्तेमाल करना चाहे, सैण्ट्रल गवर्नमेंट किसी परपज के लिए इस्तेमाल करे और उसको इस्तेमाल करते वक्त उसकी रोजी-रोटी का ध्यान न रखे । चाहिए तो यह कि जिस वक्त जमीन ली गई, जिस दिन से उस जमीन पर मिलिट्री के पर्सनल्स आकर बैठे, उसी वक्त से गुजारे के लिए भी किसान को कुछ देना चाहिए । राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की कि उनको उस वक्त का कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ, जो काश्त उस वक्त हो सकती थी किसान की उनकी वजह से फसल नहीं हो सकी और फसल नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा । 131 परिवार हैं और इन परिवारों में बहुत ज्यादा गरीब हरिजनों के परिवार हैं ।

इस तरह की स्थिति में, मैं समझता हूं राजस्थान सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, सिर्फ यहां यह नहीं मिलिट्री के मामले में राजस्थान सरकार की नीति का अनुभव गंगानगर के उस बोर्डर क्षेत्र में भी है । वहां भी मिलिट्री के पाकिस्तान बोर्डर के पास-पास जो पूरी बोर्डर लाइन पर तारबन्दी करने का प्रोग्राम बनाया तारबन्दी करने के लिए जो भूमि किसान की तार से पिछली तरफ आ गई, जो तारबन्दी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की दूसरी तरफ थी उस भूमि को किसान से नहीं लिया, किसान से अवाप्त नहीं की और वह किसान के नाम रहने दी। तारबन्दी कर दी तारबन्दी करने के बाद न किसान उसमें काश्त करने जा सकता है, न उसको पानी लगा सकता है, ना उसकी फसल उठा सकता है, न फसल बेच सकता है। ऐसे बहुत से किसान जिनका कुछ हिस्सा जमीन का, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 बीघा जो छोटे किसान हैं, जिनकी दस बीघा जमीन है, आठ बीघा जमीन है। सभापति महोदय, अगर उसकी तीन बीघा, चार बीघा जमीन परमानेन्टली उस तारबन्दी के बीच आ गई और वह तारबन्दी लगातार रहेगी। वहां मे 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर जो हमारे पासेज बने हुए हैं वह बहुत दूर-दूर बने हुए हैं। जहां किसान जाकर उस फसल को सम्भाल नहीं सकता, किसान जाकर अपनी फसल को पानी नहीं लगा सकता, उस फसल को देख नहीं सकता। ऐसी हालत में प्रेक्टिकली उस जमीन को किसान से हमने छीन लिया, किसान से हमने ले लिया और किसान को एक पैसा नहीं दिया इस तरह की जो स्थिति किसानों के साथ की जाती है, मैं समझता हूं बोर्डर के किसान, विशेष तौर से उन क्षेत्रों के किसान, जो हमारी केन्द्रीय फोर्सेज हैं, मिलिट्री है उनके साथ बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब भी हमारे देश पर अटैक हुए हैं बोर्डर के किसानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया है और अपना बहुत बड़ा त्याग किया है। किसी बात की परवाह नहीं की। उनकी फसलें बरबाद हुई, उनके कुछ खेत बरबाद हुए। ऐसी स्थिति में जब शान्ति का समय हो, जब ऐसा वक्त चल रहा हो उस वक्त में भी हम मिलिट्री के लिए अगर इस्तेमाल करे, अपनी केन्द्रीय फोर्सेज इस्तेमाल करें, चाहे हम देश की सुरक्षा के लिए तारबन्दी बनाए उस वक्त उस किसान की परवाह नहीं करें जिस किसान की रोजी सिर्फ जमीन है। मैं समझता हूं राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसी जमीन जिस जगह भी ली है उसका फौरी मुआवजा सिर्फ जमीन देकर ही नहीं, जितने अर्से के लिए वह जमीन रहे, चाहे चार-छः महीने के लिए रहे, साल के लिए रहे, उस साल-छः महीने या दो साल का उसको रेन्ट, उसको उचित मुआवजा दिया जाए। जिससे वह परिवार पनप सकें।

मैं समझता हूं इस पर राज्य सरकार तत्परता से कार्यवाही करेगी। उन 131 परिवारों को और ऐसे परिवारों को जो बोर्डर एरिया में उस तारबन्दी की वजह से प्रभावित हुए हैं, उन गरीब लोगों का भी इस बारे में समाधान करेगी। उनको खेती की या तो उपजाऊ जमीन देगी या उनको उचित मुआवजा देगी।

श्री सभापति : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, दिगम्बर जैन मन्दिर के बारे में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैं तो श्रीमान् इस पर पहले ही बोल लिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक जूं भी नहीं रेंगी है। श्रीमान् इतना ही मेरा निवेदन है। उसके बारे में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैंने पहले यहां पर कहा था, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मूर्ति अभी तक बरामद नहीं हुई हैं। यहां पर मुख्य मन्त्रीजी स्वयं बैठें हैं, गृह विभाग उनके पास है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहां पर जो वक्तव्य दिया था माननीय सम्पतराम जी ने भी यह कहा था, वरिष्ठ अधिकारियों को भी यहां से भेजना था वह कार्यवाही कराएगें। तो इस मामले में कृपया डीग के अन्दर जैन मन्दिर में चोरी का मामला है। बहुत कीमती मूर्तियां चोरी हो गई हैं। आज दो महीने होने को आ रहे हैं मुझे तो डर है कि अगर इसमें आपने शीघ्र कार्यवाही नहीं की तो जो स्मगलर हैं, लोग लगे हुए हैं यह मूर्तियां विदेश नहीं चली जाए। बड़ी प्राचीन मूर्तियां हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है। इन मूर्तियों के बारे में आप शीघ्र कार्यवाही करें। डीग बन्द भी रहा, डीग में काफी लोगों ने हड़ताल भी की उसके बाद भी सरकार उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करें तो मैं अपना दु:ख ही प्रकट कर सकता हूं। इससे जो उनकी भावनाओं को सारे देश के अन्दर ठेस पहुंची है, जैनियों की भावनाओं को मैं उसको पुनः यहां पर दोहराना चाहता हूं। सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करें यही मेरा आपसे' निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री ईश्वर लाल जी सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, ऐसा निवेदन है, हम अध्यक्ष जी से बात करके आए थे। इसमें एक स्टेटमेंट आने की बात थी यह 8-10 दिन पहले का है, हमारी मन्त्रीजी से बात हो गई है। आज इसमें पेशी है। वह एक स्टेटमेंट भी दे देंगे। हमारा उनसे निवेदन हो गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेशी काहे में है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसी सम्बन्ध में आज पेशी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेशी काहे में है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : ए. सी. एम. कोर्ट में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर वक्तव्य किस बात का होगा ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : ऐसा निवेदन है कि हमने जब यह मुद्दा उठाया था। सरकार से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ही कह रहे हैं कि मामला ए. सी. एम. की कोर्ट में हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं साहब मैं यह नहीं कह रहा हूं। जब यहां हमने मसला उठाया था दस रोज पहले तो उसमें स्टेटमेंट की बात थी अभी हमने मन्त्रीजी से कहा कि आप स्टेटमेंट दे दो तो हम इसमें निवेदन कर देंगे कि आज इसकी पेशी हो जाने दो मैं कल या परसों स्टेटमेंट दे दूंगा तब हम आपसे निवेदन कर लेंगे। यह बात अभी आपके सामने करके आया हूं।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री): जो भी वस्तु स्थिति है उसका स्टेटमेंट दे देंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

चूरू तहसील में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत जन अभिवद्धन योजना

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चूरू तहसील में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत जल अभिवर्द्धन योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चूरू तहसील में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, अधिकांश गांवों में भयंकर संकट है तथा नीचे जल स्तर गहरा व नीचे पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण गांवों में पानी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाकर जहां पानी पीने योग्य है वहां से पाइपों से अन्य गांवों में पहुंचाया जाता है। इन क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है परन्तु कई योजनाएं स्वीकृत होने के पश्चात् कई वर्षों तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने से केन्द्रीय सरकार द्वारा देय राशि लैप्स हो जाती है। चूरू तहसील में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना धीरासर, नाकासर जिससे 8 गांवों को पेयजल सुलभ होगा, को भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिले दो वर्ष से अधिक समय हो गया परन्तु इस योजना का कार्य जिस गति से चल रहा है उससे लगता है कि अगले पांच वर्षों में भी इस योजना से जुड़े गांवों को लाभान्वित नहीं कर पाएगें।

इसी तरह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जसरासर सातड़ा--खासोली--दुधवाखारा जिनको भारत सरकार ने 10-11-89 को स्वीकृत कर चुकी है व राज्य सरकार द्वारा पी. पी. सी. की साठवीं बैठक में 17-1-90 को स्वीकृति दे दी गई है। तकनीकी स्वीकृति न मिलने से इन दोनों योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन दोनों योजनाओं से 21 गांव लाभान्वित होंगे परन्तु बड़ें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिलने के पश्चात् भी गत सात माह से इन योजनाओं पर निर्माण कार्य मात्र तकनीकी स्वीकृति के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ।

अतः मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन तुरन्त हो ताकि आने वाली गर्मी तक इन पर कार्य पूर्ण हो सके।

इसके अलावा घंटेल-सोमासी-व सहनाली भोलीसर जलप्रदाय योजना जिनसे 15 गांवों को लाभान्वित करने की योजना है अधीक्षण अभियंता चूरू ने अपने पत्र क्रमांक 6027 दिनांक 8-12-89 को मुख्य अभियंता जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रेषित कर दी है। मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री से यह मांग करता हूं कि इन योजनाओं को शीघ्र ही स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास भिजवाने का कष्ट करें ताकि स्वीकृति प्रदान होने पर इन योजनाओं पर कार्य किया जा सके।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अलावा, सभापति महोदय, चूरू तहसील के दूरदराज के गांवों में भारत सरकार ने खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है उनमें से कुछ गांवों में इस तरह के संयंत्र भी स्थापित किये हैं. किन्तु खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के बाद जो ब्राइन वाटर बचता है उसके डिस्पोजल की व्यवस्था न होने से यह संयंत्र जिन पर लाखों रुपये सरकार के लगे हैं, बन्द पड़े हैं। अतः मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि ब्राइन वाटर के डिस्पोजल की व्यवस्था कर इन संयंत्रों को तुरन्त चालू किया जाय।

मिनी मिशन योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील के 7 गांवों को शामिल किया गया है जबकि इस योजना में 16 गांवों को शामिल किया जाना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि शेष रहे 9 गांवों को भी मिनी मिशन में शामिल किया जाये व इन गांवों को भी तुरन्त पेयजल उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाये।

सभापति महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र में राज्य सरकार ने यह कहा था कि टी. एस. एस. योजना जिन गांवों में लागू है उन गांवों के कुओं को शीघ्र ही जलदाय विभाग अधिग्रहण कर लेगा। इन गांवों में कुओं व पम्प मोटर के पूर्ण रखरखाव के अभाव में ग्रामवासियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि सरकार अपनी घोषित नीति के अन्तर्गत टी. एस. एस. के कुओं को शीघ्र ही जलदाय विभाग में अधिग्रहित करने के आदेश प्रसारित करें।

सभापति महोदय, चूरू तहसील के 8 गांवों को गन्देली साहवा योजना से लाभान्वित बताया गया है जबकि इन गांवों में एक बार भी गन्देली साहवा का पानी नहीं पहुंचा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस वास्तविकता की जांच करवाने की व्यवस्था करें, तथा देखें कि वास्तव में पेयजल उपलब्ध न होते हुए भी झूठे आंकड़े क्यों प्रस्तुत किये गये व शीघ्र ही इन गांवों को गन्देली साहवा का पानी उपलब्ध करवाया जाय।

अतः मैं माननीय जलदाय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि चूरू तहसील में स्वीकृत जल प्रदाय योजनों पर कार्य शुरू करवायें, प्रस्तावित योजना को शीघ्र स्वीकृत करवायें व गन्देली साहवा योजना से जिन गांवों को जोड़ा गया है वहां वास्तविक रुप से गांव वासियों को पेयजल उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करवायें।

श्री सभापति : श्री ईश्वरलाल सैनी।

राष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाली बसों में टैक्सों बढ़ोतरी

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने हाल ही में दिनांक 27-6-90 को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही कान्ट्रेक्ट केरिज बसों पर टैक्सों में बढोतरी की है। इन वाहनों पर

(९२)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

दिनांक 27-6-90 से पूर्व टैक्स कम होने के कारण राज्य सरकार के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आर. एस. आर. टी. सी. को नुकसान अधिक होने से गुजर रहा था। कारण कि यह उक्त प्रकार की कांट्रेक्ट कैरिज व बसें हर रोज मुख्यतः राष्ट्रीयकृत लम्बे-लम्बे मार्गों पर रोडवेज की बसों के आगे आगे चल कर सवारियों को उठाने लग गये थे। राज्य सरकार का दिनांक 27-6-90 से टैक्स वृद्धि का कदम सराहनीय रहा है।

लेकिन गत दिनों से राजस्थान कान्ट्रेक्ट कैरिज बस ऐसोसियेशन द्वारा इस टैक्स वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन व धरना आदि की कार्यवाही की जा रही है। इन्होंने अपने वाहनों का चक्का जाम कर झालाना डूंगरी स्थित कार्यालय पर अपनी बसें आदि भी टैक्स कम कराने के लिए खड़े कर दिये हैं। यह भी मालूम हुआ है कि ऐसोसियेशन के पदाधिकारी ऐन-केन-प्रकारेण राज्य सरकार पर दबाब डाल कर टैक्स कम कराने में लगे हुये हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह लोग अपनी मांग मंगवाने में सफल हो जावेंगे, जिससे गत दिनों टैक्स वृद्धि के फलस्वरुप जो दिनांक 27-6-90 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर. एस. आर. टी. सी.) को जो प्रतिदिन लाभ होना प्रारम्भ हुआ वह समाप्त हो जावेगा चूंकि इन दिनों राष्ट्रीयकृत मार्गो पर रोडवेज बसों के आगे टैक्स वृद्धि से पड़ता न खाकर वाहनों का चलाना बन्द है और राजस्थान की रोडवेज की बसें सुचारु रुप नहीं चल रही है बल्कि सवारियों की वृद्धि को मध्यनजर होते देख अतिरिक्त बस लगा कर पूर्ति की जा रही है।

इस तरह के आन्दोलन व धरना टैक्स वृद्धि कम कराने में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर. एस. आर. टी. सी) के हित में नहीं बल्कि राज्य सरकार के भी हित में नहीं है।

बारां में नृसिंह भगवान के मन्दिर की भूमि पर कब्जे

श्री सभापति : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : सभापति महोदय, माफी मन्दिर श्री नरसिंह भगवान मूर्ति कस्बा बांरा में खसरा नम्बर 398 रकबा 3.05 हैक्टेयर ग्राम सुन्दलक तहसील बांरा में खसरा नम्बर 890 रकबा 3.44 हैक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवा कर वापिस मन्दिर के नाम दर्ज करवाने बाबत मैं 295 के प्रस्ताव के तहत निवेदन करना चाहता हूं। कस्बा बांरा में माफी मन्दिर मूर्ति श्री नरसिंह भगवान बांरा की आराजी मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी सं. 2015 से 2024 से नम्बर 329 रकबा 18 बीघा 18 बिसवा ग्राम सुन्दलक में खसरा नम्बर 768 रकबा 21 बिसवा अंकित है।

उपरोक्त आराजी नकल जमाबंदी 2058 से 2057 नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार मोहन लाल पुत्र रघुनाथ माली बांरा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। यह जमीन दिनांक 17.7.89 को मोहन लाल माली के द्वारा वास्तविकता छुपा कर बांरा के गणमान्य, धनाढ्य को बेचान कर दी बताई।

(श्री हेमराज मीणा)

ग्राम सुन्दलक की खसरा नम्बर 890 रकबा 3 44 हैक्टेयर सं. 2038 से 2057 की जमाबंदी के अनुसार मूर्ति नरसिंह भगवान के नाम अंकित है जिस पर अवैध रुप से चंदालाल, प्रभुलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी सुन्दलक तहसील बांरा बिना किसी अधिकार के अपना कब्जा बता रहे हैं। देवस्थान मंत्री राजस्थान ने भी 2-9-89 को इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय कोटा को मन्दिर की भूमि से अवैध कब्जा हटा कर वापस मन्दिर को संभलाया जाने का आदेश दिया था। जिलाधीश महोदय ने उप जिलाधीश महोदय, बांरा के नाम आदेश किया। उप जिलाधीश बांरा ने तहसीलदार बांरा के नाम आदेश किया।

पहले यह मन्दिर कच्चा था यह नरसिंह भगवान की मूर्ति पास के स्थित अनन्त भगवान (प्यारेरामजी) के मन्दिर में रखवाई थी जो उनके रिकार्ड में अंकित है। मन्दिर का काम बीच में बन्द हो गया था समिति के द्वारा अब मन्दिर का काम पुनः करवाया जा रहा है और मूर्ति को सही ढंग से पूजा करवाने के लिए वापस पधराने का विचार है।

समिति ने मोहन लाल माली बांरा से जमीन का कब्जा छोड़ने के लिये कई बार कहा परन्तु वह कहने पर झगड़ा करने पर आमादा होता है इस कारण जनता में भयंकर आक्रोश है। राज्य सरकार उक्त मन्दिर की भूमि को कब तक मुक्त करायेगी। देवस्थान मंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी कब तक? क्या मन्दिर की भूमि को बेचने का अधिकार है? यदि नहीं तो जिस अधिकारी ने रजिस्ट्री की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी। भक्त-जनों के मन में बेहद खिन्नता है वह जो भी पैसा, जमीन भगवान को समर्पित करते हैं वह उन्हीं के लिए होना चाहिए इस प्रकार के दुरुपयोग से जनता में भयंकर असन्तोष है।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल मीणा।

दौसा को जिला बनाने के सम्बन्ध में

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत दौसा को जिला बनाने के सम्बन्ध में निवेदन है। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर जिले में दौसा उप खंड को जिला बनाने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। सन् 1979 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार के समय में दौसा को जिला बनाने का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया था, परन्तु कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उक्त निर्णय की क्रियान्विति नहीं हो सकी थी।

सन् 1980 के बाद दौसा को जिला बनाने के लिये राजस्व मण्डल की कमेटी गठित की जिसमें राज्य में नये जिले बनाने की सिफारिश उक्त कमेटी ने की। जनवरी, 1990 में भी सरकार द्वारा दौसा, राजसंमद को जिला बनाने का निर्णय मंत्रिमण्डल

(श्री परसादीलाल मीणा)

द्वारा लिया गया, परन्तु विपक्ष द्वारा इस मामले को लेकर हंगामा किया गया एवं नकट भविष्य में होने वाले चुनावों पर असर होने का मामला उठाये जाने के कारण सरकार द्वारा उक्त जिला बनाने के निर्णय को लागू नहीं किया गया। तत्कालीन विपक्ष के नेता एवं वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने दौसा करौली एवं बांरा की चुनाव सभाओं में जनता से वायदा किया गया था कि यदि चुनावों के बाद मेरी पार्टी की सरकार बनी तो मैं मुख्य मंत्री के रुप में सबसे पहले राज्य में जिले बनाने के मेरे पुराने निर्णय को लागू करूंगा जो 1979 में तत्कालीन मुख्य मंत्री के रुप में लिया था। परन्तु मार्च में मुख्य मंत्री बनने के बाद से अब तक सारे राज्य की जनता नयें जिले बनाने के निर्णय की तरफ देख रही है कि किस दिन दौसा, बांरा एवं राजसमंद करौली को नया जिला बनाया जायेगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जयपुर जिले में जिलाधीश का अधिकांश समय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ नहीं देकर जयपुर शहर की कानून व्यवस्था में ही लग जाता है। जिसके कारण ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने के कारण जनता बहुत लम्बे समय से दौसा को जिला बनाने की मांग करती आ रही है।

आशा है कि सरकार दौसा एवं अन्य जिले बनाने का निर्णय शीघ्र करेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, अभी एक स्थगन प्रस्ताव सरकार की तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य महानुभा ने दिया था जोधपुर ट्रक एसोसियशन की तरफ से 27-6-90 को जो वहां गोली काण्ड हुआ था उसके सम्बन्ध में। मेरा निवेदन यह है कि इस हादसे में घायल घेवर रामड्राइवर की हालत बड़ी चिन्ताजनक हैं, अस्पताल में वह भर्ती है। उसको क्या सहायता दी जा रही है, उसकी परेशानी कितनी विकट है। इस विषय पर यदि सदन में आज ही चर्चा होती तो बहुत ही उत्तम बात होती।

श्री सभापति : इसके बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है और राज्य सरकार से जवाब मांगने के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जो हादसा 27/6 को हुआ उसके बारे में पहले भी सदन में चर्चा हुई थी उस दिन भी यही कहा गया था कि हम सरकार से इसकी जानकारी चाह रहे हैं। बार बार यह कह कर इस विषय को टाल देना कि हम सरकार से जानकारी चाह रहे हैं, सरकार से जानकारी चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, सरकार में बैठे हुए लोगों का यह एक बहाना बन गया कि किसी भी लोकमहत्व के प्रश्न को जब हम पूछते हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें व्यवस्था नहीं दी गई, स्पष्टीकरण कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो वह इस बात को खड़ा कर देते हैं कि आप आसन की व्यवस्था को चैलेन्ज कर रहे हैं क्या। सवाल आसन की व्यवस्था को चैलेन्ज करने का नहीं है। हम आसन की व्यवस्था को शिरोधार्य करते हैं लेकिन जब एक ड्राइवर मौत से जूझ रहा है उसके बारे में सरकार कम से कम निर्देश तो फरमाये कि उस आदमी की कोई मदद की जाय। हर मामले में इस बात को कह देना कि आसन को आप चैलेन्ज कर रहे हैं, यह मामला इस तरह से आसन को चैलेन्ज करने का नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था दी है आसन ने। हमने सुनी है आपने सुनी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन की व्यवस्था सर माथे पर लेकिन....(व्यवधान)

यह क्या शोभनीय बात है, माननीय गृहमन्त्री जी यहां बैठे हैं। कम से कम इस बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। उसको क्या इमदाद दी जा रही है, माननीय गृहमन्त्री जी यहां मौजूद हैं कम से कम ऐसे निर्देश तो दें।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : घेवर राम ड्राइवर को इस विषय में कुछ राहत दी जा सके।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय गृह-मन्त्री जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें व्यवस्था यह दी है माननीय सभापति जी, कि सरकार की तरफ से जवाब आयेगा।

श्री परसराम मदेरणा : Are you running away from the House? Mr. Home Minister, why are you on the heels?

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारी प्रार्थना यह है कि इस मामले में जो गम्भीर स्थिति दुबारा पैदा हो गई है, ऐसा पहले नहीं था कि कोई आदमी मरणासन्न है। अब स्थिति यह आ गई कि उसमें एक व्यक्ति मरणासन्न है उस बारे में नई स्थिति पैदा हुई है। हमारी प्रार्थना यह है कि उस मामले में सरकार, क्योंकि यह मामला दस-पन्द्रह दिन पुराना है, इस सिलसिले में सरकार के पास सारी सूचनाएं हैं। सभापति महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी प्रार्थना को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचायें, यह सूचना आज ही के दिन आ जाय और आज शाम तक इसके बारे में होम मिनिस्टर स्टेटमेण्ट दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, तीन सप्ताह पहले गोली चलाई है और सरकार तीन सप्ताह में स्टेटमेण्ट देने की पोजीशन में नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका कहना बिल्कुल ठीक है पर अध्यक्ष महोदय ने यह कह दिया है कि अविलम्ब जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अनिश्चितता की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

को डेफिनेटली कमिट करना चाहिए........ (व्यवधान)

When is the Government going to make the statement on the floor of the House ?

श्री सभापति : अविलम्ब जानकारी के लिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अविलम्ब का क्या मतलब होता है। बीस दिन होने के बाद भी अविलम्ब नहीं हुआ। आज शाम तक करा दें, कल तक करा दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ट्रक ओनर्स की रोजी-रोटी का मामला है। 1400 ट्रक ओनर्स को वहां पर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। वहां के व्यापारी वर्ग बाहर से ट्रक मंगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में।

श्री सभापति : वह बिल्कुल ठीक है आपका कहना ...

श्री राजेन्द्र पारीक: 1400 ट्रक ओनर्स के साथ कितना परिवार जुड़ा हुआ है, ट्रक ओनर्स हैं, खलासी हैं, ड्राइवर हैं, कितना लम्बा-चौड़ा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : Chair should issue directions to Government to make a statement by tomorrow positively.

श्री राजेन्द्र पारीक : 27/6 को जो गोलीकाण्ड हुआ था उसका आज इतने दिनों बाद भी सरकार से जवाब नहीं आ रहा है। इससे साफ लगता है कि सरकार ऐसे मामलों में कान में तेल डालकर सो रही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इस मामले में स्पष्ट रूप से सरकार का प्रश्रय है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार की मन्शा यही है कि ट्रक ओनर्स को वहां पर क्रश किया जाय और व्यापारियों की मिलीभगत है पुलिस की और उनकी....

श्री हेतराम बेनीवाल : कुछ अखबारों में इस तरह का समाचार आया है कि इसमें विशेष तौर से एक आदमी मुख्य मंत्री के.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध यह है, मैं विनम्र निवेदन करूंगा यह बड़े अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार को स्वयं ही इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। बजाय इसके कि सरकार इस पर चर्चा करती। 1400 ट्रक ओनर्स का भविष्य अधरभूत में लटक रहा है। बैंक वाले उनको आकर परेशान कर रहे हैं कि तुम लोग व्यापार नहीं कर रहे हो। तुम लोगों के रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं रहा, तुम कर्जा वापिस कहां से करोगे। इतना बड़ा विषय है, माननीय सभापति महोदय, 1400 ट्रक ओनर्स के भविष्य का सवाल है। इतनी बड़ी सम्पत्ति उसमें रूकी हुई है। माननीय सभापति महोदय, आप इसका थोड़ा सा यह अर्थ लगाइये कि जिस तरह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

से व्यापारियों ने ट्रक ग्रोनर्स का बायकॉट किया है यदि इस बात को तूल देकर वहां के व्यापारी वर्ग से ट्रक ग्रोनर्स ग्रौर इनसे जुड़ा हुग्रा जितना भी समाज है, यदि उन्होंने व्यापारियों का बायकॉट सामान खरीदने में उस तरह से कर दिया, उस दिन क्या स्थिति होगी। इसलिए यह साफ लगता है कि जिस दिन भी यह बायकॉट की स्थिति, जहां व्यापारियों ने ट्रक ग्रोनर्स के खिलाफ बायकॉट की स्थिति पैदा की है, यदि ट्रक ग्रोनर्स से जुड़ा हुग्रा समाज ग्रौर उनके परिवार के जो लोग हैं, यदि उन्होंने बायकॉट व्यापारियों से सामान खरीदने में कर दिया तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़े विवाद का विषय बन जायेगा ग्रौर इस तरह से समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति खड़ी हो जायेगी। माननीय सभापति महोदय, इतना ग्रर्जेण्ट मैटर था इतना इम्पोर्टेण्ट सब्जेक्ट था उस पर सरकार इस तरह से मौन बैठी है, कान में तेल डालकर बैठी हुई है। साफ लगता है, सरकार यह चाहती है कि इस तरह से गोलीकाण्ड होते रहें, लोग मरते रहें। कोई बात होती तो व्यवस्था का प्रश्न उठाते। व्यवस्था हमारे सर माथे पर।

श्री नत्थी सिंह : क्या चाहते हो, जब व्यवस्था हो गई, जानकारी की जा रही है, जल्दी से जल्दी जानकारी ली जा रही है (व्यवधान)

ग्राप किस नियम के तहत बोल रहे हैं? चाहे जैसे बोलने लग जाते हो। यह कोई बात हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जवाब देना पड़ेगा।

श्री नत्थी सिंह : ग्रव्यवस्था फैला रहे हैं, ग्राप।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें समय निर्धारित करना पड़ेगा। दो रोज बाद सही....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : व्यापारियों को भड़काने का काम यही लोग कर रहे हैं, जनता में यदि झगड़े की जड़ है तो यह माननीय विपक्ष के सदस्य हैं। जनता में जाकर व्यापारियों को कुछ कहते हैं ग्रौर ट्रक ग्रॉपरेटर्स को कुछ कहते हैं .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है इसको सलट लिया जाय। (व्यवधान)

सदन का समय बर्बाद मत करिये ग्राप। ग्रासन की गरिमा को बनाये रखिये। (व्यवधान)

ग्रासन पैरों पर है।

श्री सभापति : स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए ग्रध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी है कि ग्रविलम्ब जानकारी प्राप्त करके इस पर चर्चा का ग्रापको समय दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : समय बताइये ग्राप। कल दिलवाइये ग्राप।

श्री सभापति : ग्रविलम्ब जानकारी का मतलब, जल्दी से जल्दी होगा........ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता का तो मैं सम्मान करता हूं और कल इस मामले में सरकार की तरफ से स्टेटमेण्ट दिया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्दजी गुर्जर।

भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट :

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को न्यायिक सेवा में अधिकतम आयु सीमा में छूट व भूमि आवंटन, आवास, राज्य सेवा में नौकरी या उनके बच्चों को शिक्षा में छात्र-वृत्ति आदि की सुविधाएं न मिलने के क्रम में नियम 295 के तहत है।

मान्यवर महोदय, निवेदन है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में छूट की सुविधा नहीं दी जा रही है जबकि भूतपूर्व सैनिक राजस्थान लोक सेवा आयोग की न्यायिक परीक्षा में बैठे थे तथा उनमें कई परीक्षार्थी लिखित पेपर में उत्तीर्ण हो गये परन्तु उत्तीर्ण होने के बाद भी यह कहकर उक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता रिक्त कर दी कि उनकी अधिक आयु हो गई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955 का हवाला देते हुए न्यायिक सेवा परीक्षा में केवल रिजर्विस्ट को ही आयु में छूट का लाभ दिया जाता है।

जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आयु में छूट हेतु भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार अन्य सेवाओं में भी भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट प्रदान की गई है।

सन् 1959 में सरकार के द्वारा एक ही अधिसूचना के द्वारा न्यायिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भारतीय रक्षा सेनाओं के रिजर्विस्टों को आयु में छूट प्रदान की गई थी तथा सन् 1974 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रिजर्विस्टों के साथ भूतपूर्व सैनिक शब्द और जोड़ दिया गया जबकि राजस्थान न्यायिक सेवा में यह शब्द नहीं जोड़ा गया।

उक्त सभी अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि सरकार सदैव भारतीय रक्षा सेनाओं से रिटायर सैनिकों के कल्याण तथा उन्हें पुनः रोजगार स्थापना हेतु समुचित कदम उठाती रही है, परन्तु उक्त वर्णित पहलू में एक तकनीकी समस्या निहित है जिससे लगता है कि सरकार के समक्ष उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मैं मांग करता हूं कि सन् 1977 के युद्ध के पूर्व भारतीय रक्षा सेनाओं से रिटायर भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व उत्तरदायित्व की अवधि अधिक होती थी। परन्तु 1971 के बाद रिजर्व उत्तरदायित्व अवधि में बहुत कमी कर दी गई परिणाम स्वरूप राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक शब्द और जोड़ दिया गया

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

अगर इसी प्रकार का संशोधन करके राजस्थान न्यायिक सेवा में भी भूतपूर्व सैनिक शब्द जोड़ कर आयु में छूट दी जाती है तो अनेक विधि स्नातक भूतपूर्व सैनिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं तथा भूतपूर्व सैनिक महादेव प्रसाद राव पुत्र भगवान राम रावत, गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर व बनवारी लाल यादव को भी उक्त लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा आज भी भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में विभागों द्वारा कोताही बरती जा रही है उन्हें भूमि आवंटन की सुविधा भी नहीं मिल रही है तथा भूतपूर्व सैनिकों के आवंटन के बावजूद भी उनको कब्जा नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार बड़े शहरों में आवास हेतु-भूखण्ड में प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाभ नहीं मिलते हैं तथा राज्य सेवाओं में भी इनके अनुपात के आधार पर इनको पूरी सुविधा नहीं मिल रही है।

अतः यह अति लोक महत्व का सवाल है कि हमारे रक्षा पर काम करने वाले भूतपूर्व सैनिक हैं वह उनको मिलने वाले लाभों से वंचित रहते हैं इसके तहत राजस्थान के सभी भूतपूर्व सैनिकों में भयंकर असन्तोष है। अतः मैं माननीय सैनिक कल्याण मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रति तुरन्त ध्यान दें और उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें वे पूरी छूट दें और न्यायिक सेवा परीक्षा में भी अधिकतम आयु सीमा में उनको छूट प्रदान की जावे यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण जी वर्मा।

तहसील:नैनवां ग्राम दुगारी में मजदूरों को भुगतान

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं हरिजन मोहल्ला दुगारी में कुआ निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य पर अभी तक भी भुगतान नहीं होने से गरीब लोगों को, उसके बारे में मैं 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा।

नैनवां विधान सभा क्षेत्र के गांव दुगारी में हरिजनों को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से हरिजन मोहल्ले के कुएं को गहरा कराने का कार्य दिनांक 16-4-1988 से 31-5-1988 तक कराया गया था। उक्त कुएं में कार्य करने वाले हरिजनों एवं अनुसूचित जाति के अन्य मजदूरों को तथा अन्य लोगों को अभी तक भी 6525/– रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

जबकि कुएं के कार्य का मूल्यांकन भी पंचायत समिति नैनवां के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है। मजदूर अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति होने से भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों द्वारा पंचायत समिति नैनवां, उप जिलाधीश नैनवां, जिलाधीश बून्दी सहित राज्य सरकार को भी प्रार्थना पत्र दिये गये हैं, किन्तु अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। मजदूरी भुगतान में देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

(श्री रामनारायण वर्मा)

करके वर्तमान सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को हतोत्साहित करने का विचार रखती है। कार्य में प्रयुक्त की गई मस्टर-रोलों के नम्बर सम्भवतः 5285, रुपये 2175.00 मस्टर-रोल संख्या 2030 रुपये 2030, मस्टर-रोल संख्या 6688, रुपये 2320.00 की है। मस्टर-रोलों के सही नम्बर ग्रामवासियों को भी नहीं बताये गये हैं।

पूर्व में किये गये उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं होने से इस वर्ष भी गर्मी के दिनों में कुएं को और गहरा कराने का कार्य नहीं करवाया जा सका है। जिससे हरिजनों को पीने का पानी भी उचित ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाया जाकर निवेदन है कि कुए में कार्य कर चुके मजदूरों का पूरा भुगतान जिलाधीश बून्दी के कार्यालय से ही किसी सक्षम अधिकारी के जरिये अविलम्ब करवाया जाना आवश्यक है। ताकि उनके भुगतान में किसी तरह की कोई अनावश्यक देरी नहीं हो। इसी प्रकार से अब तक भुगतान नहीं होने के कारणों के लिए दोषी कर्मचारी को दण्डित करने हेतु कार्यवाही की जाना भी न्यायोचित है और मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार अविलम्ब ही कार्यवाही करेगी इसी आशा के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल जी आर्य।

तहसील पीपल्दा में भू-प्रबन्ध कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : महोदय, कोटा जिले की पीपल्दा तहसील में गत पिछले वर्षों में भू-प्रबन्ध का कार्य सम्पन्न किया गया था। उक्त कार्य सम्पन्न किये जाने में बरती गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की वजह से किसानों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। उक्त कार्य सम्पन्न करने में अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इतने गलत एवं अनियमित कार्य किये हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान को तोड़ दिया है जिससे हजारों किसान परेशान होकर रिकार्ड दुरुस्त कराने हेतु ऊपर के न्यायालयों तथा उनसे प्रभावित थाना, तहसील के चक्कर काट रहे हैं तथा आये दिन झगड़ा होने से कानून एवं व्यवस्था भी भंग हुई है।

उक्त अनियमित एवं भ्रष्ट कार्यों में विशेष तौर से रकबा कम ज्यादा करना, जमीन की किस्म बदलना, खातेदारों के नाम बदलना, नाम कम कर देना आदि प्रमुख हैं।

पीपल्दा तहसील में जितना कृषि योग्य क्षेत्र है। उसका केवल आधा क्षेत्र ही कृषि योग्य है तथा उसमें भी केवल आधे क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। बारानी भूमि की किस्म तथा नहरी भूमि की किस्म, नहरी प्रथम एवं नहरी द्वितीय कायम करने में भी अनियमितता बरती है जिन क्षेत्रों में सिंचाई ही नहीं होती उन्हें भी सिंचित दर्ज किया हुआ है। केवल इसीलिए की कि वह क्षेत्र

(श्री हीरालाल आर्य)

चंबल सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। भले ही उस क्षेत्र में नहरें नहीं हैं तथा सिंचाई नहीं होती है इसी प्रकार नहरी टेल पर होने से सिंचाई बड़ी मुश्किल से होती है लेकिन फिर भी ऐसे क्षेत्र को नहरी प्रथम दर्ज किया हुआ है। रकबा कम करने, नम्बर बदलने, खातेदारों के नाम बदलना, आदि के तो हजारों मामले हैं।

जमीन की किस्म बदलने तथा जमीन के नहरी दर्ज करने एवं नहरी प्रथम दर्ज करने आदि से लगान की दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जिन जमीनों का लगान 1.50 रुपये तथा 2.50 रुपये प्रति बीघा के भाव से लगता था वह बढ़कर 8/- से 10/- रुपये प्रति बीघा हो गया है तथा लगान बढ़ने से जो सरचार्ज 250/– लगान देने वाले पर लगता था वह हर व्यक्ति पर लगने लग गया है। जिससे किसानों में भारी रोष तथा असंतोष व्याप्त है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि:—

1. पीपल्दा तहसील में हुए भू-प्रबन्ध कार्य से उत्पन्न अनियमितताओं को कैम्प आयोजित कर दूर किया जाय।

2. जिन खेतों में सिंचाई होती है केवल उन्हें ही सिंचित दर्ज किया जाये।

3. जमीन किस्म नहरी प्रथम एवं नहरी द्वितीय दर्ज की है उसे दुरूस्त किया जाये।

4. बारानी तथा सिंचित क्षेत्र में लगान की दरों में जो भारी बढ़ोतरी की गई है। उसे कम किया जाये।

5. सरचार्ज जो अब तक 250/– लगान लगने वाले किसान पर ही लगता है। उसकी सीमा 250/– रुपये से बढ़ाकर 500/– रुपये की जाये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : डॉ. रतन लाल।

वृक्षारोपण की उपादेयता

डॉ. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : माननीय सभापति जी, राज्य में बढ़ती आबादी को देखते हुए श्रमिक प्रधान कार्यों को अति प्राथमिकता से चलाया जाना चाहिये जिससे बेरोजगारी कम होने के साथ-साथ खेतीहर मजदूरों की आंशिक बेरोजगारी भी दूर हो।

राज्य में वनों के निरन्तर अपभ्रंश व उन पर दवाव को कम करके पर्यावरण संतुलन बनाये रखने व मानसून को आकर्षित करने हेतु अरावली क्षेत्र की पर्वत शृंखला व राज्य के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों को हरा-भरा करने हेतु विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, यही नहीं वर्षा ऋतु में होने वाले भूमि कटाव को रोकने तथा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने एवं पहाड़ी क्षेत्रों के समीप के नालों व नदियों में आने वाली बाढ़ और उससे होने वाली जन व धन की हानि रोकने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में होना आवश्यक है।

उक्त सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पर्यावरण संगठनों कृषि विभाग तथा भू-संरक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञों व भू-जल वैज्ञानिकों की राय जानने के बाद भूमिगत

(डा० रतनलाल जाट)

जल स्तर बढ़ाने व पहाड़ी क्षेत्रों पर उपलब्ध वन सम्पदा को पुनर्जीवित करने हेतु कन्टूर ट्रैन्चैज के स्थान पर नाम बदल कर निश्चित नाप की बाक्स ट्रैन्चैज पद्धति को प्रारम्भ किया गया। परिणाम स्वरूप वन विभाग में उपलब्ध राशि का उपयोग भी हुआ व अकाल राहत के तहत श्रमिकों को रोजगार भी मुहैया हुआ।

वन सचिव द्वारा राज्यादेश के जरिये अकारण मुख्य वन संरक्षकों की गलत राय का शिकार होकर बाक्स 6 ट्रेन्चैज पद्धति को बन्द किया गया। पूर्व मंत्री श्री गुर्जर को जब इस षडयन्त्र का आभास हुआ तो अपने आदेश के जरिये आदेश क्रमांक 47 (47) वन। 89 दिनांक 11-8-89 को निरस्त करने हेतु वन सचिव को 2-11-89 को आदेश भेज दिये। यही नहीं उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के प्रमुख होने के नाते तकनीकी व प्रशासनिक दृष्टि से उन पर हस्तक्षेप रहित नियन्त्रण रहे। परन्तु वन सचिव द्वारा दिये गये आदेशों की पालना हेतु पूर्व मंत्री श्री माधोसिंह दीवान द्वारा भी वन सचिव को लिखा गया। यही नहीं आदेशों की पालना नहीं करने का स्पष्टीकरण भी मांगा किन्तु मुख्य सचिव के संरक्षण प्राप्त वन सचिव ने आज दिन तक आदेशों की पालना नहीं की। लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रशासनिक तन्त्र की निरंकुशता अनुशासन हीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये।

एक ओर इस पद्धति से वृक्षारोपण की उपादेयता व आवश्यकता को राज्य में सभी वन संरक्षकों ने जारी रखने हेतु सचिव को लिखा। वहीं भारत सरकार ने अप्रेल, 1989 को इस पद्धति से वन विकास कार्यों को सभी राज्यों में प्रारम्भ करने हेतु लिखा। यह नहीं वर्तमान में केन्द्र में मंत्री बने प्रो. एम. जी. के. मेनन ने भी हरमाड़ा में इस पद्धति से किये जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए इस प्रणाली को उपयोगी बताया है।

इस पद्धति को निर्बाध गति से चलाने हेतु पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्री हरी मोहन शर्मा ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखा। वन विकास के लिए हवाई छिड़काव द्वारा बीजारोपण किया जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। अगर इस अगर इस पद्धति को कार्य में नहीं लिया गया तो सारा बीज वर्षा के पानी के साथ वह जायेगा अन्यथा बाबत ट्रेन्चेज में बीज रहने से निश्चित रूप से उनका पहाड़ों पर अंकुरण संभव था।

बूंद बूंद पानी के उपयोग व भूमिगत जल स्तर को बढ़ने तथा वन क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों की वन विकास में भागीदारी व पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर आने वाले पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण व भूमि कटाव को रोकने में अनूठे कार्यक्रम को वन सचिव की हठधर्मिता से पुनः प्रारम्भ किये जाने के इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल चर्चा करने का अनुरोध करता हूं। साथ ही सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति द्वारा इस पद्धति से हुए कार्यों के अवलोकन की भी मांग करता हूं।

श्री सभापति : श्री राम प्रताप कासनिया।

पीलीबंगा में इन्दिरा गांधी नहर की शाखाओं के निर्माण में घोटाला

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया संचालन नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में इन्दिरा गांधी नहर में से जितनी भी शाखायें निकली हैं उनमें 80 प्रतिशत नहरों के निर्माण कार्य में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। एस. ई व एक्स. ई. एन. व ए. ई. एन. वगैरा ने ठेकेदारों से मिलीभगत करके निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। और शिकायत करने पर अधिकारियों की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि ठेकेदारों की गलती से यह निर्माण कार्य गलत हो गया है जबकि पूरे काम की देख रेख का जिम्मा एस. ई. एक्स. ईएन. व ए. ईएन. वगैरह का होता है उस टाइम यह सारा कार्य इनकी देख-रेख में हुआ था। इस जिम्मेदारी से उस वक्त के एस. ई. व एक्स. ईएन. व ए. ईएन. वगैरह जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते।

निर्माण कार्य में आधी ईंटें तो दो नम्बर की लगाई व जहां पर एक थैला सीमेंट लगनी थी वहां पर आधा थैला सीमेंट लगाई है। जिसके कारण आज नहरें जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं। नहर बने हुए कहीं पर 6- 7 वर्ष हुए हैं और कहीं पर तीन चार वर्ष हुए हैं इतने में ही नहर पक्की बनने के तुरन्त बाद जगह-जगह से टूट गई। मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन नहरों की जांच किसी ईमानदार अधिकारी से करवाई जाये। इस जांच के लिए मैं खुद मौके पर जाकर बता सकता हूं कि नहर कागजों में तो पक्की है पर कई जगह जगह नहर पक्की बनी हुई नहीं है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जब नहर पक्की बनाई गई थी तो उससे पहले इन्जीनियरों ने एस्टीमेट बनाया था उसके हिसाब से पैसे मन्जूर हुए थे। अगर एस्टीमेंट के हिसाब से नहर का निर्माण कार्य करते और प्लास्टर वगैरह सही तरीके से होता और ईंटें एक नम्बर लगती तो नहर तीसों वर्षे तक टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परन्तु मेरी विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी शाखायें पक्की बनी हुई हैं वह सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। निर्माण करते वक्त सही मैटीरियल का यूज नहीं करने के कारण सारी नहरें बनने के तुरन्त बाद टूट गई मेरा मंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि इस प्रकार की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से शीघ्र अति शीघ्र कराने का श्रम करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। जय भारत।

श्री सभापति : श्री सांवरलाल जाट (अनुपस्थित)

श्री दिलसुख राय (अनुपस्थित)

श्री कालीचरण सराफ।

राजस्थान प्रीमिसेज (कन्ट्रोल ऑफरेन्ट एन्ड इविक्शन) एक्ट, 1950 में सार्वजनिक संस्थाओं में धारा (2) से मुक्ति ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश में अनेक निजी एवं सार्वजनिक ट्रस्ट धर्मशालाओं, मन्दिरों, स्कूलों एवं चिकित्सालयों की अचल सम्पत्तियां जो किराये पर दी हुई हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं ।

प्रदेश में विभिन्न ट्रस्टों की अचल सम्पतियां दुकानें एवं अन्य भवन आदि अत्यन्त अल्प किराये पर दिये हुए हैं । परन्तु रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार 1-1-62 से पूर्व के किराया बढ़ाने की (भवनों का डेढ़ गुना व दुकानों का ढाई गुना) की अनुमति दी गई है । उदाहरणार्थ यदि एक मकान पूर्व में 5.00 रुपये प्रति माह है तो मकान का किराया वर्तमान में 75.0 रुपये प्रति माह भी किया जा सकता है और यदि दुकान 5.00 रुपये प्रति माह में है तो किराया 12.50 रुपये ही बढ़ाया जा सकता है । जबकि यदि वर्तमान में वास्तविक किराया 500 रुपये से 1000 रुपये तक होता है ।

इन अचल सम्पत्तियों का निर्माण विभिन्न ट्रस्ट अपनी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से करवाते हैं । इस प्रकार प्रत्याशियों द्वारा अचल सम्पत्तियों पर भारी व्यय का मूल उद्देश्य ही असफल हो गया है । और जनसाधारण को इससे जो लाभ मिल पा रहा है । इतना ही नहीं इस एक्ट के अन्तर्गत आने के कारण यदि इन संस्थाओं द्वारा जिस उद्देश्य से इनका निर्माण कराया हैं उनका प्रसार विकास कराने के लिए खाली कराना भी आवश्यक हो तो वह भी असंभव है । अनावश्यक मुकदमें बाजी में न्यायालयों में वर्षों लग जाते हैं जिससे इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

देश धर्म निरपेक्ष है । राज्य सरकार ने प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की ऐसी अचल सम्पत्तियां जो वक्फ एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है उन्हें रेंट कन्ट्रोल एक्ट 1950 से मुक्त कर रखा है । अतः कोई कारण नहीं कि हिन्दू, सिख, जैन मन्दिर, धर्मशालाएं स्कूल, चिकित्सालय जो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड हैं जो कि उसी प्रकार से जनहित में कार्य कर रही हैं को रेंट कन्ट्रोल एक्ट से मुक्ति नहीं दी जा सके । इतना ही नहीं राज्य सरकार ने हिन्दू मन्दिर, शैक्षणिक संस्थान, धमार्थ संस्थानों में से भी कुछ संस्थाओं को रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से मुक्त किया हुआ है । जैसे नाथद्वारा के मन्दिरों को विज्ञप्ति संख्या एफ 3 (4) 3 एच । (7)70 दिनांक 19-7-76 और मेहता गोविन्द सिंह जी ट्रस्ट, उदयपुर को विज्ञप्ति संख्या एफ (9) (7) क्षेत्र 5-76 दिनांक 27-8-76 एवं श्री कृष्ण अन्य ट्रस्ट जोधपुर को विज्ञप्ति संख्या ए संख्या एफ 8 (15) क्षेत्र । जी. आर. यू. 75 दिनांक 5-3-1977 आदि को मुक्त रखा गया है । परन्तु सभी ट्रस्टों को इस एक्ट से मुक्त नहीं किया गया है जिसके कारण हिन्दू मन्दिर धर्मशालाएं एवं स्कूलों, औषधालयों का भविष्य अंध-

(श्री कालीचरण सराफ)

कारमय होता जा रहा है और कई संस्थाओं के तो बंद होने की नौबत आ गई है....

अतः में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार मुस्लिम सम्प्रदाय की अचल सम्पत्तियां जो वक्फ एक्ट के अन्तर्गत आती हैं, रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट 1950 से मुक्त रखा गया है। उसी प्रकार हिन्दू, जैन, सिख, मंदिरों, गुरूद्वारे, धर्मशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, औषधालयों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों को भी रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट 1950 से मुक्त किया जावे जिससे ये ट्रस्ट जनहित के कार्य करने में सक्षम हो सके। धन्यवाद। इस समय मंत्री जी बैठे हैं। कुछ बोले तो।

श्री रामकिशोर मीणा (देवस्थान मंत्री): इस पर विचार कर रहे हैं, जो आपने बताया है उसके बारे में।

श्री सभापति : कोई आवश्यकता नहीं है श्रीमती रमा पायलट।

बूंदी जिले में सिंचाई साधनों का अभाव

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की दयनीय हालत के बारे में कहना चाहूंगी। जिला बून्दी के हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की बड़ी दयनीय हालत है। किसानों की मांगों को यदि देखा जाये तो सर्वप्रथम स्थान पानी की मांग का है, लेकिन इस मांग की पूर्ति न होने पर बेचारा किसान ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर रहता है।

सरकार की तरफ से कुछ सिंचाई पूर्ति के लिए कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुरू करवाये थे, मगर आज तक भी वह कार्य अधूरे ही पड़े हैं और किसान की आँख लगातार सरकार की ओर लगी है।

अधूरे सिंचाई कार्यों में मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की पंचायत मेन्डी में एक एनीकट का प्रावधान था। उस कार्य का सर्वे भी हो चुका है और तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है और इसी वजह से यह कार्य अधूरा है।

इसी तरह से मेरी दूसरी पंचायत सहपुरिया में सलावडिया एनीकट की योजना का सर्वे कार्य व तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति उसमें भी मिल चुकी है और इसकी फाइल भी वित्तीय स्वीकृति के लिए पड़ी है। इसी वजह से यह कार्य भी वित्तीय स्वीकृति के लिए पड़ी है। इसी से यह कार्य भी अधूरा है।

तीसरा कार्य डावेटा पंचायत में है जो बांध कार्य है वह भी 2-3 साल से अधूरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि वह भी डेड लिस्ट में पहुंच गया है। एक अन्य कार्य जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है वह गुढा बांध है। इस बांध का तीन चौथाई कार्य पूरा हो चुका है और एक चौथाई कार्य शेष बचा है। कार्य शेष रहा सो रहा किन्तु उससे कहीं ज्यादा किसान सुखी तब था जब बांध बिल्कुल नहीं था। तीन

(98)

(श्रीमती रमा पायलट)

चौथाई कार्य होने के बाद जंगलात विभाग वालों ने यह कहकर कि जंगल के पेड़ खराब होंगे व सड़ेंगे, यदि पानी हमेशा यहां भरा रहेगा तो इसलिए इस विभाग ने कोर्ट से स्टे ले लिया व कार्य वहीं का वहीं अधूरा पड़ा है। उससे इसका असर उन किसानों पर भी पड़ा है जिनके निजी कुएं थे क्योंकि बांध की नींव गहरी होने से वहां के पानी का जो प्राकृतिक स्त्रोत था वह बन्द हो गया और कुओं का पानी सूख गया।

अतः किसान इतना दुःखी है कि उनका कहना है कि इस बांध को यहां से हटा लिया जावे ताकि उनके निजी कुओं से जो उनको पानी मिलता था सिंचाई के लिए, वह उनको बराबर मिलता रहे।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त लिखित सिंचाई के अधूरे कार्य जो पड़े हैं उनको तथा अन्य सिंचित रहित अन्य गांवों की सिंचाई साधनों को उपलब्ध कराये ताकि किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतराम जी बेनीवाल।

संगरिया नगरपालिका की सरकारी भूमि पर हरियाणा के लोगों का कब्जा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं 295 के तहत जिस समस्या पर प्रस्ताव रखना चाहता हूं, राजस्थान के विधान सभा में अभी जो पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और सरकारी भूमि के उपयोग जिस तरह से राजनैतिक स्तर के लोग करते हैं जिस प्रकार से अतिक्रमण राजस्थान में हो रहा है, के सिलसिले में सारे माननीय सदस्यों से बात की थी, उसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस अतिक्रमण के कारण क्या हैं? गंगानगर जिले के नगर संगरिया, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का हैड क्वाटर है, भगतपुरा रोड पर नगरपालिका की जमीन है, जिस पर गैर कानूनी कब्जा कुछ असामाजिक तत्वों ने जो पड़ौस के चोटाला गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने स्थानीय संगरिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई और बस स्टैण्ड के पास जो गंगानगर की तरफ सड़क जाती है, नगरपालिका का एक बहुत बड़ा भूखण्ड है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। यह जगह सन् 1973-74 में तत्कालीन प्रशासक ने मामूली सी रकम लेकर श्री हनुमान सिंह विश्नोई नाम के व्यक्ति को अलाट कर दी परन्तु उसके बाद में निर्वाचित बोर्ड आया। निर्वाचित बोर्ड के आने पर मण्डल के सदस्यों ने उसे निरस्त कर दिया और यह कब्जा वापस नगरपालिका ने ले लिया। अब यह भूमि कई वर्षों से खाली पड़ी थी और बाजार के बिल्कुल बीच में है और कॉमर्शियल परपज के लिए स्वीकृत थी। इस पर कब्जा करने की योजना स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तथा जो चोटाला के तथाकथित कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने मिलकर बनाई और उन कुख्यात व्यक्तियों, विशेष तौर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से वहां का जो कुख्यात व्यक्ति है उसका पुत्र जो संगरिया में रहता है, उन्होंने वातावरण इस प्रकार का बना रखा है, उनके पास 10-20 लट्ठ वाले लोग रहते हैं, का सहारा लेकर उन्होंने उस भू-भाग पर कब्ज़ा कर लिया, चार दीवारी बनाई और प्रशासन इसमें पूरी तरह से निष्क्रिय है। सारी भूमि को, हमें यह डर है कि प्लाट काटकर दुकानें बनायेंगे । यह जायदाद लगभग 20 लाख रुपये से ऊपर की है। अब जो नगरपालिका प्रशासन है, वहां जो प्रशासक है और स्थानीय अधिकारी व प्रशासक इसमें कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, जिले के मंत्रियों का उनको आशीर्वाद है, इसलिए किसी अधिकारी पर उनके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री से हम आशा करते हैं कि जल्दी ही प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच करवायेंगे और निर्माण को फौरन बन्द करवायेंगे और भूमि कब्जा वापस नगरपालिका को दिलवायेंगे । स्थानीय अधिकारी व गंगानगर जिले के प्रशासक पर जो राजनैतिक दबाव है, इसका विशेष ध्यान रखा जावे । यह मेरी राज्य सरकार से और स्वायत्त शासन मंत्री से प्रार्थना है कि इसमें फौरन दखल देंगे क्योंकि जमीन पर चार दीवारी बन रही है और उस पर कब्जा पूरा हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन-मंत्री): अपनी बात में वजन डालने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, बिल्कुल नहीं । इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिये जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी, वह मैं करूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपको आपके चेम्बर में नाम बता दूंगा । स्थानीय नेताओं के नाम भी और कांग्रेसी नेताओं के नाम भी । (व्यवधान)

आप रोक दीजिये । उस पर चार दीवारी बन रही है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : खाली रोकूंगा ही नहीं । अगर उस पर किसी का नाजायज कब्जा किया है तो उसको भी हटा देंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं नाम भी बता दूंगा (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): वे कांग्रेस के संगत में चले गये होंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : हां, ये ही तो हुआ है, कांग्रेस की संगत में चले गये हैं, नए नए थे, भारतीय जनता पार्टी भी नई है। (व्यवधान)

पता नहीं वो कांग्रेसी ही बी. जे. पी. के बने हुए हैं, क्या बीमारी है मेरे क्षेत्र में बी जे. पी. है नहीं । कांग्रेसी बी. जे. पी बन गए हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : नेक्स्ट आइटम । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सवाई माधोपुर के सांसद को डाकुओं द्वारा धमकी

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अमृत लाल परमार, श्री हेमराज मीणा, राजेन्द्र गहलोत, श्री श्रीचंद कृपलानी, श्री मदन दिलावर, श्री चुन्नी लाल (खण्डार), श्री मदन लाल सैनी, श्री नवनीत लाल निममा, श्री महावीर प्रसाद, श्री कन्हैया लाल, श्री अर्जुन दास मदान, श्री छगन लाल, श्री नंदकिशोर शर्मा, श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य विधान सभा, डाकुओं द्वारा सवाई माधोपुर के सांसद को जान से मारे की धमकी देने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित सदस्यों के भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री रामनारायण वर्मा, श्री प्रकाश चन्द बैरवा, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री जुबेर खां, श्री राजेन्द्र पारीक, एवं श्री ईश्वर लाल सैनी।

श्री अमृतलाल (वाली) : माननीय सभापति महोदय, अभी चार दिन पहले हम डाक्टर किरोड़ीमल मीणा के साथ सवाईमाधोपुर जिला के करौली क्षेत्र में गये थे। वहां हमने पहले यात्रा की। शुछ दिन पूर्व भगवान सिंह डाकू और रामसिंह डाकू ने डाक्टर किरोड़ीमल मीणा ने जो काम किये उनसे रंजिश रख कर गांव वालों को धमकी दी और डाक्टर किरोड़ीमल मीणा को धमकी दी कि तुमको जान से मार देंगे। उस यात्रा के दौरान पांच विधायक हमारे साथ में थे। हम गये गांव के अन्दर, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन गांवों के अन्दर इतनी भयंकर हालत खराब है कि लोग पानी पिलाने के लिये हमको तैयार नहीं थे। इतनी विडम्बना है, तियालिस साल की आजादी के बाद भी वहां पर भयंकर असन्तोष है, लोग डर के मारे घर के बाहर निकलते नहीं हैं। ज्यों ही हम वहां पहुंचे, लोग चले गये। कोई आदमी हमको मिला, बड़ी मुश्किल से हमने पानी पीया। वहां हालत यह है डाकुओं के डर के कारण। उनको संरक्षण दिया है कांग्रेस के पुराने लोगों ने उनके जो नाम हैं, भरत पुत्र हंसराज जो प्रधान है इसी प्रकार एक प्रधान और है, उन दोनों का संरक्षण मिला हुआ है उनको। के. सी. शर्मा, भूतपूर्व एस. पी., एस एच. ओ. थानेदार पुराने वहां थे उनका उनको संरक्षण मिला हुआ है। आज दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है हमको, वहां की हालत इतनी खराब है कि वहां राहिर गांव है, राहिर गांव के अन्दर पशु चरा नहीं सकते हैं लोग। चराने जाते हैं तो वहां धमकी मिलती है। अभी आठ दिन पहले खेरवाड़ी गांव, गांव का नाम नहीं आता मेरे को, में आठ औरतों को लाइन में खड़ा किया गया और उनके जेवर उतारे गये। उनकी हालत इतनी खराब है और उनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है। यह वहां की घटना है। अभी आखा तीज पर शादी के दिन 40 औरतों को इन्हीं डाकुओं ने एक लाइन में खड़ा करके उनके गहने उतार दिये। इसी प्रकार कुछ माह पूर्व 6 आदमियों को लाइन में खड़ा करके घसीटते हुए पहाड़ों

(श्री अमृतलाल)

में लेकर गये, उनको जान से मार दिया गया आठ दिन तक उनकी लाश का पता नहीं लगा।

श्री परसादीलाल मीणा : डाकुओं के नाम हमने सुने नहीं अच्छी तरह से, माननीय सदस्य, दुबारा बतायें।

श्री सभापति : डाकुओं के नाम का पता नहीं है उनको।

श्री अमृतलाल : भगवान सिंह, रामसिंह डाकुओं के नाम बोल चुका हूं। मैं पहले नाम बोल चुका हूं उनका।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी ने यह कहा था पहले डाकुओं के नाम बताओ मैं कार्यवाही करूंगा। इसलिये नाम बतायें।

श्री अमृतलाल : वास्तव में आदमियों को मार दिया गया, उनकी लाश पांच दिन बाद मालूम पड़ी। एक कुत्ता बांध कर साथ में लोगों को लेकर गये तब लाशों का मालूम पड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : लाशें कब मिली थीं ?

श्री अमृतलाल : इसी प्रकार तीन साल पहले भी ऐसा कांड हुआ था। यह लाशें राहिर गांव के पास कोई स्थान है वहां पर मिलीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने वक्त पहले ?

श्री अमृतलाल : अभी 12-13 महीने पहले मतलब कांग्रेस के राज के अन्दर यह हत्याएं वहां हुई हैं। हमारे यहां नहीं हुई हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले कहा था तीन महीने पहले हुई है गलत फैक्ट्स नहीं दें।

श्री अमृतलाल : एक साल पहले हत्या हुई हैं। वहां पर। आपके राज हत्याये हुई हैं उनको संरक्षण है।

श्री सम्पतराम (विशिष्ट योजना संगठन मंत्री) माननीय सदस्य से, सभापति महोदय आपके जरिये पूछ रहा हूं, यह कौन से गांव की हत्याओं का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री अमृतलाल : आखा तीज पर गांव खेरवाड़ी वहां पर यह कांड हुआ है।

श्री सभापति : बहुत पुराना मामला है।

श्री अमृतलाल : 40 औरतों को खड़ा करके उनके गहने उतार लिये खेरवाड़ी गांव के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेरवाड़ी नहीं खरकड़ी।

श्री अमृतलाल : हां गांव यही है, साहब, हम तो पहली बार गये हैं वहां पर, नाम ही ऐसे हैं वहां पर।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य सवाई माधोपुर के सांसद का नाम भी सही लें। उनका नाम किरोड़ीमल मीणा नहीं किरोड़ीलाल मीणा है।

श्री अमृतलाल : कोई बात नहीं, साहब, गलती हो सकती है । कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर अभी इतना असन्तोष है, भयंकर आतंक है। उनके खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं की गई और उन डाकुओं को पकड़ा नहीं गया तो वहां पर लोगों की हालत खराब हो जायगी, गांव छोड़ने पड़ेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हम गये थे राहिर गांव में, वहां पर हमने लोगों को, गांव को इकट्ठा किया, गांव वालों में इतना आतंक है कि अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं वह । उनकी हालत इतनी खराब है। इसी प्रकार मैंने जो प्रधान के नाम बताये हैं उनका संरक्षण हैं उनके पास हथियार हैं। उनके पास जो हथियार हैं वह जब्त किये जावें। गांव के प्रोटेक्शन के लिये जो गांव में डर है उसके लिए गांव वालों ने मांग की है कि हमको हथियार दिये जावें ताकि हम अपनी आत्म रक्षा खुद कर सकें। अतः मेरा सरकार से कहना है कि ऐसे डाकुओं को अविलम्ब गिरफ्तार किया जावे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे । अगर समय रहते हुए कार्यवाही नहीं की गई तो वहां की हालत इतनी गम्भीर हो जायगी कि लोगों को गांव छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री हेमराज मीणा ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में तीन पंचायत समिति क्षेत्र जहां पर डकैतों का भयंकर आतंक है, रामसिंह और भगवान सिंह का इतना आतंक है कि लोग गांव छोड़कर जाने की स्थिति में हैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। चार पांच दिन पहले मैं स्वयं उन गांवों में गया हूं और मैंने आप बीती बात उन गांव वालों से सुनी है। इतना आतंक है कि गांव का व्यक्ति पानी पिलाने के लिये भी तैयार नहीं है। जब डाकू के नाम की चर्चा की जाती है तो गांव वाले यह कहते हैं कि आप आये हो हमारी हालत पूछने के लिये, आप यहां से चले जाओगे उसके बाद डाकू आकर हमको तंग करेंगे, हमको मारने पीटने की धमकी देंगे। ऐसी हालत उस क्षेत्र के अन्दर है। पिछली एक जुलाई को डाक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, राहिर गांव में गये थे। राहिर ग्रामवासियों ने उनसे यह मांग की थी कि डकैतों का यहां भयंकर आतंक है, डकैतों को गिरफ्तार किया जावें। हमको आत्म रक्षा के लिये हथियार दिये जावें। जब उन्होंने हथियार की मांग की तो चुनाव में डाक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह आश्वासन दिया था मैं चुनाव जीतने के बाद आपको हथियार निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। गांव वालों ने प्रार्थना पत्र दे रखे हैं परन्तु प्रशासन की निष्क्रियता के कारण उनको हथियार नहीं मिले हैं। इस बात को लेकर सांसद जब उस गांव में गये, उन्होंने उनको शस्त्र दिलाने की बात कही, इस घटना को जब डकैतों ने सुना तो सात तारीख को डकैत उस गांव में आये। उन्होंने गांव वालों को धमकाया और धमका कर कहा यदि तुमने हमारी शिकायत कहीं दी है तो यह गांव भी खाली करवा देंगे और जो तुमको संरक्षण प्रदान कर रहा है, के एल. मीणा,

(श्री हेमराज मीणा)

तुम्हारे पार्लियामेंट के मैम्बर हैं उनको भी जान से खतम कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकी डकैतों ने दी। दोनों डकैत रामसिंह और भगवानसिंह उस गांव में आये इस घटना के समय वहां पर गोली भी चली, 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा. यह समस्या एक दो महीने की नहीं है; पिछले कई वर्षों से चली आ रही परेशानी है। इस परेशानी को दूर करने के लिये कठोर से कठोर कदम उठाये जाने चाहिये; यदि आवश्यक हो तो वहां के प्रशासन और पुलिस को भी बदला जाना चाहिये। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन में नाम लेने की परम्परा नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो बड़े नेता भी हैं, जन प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण होने के कारण से आज दिन तक डकैतों को पकड़ने में प्रशासन असफल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। एक जन प्रतिनिधि के सुपुत्र ने (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप जो पूछोगे उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा।

सभापति महोदय, कुछ समय पहले वहां के एक जन प्रतिनिधि के सुपुत्र के पास कारतूस बरामद हुए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ परन्तु उनका नाम एफ. आई. आर. में से उड़ा दिया और एक गरीब आदमी को उसमें फंसा दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो प्रभावशाली लोग हैं पहले उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये जो डकैतों को संरक्षण देते हैं अन्यथा डकैतों को पकड़ना सम्भव नहीं हो पायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां के डाकुओं की समस्या है। उसके लिए विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाये। तीन-चार घटनाओं का उल्लेख माननीय सदस्य ने यहां किया है। तीन चार जगह सुरक्षा का इन्तजाम तो कर सकते हैं परन्तु तीन चार पंचायत समितियों के प्रत्येक गांव में भयंकर आतंक है इसलिए पूरे सवाई माधोपुर जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये जाने चाहिए और डकैतों को गिरफ्तार करने के सख्त से सख्त कदम उठाये जायें।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित); श्री श्रीचन्द कृपलानी (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, करौली क्षेत्र में जो डकैतों के आतंक से जनता भयभीत है, और वहां किस प्रकार की हालत हो रही है इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। वहां की सारी स्थिति तो किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई है। मैं तो डकैतों की गैंग में कौन कौन हैं, कौन कौन संरक्षण देते हैं इतना ही बताना चाहता हूं। जो डकैतों की गेंग है उसमें भगवानसिंह जसोरा

(श्री मदन दिलावर)

भगवानसिंह गूर्जर, रामसिंह उर्फ रामस्वरुप गूर्जर इस प्रकार के डकैत हैं और जो वहां के संरक्षण देने वाले हैं, जिनमें से कुछ पकड़े भी गये हैं। वहां के प्रधान और वहां के विधायक उनको संरक्षण देते हैं। कई प्रकार की घटनाएं वहां हुई हैं। 12 औरतों के, 30 औरतों के जेवर उतारे गये। वहां के आसपास के गांवों में कई नृशंस हत्याएं हुई हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल खण्डार श्री मदनलाल सैनी।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में तहसील खण्डार, करौली और सपोटरा में डाकुओं का आतंक है। तहसील खण्डार में 85 और 90 के दरमियान कम से कम 10-12 डकैतियां पड़ीं, और उनमें आज तक कोई भी डाकू नहीं पकड़ा गया, न कोई मारा गया। इसमें डकैती करने का कारण है, और कुछ हमारे वहां खण्डार के ही निवासी हैं। श्री केशवदेव प्रधान और उनके दो भाई सरपंच, वह डकैत इन्हीं के यहां रहते हैं। यही सारे सामान की सप्लाई देते हैं। कई दफा हमने पुलिस प्रशासन को भी बता दिया कि इन तीनों व्यक्तियों से जानकारी करिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमें कोई एतराज नहीं है। आप केदार जी के नीचे जो प्रधान हैं उनकी जांच करवालें आपके पास पूरी फोर्स है। यह रोज रोज विधान सभा में प्रश्न उठा कर समय जाया करें। अगर किसी सांसद को हाइ-लाइट करना हो तो वह डिफरेंट मैटर है। वह खुद आपसे निवेदन कर सकते थे और ऐसी कोई बात होतीं तो आप खुद सक्षम हैं। कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि समस्या गम्भीर है और सांसद के जीवन का सवाल है मैंने अभी सुना है कि पांच व्यक्तियों की फोर्स उनके घर पर लगवा दी है। बहुत मेहरबानी की। हम भी चिंतित हैं अगर कोई खतरा उनके जीवन को होता है तो बहुत बड़ी गम्भीर बात है।

श्री चुन्नीलाल : सभापति महोदय, दो व्यक्तियों का अपहरण किया जिनसे 2.65 लाख की वसूली की उसमें भी कोई आदमी बीच में था। डाकुओं से छुड़ा कर लाने वाला भी था और डाकुओं के पास पैसा देने वाला भी था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सोहनगच्छ का एक गप्पू महाजन जिसको रात्रि को करीब 8 बजे उठाया। 13 रोज तक डाकुओं के पास रहा उसके बाद जब उनके पास पैसा पहुंचा तो तुरन्त गप्पू को छोड़ दिया। सेंवती ग्राम की दो महिला भूआ और भतीजी दोनों को एक को रामस्वरुप डाकू ले गया और भतीजी को कोई दूसरा ले गया। आज तक पुलिस दोनों महिलाओं को बरामद करने में असफल रही है। इसी तरह तहसील खण्डार के गांवों में डाकुओं का आतंक है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस डाकू समस्या से बचावें।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह जो महिलाओं को ले गये यह कब की घटना है। वह तो स्थानीय

(श्री सम्पतराम)

वहां के रहने वाले हैं, उनको मालूम होगा कौन सी तारीख की घटना है ?

श्री चुन्नीलाल : यह 5–6 महीने की घटना है। इसकी तारीख नहीं है, आपको तारीख वाइज बता देते ।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आपको यह भी जानकारी है कि आपके क्षेत्र में आठ आदमियों को पुलिस ने, एस. पी. साहब ने कल पकड़ा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वह इसलिए पकड़ा है कि उन्होंने डाकुओं को मारा था। अखबार में है।

श्री सभापति : माननीय चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल : सभापति महोदय, एक वारदात नहीं है। आखिर सरकार को निवेदन करना पड़ता है। जो जनता में भय का वातावरण बना हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे। पंचायत समिति, खण्डार कोई ज्यादा लम्बा चौड़ा एरिया नहीं है। एक रामस्वरुप डाकू को नहीं पकड़ सकते, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। कई डकैती की वारदात उस व्यक्ति द्वारा की हुई हैं लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ कर उनको लिफ्ट दे रखी है। सामान और कारतूसों की सप्लाई देते हैं ऐसे लोगों को सरकार जब तक नहीं दबोचेगी तब तक इस डाकू समस्या का हल नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी : सभापति जी, विषय बड़ा गम्भीर है। डाकुओं द्वारा फिरौती लेना, पैसे वसूल करना, औरतों के जेवर उतारना। मैंने सुना था कि डकैतियां होती थी, प्रदेश में डाकू सरे-आम डकैतियां डालते थे लेकिन यह लग रहा था कि पिछले 4,6 महीनों से डकैतियां प्रदेश में बन्द हो गई लेकिन यह फिर चालू हो रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के डाकू जो 4,6 महीने पहले अन्तर्ध्यान हो गये थे वह बरसात में जैसे कीड़ों के पंख आकर उड़ने लग जाते हैं। वह फिर गांवों में मंडराने लग गये हैं। इस प्रकार के डाकुओं के पैर कटने चाहिए, यह मैं सरकार से निवेदन करूंगा।(व्यवधान) मेरी बात हुई थी। यह घटना अखबारों में छपी कि डा. किरोड़ीलालजी को जान से मारने की धमकी दी गई है। डाकुओं के डकैती करने में एक बहुत बड़ा खतरा था। जनता के बीच में जाते थे. जनता के आदमी थे इस कारण डाकुओं को लगता था कि उनके पीछे....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : संशोधन करिये। थे नहीं, हैं। आज भी जा रहे हैं वह तो आप किसे कहते हो कि पहले जाते थे।

श्री मदनलाल सैनी : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं। इस कारण से खलबली मच गई थी डाकुओं के बीच में कि उनकी उपस्थिति के कारण डाका डालना मुश्किल हो रहा था इसलिए रास्ते से हटाने के लिए उनको धमकी दी गई लेकिन यह धमकी भी उस समय टांय-टांय फिस्स हो गई जब उन्होंने पैदल मार्च गांव की ढ़ाणी और हर घर में लेना प्रारम्भ किया। मेरी

(श्री मदनलाल सैनी)

पुलिस के अधिकारियों से भी, माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई। सरकार इसके प्रति सचेत है यह प्रसन्नता की बात है। सरकार ने गश्त बढ़ा दी है और निगरानी की जा रही है और पूरा विश्वास है कि डाकू जल्दी ही पकड़ लिये जाएंगे। जो डाका डाल रहे हैं उनके नाम रामसिंह और भगवानसिंह हो सकते हैं और नये नाम भी जुड़ सकते हैं लेकिन सरकार उन पर सख्ती से कार्यवाही करेगी, ऐसा चर्चा में आया है और वहां से हमारे पास समाचार भी आया है कि जनता में जो आतंक था वह भी कम हो रहा है। जनता आराम की नींद सो रही है। उनको पूरा विश्वास हो गया है कि सरकार उनके जान-माल की पूरी हिफाजत करेगी। फिर भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा....

श्री मदन दिलावर : मण्डावरी और सतवारी में आराम से सो रही है.... (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : बरसात में चीटियों के जैसे पैर आ जाते हैं ऐसे ही नये डाकू उड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सरकार सतर्कता और सावधानी पूर्वक निगरानी रखे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नवनीतलाल नीनामा (अनुपस्थित), श्री महावीर प्रसाद (अनुपस्थित), श्री कन्हैयालाल।

(2.00 म. प.)

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल वहां गूर्जर ही डाकू हैं, और सब का सफाया हो गया है यह माननीय सदस्य साफ कर दें तो साफ हो जाय कि वहां के गूर्जर ही डाकू हो गये क्या ? वहां के जनप्रतिनिधि अगर गूर्जर हैं तो वह भी डाकुओं को संरक्षण देते हैं क्या इस प्रकार की बात साफ आ जाय तो ठीक है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, किसी जाति विशेष पर प्रहार किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। आज हरिजन भी डाकू हैं लेकिन यह गूर्जरों की जाति विशेष का नाम लिया जा रहा है यह अनुचित है। यह व्यावहारिक नहीं हैं। किसी के बहकावे में आकर आप राजनैतिक नुकसान देना चाहते हैं वह नहीं होना चाहिए....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, यह जो माननीय सदस्य किसी जाति विशेष का नाम ले रहे हैं, यह ठीक नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आप इनको निर्देश दें कि ये जाति विशेष का नाम नहीं लें। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, बदमाशों की कोई जाति नहीं होती। हम लोगों ने किसी जाति विशेष पर कोई आक्षेप नहीं किया है....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आपकी जाति क्या है। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : और अपराध में वहां के राजपूत डाकू नहीं हैं, वहां के हरिजन डाकू नहीं हैं, वहां के ब्राह्मण डाकू नहीं हैं और माली डाकू नहीं हैं तो क्या वहां पर गुर्जर ही डाकू हैं ? इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जहर ठीक नहीं है इसलिए ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए। यह जहर उगलना इनके लिए वाजिब नहीं है...।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : जाति वाली बात इस विषय में नहीं आई है। जिस किसी ने भी लगाई है वह जानबूझकर लगाई है। जानबूझकर जाति वाली बात इस समस्या को टालने के लिए ही लगाई गई है। ये परिस्थितियां बहुत ही गम्भीर हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी हो गई है। यहां पर कोई जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। आप व्यवस्था देख लीजिये। माननीय सदस्य ने जाति का नाम लिया है।

श्री सभापति : कोई व्यक्तिगत जाति का नाम नहीं लिया है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप रेकार्ड देख लीजिये, इन्होंने जाति का नाम लिया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अपराधी की और मुंसिफ की कोई जाति नहीं होती है (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल : आपका धर्म क्या है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : चोर का धर्म है चोरी करना और मुंसिफ का धर्म है उसको सजा देना...।

श्री हरिसिंह : जाति विशेष का नाम लिया गया है, आप रेकार्ड देख लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं कोई जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इतने गम्भीर विषय को जातियों के आधार पर बांटना ठीक नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैयालाल : माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : मैं दिनांक 13 को डॉक्टर किरोड़ी लाल जी सांसद के साथ में पांच विधायकों के साथ गया था। यहां से सवाईमाधोपुर जिले की करौली तहसील में कैलादेवी से पैदल परिक्रमा रायले गांव तक की। वास्तव में वहां पर डाकुओं का बहुत ज्यादा आतंक है, जैसे माननीय सदस्य अभी काफी परेशान थे

(श्री कन्हैयालाल)

कि जाति विशेष का नाम लिया गया है। इस सम्बन्ध में गांव वालों ने जैसी हमें जानकारी दी एवं गांव वालों ने जो नाम बतलाये उसमें माली जाति के भी थे, गुर्जर जाति के भी थे, मीणा जाति के भी थे और अनुसूचित जाति के भी थे। उन सब ने श्री भगवान सिंह गुर्जर और श्री रामसिंह ये लोग लीडर हैं और एक लाखन नाई, एक मीणा है।

श्री रामप्रसाद : डाकुओं का नाम क्यों नहीं लेते यहां पर जातियों का नाम क्यों लिया जा रहा है माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल : जो जाति विशेष पर एतराज हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने तो बतलाया था नाम। उसके अन्दर श्री लाखन नाई का भी नाम बताया गया। मीणा का भी नाम बताया। उस गिरोह के अन्दर मीणा भी शामिल है और दूसरी जाति के भी इसमें शामिल हैं। गुर्जर ही नहीं सारी जातियां इसमें शामिल हैं। जो लीडर हैं उनका नाम जरूर लिया है। जैसे वहां पर एक मीणा परिवार की एक औरत के जो गहने लूटे गये उन लूटने वालों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से वहां मीणा का ही नाम लिया है। उस गिरोह के मीणा जाति के लोग यहां आये बाकायदा पुलिस में नाम लिखाया और बाकायदा रिपोर्ट की है पुलिस के अन्दर कि वे मीणा जाति के व्यक्ति थे जिन्होंने मीणा जाति की औरत के गहने लूटे हैं। इसमें जाति विशेष का कोई लेना-देना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम जब पैदल परिक्रमा करते हुए गांव वालों से जब बातचीत कर रहे थे तो इनको यह पता लगा कि डॉ. किरोड़ीलाल जी मीणा को डाकुओं ने जो धमकी दी है उसके बारे में वे पैदल परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। गांव वाले वहां से गांव छोड़कर चले गये। कई जगह तो पानी पिलाने से भी इन्कार कर दिया। वे इतने भयभीत हैं इन डाकुओं से। उन्होंने बतलाया कि आज आप लोग आये हो तो पुलिस वाले भी आये हैं आज तो पुलिस वाले भी आकर यहां पर हमारी सुन रहे हैं अन्यथा डकैत यहां पर आ भी जाते हैं या हमें धमकी भी देते हैं तो पुलिस वाले भी हमारी नहीं सुनते हैं। हमारे अन्दर से अगर कोई छुपकर थाने के अन्दर जाता है तो थाने वाले भी वहां पर मौके के ऊपर नहीं आते हैं। इसलिए हम आपका सहयोग देने में असमर्थ हैं। गांव वालों में से एक भी हमारे पास नहीं आया तो हमने वहां पर कुछ लोगों को अलग लेकर बात की। मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूं। महाराजपुरा के श्री रमेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति था। उसका डाकू गिरोह ने अपहरण किया और उसको दो लाख बासठ हजार रुपये की फिरौती लेकर छोड़ा। फिरौती की मध्यस्थता की भोजपुरी गांव के निवासी श्री रमजान शर्मा, जो सरपंच भोजपुरी के हैं श्री पुरुषोत्तम शर्मा सरपंच, चारदा कलां, खण्डार व श्री केशव देव शर्मा, प्रधान खण्डार ने की। जिसमें से एक लाख रुपया श्री रामस्वरूप जी को दिया व तीस हजार का काजू, पिस्ता, कारतूस का सामान श्री रामभजन जी शर्मा

(श्री कन्हैयालाल)

कोटा से खरीदवाकर लाये। शेष राशि का बिचौलियों ने 8-9-89 को अष्टमी के दिन बंटवारा किया श्री रामकिशोर जी शर्मा, बागोली वालों के खेत में बैठकर किया। जिसका अनेक लोगों ने निरीक्षण किया। जिसकी भी सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार से श्री घनश्याम जाट, गोडा का ट्रैक्टर भी श्री रामसिंह जी ने पकड़ लिया और फिरौती के रूप में 25 हजार रुपये मांगे। उन्होंने ट्रैक्टर को बेचकर के 25 हजार रुपये दिये। इसकी भी सूचना पुलिस में दी लेकिन इसकी भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 17-8-89 को तालेरा की डकैती में श्री भगवान सिंह एवं श्री रामस्वरूप दोनों का हाथ था। उन्होंने हरि गुर्जर व्यक्ति के परिवार को जो कि एक गुर्जर जाति का व्यक्ति था, उसके परिवार को छोड़ने के लिए बिचौलियों को बीच में डाला, उस गुर्जर परिवार को भी उन्होंने धमकियां भरा पत्र लिखा है और अभी तक उस गुर्जर परिवार की जान खतरे में है। ऐसी सूचना उन्होंने वहीं डी. वाई. एस. पी. के सामने दी थी लेकिन उस मामले में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और वह परिवार आज वहां पर अपनी असुरक्षा महसूस कर रहा है। इसलिए यह गम्भीर मसला है। इनकी जांच करवाई जाए और उस डाकू गिर्सेह का खातमा किया जाए।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान (अनुपस्थित)

श्री छगन लाल.....(अनुपस्थित)

श्री नंदकिशोर शर्मा... (अनुपस्थित)

श्री रघुवीर सिंह कौशल... (अनुपस्थित)

माननीय श्री गृह मंत्री जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, इनसे पहले तो हम लोगों के नाम हैं। आप लिस्ट देखिये। सभापति महोदय, हम लोगों की व्यवस्था भी दी गई है।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी ने भी व्यवस्था दी है और हमारा नाम आलरेडी आसन की लिस्ट में है। सही मायने में यह स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने दिया हुआ है और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है वह बाद में आया है। माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी हम लोगों के बोलने के लिए....

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य साहबान ने, जो मौके पर गये थे, काफी कुछ कहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और गृह विभाग का काम देख रहे दूसरे माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करूंगा...

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री के रूप में काम करने की घोषणा की गई है।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : मैं माफी चाहता हूं, घोषणा का मुझे ध्यान नहीं था। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जहां तक ध्यान है, यह मामला माननीय मुख्य मंत्रीजी के भी ध्यान में है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी उस इलाके के पीड़ित लोगों ने फिरौती की चिट्ठियां दी हैं, जैसी मेरी जानकारी है। ऐसी स्थिति में वहां के लोग अपना जीवन जी रहे हैं। कितनी गम्भीर वहां की समस्या है। सवाई माधोपुर जिले के आठ थाने इस डाकू समस्या से ग्रसित हैं जिनमें करौली, मण्डरायल, मातलपुर, कैलादेवी, खण्डार, सलेमपुर, महुआ और हिण्डौन हैं। कोई थाना ज्यादा समस्याग्रस्त है तो कोई कम हैं लेकिन आठ थानों के लोग डाकुओं से भयभीत हैं, दुखी हैं, चिन्तित हैं। उनके सामने समस्या है— कोई डाकू, कोई बदमाश किसी की इज्जत लूटे, किसी की जमीन-जायदाद का कुछ करे, किसी को जान से मारे, थाने में रिपोर्ट भी बहुत कम लिखी जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड सरकार ने मंगाया होगा, कितनी डकैतियां, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं? रिकार्ड में जब इतनी ज्यादा संख्या है तो वास्तव में वहां कितना ज्यादा कुछ किया जाता होगा, यह बात सबसे ज्यादा विचारणीय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं—एक व्यक्ति काबड़ा पटेल सपोटरा का है, जंगल में ऊंट चराता था। किसी मामले में डकैतों को शक हो गया कि पुलिस को सूचना दे सकता है, उसका सिर, हाथ-पांव काट दिये गये। ऊंट के पीछे आदमी के धड़ को बांध कर रामसिंह नाम का डकैत उसके ऊपर चढ़कर अट्टाहस करके दो मील तक चला। जब उसके मांस की गुद्दी-गुद्दी निकल गई उसके बाद जाकर उसको छोड़ा। इससे ज्यादा दर्दनाक/लोमहर्षक क्या घटनाएं हो सकती हैं? यह सब कुछ उस क्षेत्र में हो रहा है। मैं निवेदन करूं, माननीय सभापति महोदय, डकैत किसी जाति विशेष के नहीं होते। डकैत की जाति अलग होती है। गांव का कोई हरिजन है, कोई मीणा है, कोई लुहार है, कोई गुर्जर है, कोई खाती या खटीक है, यदि उनमें से कोई डकैत है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सारी जाति डकैत है। लेकिन वहां पर जिस तरह से डकैत अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ताज्जुब तो इस बात का है कि पुलिस उन डकैतों से मिली हुई है, उन डकैतों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मेरा जहां तक ख्याल है, शायद पैसे भी डकैतों से लिए जाते होंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माफी चाहता हूं, मैं इल्जाम लगाने वाली बात नहीं अर्ज कर रहा हूं, आखिर पुलिस के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि दस किलोमीटर के एरिया में रहने वाले इस तरह की घटनाएं करने वाले डकैत आज दिन तक पकड़ में नहीं आये। माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे–ग्राम थिरवाणी हैं, माननीय सभापति महोदय, यह राज का सवाल नहीं है। यह बात मुझसे भी कोई मंत्री माननीय आकर पूछ सकते हैं आपके माध्यम से, लेकिन ग्राम थिरवाणी की चालीस औरतों को एक लाइन में खड़ाकर उनको बेइज्जत करके गहने लूटने की घटना इस विधान सभा चुनावों के बाद की है। किसी भी दृष्टि से, किसी भी सोर्स से

(श्री रामनारायण वर्मा)

आप मालूम कर लें, मेरा जहां तक ज्ञान है, मैंने जहां तक इन्फोर्मेशन कलेक्ट की है, इस राज की है। चालीस औरतों को एक साथ लूटा जाए और उन बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, मैं कहता हूं कि यह बड़ा अहम् सवाल है।

माननीय सभापति महोदय, एक ग्राम नरेकी है जो थाना कैलादेवी में है, बारह औरतों को भगवान सिंह नाम का डकैत एकदम लूट कर ले गया, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा एक ग्राम बड़नाद्दा है कंचन देवी को डकैत उठा कर ले गए। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूं कि वहां दस्यु-सुन्दरियां भी रहती हैं। उसकी वह भतीजी है जिसको उठा कर ले गए। अपना जीवन-बसर अलग होकर बड़ी इज्जत के साथ जीना चाह रही थी। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। औरतों को जंगलों में रख कर डकैत बनाया जा रहा है और उनकी इज्जत लूटी जा रही है फिर भी उन आदमियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूं—फिरौती का जहां तक सवाल है, मुझे माफ करें आप लोग, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में बजट रखा, एक-एक पैसे को देख कर रखा कि राजस्थान के हित में कैसे खर्च किया जाये; इतनी बड़ी सरकार करोड़ों-अरबों रुपयों का बजट रखने वाली सरकार एक-एक पैसे का ध्यान रखती है डकैतों के लाखों का कोई ध्यान नहीं, वारे-न्यारे हैं। मर्जी आये जिससे ढाई लाख रुपये की फिरौती ली जाती है, पांच लाख रुपये की फिरौती ली जाती है। बीस-पच्चीस हजार का तो कोई नम्बर ही नहीं है कि कितनी संख्या में ली जाती है। यह सब कुछ वहां हो रहा है। यह बड़ा अहम् सवाल है। कितनी ही घटनाएं ऐसी हैं उनमें से मुख्य-मुख्य के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं—एक वहां सबसे बड़ी चीज है—आर्म्स एम्यूनेशन्स उनको कौन देता है? डकैत पकड़ में नहीं आए, वह कौन सफेदपोश लोग हैं जो उनको आर्म्स एम्यूनेशन्स सप्लाई करते हैं? एक इसमें बड़ा अहम् मसला है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की नॉलेज में बात हो या नहीं हो, अधिकारी इस बात को लाये या नहीं लाये; आर्म्स एम्यूनेशन्स सप्लाई करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी मुश्किल से मुकदमे दर्ज होते हैं। पहली बात तो यह है कि डकैतों के डर से मुकदमे ही दर्ज नहीं होते हैं। यदि मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने मुकदमों में पिछले पांच साल में एफ. आर. लगी है? माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो पहले भी इस सदन में घोषणा की है, धारा 302 वगैरह की एफ. आर. खुलवाई है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि पिछले पांच सालों में किन-किन लोगों के एफ. आर. लगी है, उनको सरकार देखें। देखने पर निश्चित तौर पर उन एफ. आर. में ऐसे लोग मिलेंगे जो डकैतों को संरक्षण देते हैं। उनका चालान किया जाए, उनको टेरेराइज किया जाए ताकि दुबारा से आर्म्स एम्यूनेशन्स डकैतों को सप्लाई नहीं करें। एफ. आर. यदि मंजूर हो गई हो तो उनको रि-कॉल किया जाए। कानून की किसी भी प्रक्रिया का उसमें पालन करना पड़े, सरकार को उसके लिए कानून में अमेण्डमेंट करना पड़े, वह भी किया जाए। यदि इस तरह से

(श्री रामनारायण वर्मा)

डकैतों के खात्मे का काम किया जायेगा तो निश्चित तौर से कोई न कोई अंकुश लगेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र को घोषित करने के लिए एक दस्यु विरोधी कानून भी है। मेरा जहां तक ख्याल है, दस्यु विरोधी कानून उस क्षेत्र में 1987 में लागू किया गया है। यह बात दूसरी है कि 87 में कोई दूसरी सरकार थी, आज दूसरी सरकार है। यह बात हम सदन में किसी भी तरह से कह दें, लेकिन जिसने जुर्म किया है, किसी राज में जुर्म किया है, यदि आज उसको सजा नहीं मिली तो सजा दिलाना इस सरकार का और जो भी सरकार रहेगी, उसका परम कर्त्तव्य है ताकि नागरिक सुरक्षित जीवन जी सकें। उस दस्यु विरोधी कानून के तहत केवल एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। दस्यु विरोधी कानून का दायरा बहुत बड़ा है। जो भी डकैतों को संरक्षण देता है, जो भी उनके साथ उठ-बैठ करता है, जो भी उनको इन्फोर्मेशन देता है, ऐसे सभी आम लोगों को दस्यु विरोधी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको सजा दिलाई जा सकती है। इसमें मिनिमम सजा का भी प्रावधान है। दस्यु को, डाकुओं को या गलत लोगों को प्रोत्साहित करने वाले लोगों, संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ कोई न कोई कानून आपको उपयोग में लाना पड़ेगा। इसमें यदि हिचक की तो आम आदमी का जीवन वहां जिस तरह से चला आ रहा है, माननीय सभापति महोदय, यह मसला इसलिए भी अहम् है कि सबसे पहले मसला गई दो तारीख को सपोटरा के माननीय विधायक ने सदन में रखा था। उसके पहले मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अखबारों के माध्यम से जरूर पढ़ने को मिलता था। डकैत उस इलाके में फिरौती लेते हैं, खान वालों से पैसा लेते हैं। ट्रेक्टर-ट्रोलियां जाती हैं उनसे पैसा लेते हैं। उनका अपना राज है। हमारे परिवहन विभाग में टोकन का वह पैसा जमा करायें या नहीं करायें, दस्युओं के यहां उनको पैसा जमा कराना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, उनके राज की सीमा तो इससे भी बढ़कर है। कोई भी जंगल में मवेशी चरायेगा, पैसा देना पड़ेगा। कोई ऊंट ले जायेगा, पैसा देना पड़ेगा। यदि पैसा नहीं दिया जायेगा तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत तो सजा-ए-मौत देने में सोच करती है, कलम तोड़ती है, उनकी गोली चलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करती। ऐसा वह क्षेत्र है। थिरवाणी गांव, जिसका सवाल है, वहां के मवेशी आज भी बंधे हुए हैं। आस-पास के इलाके में लोग बड़े दुखी हैं। यह सारी की सारी समस्या उस इलाके में क्यों है? माननीय सभापति महोदय, यह सारा का सारा मामला बहुत भयकर है, इस मामले में सरकार जितनी जल्दी कुछ कर सके, मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से माफी चाहूंगा, कि मामला दो तारीख से सदन में चल रहा है, आज की तारीख तक यानि अठारह तारीख तक सोलह दिन में भी सरकार ने पुलिस गश्त बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। उस इलाके के सांसद किसी भी पार्टी के हों, इसमें राजनीति के फायदे या नुकसान की

(श्री रामनारायण वर्मा)

बात नहीं, चुनाव पांच साल बाद होंगे हो सकता है दो साल में हो जाय। सभापति महोदय, चुनावों के वक्त इस बात को नहीं करते लेकिन एक सांसद का सवाल है। इसलिए इस बारे में बात आ रही है। हमारे सदन के पांच-पांच सदस्य वहां जा रहे हैं और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि सरकार ने आज 16 दिन तक इस मामले में कोई कारगर कदम नहीं उठाये। माननीय सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य दो वार बोल चुके हैं। दो तारीख को सदन में कहा, 10 तारीख को कहा कि मेरे इलाके के लोगों की जान-माल खतरे में है। मैं सुरक्षित नहीं हूं। मेरा इलाका सुरक्षित नहीं है। इसके बाद उनको प्रोटेक्शन देने की बात इस सदन से, आसन से की गयी। लेकिन उस इलाके के लोगों, उस इलाके के दुखी लोगों के बारे में आज तक जिक्र नहीं किया गया और उनके लिए सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। सारे के सारे हालात बेकाबू हैं।

हो सकता है सरकार कुछ कड़े कदम उठाये और माननीय सभापति महोदय, महीने दो महीने वे चुप रह जायं लेकिन जब तक उनको नेस्तनाबूद करने के बारे में नहीं सोचेंगे फिर तीन-चार महीने के बाद दुबारा ऐसी ही स्थिति में आ जायेंगे। मैं इसके सम्बन्ध में घटनाओं का विवरण, यदि सरकार के पास न हो, मेरे पास है। सरकार को 16 दिन में भी अधिकारियों ने नहीं दिया हो तो मेरे पास है जिसको मैं लिखित में भी दे सकता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : हो गया साहब।

श्री सभापति : वह मंत्रीजी के पास है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामनारायण वर्मा : अन्त में सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिले के माधोपुर थाने में एक औरत के पति की हत्या कर दी गयी। मामला आज का नहीं है....

श्री सभापति : वह पुराना मामला है। उसको छोड़ें।

श्री रामनारायण वर्मा : यह सारी घटनाएं हो रही हैं। दूसरे प्रान्तों से भी डकैत आकर डकैती डाल रहे हैं। उनका पेरेरल राज चल रहा है और इसका सरकार को ज्ञान भी है। हमारे माननीय सदस्य गये हैं और हम सब इसके बारे में विचार कर रहे हैं जो सारा वातावरण सरकार का है उसको देखते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने इसका इलाज किया या नहीं किया वह अलग बात है। आज जो सरकार बैठी है उसकी जिम्मेदारी अलग से होती है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए निश्चित टाइम तय किया जाय दो, चार दस दिन हों चाहे इसके लिए आपको कमाण्डो फोर्स बुलाकर कार्यवाही करनी पड़े क्योंकि सरकार पब्लिक के लिए है। यदि जनता राजस्थान में नहीं रहती तो आज यह सदन नहीं होता और सदन नहीं होता तो हम नहीं होते। इतनी बड़ी समस्या का निराकरण माननीय मुख्य मंत्रीजी कितने दिन में करेंगे? मैं विनम्र

(श्री रामनारायण वर्मा)

निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इसको जल्दी से जल्दी महीने में नहीं, दिन में नहीं घण्टों में इसका निराकरण हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रकाश चन्द बैरवा (अनुपस्थित)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करोली) : माननीय सभापति महोदय, करौली क्षेत्र के मामले में इस सदन में कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है और इस सत्र में भी हुई है।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इस सदन में और माननीय सदस्यों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई डकैत किसी जाति विशेष का नहीं होता है। मीणा जाति का भी डकैत हमारे क्षेत्र में है, गूर्जर भी है, पूरण धोबी भी डकैत हुआ है। अन्य सभी जातियों के भी डकैत हुए हैं। आज भी जो डकैत हैं वह विभिन्न जातियों के हो सकते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे शक्तिशाली सक्रिय गेंग है, गेंग तो और भी हो सकती हैं लेकिन इस समय जो सक्रिय है वह भगवान सिंह और राम सिंह की गेंग है और यह भी मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सही मायने में कोई गेंग सक्रिय होकर काम कर रही है तो वह भगवान सिंह की है। रामसिंह की गेंग इस समय सक्रियता से काम नहीं कर रही है और इधर-उधर घूम रही है। मुझे मालूम पड़ा है कि मोस्ट प्रोबेबली वह अभी खण्डार क्षेत्र में है क्योंकि उसने एक महिला को साथ ले रखा है और वह भी डकैत के वेश में साथ है। इसलिए पुलिस से डरकर दूर रह रहा है। ऐसी स्थिति है आज की तारीख में जैसी मुझे जानकारी है, मैं दो दिन पहले ही करोली से लौटा हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक पुलिस विभाग का मामला है। उन्होंने आर ए.सी. की कुछ चौकियां वहां लगा रखी हैं, रेगुलर गश्त भी हो रही है। यह भी नहीं है कि पुलिस विभाग वहां सक्रिय नहीं है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। जो सच है वह तो कहना पड़ेगा। पुलिस अभी भी गांवों में घूम रही है, गश्त कर रही है, रातों को घूम रही है लेकिन कठिनाई किस बात की है उसको समझने की आवश्यकता है। कठिनाई यह है कि कुछ लोग इन डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको कारतूस और खाना पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार की मशीनरी लग रही है। पुलिस से ज्यादा वह मशीनरी सक्रिय है जब तक उसकी तह में पुलिस नहीं जायेगी तब तक इस समस्या का अन्त नही होगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता महोदय भी इस बात को जानते है कि करौली, सपोटरा, बाड़ी, सर मथुरा, धौलपुर और दूसरा एरिया मध्यप्रदेश और चम्बल का एरिया भी लगता है और हमारे गेंग इधर से उधर जाते हैं और उधर के गेंग इधर चले आते हैं। पहले भी इस समस्या

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

के समाधान के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान की पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार जयपुर से एम. एल. ए. भी करौली चले जाते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं तो एक जगह गया हूं आप कई जगह गये हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान के रूप में योजना हाथ में लेगी तो उसका स्थायी हल जल्दी निकल पायेगा। तीनों राज्यों की पुलिस यदि मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी तो मैं सोचता हूं कि इस समस्या का जल्दी हल कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस गैंग की तो भारी चिन्ता हो रही है लेकिन रोज गैंग पैदा हो रही है उसका भी इलाज करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि डकैत करणसिंह जो पिछले दिनों सरेण्डर हुआ था या जमानत पर आया था इन दोनों में से एक बात है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वह सार्वजनिक जीवन जी रहा था। अब घटना हुई मल्ला नाम का व्यक्ति जो कि भगीनपुरा में बैठा था उसके ऊपर तलवार से उसने हमला किया और उसके दो सहयोगी भी थे। उस पर हमला कर दिया और आज वह एस. एम. एस. में रेफर हुआ है और मुझे लगता नहीं है कि यह व्यक्ति बच पायेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवानसिंह रामसिंह गैंग तो पकड़ में आयी है लेकिन जानकारी के तौर पर कह दूं करणसिंह भी फरार हो गया है। उसको फरार करने में किसका हाथ है? इसकी गहराई में जाना होगा। इसकी फरारी में कौन लोग हैं? इसका पता नहीं लगा तो आप कितने ही डकैत पकड़ लें रोज नये पैदा हो रहे हैं। कुछ लोगों की रोजी-रोटी का यह साधन है। कुछ लोगों की कमाई का यह साधन है। इसलिए आप जब तक इसकी जड़ में नहीं जायेंगे तब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। पहले एक एडीशनल एस. पी. पूनिया थे आजकल तो एस. पी. हो गये हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके जमाने में दो फाइल पुलिस विभाग ने बनायी थी और वह रिकॉर्ड पुलिस विभाग में है। मुख्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप कम से कम उन फाइलों को मंगाकर अवलोकन कर लें। आपको स्वयं को मालूम पड़ जायेगा कि कौन गैंगों को पनपा रहा है। और संरक्षण दे रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि करौली क्षेत्र के लिए एक विशेष डी. जी. कोर्ट बनायी गयी थी और वह आज भी है। 216 (ए) के अन्दर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की वारदात करते हैं उनको पुलिस पकड़ सकती है और केस बना सकती है, यह अधिकार पुलिस विभाग के पास है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कोई माननीय सदस्य किसी कांग्रेसी का नाम ले, मैं बी. जे. पी. का नाम लूं या कोई जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता का नाम ले। मैं इसके प्रोटेस्ट

(२४७)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

में नहीं जाना चाहता हूं। माननीय सदस्य खण्डार से आने वालों ने शायद हमारे प्रधान केशवजी का नाम लिया, किसी दूसरे सदस्य ने किसी दूसरे का नाम लिया मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्रीजी कांग्रेस की तरफ से कोई आदमी वारदात में शामिल है, चाहे बी. जे. पी. का शामिल है, चाहे जनता दल का है या और किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है बल्कि मेरे पर भी पुलिस शंका करती है तो मुझे भी पुलिस को हिरासत में लेना चाहिए यह सबसे आवश्यक है। अभी दिलावरजी ने कहा हो सकता है शायद उन्होंने इस उद्देश्य से कहा हो, हमारे प्रधान का नाम लिया हो और उनके मुंह से विधायक निकल गया हो। पर मेरे बारे में यदि शंका है तो मैं माननीय सदन के बीच कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा मामला है और जरा भी शंका है, शक शुबाह की बात हो तो मुझे भी पुलिस हिरासत में लिया जाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी भी तरफ बैठने वाला हो। यदि किसी डकैत को संरक्षण देता है अगर योजना में भी शामिल है तो सरकार को सख्ती से दबाना चाहिए और उसको हिरासत में लेकर करौली की जनता को आप राहत पहुंचायें और मदद पहुंचायें क्योंकि यह रोजाना का काम हो गया है। यह हमारे यहाँ रोज समस्या खड़ी होती है, रोज चलती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि माननीय किरोड़ीलाल जी को ही डकैतों का भय हो गया। हमारे तो सैकड़ों ऐसे कार्यकर्त्ता हैं, जिनको रोज चिट्ठियां मिल रही हैं। हमारे बीजलपुर के सरपंच मुकन्दा पटेल को भी कम से कम तीन बार चिट्ठियां मिल चुकी और एडीशनल एस. पी. को वह पहुंचा दी गई। मैं आज करौली के डाक बंगले में रहता हूं। मुझे खुद को रात को 20 आदमियों को सुलाकर सोना पड़ता है। मैं आज करौली क्षेत्र के दौरे में गांवों-गांवों में जाता हूं, कम से कम 10 गाड़ियां और 15-20 बन्दूक लेकर जाता हूं तब मैं दौरा कर पाता हूं। तो सभापति महोदय, हम तो अपनी रक्षा तैयारी करके खुद जी रहे हैं। करौली क्षेत्र के वह लोग जिनके पास हथियार नहीं, धान के खेतों के अन्दर 15-15 किलोमीटर तक उनके जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, न कोई रास्ता है और पुलिस को इत्तला करने में भी पूरा दिन लग जाता है, ऐसे दूर-दराज के इलाके करणपुर और उसके पास के इलाके हैं। और गुढ़ा धौलपुर बोर्डर का एरिया है, और इसलिए हमारा सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। सबसे पिसा हुआ वर्ग अनुसूचित जाति का सबसे कठिनाई में है। वह दोनों तरफ से मर रहा है। उसके पास डकैत की धमकी, खान वालों की धमकी कि पैसा दिया है, आप काम करो, उधर उसको डकैत का डर लगता है। अगर सही वारदातें हो रही हैं महिलाओं की इज्जत लुटती है तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं की लुटती है। उनको रोज डकैत आकर परेशान करते हैं, और वह भाग कर आते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कहते। अनुसूचित वर्ग के लोग सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं, उनकी आप रक्षा कराइये, हमारी मां-बहनों की

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

इज्जत बचवाइये और ऐसे राजनीति के सफेदपोशों को कानून की गिरफ्त में लेकर आप सही मायने में न्याय दीजिए। मुझे यही आपसे कहना है। मुझे और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह। (अनुपस्थित)

श्री जयजीत सिंह। (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र पारीक। (अनुपस्थित)

श्री ईश्वरलाल सैनी (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित)

श्री बालचन्द आर्यवीर। (अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में जो अभी माननीय सदस्यों ने बताया है, स्थिति इसी प्रकार की है। मेरा सपोटरा क्षेत्र विशेष प्रभावित है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे सपोटरा क्षेत्र में माहवारी में एक डकैती डलती है। 21 मार्च को मलेठी गांव में डली थी, 28 अप्रेल को सिरवानी गांव में डली थी, 5वें महीने में रसीदपुर में डली थी और अब 7वें महीने में शहर में गोलीकाण्ड हुआ है। माननीय सभापति महोदय, बलात्कार आज उस क्षेत्र में साधारण बात हो गई है। डकैत मां-बापों के सामने जवान लड़कियों और औरतों को बन्दूक की नोक से जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और सुबह भेज देते हैं, कितने शर्म की बात है और उसके लिए पुलिस में और किसी से कहना बहुत ही मुश्किल की बात है। अपने दुख को रोकर के घर में बैठ जाते हैं। यदि यह बात लीक हो जाती है तो दूसरे दिन उनके ऊपर गोली चल जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक ही निवेदन किया था। 29 मार्च को जब पहली दफा आया कि साहब इस क्षेत्र के लिए स्वतन्त्रता चाहिये। किसी प्रकार के विकास की हमें जरूरत नहीं है। हमें स्वतन्त्र जीवन चाहिये, जो हम इस गांव के खेत में रह सकें। यह गरीब हैं। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की विशेष आबादी है। माननीय सभापति महोदय, उनकी भी इज्जत है, सवर्ण लोग कम हैं, पर उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत लुटती है और सरकार देखती रहती है। बड़े शर्म की बात है. आज सपोटरा क्षेत्र के जितने भी मवेशी खूंटे पर बंधी हैं उनके आतंक की वजह से। यदि डांग पर मवेशी चरने जाते हैं तो या तो उनकी फीस जो भी, 10 हजार, 5 हजार जो भी चाहें, जमा कराओ, या उनकी बन्दूक के शिकार बनो। सभापति महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि डाक्टर, एम. पी. साहब किरोड़ीलाल जी को भी धमकी दी, मेरे लिए भी धमकी दी, पर वह कोई बात नहीं है। धमकी पब्लिक को है। यदि मेरे लिए आप लोगों ने धमकी के लिए कहा कि हम पुलिस का इन्तजाम कर देंगे तो मैं समझता हूं, वह कोई खास बात नहीं है। मैं पुलिस लेकर घूमूं और हमारी गरीब पब्लिक पर अत्याचार होते

(श्री प्रभुलाल पटेल)

रहें, उनको देखता रहूं, यह मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज चौथी दफा निवेदन कर रहा हूं, इस क्षेत्र के बारे में। परन्तु वहां पर आज तक किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं किया गया है। ज्यों की त्यों स्थिति और बिगड़ती जा रही है। माननीय सभापति महोदय, यदि वहां पर मवेशी को बचाना है, गरीब की इज्जत को बचाना है, तो सभापति महोदय, विशेष प्रबन्ध किये जायें। यदि गवर्नमेण्ट प्रबन्ध करने में असफल रहती है, तो इलाके को खाली करवा दिया जाये और वहां के लोगों की अन्यत्र व्यवस्था कर दी जाये, तो आदमी वहां मरने से बच सकते हैं और इज्जत बचा सकते हैं और दूसरा इलाज नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जो डाक्टर साहब के साथ गये थे, उन्होंने सारी स्थिति बता दी है। मेरे लिए तो शायद आप यह भी समझते हैं कि असत्य भी बोल सकता हूं, परन्तु सारी स्थिति वहां की आपके सामने है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से भी मिला हूं, मैं सम्बन्धित अफसरों से भी मिला हूं, मैं गृह मंत्रीजी महोदय से भी मिला हूं परन्तु आज तक उस इलाके के लिए मेरी निगाह में कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। मेरे लिए जरूर कहा है कि आपके लिए हम फोर्स लगा देंगे, तो वह फोर्स मैं नहीं चाहता हूं। फोर्स चाहिये, इलाके में। पहले सुरक्षा इलाके की हो, बाद में मेरी सुरक्षा हो।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भरोसीलाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने दिया जाये। मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित मामला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भरोसीलाल : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर के करौली, सपोटरा........

श्री सम्पतराम : भई, मैं बोल रहा हूं; तो मेरी सुन लो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठो।

श्री सम्पतराम (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : सभापति महोदय, वैसे तो यह गृह विभाग की मांगों से भी विस्तृत चर्चा हो गई। मैं इस तैयारी के साथ आया था, समस्या तो बहुत बड़ी है। हमारी भी जानकारी है, और माननीय सदस्यों को सबको जानकारी है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। समस्या का निदान करने के लिए मैं कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन बहुत कुछ नहीं कह सकूंगा। आगे सरकार कुछ करके आपको बतायेगी कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, और किस तरीके से क्या कुछ किया जा सकता है, मैं उस पहलू पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आपने वेदना रखी है, आपने जनता के कष्टों को रखा है, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत को देखा है, इसके लिए भी किसी दूसरे को लांछित नहीं करूंगा। वहां की कुछ भौगोलिक स्थिति भी सभापति महोदय, ऐसी है जिसकी वजह से इन डाकुओं को संरक्षण मिलता है, यह आप

(श्री सम्पतराम)

सब जानते हैं, मैं तो उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं तो पर्टिक्यूलरली जिसके ऊपर खास तौर से आया था उसके ऊपर एक बयान दे रहा हूं—डाक्टर किरोड़ीलाल मीणा, संसद सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्रीजी को 13-7-90 को पत्र प्रेषित किया था जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था दिनांक 1-7-90 को वे राहिर गांव गये थे। जहां ग्रामवासियों ने उनसे शस्त्रों की मांग की थी। माननीय सांसद ने उन्हें शस्त्र प्राप्त करवाने के लिए आश्वासन दिया था। इसके उपरान्त दिनांक 7-7-90 को कतिपय डाकुओं ने उक्त गांव को घेर करके धमकी दी थी, परन्तु गांव वालों ने हिम्मत और साहस के साथ डाकुओं को भगा दिया। यह मैं किरोड़ीलाल जी की चिट्ठी का जिक्र कर रहा हूं। परन्तु वे जाते-जाते यह धमकी भी दे गये थे कि वे सम्बन्धित सांसद को भी देख लेंगे। अतः माननीय सांसद ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जावे। यह पत्र उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को दिया था और मुख्य मंत्रीजी ने तत्काल व्यवस्था करने के लिए महानिदेशक पुलिस को निर्देशित कर दिया था। इस निर्देश के अनुसरण में महानिदेशक पुलिस से सम्बन्धित उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से विस्तृत वार्ता कर क्षेत्र में डाकुओं के आतंक का मुकाबला करने के लिए समुचित निर्देश दिये तथा साथ ही सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा को भी समुचित सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिये। सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा को एक गनमैन उपलब्ध कराया गया है तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक गार्ड की व्यवस्था उनके गाँव में की गयी है।

सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीणजन के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए विस्तृत जनसम्पर्क किया है। उन्होंने 4-7-1990 को राहर-बनीजरा की पैदल यात्रा की है। इस पद यात्रा में उनके साथ सर्वश्री अमृतलाल परमार जी, कन्हैयालाल जी, हेमराज जी, मदन दिलावर जी एवं श्री भरोसीलाल जी विधायक भी मौजूद थे। उनकी यह पद यात्रा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी पुलिस ने सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की थी।

करौली क्षेत्र में दस्यु समस्या काफी लम्बे समय से चली आ रही है। परन्तु पुलिस भी इस बात के लिए पूर्ण सजग रही है कि दस्यु उन्मूलन पूर्ण रूप से किया जाय। इसी को दृष्टिगत रखते हुए करौली क्षेत्र में आर. ए. सी. लगाई हुई है। वर्तमान में यह अपनी 12 पोस्टों पर कार्यशील है। पोस्टों के नाम निम्न प्रकार हैं: ससेड़ी, हाथीखेड़ा, हनुमान डांडा, पापरेन, रोंध्यी, ओड, चंदेलीपुरा, हाड़ोती, काकरा, चिरचरी, लांगरा और राहर। प्रशासन उक्त क्षेत्र में न केवल उपलब्ध आर. ए. सी. के माध्यम से ही दस्यु उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील है अपितु वहां सादा कपड़ों में भी लोग लगाये हुए हैं, जिससे कि डाकुओं की एवं डाकुओं को पनाह देने वालों की समय पर सूचना प्राप्त होती रहे और डाकुओं को पकड़ा जा सके।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: मंत्री महोदय, मैं यह जरूर चाहूंगा कि कोई ऐसी बात

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

स्टेटमैण्ट में नहीं आनी चाहिए जो आपकी अन्दर की पॉलिसी हो वह भी डकैतों को मालूम हो जाय। सादे कपड़ों वाली जो बात आप कह रहे हैं, ऐसी बात से, माननीय मंत्री महोदय, और कठिनाई हो जायेगी।

श्री सभापति : वह पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं कि डाकुओं को इससे भी ज्यादा मालूम है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जानकारी कौन मुहैया करा रहा है?

श्री सम्पतराम : यह सत्य है कि ग्राम ससेड़ी, थाना करौली में डाकुओं ने चार व्यक्तियों की हत्या माह नवम्बर, 1989 में कर दी थी। पुलिस तभी से उनके पीछे थी और दिनांक 13-2-1990 को ससेड़ी गांव से संबन्धित प्रकरण के कुख्यात दस्यु गोपाल सुनार, जिसकी 24 गम्भीर अपराधों में तलाश थी तथा गणपत को, जिसकी 23 अपराधों में तलाश थी, मुठभेड़ में मार गिराया गया। साथ ही इसी प्रकरण से सम्बन्धित सात अन्य व्यक्तियों को भी बन्दी बनाया गया जो या तो डाके में शामिल थे या डाकुओं को पनाह देते थे।

ग्राम शेरवाड़ी से सम्बन्धित प्रकरण, जिसमें कुछ औरतों के गहने उतरवा लिये गये थे, के संबंध में भी पुलिस सरगर्मी से अपराधियों की तलाश कर रही है और यह विश्वास है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में शीघ्र ही आ जायेंगे। इसकी डिटेल देने में मैं, सभापति महोदय, समर्थ नहीं हूं। वह जनहित में नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह जुर्म जल्दी ही वर्क आउट किया जा सकेगा।

अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने सर्वश्री रामस्वरूप, हलके, हंसराज, एवं भरतलाल का भी उल्लेख किया है। वर्तमान सूचनाओं के अनुसार इन व्यक्तियों को न तो कभी पकड़ा गया है और न ही कोई केस इनके विरुद्ध दर्ज हुआ है। यदि किसी परिप्रेक्ष्य में इनके विरुद्ध कोई प्रमाण प्राप्त होंगे तो पुलिस इनको या अन्य किसी व्यक्ति को तत्काल पकड़ कर नियमानुसार कार्यवाही करने में नहीं चूकेगी।

विधान सभा के सपोटरा के अन्तर्गत तीन थाने आते हैं, क्रमशः सपोटरा, कैला देवी एवं मण्डरायल। यदि इनके चार वर्षों के क्राइम को देखा जाय तो स्थिति ऐसी नहीं दिखती है कि अपराधों में बहुत कुछ बढ़ोतरी हो गयी हो। सपोटरा थाने क अन्तर्गत डकैती वर्ष 1987 में दो हुई थीं और तदुपरान्त 1990 में अभी तक एक डकैती हुई। कैलादेवी क्षेत्र में वर्ष 1988 और 1989 में क्रमशः एक-एक डकैती हुई है तथा वर्ष 1990 में अब तक दो डकैतियां हो चुकी हैं। इसके विपरीत थाना मंडरायल क्षेत्र में वर्ष 1990 में डकैती का कोई प्रकरण नहीं हुआ जबकि वर्ष 1988 में डकैती का एक प्रकरण हुआ था।

यदि कत्ल और चोरी के प्रकरणों को भी देखें तो वे भी गत वर्षों की अपेक्षा अधिक हुए प्रतीत नहीं होते। सपोटरा थाना

(श्री सम्पतराम)

क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1989 में चार कत्ल हुए थे जबकि वर्ष 1990 में अब तक एक कत्ल हुआ है। कैलादेवी तथा मण्डरायल क्षेत्र में वर्ष 1990 में कत्ल का कोई प्रकरण नहीं हुआ, जबकि गत वर्ष मण्डरायल में एक प्रकरण हुआ था।

यही नहीं, वर्ष 1990 को यदि देखा जाय तो पुलिस के प्रभावी कदम उठाने के कारण दि. 20-1-1990 को दस्यु जगवर को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। डकैत रामबाबू बैजनाथ द्वारा फिरौती के लिए पकड़े गये बोहरा ब्राह्मण को बगैर फिरौती के ही माह मार्च, 1990 में छुड़ा लिया गया। इसी प्रकार काछी गैंग के गुलाब व बुद्धू को गिरफ्तार कर डकैती का माल भी बरामद कर लिया गया। डाकू भगवानसिंह द्वारा फिरौती के लिए ले जाये गये दो ट्रकों को भी क्रमशः 20-4-1990 और 9-5-1990 को बगैर फिरौती के ही पीछा करके छुड़ा लिया गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, आपने फिगर्स दिये डकैती के। वहां डकैती का होना एक बात है और रोजाना जो क्रम चल रहा है वह दूसरी बात है। रोजाना क्षेत्र के लोगों को चिट्ठियां दी जाती हैं, खनन कार्यों को बन्द कराया जाता है। इससे आतंक है। सही मायने में डकैती की ऐसी घटनाएं कि सार्वजनिक तौर पर डकैती किसी मकान में हो जाय, ऐसा नहीं है क्योंकि पूरा एरिया जंगल में है। खास तौर से वहां पर ठेकेदारों को, खनन कार्य करने वालों को, मजदूरों को चिट्ठियां दी जाती हैं कि इस इलाके में काम बन्द कर दीजिए, जब तक पैसा नहीं आयेगा आप काम शुरू नहीं करेंगे। यह इस प्रकार की वारदातें हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में सही मायने में उपलब्ध नहीं हैं। आर. ए. सी. की आपने 12 चौकी लगा तो रखी हैं। अभी यह पर्याप्त नहीं हैं. आर. ए.सी. की एक कम्पनी की और आवश्यकता है क्योंकि उस एरिया में डिस्टेंसेज बहुत दूर-दूर हैं। जिस जगह वह हैं, जंगल के अन्दर, वहां इत्तला करने में बहुत देर लग जाती हैं। इसी प्रकार आपने जिक्र किया कि हाथीघंटा में लगी हुई है गैंग। लेकिन अभी पिछले दिनों हसारी माली जाति के चार लोगों को करौली से 12 किलोमीटर दूर पर ही ले जाकर डकैतों ने मारा, उन चारों की हत्या हो गयी। इस प्रकार की घटनाएं हैं। इस दृष्टि से अगर आप आर. ए. सी. की एक कम्पनी और लगायें तो उससे धौलपुर, बाड़ी, मण्डरायल और सपोटरा का सारा क्षेत्र कवर हो जाय और ज्यादा फायदा वहां हो सके।

श्री अमृतलाल परमार : माननीय मंत्री जी, मेरा आप से आग्रह है कि वहां के लोगों को तुरन्त हथियार दिये जायं आत्म रक्षा के लिए।

श्री सम्पतराम : सभापति जी, बातें तो बहुत कुछ हैं, वहां पर रास्ते ऊबड़-खाबड़ हैं, नदी-नाले-नाके, ऐसे बीहड़ हैं, चम्बल नदी बहती है, मोरेगांव पास में मध्यप्रदेश का जिला है, उत्तर प्रदेश नजदीक लगता है। यह एक ऐसा सेण्टर बन गया कि उस इलाके में डाकुओं को पर्याप्त संरक्षण पाने की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। बेरोजगारी भी है, वहां पर लोग एक-दूसरे की मदद भी इतनी नहीं कर पाते।

(श्री सम्पतराम)

सीग्राईडीपना भी नहीं हो पाता। इस इलाके की यह एक खासियत बन गयी है, जिसकी वजह से यह डाकू समस्या इतनी तेज बनी ग्रौर कहीं छिपने की जगह इतनी नहीं हैं जितनी वहां हैं। थानों को ग्रच्छे हथियारों से सुसज्जित करके चलना, ग्राज भी हम सोचकर चलते हैं कि हमारी पुलिस के मुकाबले ए.के. 47 लिए दूसरे लोग ग्राते हैं। वहां जीपों की व्यवस्था करना, टेलीफोन की व्यवस्था करना, ग्रच्छी सड़कों की व्यवस्था करना ग्रौर फिर कुछ राज्य सरकार की शक्ति ग्रौर मंशा भी ऐसी होनी चाहिए कि निर्भीक तरीके से वहां पर काम कर सके। डाकुग्रों के ग्रलावा भी डाकू वहां कुछ हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। ग्रगर यह नहीं होगी तो डाकू समस्या हल नहीं हो सकेगी, ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार यह घोषणा की थी कि इस समस्या से निपटने के लिए सड़कों का जाल बिछायेंगे, जिसके लिए वह प्रधान मंत्री से भी मिल ग्राये थे। धौलपुर, करौली, सपोटरा क्षेत्र की समस्या करीब-करीब एक जैसी है। मैं सोचता हूं कि ग्रापकी समस्या भी हमारी जैसी है। हमारा निवेदन है कि ग्राप मुख्य मंत्री के रूप में कुछ घोषणा करें ताकि इसका स्थायी हल निकल सकें क्योंकि धौलपुर ग्रौर करौली की समस्या एक साथ जुड़ी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने डाकू समस्या को लेकर जिन बातों का जिक्र किया है, मैं उन बातों में तो कि कौनसी सही हैं ग्रौर कौनसी गलत, नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह समस्या ग्राज की नहीं है।

मैं समझता हूं कि इस विधान सभा में जब से ग्राया हूं उस समय से लेकर ग्रब तक करौली ग्रौर धौलपुर क्षेत्र में डाकू समस्या का जिक्र विधान सभा में किसी न किसी समय हुग्रा है। कभी डाकू प्रभावी हो जाते हैं, कभी पुलिस प्रभावी हो जाती है, कभी डाकुग्रों का सफाया हो जाता है....

एक माननीय सदस्य : कभी सदस्य भी प्रभावित हो जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे पता नहीं ग्राप कैसे प्रभावित हुए हैं? लेकिन यह समस्या चलती ग्रा रही है। दो डाकू भगवान सिंह व रामसिंह उनको पकड़े जाने से इस समस्या का समाधान होगा, यह मैं नहीं मानता हूं। लेकिन ग्राप उसका मतलब यह नहीं निकाले कि उनको पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। कुछ दिनों में ग्रापको समाचार मिलेंगे कि इस मामले में हमको कितनी सफलता मिली है? लेकिन जैसा करौली से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी जड़ में कुछ ग्रौर बातें हैं। मैं भी मानता हूं कि डाकू समस्या का समाधान केवल एक-दो डकैत पकड़े जाएंगे उससे नहीं होगा। इस समस्या का समाधान इससे होगा कि उस क्षेत्र में डाकू पैदा क्यों होते हैं?

ग्रध्यक्ष महोदय, धौलपुर का नाम लिया, मैं ऐसा समझता हूं कि धौलपुर में इस समय तक जितने डाकू थे वो सब मारे गये। ग्रब करौली का भी ग्रौर इस सारे क्षेत्र में भी पुलिस ने जिस तरह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का जाल बिछाया है मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। कई प्रश्न ऐसे हैं कि उनके तत्काल उत्तर नहीं दिये जा सकते।

करौली और धौलपुर क्षेत्र में डाकुओं की उत्पत्ति खानों के साथ जुड़ी हुई है। अवैध खनन होता है और अवैध खनन करने के लिए लोग हथियारबन्द लोगों की सहायता चाहते हैं। मुझे पहले की घटनाएं ऐसी मालूम हैं जिसमें अवैध खनन करने वालों ने डाकुओं को संरक्षण दिया, डाकुओं को हथियार दिए और दूसरे खान मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में उनको प्रोत्साहित किया। कई लोग इस प्रकार के पकड़े भी गये। इतना ही नहीं खनन कार्य कराने में डाकू जब तक परमिट नहीं देते उस समय तक कोई खान नहीं खोल सकता और परमिट लेते हैं मजदूरों के मार्फत्। कोई डाकू किसी खान मालिक के पास पहुंच गया और उसको कह दिया कि आज के बाद में खान का काम नहीं होगा तो यदि इसकी गहराई में जाएं तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस खान में जो दूसरा आदमी इंटरेस्टेड था उसने डाकू को प्रोवोक किया और उस खान को बन्द करने के लिए उसने डाकू की शरण ली। इस सारे क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने सारे खनिज क्षेत्र का सर्वे शुरू कराया। मैं पहली कोशिश यह करूंगा कि वहां पर किसी प्रकार का अवैध खनन न हो। जब अवैध खनन रूकेगा तो डाकू के सहयोग लेने की प्रवृत्ति पर अपने आप अंकुश लगेगा। इसी दृष्टि से सभापति महोदय, कुछ और भी उपाय कर रहे हैं। जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनका जिक्र यहां नहीं होना चाहिये लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो डाकुओं को पनाह देगा तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। कई माननीय सदस्य डाकूग्रस्त क्षेत्र में जाकर आये हैं जैसे हरिद्वार स्नान करके आये हों और यहां बोल रहे हैं कि डाकुओं के लिए दूसरे लोगों को हथियार दिये जायं। उनको यह पता नहीं कि हथियार क्या होता है और इस हथियार का उपयोग मारने के लिए भी किया जा सकता है और मरने के लिए भी किया जा सकता है। हथियार दूसरे लोग छीनकर भी ले जा सकते हैं। कमजोर आदमी को हथियार मिल जाए तो दूसरे आदमी उस हथियार को ले जाकर उससे कितना अनर्थ करेंगे इसका अंदाज लगाये बिना, उसकी जांच किये बिना मैं हथियार देने के पक्ष में नहीं हूं। हथियार उन्हीं को दिये जायेंगे जो वास्तव में डाकुओं का मुकाबला कर सकें या शान्ति व्यवस्था कायम करने में उनका सहयोग मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आज जैसा सम्पतराम जी साहिब ने कहा मैं समझता हूं जनार्दनसिंह और बाकी के सदस्य उधर से आते हैं उस इलाके के बारे में जानते हैं। आज चम्बल रेवीस की हालत सभापति महोदय, इस प्रकार की है कि डाकू अगर हाथ लगाकर चला जाए, हाथ में हाथ देकर निकल जाए तो उस डाकू को आप पकड़ नहीं सकते। वो इतना नीचे चला जाएगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

या रेबींस में इतना छिप जायेगा। इसलिए यह कहें कि पुलिस वहां कार्यवाही नहीं कर रही है। आखिर पुलिस वालों की बदनामी होती है, डर उनको भी रहता है। पुलिस वाले पूरी तरह से सक्रिय हैं और पिछले दिनों में जो कुछ उन्होंने इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त की है उसका उल्लेख किए बिना मैं कह सकता हूं कि उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

मैं इस सदन के मध्य में खड़ा ही इसलिए हुआ हूं वहां पर जिस प्रकार की डाकू समस्या है उसकी सफाई देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन मुझे दुःख इस बात का होता है कि डाकुओं को लेकर जातियों में विभाजन करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि खनन के मामले का तो हम निपटारा कर लेंगे लेकिन डाकू समस्या को लेकर यदि जातियों में किसी प्रकार का संघर्ष पैदा करने की कोशिश की गई तो यह सरकार उसको सहन भी नहीं करेगी और आगे उसको चलाने भी नहीं देगी। डाकू किसी जाति का नहीं होता और किसी जाति के कारण किसी एक जाति पर इल्जाम लगाएं कि सारे गुर्जर कुछ डाकुओं का साथ दे रहे हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और न इस प्रकार की चर्चा और भावना किसी भी रूप में नहीं आनी चाहिए। यदि कोई राजपूत डकैत पैदा होता है तो सारे राजपूत उसका साथ दे और सारे राजपूतों को बदनाम किया जाय इस प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। यह चर्चा राज्य के हित में नहीं होगी और जिस राजनैतिक पार्टी और राजनैतिक क्षेत्र में हम रहना चाहते हैं उस राजनैतिक क्षेत्र के लिए यह अच्छा नहीं होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि न तो मैं डाकुओं से मिला हुआ हूं, न हमारी सरकार डाकुओं से मिली हुई है और न पुलिस डाकुओं से मिली हुई है और इस प्रकार की बात जब हम····

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : इधर वाले भी नहीं मिले हुए हैं, यह भी कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कांग्रेस के लिए नहीं कहता। आप भी नहीं मिले हुए हैं और जनार्दनसिंह जी भी नहीं मिले हुए हैं। यह मैं कह सकता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मिले हुए कोई नहीं है लेकिन एक-दूसरे के बारे में हम इस प्रकार की चर्चा करें तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो मिले हुए हैं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हों चाहे एम. एल. ए, हों, चाहे एम. पी. हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो अगर मिले हुए के सम्बन्ध में कोई प्रमाण मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी उसमें कोई संकोच नहीं किया जायेगा। हम केवल एक ही विचार रखकर चलें कि डाकुओं के विरुद्ध इस प्रकार के अभियान में हम कोई इस प्रकार का वातावरण न बना दें कि जिस वातावरण के कारण डाकू हीरो बन जाये। मुझे डर यह लग रहा है कि आज से 5-6 वर्ष पहले, जनार्दन सिंह जी को मालूम होगा कि इस जाति के संघर्ष के कारण कुछ जातियों के नेता डाकू बन गये और डाकू बनकर उन्होंने अपनी जाति का भी नुकसान किया, समाज का भी नुकसान किया तो हम इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर उन डाकुओं को हीरो बनाने की चेष्टा न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करें। मैं इस सदन को इतना ही विश्वास देता हूं कि जो आपने कहा है उससे ज्यादा हम इस काम में लगे हुए हैं। डॉ. किरोड़ी लाल जी का पत्र आया तो मैंने डी. जी. को कहकर सारे अधिकारियों की बैठक बुलवाई। बैठक में बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो उन्होंने अब प्रयास किये हैं और कर रहे हैं उसका जिस तरह से ब्यौरा दिया, मुझे कम से कम इस बात का सन्तोष है कि वो इस अभियान में सफल होंगे और इस डाकू समस्या का समाधान होगा और साथ ही जहां डाकू पैदा होते हैं उस कारखाने में भी मैंने हाथ डाला है और मेरा विश्वास है कि उस कारखाने में डाकू पैदा करने की मशीन को निश्चित रूप से बन्द करके रहूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उसकारखाने में 48 नाम आये हैं जो पकड़े गए हैं। जिस दिन मैं होम की डिमाण्डस में बोल रहा था जो महिला पकड़ी गई है उसने 48 लोगों के नाम दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम दिये हैं। मेरे सामने हैं नाम। लेकिन धीरे-धीरे कार्यवाही होगी एकदम तो हो नहीं सकती। अगर किसी को पकड़ लें तो आप कहेंगे कि बिना सबूत के पकड़ लिया आखिर सबूत भी सब इकट्ठे करने पड़ते हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत :जल्दी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा है जो मवेशी मैंसे बंधी हुई हैं माननीय मुख्य मंत्री जी उनके लिए तो तुरन्त कोई....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका दूध निकलवाने के लिए जनार्दनसिंह जी को भेज देऊंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दूध देगी कहां से वो तो भूखी मर रही है। उसके लिए कुछ जल्दी इन्तजाम करें तो वहां डांग में जाए मवेशी। (व्यवधान)

शिवाजी नगर के निवासियों द्वारा अतिक्रमण

श्री सभापति : सदस्य नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामकरण सिंह, सदस्य, शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर में मकान मालिकों द्वारा सड़कों पर किये जा रहे अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामकरण सिंह जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से आग्रह करता हुआ उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि शिवाजी नगर एक कालोनी है सिविल लाइन्स में। वहां सड़क 40 फीट और 30 फीट चौड़ी है लेकिन वहां की हालात दो मकान मालिकों ने जो प्लाट नं. 11 और प्लाट नम्बर 17 के हैं, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

(3.00 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

उनको जो सोसाइटी ने प्लाट दिया और सब डिवीजन एप्रूव जे. डी. ए

(श्री रामकरण सिंह)

किया । अलाटमेण्ट चार्जेज जो कुछ जमा करवाया और अन्त में एक किश्त उन सब में यह अंकित है कि जितना उनको प्लाट दिया गया, प्लाट नम्बर 11 और 17, उससे अधिक जो सड़क मार्ग का हिस्सा है वह उनमें सम्मिलित करके अब ज्यादा में काबिज हैं । कानूनी दायरा भी साफ है, उनको जो जितना जे. डी. ए. से एप्रूव्ड सब डिविजन हुआ उस एरिया से ज्यादा एरिया उनके पास है, सोसायटी ने जो दिया उससे भी ज्यादा है । इसके बावजूद सोसायटी ने दो दफा सड़क साफ करवाने के लिए उन दोनों प्लाटों के डण्डों को तुड़वा दिया लेकिन उसके बाद में वह फिर वहां कुछ रूकावटें पैदा कर देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, टूटा-फूटा डंडा बनवा लेते हैं । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में पूर्व में कांग्रेस के टाइम में जे. डी. ए. के प्रभारी मंत्रीजी थे उनको वहां की विकास समिति ने, वहां की सहकारी समिति ने और मैंने भी लिखित में दिया लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला ।

अब ऐसा विश्वास है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बड़े सख्त हैं, वह हर काम निष्पक्षता से करना चाहते हैं और उनके सामने कोई किसी भी प्रकार की, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कोई भी दबाव, कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखते हुए उसमें उनको दण्ड देंगे, उसी प्रकार से मुझे विश्वास है कि यह जो 40 फीट की सड़क जे.डी.ए. से एप्रूड है, सब डिविजन से एप्रूव्ड है उन प्लाटों में शामिल कर ली गई है और वह आज केवल 40 फीट की सड़क 18 फीट की सड़क रह गई है उसको ठीक कर सकेंगे ।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसके लिए जे. डी. ए. के अधिकारी जब शिविर में आये, उस समय वहां जितने भी सोसाइटी के सदस्य थे, अन्य जो मकान मालिक थे उन्होंने उनको लिखित में दिया और मैं भी वहां पर मौजूद था । मैंने यहां तक कहा कि जे. डी. ए. के सक्षम अधिकारी आये हैं क्या वे जो इस काम को करा सकेंगे ? तो उन्होंने उस समय बड़ी हिम्मत से कहा कि हम सक्षम हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कहीं किसी प्रकार का अगर प्रसाद मिलता हुआ नजर आता तो जे. डी. ए. के इन्सपेक्टर और एन्फोर्समैण्ट अधिकारी हैं वह सभी चले जाते लेकिन वहां प्रसाद कौन दे ? सार्वजनिक काम है, सब के आने-जाने का मुख्य मार्ग है, दुःख तकलीफ से वह आते-जाते हैं । ऐसी स्थिति में कोई प्रसाद तो बांट नहीं सकते थे और प्रसाद नहीं बंटा तो जे. डी. ए. के कदम नहीं उठ सकते, जे. डी. ए की कलम नहीं चल सकती है और जे डी.ए. की कार्यवाही नहीं हो सकती है । एक कहावत है कि अगर वकील की सगे बहनोई का भी मुकदमा हो तो बहन चाहे कितना ही कह दे लेकिन वकील पैरवी नहीं करेगा, बहस नहीं करेगा लेकिन अगर बहन अपने पास से पैसे निकाल कर अपने भाई को दे, वकील हो तो उसी दिन, पैसे आने के बाद, फाइल तैयार होकर आ जायेगी, बहस करना शुरू कर देंगे और फैसला करवा देंगे । यही हालत आपके आज जे.डी. ए. की है । जे. डी. ए. के लिए बिलकुल

(श्री रामकरण सिंह)

एपूव्ड है कि जो भी अधिकारी, उच्चाधिकारियों को छोड़कर, नीचे के जितने भी अधिकारी वहां पर पोस्टिंग में जाते हैं वह लखपति और करोड़पति होकर आते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वह निष्पक्ष हैं, इस तरह की लाग-लपेट में नहीं आते हैं, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि प्रसाद देने वाला कोई नहीं है। इस रास्ते को जो शिवाजी नगर के शुरूआत में एकदम प्रवेश पर 40 फीट की रोड केवल 18 फीट की रह गई है। वह दोनों प्लाट जितना कानूनन उनको दे दिया जे. डी. ए. से भी और सोसाइटी से भी उससे ज्यादा बढ़े हुए हैं, उसके डण्डे को कुछ तुड़वाया हुआ है, कुछ आप तुड़वा दीजिए और उनको पाबन्द करवा दीजिए और उस पर नालियां ऐसी बनवा दीजिए कि वह दुबारा अतिक्रमण नहीं कर सकें।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो उनमें आई. ए. एस. बताये जाते हैं और एक सैल्स टैक्स में जिला अधिकारी है। अब तक के जो मंत्री महोदय रहे वह तो उनके प्रभाव में आये, जे.डी.ए. के अधिकारी भी प्रभाव में आये अब आपको इस सदन के माध्यम से हम अर्ज कर रहे हैं, अब आगे मालूम पड़ेगा कि आपके ऊपर उनका कितना असर हो सकता है या नहीं हो सकता है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो रास्ता 18 फीट का रह गया है आगे सूरज नगर और रामपुरा कालोनी में प्रवेश भी इधर से ही होता है इसलिये यह मैन रास्ता है। इस रास्ते में प्लाट नम्बर 11 और 17 को जितनी कानूनन दी हुई है उतनी जमीन दे दें, बाकी जमीन सड़क की दबी हुई है, उनसे निकलवाएं, इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित किया है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय...... (व्यवधान)

क्या कहा आपने ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे कुछ नहीं कह सकता। आपसे कहने की मेरी हैसियत ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : धन्यवाद।

शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से 15-5-1981 को यह योजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना में कुल 92 भू-खण्ड हैं। योजना का जब तकनीकी रूप से अनुमोदन किया गया उससे पूर्व योजना मानचित्र में सड़कें दर्शायी गई हैं। इसी प्रकार से इस योजना के भू-खण्ड 11, 12, 13, 14 और 17 में 40 फीट की सड़क स्वीकृत है। इसमें प्लाट नम्बर 11 और 17 के भू-खण्डधारियों ने अपनी ओर से लगभग 10 फीट में बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है और इसी प्रकार से दूसरे भाग में भू-खण्ड 12, 13 और 14

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के भू-खण्डधारियों ने 10 फीट चौड़ाई की बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इस योजना का जो मानचित्र स्वीकृत किया गया था उसमें तो सड़क को 40 फीट का दर्शाया गया था। परन्तु मौके पर दोनों तरफ कम्पाउण्ड वाल बनाकर अनधिकृत निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के कारण सड़क की चौड़ाई लगभग 20 फीट रह गई है। यह अतिक्रमण काफी पुराना है। मौके पर यह सड़क पक्की डामर की बनी हुई है। अब तक प्राधिकरण द्वारा इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पक्की क्या है, एक-एक फीट के खड्डे पड़े हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : डामर की है, खड्डे तो आप जायेंगे तो पड़ेंगे ही और क्या होगा ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत: श्री रामकरण सिंह जी के साथ बंगले में जाना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : जाओ साहब उनके बंगले में। मैं माननीय सदस्य, श्री रामकरण सिंह जी से यह निवेदन करता हूं कि आपने जिस समस्या की ओर ध्यान दिलवाया है वह वास्तविकता है, अतिक्रमण है वहां। अब मैं यह चाहूंगा कि अपनी विधान सभा के बाद यदि आप समय दें तो मैं आपके साथ चलूंगा और मौके पर देखने के बाद क्या इसमें कार्यवाही की जा सकती है। वह अपन करेंगे। मैं इस अवसर पर इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि प्रक्रिया ऐसी होगी, जो दबाव की बात आप करते हैं, दबाव तो मैं न आपका मानूंगा और न किसी और का मानूंगा। न्याय की बात करूंगा। आप चिन्ता मत करिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सड़क में न्याय की क्या बात है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सड़क का नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। अतिक्रमण की बात है। मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त है आपके लिये। आप थोड़ा समय देंगे मुझे ?

श्री रामकरण सिंह : अवश्य देंगे।

सभापति महोदय, अभी सम्मानीय मंत्रीजी ने जो फरमाया, यह भी माना कि 40 फीट की सड़क है, यह भी माना कि अतिक्रमण हुआ है लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी एक अर्ज करना चाहूंगा कि जो 30 फीट मौजूदा सड़क बताई गई है, वह सड़क, आप चलने के लिए तैयार है यह असत्य मिलेगा आपको, क्योंकि अब 30 फीट की सड़क नहीं रही है—

श्री भंवरलाल शर्मा : 30 फीट नहीं कहा है लगभग 20 फीट कहा है।

श्री रामकरण सिंह : 20 कहा है, हां 18 फीट के करीब है। तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : मौके पर देखा जायेगा जो होगा सो।

श्री सभापति : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री परसराम मदेरणा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

जनलेखा समिति, 1990–91 के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री परसराम मदेरणा : मैं जनलेखा समिति, 1990–91 निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:—

(1) वर्ष 1982–83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट क्रमश: कला एवं संस्कृति, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 4.6 एवं सिंचाई विभाग से सम्बन्धित पैरा 4.7 पर जनलेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन ।

(2) वर्ष 1978–79 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट अन्त्योदय (विशिष्ट योजना संगठन) विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 3.1 पर जनलेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन ।

(3) विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 1978-79 तथा वर्ष 1978-79 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) अनुच्छेद संख्या 2.7, 3.6 तथा 6.5 में समाविष्ट शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति का तृतीय प्रतिवेदन ।

(4) जनलेखा समिति, 1988–89 के 28वें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन ।

(5) वर्ष 1978–79 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सहकारिता से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 6.3 पर जनलेखा समिति का पांचवा प्रतिवेदन एवम्

(6) विनियोग वित्त लेखे 1983–84 पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पैरा 5.1 कृषि विभाग से संबंधित जनलेखा समिति का छठा प्रतिवेदन ।

आय-व्ययक 1990–91

अनुदान की मांग संख्या- 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत : उपस्थापन

श्री सभापति : माननीय सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये दो अरब, अड़तालीस

(सुश्री पुष्पा जैन)

करोड़ चार हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 34 मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

1. अकाल, बाढ़ तथा अग्नि से होने वाले नुकसान की पूर्ति हेतु त्वरित सहायता एवं इनसे बचाव सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

2. बाढ़, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सेवाओं में हुई धांधलियां तथा इनसे बचने के उपाय पर विचार किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

3. अकाल सहायता के अन्तर्गत बीकानेर जिले में पेयजल एवं राहत कार्यों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

4. अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत दिलवाने हेतु विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. अतिवृष्टि से पीड़ित व असुरक्षित गांवों व खेतों के प्रोटेक्शन हेतु 12 लाख रुपये की राशि की स्कीम को स्वीकृत करने पर चर्चा के लिए।

6. भीनमाल रेल्वे स्टेशन व बिजली घर के पीछे बसी बस्ती में अतिवृष्टि से भरे पानी को निकालने की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

7. बाड़मेर, जैसलमेर जिले में सैंकडों ग्राम लगातार अकाल की चपेट में रहने से लोगों को सड़क निर्माण कार्य पर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में अकाल के वर्षों में प्रत्येक 60 वर्ष वाले व्यक्ति को 100 रुपया प्रति माह देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. अकालग्रस्त रेगिस्तानी क्षेत्रों में दुधारू गाय को मुफ्त चारा व दाना उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. अकाल ग्रस्त बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पशुओं के पेयजल हेतु व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

11. पिछले वर्ष प्रदेश के 14,000 गांवों में अकाल घोषित होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत के कोई कार्य नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

12. राजस्थान में अधूरे अकाल राहत कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

13. बाड़मेर व जोधपुर जिले में सन् 1987-88 के अकाल वर्ष में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चारे के वितरण में की गई अनियमितताओं व राजकीय कोष के दुरुपयोग के विषय पर चर्चा के लिये।

14. राहत कार्यों पर कार्य मात्रा के आधार पर रोजगार दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

15. राहत कार्यों के प्रकार तथा श्रमिकों की सीमा निर्धारित करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

16. राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का स्थाई समाधान नहीं ढूंढने से उत्पन्न जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) :

17. अकाल कार्य के तहत रह गये अधूरे कार्यों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

18. अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से किसानों की फसल चौपट होने से बचाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

19. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में प्रति वर्षा से दिनों दिन उपजाऊ भूमि के बढ़ते कटाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में विगत 5 वर्षों से निरन्तर पड़ रहे अकाल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

21. प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़ पर नियन्त्रण व्यवस्था को कारगर ढंग से सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) :

22. ओलावृष्टि, अतिवृष्टि तथा शीत लहर से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए प्रति बीघा राज्य सरकार से दी जाने वाली राहत राशि निश्चित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

23. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम पालूडा, सुल्तानपुरा, श्यामपुरा, करमा आदि गांवों में अग्निकांड से पीड़ित लोगों को राहत नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिह चौहान (रायपुर) :

24. अग्नि काण्ड, नदी तालाबों में बाढ़ आने से प्रभावित व्यक्तियों का सही आंकलन कर उचित मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

25. ओलावृष्टि, अतिवृष्टि तथा शीतलहर से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए प्रति बीघा राज्य सरकार से दी जाने वाली राहत राशि निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) :

26. अतिवृष्टि से अग्निकाण्ड से होने वाले जान-माल के नुकसान से बचाव के स्थायी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :

27. कूरल नदी में अतिवृष्टि से ज्यादा पानी आ जाने से बून्दी जिले में रायथल-ऐबरा के बीच बनी पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिया मरम्मत की जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

28. बून्दी तहसील के ग्राम नन्दपुरा एवं बम्बोरी के बीच बहने वाली बलान्डी पर बने काजवे के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद मरम्मत में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

29. रायथल (तहसील बून्दी) के पास बहने वाली बलान्डी नाम के नाले की पुलिया अतिवृष्टि से विंग वालों से क्षतिग्रस्त हो जाने से विंगवाल दुरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

30. तहसील बून्दी के ग्राम जावटी खुर्द से बम्बोरी के बीच बलान्डी नाले की पुलिया अतिवृष्टि से नष्ट हो जाने से उसके पुनर्निर्माण हेतु समुचित राशि दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. बून्दी नगर में अतिवृष्टि से मांजी साहब के कुण्ड के पास भादाड़बस्ती में पानी भर जाने से गरीबों के मकानों को हुई क्षति के मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

32. राजस्थान में किसानों की फसल प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाने के फलस्वरूप किसानों को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

33. कोटपूतली तहसील में विगत 5 वर्षों में जो भी अग्निकाण्ड हुए हैं उससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा मदद नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सांवरलाल (मिनाय) :

34. अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में भूमि के कटाव को रोकने हेतु ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री सांवरलाल)

35. प्रदेश में अकाल एवं बाढ़ के स्थायी समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

36. चूरू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. अकाल-राहत कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरु) :

38. पश्चिमी राजस्थान में लगातार पड़ने वाले अकाल से उत्पन्न समस्या के स्थाई समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में लगातार पड़ने वाले अकाल का समाधान हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर किया जाने पर चर्चा के लिये।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं खुदवा कर अकाल की समस्या का समाधान कराने पर चर्चा के लिये।

41. केशोरायपाटन तहसील में पिछले वर्ष में सिचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण हेतु स्थायी योजना बनाई जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

43. अकाल राहत कार्यों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विशेष रूप से रोजगार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. अकाल राहत के अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कों के साथ-साथ पुलियाओं के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

45. वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को समुचित सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. पश्चिमी जिलों के बाढ़ पीड़ितों को मकानों के निमित्त विशेष सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

47. ग्राम जटवाड़ा तहसील बस्सी में एक कुए से जहरीली गैस निकलने से हुई मृत्यु का मुआवजा परिवार वालों को दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) :

48. ग्रामीण किसानों व मजदूरों को प्राकृतिक आपदा, अग्नि, बाढ़ आदि से होने वाली क्षति का पूरा-पूरा

(142)

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) एवं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) :

49. जयपुर नगर में 1981 की बाढ़ के उपरांत जयपुर नगर में बाढ़ बचाओं के लिए बने बाढ़ प्रोजेक्ट द्वारा क्रियान्विति के लिए कार्य हाथ में लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) :

50. वर्ष 1989 में एक गरीब आदमी के मकान में आग लगने पर उस प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये ।

51. आग लगने या अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को सहायतार्थ दी जाने वाली राशि को बढ़ा कर दो गुनी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

52. अकाल राहत के अन्तर्गत जयपुर नगर के नागतलाई के नाले, सी-स्कीम के पूर्व नाले, शंकर नगर के नाले, अमानीशाह, जवाहरनगर नालों को पक्का किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में त्वरित सूचना पहुंचाने के उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) :

54. नागौर जिले की फसल को ओलावृष्टि, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि की स्थिति में बचाने सम्बन्धी ठोस उपाय ढूंढने व अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. विधान सभा क्षेत्र मकराना के कच्चे मकानों में आग लगने की स्थिति में दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

56. चूरू तहसील में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनायी जाने वाली सड़कों का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

57. चूरू शहर व गांवों में 4 जुलाई को हुई अत्यधिक वर्षा से ध्वस्त मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

58. जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत के माध्यम से चल रहे कार्यों पर कम

(श्री बहादुर सिंह)

मजदूर लगाने से लोगों में व्याप्त भारी रोष पर चर्चा के लिये ।

59. अकाल की स्थिति में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति शीघ्र एवं समुचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

60. जिला बांसवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में आने वाली बाढ़ की रोकथाम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

61. राज्य सरकार द्वारा अकाल से निपटने हेतु कोई स्थाई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये ।

62. अकाल राहत के कार्य 31 जुलाई, 1990 तक चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही)

63. सिरोही जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

64. अकाल राहत आवंटित की गई धनराशि में मनमानी एवं दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

65. जोजरी, बांडी, लूनी नदियों में आयी बाढ़ से टूटी सड़कों एवं रपटों की अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अविलंब मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

66. टौंक पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

67. सुजानगढ़ कस्बे में वर्षा का पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारी लाल (खेतड़ी) :

68. बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति में झुंझुनू जिले की तहसील खेतड़ी में ग्राम जसरापुर से शुरू होकर ग्राम देवता, तामीजा व कुठानिया तक जाने वाली नदी द्वारा हजारों बीघा जमीन की खेती व पशुधन को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

69. गत 25 दिन पूर्व ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू की ढाणी काली पहाड़ी में एक गरीब किसान का घर जलकर राख हो जाने पर उसको कोई राहत नहीं दिलाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

70. कोटपूतली तहसील के ग्रामों व ढाणियों में अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को कोई

(144)

(श्री रामकरण सिंह)

राहत नहीं मिलने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

71. कल्याणपुरा खुर्द, राजनौता, नांगल पण्डितपुरा, हाशियावास आदि ग्रामों में अकाल पीड़ितों को कोई राहत नहीं दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) :

72. पश्चिमी राजस्थान में आई बाढ़ से पीड़ित हरिजनों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को इन्दिरा आवासीय योजना के तहत बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. बिजली गिरने पर पशुधन की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. ग्राम छांदेल में बिजली गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी आश्रितों को राहत नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

75. अकाल व बाढ़ की समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु केन्द्र परिवर्तित योजना बनाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

76. वर्ष 1989-90 में अकाल राहत हेतु गैर योजना व्यय मद में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल व्यय सीमा में से आधी से भी कम राशि बावजूद भीषण अकाल के व्यय न करने पर चर्चा के लिये।

77. जुलाई, 1990 में आई भीषण बाढ़ से ग्रस्त पश्चिमी राजस्थान के निवासियों को पर्याप्त राहत व खाद्य सामग्री न पहुंचा कर उन्हें मरणासन्न की स्थिति में छोड़ने पर चर्चा के लिए।

78. प्राकृतिक आपदा कोष गठित कर 124 करोड़ रुपये एकत्र करने के बावजूद इस राशि में से वर्ष 1990 के अकाल राहत कार्यों पर पर्याप्त मात्रा में खर्च न करने पर चर्चा के लिये।

79. अजमेर जिले में अग्नि पीड़ितों को समुचित सहायता राशि संशोधित नियमानुसार व समय पर न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. वर्ष 1987–88 में पड़े भीषण सूखे से भारी संख्या में मरे पशुओं का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा के पहले सत्र में अकाल राहत के कार्य अप्रेल, 1990 के पहले सप्ताह में खोलने की घोषणा के बाद भी 15 मई, 1990 तक नहीं खोलने से जिले के अकालग्रस्त गांवों से ग्रामीणों के पलायन पर चर्चा के लिये।

82. अकाल राहत कार्यों में वर्ष 1990 में पीने के पानी, छाया पोषाहार एवं बीमारी से बचने के लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने से मजदूरों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर

83. अकाल राहत के तहत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की योजना बनाने व मौके पर पड़े सामान को काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. राज्य में अकाल राहत के कार्य वर्ष 1990 में सामग्री की राशि 40 प्रतिशत देने से राहत कार्यों के चालू न होने तथा अपूर्ण रहने पर चर्चा के लिये।

85. अजमेर में 1979 में आई बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति एवं बाढ़ग्रस्त इलाकों को बाढ़ से बचाने के कार्यों हेतु गत 10 वर्ष से चल रहे अधूरे कार्यों को तुरन्त इसी वर्ष पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

86. बाढ़ को रोकने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. अकालग्रस्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवैल लगाने मे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. अकाल राहत के अन्तर्गत पुराने तालाबों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. अकाल का सामना करने के लिए पुराने कुएं, बावड़ियों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. अकाल की समस्या के स्थायी समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

91. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को नुकसान के अनुपात में सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. वर्ष 1986-87 व 1987-88 के अन्तर्गत जिला नागौर में अकाल राहत के बकाया भुगतान नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

93. राजस्थान में अग्नि पीड़ितों को नुकसान के अनुपात में राहत नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. राजस्थान में बाड़-पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं से कृषक व्यक्तियों के परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) :

96. प्राकृतिक आपदाओं से जयपुर ग्रामीण की तहसील जमवारामगढ़ की 11 पंचायतों व वार्डों तथा दो पंचायतों सुमेर व जयसिंहपुरा खोर में फसलों के हुए नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(148)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) एवं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) :

97. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 1981 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त 110 ग्रामीण तालाब व बांधों का पुनः निर्माण नहीं किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बह जाने से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. अकाल में बनी सड़कों को पूर्ण न कराई जाने से उत्पन्न कठिनाई को एक योजनाबद्ध तरीके से दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

99. जयपुर नगर में 81 में हुई बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों हेतु राहत राशि न देने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) :

100. जयपुर ग्रामीण की पंचायतों में अकाल राहत कार्य न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल निनामा (घाटोल) :

101. अकाल राहत के अन्तर्गत तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के ग्राम केला-मेला में मैदा डेसला वाला नाला पर तालाब बांध कर वर्षा के पानी को मवेशियों के उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. सूखे की स्थिति से राहत हेतु तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव वस्सी ग्राम में खालेला में तालाब बांधकर माही की नहर से वंचित भूमि का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. अकाल राहत के अन्तर्गत तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव देलबाग के तरतई पाड़ा स्थानों पर तालाब बनाया जाकर मवेशियों हेतु जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. अकाल के समय में तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव जाम्बोई में तालाब का निर्माण कर वर्षा के पानी का उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. अकाल राहत के अन्तर्गत तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव स्यासा में तालाब बांध कर वर्षा का पानी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव जामली में मोठा टोंक वाला

(श्री नवनीत लाल निनामा)

नाले पर तालाब बांध कर हर वर्ष पड़ने वाले अकाल का मुकाबला करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव घन्टाली में कणजवाला खोरा पर तालाब बांध कर अकाल का मुकाबला करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव सूरजपुरा में आमलिया बावजी व मजेडिया पहाड़ी वाला नालों पर तालाब बांध कर आस-पास के कुओं व हैण्ड पम्पों हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

109. अकाल राहत कार्यों में तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव कुन्डल में हाड़िया माल पर तालाब बांध कर वर्षा का पानी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव सीदड़ी मऊड़ी स्थान मोबा खाल पर तालाब बांधकर हर वर्ष पड़ने वाले अकाल का स्थायी मुकाबला करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में जयमेर जोगी माल पहाड़ियों पर मिट्टी की जांच कराने के बाद पौध रोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. अकाल की स्थिति में तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के हुड़ा बावजी वाला वन में छोटी पहाड़ियों की रक्षा कर वन वासियों को सहारा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. हर वर्ष पड़ने वाले अकाल से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु उदयपुर डिवीजन में जंगलों की बरबादी पर रोक लगाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल, (संगरिया) :

114. प्राकृतिक विपत्तियों का स्थायी हल और उस पर अमल करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

115. अकाल सहायतार्थ कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कम मजदूरी देने पर चर्चा के लिये।

116. बाढ़ों से होने वाले नुकसान का मुआवजा और अन्य उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा के लिये।

117. अकाल के स्थायी हल हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति व नवीन कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा के लिये।

118. प्राकृतिक आपदाओं के घटने तथा फैलने वाले भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिये।

(148)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

119. ग्राम दयालपुरा, तहसील बस्सी में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के कुएं धंस जाने से हुई क्षति की पूर्ति हेतु मुआवजा दिलाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (मेड़ता) :

120. अकाल से निपटने के लिए पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर नागौर जिले में स्थायी व्यवस्था करने के बारे में चर्चा के लिये ।

121. अकाल से निपटने के लिये मेड़ता, डेगाना में भूगर्भ विभाग की ताकतवर मशीनों द्वारा 5 किलोमीटर के दायरों में टैस्ट ट्यूब वैल खोदने एवं 70 मीटर की गहराई के नीचे काले कठोर पत्थर को तोड़कर पानी की सही स्थिति का पता लगाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :

122. सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित व्यक्तियों को दी गई राहत के सम्बन्ध में विचार हेतु चर्चा के लिये ।

123. उदयपुरवाटी क्षेत्र के नदी नालों द्वारा वर्षा के समय हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :

124. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत डेगाना क्षेत्र के अधिकांश गाँवों की जमीन में पानी की सही स्थिति का पता लगाने हेतु टैस्ट ट्यूब वैल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

125. जोधपुर जिले एवं पाली जिले में भारी वर्षा की बाढ़ से आई मिट्टी से कुएं भर जाने पर कृषकों को हुई हानि से राहत दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

126. बालोतरा में भारी वर्षा से आई बाढ़ से कुएं, मकान, बिजली के खम्भे आदि का भारी नुकसान का मुआवजा देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

127. बाड़मेर एवं जालौर में भारी वर्षा से आई बाढ़ से हुई किसानों को हानि की क्षतिपूर्ति करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

128. जालौर में भारी वर्षा से आई बाढ़ से किसानों के मकानों को भारी नुकसान हुआ है, मिट्टी से कुएं भर गये हैं जिस पर चर्चा के लिये ।

129. जोधपुर, पाली, बालोतरा में आई बाढ़ से पशुधन को भारी नुकसान होने पर पशु-पालकों को किसी प्रकार की मदद नहीं देने से उत्पन्न स्थिति निराशा पर चर्चा के लिये ।

130. जोधपुर, पाली, बाड़मेर में भारी वर्षा से मौतें हो जाने एवं अन्य नुकसान हो जाने पर भी उनके आश्रितों को कोई राहत न मिलने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

(श्री रिछपाल सिंह)

131. राज्य में ओलावृष्टी से हुई क्षति का खासकर गंगानगर जिले में पिछले तीन वर्षों से कोई मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

132. नागौर जिले में 1989-90 में अकाल राहत के नाम पर किसी प्रकार की धनराशि खर्च नहीं करने से उत्पन्न जन-असन्तोष पर चर्चा के लिये।

133. बीकानेर, जोधपुर एवं चूरू में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार की राहत नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. नागौर जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में चालू वर्षों में अच्छे नस्ल के सांड व भोटों को चारे की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

135. बाड़मेर व जैसलमेर जिले के अकाल-ग्रस्त गांवों में अकाल राहत कार्य खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. बाड़मेर जिले में अकालग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को बाजरा, गंवार, मोठ, मतीरों तथा मूंग के बीज न दिलवाने में विभाग द्वारा कोई सहायता सुलभ करवाने पर चर्चा के लिये।

137. बाड़मेर जिले की गूंगा से स्वामी का गांव सड़क पर अंधड़ व अतिवृष्टि से रेता आने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

138. बाड़मेर जिले की चौहटन, रायसर सड़क पर भयंकर आंधियों से रेता आने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

139. जैसलमेर जिले के अधिकतर अकाल ग्रस्त ग्रामों में अभी तक बरसात न होने से लाखों पशुओं के लिये उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

140. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के 60 ग्रामों में कतई बरसात न होने से व उस क्षेत्र में पिछले पांच सालों से बरसात न होने वाले ग्रामों में भुखमरी व पशुओं की मौतें होने पर चर्चा के लिये।

141. बाड़मेर जिले की शिव फलूसड रोड़ के ग्राम कानासूर के पास एकत्रित भयकर रेता को अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. बाड़मेर जिले की सवाई पदमसिंह से डैण्ड सड़क पर रेता आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143 बाढ़ एवं अन्धड़ के कारण बाड़मेर जिले की बाड़मेर से सवाई पदमसिंह तक रेत एकत्रित होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

144. बाड़मेर जिले की बाड़मेर हरसानी मिराज सड़क पर आंधी से रेता एकत्रित हो जाने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

145. बाड़मेर जिले में बाढ़ आने पर विभाग का अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. बाड़मेर जिले में आई बाढ़ से बाड़मेर तहसील गुढ़ा मालानी व पचपदरा में सैकड़ों ग्रामों में 90% कच्चे मकान ढहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़):

147. गंगानगर जिले में ओलावृष्टि से फसल के नुकसान का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. घग्घर नाली में अत्यधिक पानी आने से कृषकों की फसल व जान-माल की हानि पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

149. जिला बाड़मेर को ग्रेवल रोड़ सांखल फान्टा, रतड़ी, कहात आदि के कार्य अकाल राहत के तहत स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. जिला जैसलमेर में जैसलमेर से जीजनीयाली पमान की सड़क को अकाल राहत के तहत स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. जिला बाड़मेर की शिव से नागदड़ा ग्रेवल रोड़ का मरम्मत अकाल राहत के तहत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. जिला बाड़मेर, जैसलमेर में जहां अभी तक बरसात नहीं हुई है उन ग्रामों की ग्रिवल्ड सड़कों का कार्य अकाल राहत के तहत करवाने को स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (मीनमाल) :

153. वर्ष 1990 की बाढ़ से कुओं व उसके ऊपर लगे डीजल इन्जनों, बिजली की मोटरों व सिंचित भूमि पर हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान व ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. अतिवृष्टि से साबीदर व रिको से पानी आकर मीनमाल नगर परिषद् की प्रताप कालोनी, रेल्वे स्टेशन रोड़ व स्टेशन पर भर जाने से उत्पन्न स्थिति के समाधान पर चर्चा के लिये।

155. गांव जूना, चैनपुरा व नया चैनपुरा में बाढ़ के पानी में डूब गये सदस्यों के परिवार जिनकी 5–6 लाख का बेरा व उपजाऊ सिंचित भूमि नदी में समाहित हो जाने से उन परिवारों को इन्दिरा नहर क्षेत्र में अकाल राहत विभाग द्वारा योजना बना कर उतनी

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

ही निःशुल्क भूमि आवंटन कर लाभान्वित करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

156. सूकड़ी नदी के कटाव में आकर बह जाने की आशंका वाले गांव सुराणा, पांथेड़ी, नया खेड़ा, कोमता, देता, चैनपुरा, जूना, चैनपुरा नया, वाटेरा, राऊता, मोरसिम, धूरबडियार गांवडी, जूनीवाली, हापू की ढाणी में बाढ़ बचाव कार्यों के तहत गांव के बहाव क्षेत्र में पक्के बांध (विलेज प्रोटेक्शन वाले) बनाने पर चर्चा के लिये।

157. तलबी तालाब (नगर पालिका क्षेत्र) में अतिवृष्टि से केचमेन्ट में पानी भर जाने से अनुसूचित जाति व अन्य व्यक्तियों के घरों में पानी घुस जाने व उसकी रोकथाम हेतु तालाब का आउटलेट बनाना व नहर बना कर अधिक पानी को खजूरिया नाले में प्रवाहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

158. अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली बर्बादी के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

159. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान पर किसानों को दी जाने वाली अपर्याप्त राहत की राशि पर चर्चा के लिये।

160. बाढ़ की स्थिति में अन्य विभागों के साथ विभागीय समन्वय व तालमेल के अभाव से उत्पन्न विषम परिस्थितियों पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) :

161. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता) :

162. प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचने हेतु नागौर जिला व मेड़ता क्षेत्र में पेयजल से सम्बन्धित स्थायी प्रकृति के आवश्यक कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. मेड़ता क्षेत्र के गांव बीजाथल, खेड़ली, वाथड व डेगाना क्षेत्र के गांव कोड दौलतपुरा में बाढ़ के प्रवाह को रोकने हेतु विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) :

164 जालोर जिले के आहोर क्षेत्र में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

165. जिला बाड़मेर में लूनी नदी से आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :

166. प्राकृतिक आपदाओं में सरकार द्वारा समय पर सहायता न पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल):

167. पिछली बाढ़ से क्षतिग्रस्त सुभाष नगर का नाला एवं कब्रिस्तान के कच्चे नाले को पक्का करने एवं तत्काल पानी के निकास हेतु प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. नेहरू नगर स्वर्णकार कालोनी जयपुर तथा तुलसी नगर किशनगढ़ में अति-वृष्टि से विभिन्न नदी नालों की विध्वंसता को रोकने के उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. तेलीपाड़ा बस्ती में वर्षा से कटे भयंकर खड्डों को तुरन्त भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. कल्याण जी का रास्ता एवं भिण्डों के रास्ते में वर्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

171. रेगिस्तानी अकालग्रस्त ग्रामों में उन्नत बीज फ्री करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) :

172. बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्यों एवं जीवन धारा के तहत खोदे कुओं का अधूरा कार्य पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

173. पाली जिले में जल स्तर नीचे चले जाने से कुएं खुदवाने हेतु सब्सिडी हर कृषक को दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 34 (प्राकृतिक आपदाओं से राहत) पर विचार

श्री सभापति : अनुदान की मांग पर विचार। श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के विषय में हम यहां पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान सदैव ही किसी न किसी आपदा से प्रभावित रहता है। राजस्थान की तकलीफ को एक प्राचीन कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से कहा है–

"मारू थारा देश में एक न भाज ही रिड।
कै उचालो कै अवरणगों कै फाको कै टिड्डु॥"

तो क्या है अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओला-वृष्टि, टिड्डी, फसलों की बीमारियाँ, पानी की कमी इन सबसे प्रभावित है। कभी-कभी बाढ़ भी आ जाती है और बाढ़ में आम तौर से हम यह देखते हैं कि पहले ही झटके के अन्दर लोगों को चेतावनी पूर्व में होती नहीं इसलिए जान और माल की काफी हानि होती है। इस हानि का एक मुख्य कारण यह है कि समय पर लोगों को बाढ़ की सूचना नहीं दी जाती और सूचना नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देने की वजह से रात को अगर बाढ़ आई तो लोग सोते रहते हैं और उनके ऊपर से पानी निकल जाता है। उनके खेत टूट जाते हैं, उनके मवेशी बह जाते हैं। हालांकि आज कल यह एक नीति बन गई है कि कोई बड़ा कार्य हो तो नियंत्रण कक्ष स्थापित कर देते है। पूर्व की बाढ़ों के अनुभव से लाभ ले करके सरकार ने जगह-जगह जहां कहीं भी बड़ा शहर है वहां बाढ़ नियंत्रण के कक्ष भी स्थापित कर दिए हैं। लेकिन चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे इन्जीनियर हो और चाहे प्रशासन से सम्बन्धित कोई दूसरे लोग हों उनको स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती। जानकारी न होने के कारण बाढ़ किधर से आएगी, कब आएगी इसका उनको पता ही नहीं है। मैं आपको 1979 की बाढ़ का एक उदाहरण देऊंगा। आप और हम सब अच्छा तरह जानते हैं कि 1979 की बाढ़ में लगभग 700-800 लोग मरे हैं उसके बाद में 1981 में बाढ़ आई उसमें 500-600 लोग मरे। बाढ़ के बाद में सरकार ने काफी भाग दौड़ की। हैलीकोप्टरों को किराए पर लिया गया। हैलिकोप्टरों से मन्त्रियों ने, मुख्य मन्त्रियों ने, राज्यपालों ने बाढ़ की क्या स्थिति है उसको देखा। खाने के पैकेट और खाद्य सामग्री हैलिकाप्टरों से कई दिन डाली जाती है, कई दिन नावें भी किराए से ली जाती है। उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत राहत देकर के इस काम को भूल जाते हैं। आज हमको इस बात पर गहराई से विचार करना है कि हम बाढ़ से कैसे बचें। आज मैं उस विषय पर आता हूं 1979 वाले पर चूंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं इसलिए उसका उदाहरण देने जा रहा हूं।

1979 में 17 तारीख को सुबह 10 बजे बिलाड़ा और पीपाड़ में बहुत जबर्दस्त बाढ़ आई और इन शहरों के अन्दर पानी घुस गया। जोधपुर के कलक्टर को 11 बजे बाढ़ आई, तत्काल उसको इत्तला हो गई और इस बाढ़ का पानी वहां से 40-45 मील लूणी जंक्शन पड़ता है और वहां पर पास में लूणी नदी चलती है वहां पर 10 बजे पहुंची, 10 बजे कलक्टर को लूणी के निवासियों ने यह सूचना दी कि गांव के अन्दर दस-दस फीट पानी घुस गया है। कलक्टर महोदय ने कहा कि तुम लोग असत्य बोलते हो। बाढ़ तो पीपाड़ और बिलाड़ा में है यहां कहां से आई? तो उन्होंने कहा साहब आपके थानेदार यहां पर मौजूद हैं उनसे आप पूछ लीजिए। थानेदार ने कहा कि थाने की छत के ऊपर से पानी बह रहा है उसके बाद में वह पानी रात को दस बजे वहां पहुंचा, सुबह चार बजे मेरे गांव में पहुंचा। नदी के किनारे हमारे घर वाले सब बसे हुए हैं तो उस बाढ़ में मेरे परिवार के 9 लोग चपेट में आ गए। चारों तरफ पानी घिर गया। प्रातः 8 बजे कलक्टर को रेल्वे के माध्यम से यह सूचना दी गई कि 9 लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं, एक टीबे के ऊपर आ गए हैं, टीबा कट रहा है तो आप उनको बचाने की कोई न कोई योजना बनाओ। खैर उन्होंने कहा कि हम इसमें कार्यवाही कर रहे हैं, कुछ कार्यवाही हुई नहीं और शाम को करीब पांच बजे वह लोग बह गए। एक-दो दफा हैलिकॉप्टर भी ऊपर से निकला लेकिन शायद हैलिकाप्टर वालों को बताया नहीं होगा कि फलां जगह

(154)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

9 लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि जब 9 लोग डूबने को थे तो लगभग आस-पास के गांवों से और तैरने वाले करीब 500 आदमी इकट्ठे हो गए थे लेकिन खैर देखा नहीं, 9 तिर गए उनमें से 6 वृक्षों पर अटक गए और तीन मर गए। यह बाढ़ दूसरे दिन सुबह दस बजे पहुंची है बालोतरा। उसके बाद 19 तारीख को सुबह पहुंची है गांधवपुर जो जिला जालौर और बाड़मेर को जोड़ता है। वहां पर जहां सब नदियां मिलती हैं वहां पर बाढ़ का पानी पहुंचा। लेकिन तीसरे दिन क्योंकि जोधपुर में अधिक वर्षा हुई थी, जालौर में और बाड़मेर में बिल्कुल एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। जोधपुर में अधिक वर्षा हुई इस कारण रेडियो, ब्रोड-कास्टिंग स्टेशन ने काम करना बन्द कर दिया, टेलिफोन की लाइनें थी वह सब खराब हो गई और किसी तरह की सूचना पहुंच नहीं सकी। और इस तरह की सूचना पहुंच नहीं सकी और इसके कारण 8 सौ लोग मर गये लेकिन मैं आपको कह सकता हूं। तीन दिन का समय मिला और उसमें प्रशासन किसी तरह की सूचना नहीं दे सका। पहले दिन जब 17 तारीख की सुबह 11 बजे पीपाड़, बिलाड़ा के अन्दर बाढ़ आई और कलक्टर को मालूम पड़ गया तो होना तो यह चाहिए था कि किन्हीं अधिकारियों को, जीप लेकर कोई व्यक्ति जाता तो वह रणकच्छ का किनारा सुगाचन्द और मवादड़ा गांव है वहां तक इत्तला दे सकते हैं लेकिन न तो रेडियो ने इत्तला दी, न वायरलेस से इत्तला हुई न कोई गाड़ी भेज कर इत्तला करवायी। इस सबका कारण यह था कि प्रशासनिक अधिकारियों को, इंजीनियरों को यह मालूम नहीं था कि पानी किधर से आया है, पानी किधर जायेगा? इंजीनियर तीन दिन बाद में गये और उसके अन्दर, मैं 1979 की बात कर रहा हूं। यह जो दुर्घटना हुई, इतने लोग मारे गये उसका मुख्य कारण यह था कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे। पानी किधर से आयेगा, किधर जायेगा, कहां किस वक्त पहुंचेगा यह उनको मालूम नहीं था। जब मुख्य मंत्रीजी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके वापस पधारे तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि स्थानीय अधिकारियों के पास, न इंजीनियरों के पास, न प्रशासनिक अधिकारियों के पास इस तरह के कोई नक्शे थे जो नदियों आदि के बारे में कुछ स्थिति बता सके कि पानी किधर से आया है, किधर जा रहा है। आम तौर से होता यह है और मुख्य मंत्री जी को भी यह कठिनाई आई होगी कि जब अतिवृष्टि होती है तो पानी तो हजारों मील के अन्दर फैल जाता है और सब जगह पानी ही पानी दिखता है लेकिन सब जगह पानी पड़ा हुआ है, वह बाढ़ नहीं है। बाढ़ तो जो नदी और नालों के रास्ते हैं वहां बाढ़ आती है, वहां कटाव करती है। जो लोग अनभिज्ञ है प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे मंत्रीगण हो, वह अनभिज्ञ हैं। उनको इस बात का मालूम नहीं होता है। इसलिए मेरा प्रथम सुझाव यह है कि यदि आप बाढ़ के नुकसान को रोकना चाहते हैं तो जितने भी राज-स्थान के जहां कहीं भी नदी, नाले, बांध, तालाब आये हुए हैं और खास तौर से सोइल कन्जरवेशन के, मेड़बन्दी के काम हुए हैं यह आधुनिकतम जो आज की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

परिस्थितियां हैं उनका सबका लेखा जोखा लेकर उनको अंकित करना चाहिए और मई माह के अन्दर इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी सबके लिए प्रशिक्षण आवश्यक होना चाहिए कि अपने यहां बाढ़ आयेगी तो इधर से आयेगी, यह यह खतरे हैं और इस बात से अपने को सचेत रहना है। आम तौर से बाढ़ की स्थिति क्यों बनती है ? बाढ़ की स्थिति इसलिए बनती है कि बहुत तो नये तालाब बन गये, बहुत से नये बांध बन गये, बहुत से भू-संरक्षण के काम हो गये। उससे एक जगह अतिवृष्टि होती है तो एक तालाब टूटता है दूसरे तालाब के अन्दर उसका पानी गिरता है तो दो तालाब का पानी हो गया और इस तरह बढ़ता जायेगा। पहले तो इसका परीक्षण होना चाहिए और इसके बारे में कुछ तकनीक हो नक्शे वगैरह यह सब किये जाने चाहिए।

दूसरा है आप अगर आप कभी सुनेंगे मौसम की जानकारी का जो आकाशवाणी प्रचार करता है। आज वह कोई यह जानकारी नहीं देता कि किस तहसील में किस जिले में भारी वर्षा होगी और फलां जगह भारी वर्षा हुई है जिससे पानी चलने लगा है या बाढ़ का रूप धारण कर लेगी। इस तरह की कोई सूचना वह नहीं देते। सरसरी तौर पर आज बादल रहेंगे कहीं कहीं बूंदा बांदी होगी और एक-दो जगह भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके क्या मायने हैं ? दूसरा सुझाव यह दूंगा कि आप केन्द्रीय सरकार से बात करके हर प्रदेश के लिए जब वर्षा की ऋतु हो, 10-10 मिनिट का सुबह और शाम का बुलेटिन होना चाहिए मौसम के बारे में, बाढ़ के बारे में और आपके जिले और तहसील के सबडिवीजन के जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वह समय पर मौसम विभाग को यह सूचनायें उपलब्ध करवाये 1979 में मैं आपको कहता हूं 8 सौ लोग मरे लेकिन मैंने बाद में देखा, मदेरणा साहब ने भी देखा विचाक बांध है, उसमें 27 फीट पानी का भराव है लेकिन वह 50 फीट ऊंचा है उस बांध निर्माता की अपने को पूजा करनी चाहिए और उसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है। उसने कच्ची बांध की पाल के अन्दर 2 फीट की एक पत्थर की दीवार बनाई है। जिस तरह से दूध की हांडी उफनती है इसी तरह से बांध उफना और कच्ची पाल से चला लेकिन कच्ची पाल के बीच में भीत थी तो 15-20 मिनिट पानी चला, भीत वह टूटी नहीं, पीछे से टूट गया लेकिन 50 फीट की ऊंचाई की पानी की भरत, जिस पानी का क्षेत्रफल 21 कि. मी. है और 50 फीट ऊंची भीत, उस बाढ़ के अन्दर कम से कम लाख, डेढ़ लाख लोग मरते लेकिन इसकी किसी ने इत्तला नहीं दी क्योंकि मैं दूसरे दिन इस बात से डरा कि मैं तो वहां से अनभिज्ञ था। मैं उस वक्त सांचौर जालौर, भीनमाल क्षेत्र में था मुझे चिन्ता हुई कि कोई खतरा नहीं है। मैं किसी तरह से पाली आया, पाली आकर पूछा कोई रास्ता है जोधपुर जाने का उन्होंने कहा साहब अभी 15 दिन तक रास्ता खुल नहीं सकता। आप जा नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सकते। मैं तो परिचित था परिस्थितियों से इसलिए मैं चला गया, जिस वक्त नदी पार की मदेरणा साहब भी आ गये थे। उस वक्त करीब डेढ़ कि. मी. छोटी नदी चल रही थी, तैर करके आये फिर विचार किया कि बांध टूट गया होता तो 25-30 फीट ऊंची दीवार चलती जिसके अन्दर बालोतरा और कई शहर हैं, वह बह जाते लेकिन इसकी किसी ने इत्तला नहीं दी कि इतना भयंकर खतरा है वह खतरा 10 दिन तक बना रहा तो इस तरह के आप कक्ष स्थापित करें और मौसम विभाग है वह समय पर सूचना दे। जहां तक बाढ़ है यह एक तरह से नुकसान करती है और अभिशाप है तो यह वरदान भी हो सकती है क्योंकि राजस्थान में जल स्तर नीचा जा रहा है। अकाल के अर्थ वर्क बहुत से मिट्टी के काम करवाते हैं तो हमें इस बाढ़ के जल को, अकाल में हम किस तरह से काम में लें कि इस बाढ़ के पानी को व्यर्थ समुद्र में नहीं जाने दें। जिस क्षेत्र के अन्दर भू-जल नीचे चला गया है उसके स्तर को ऊंचा करने के काम में ले सकते हैं। सैकड़ों वर्ग मील के अन्दर बारानी नदी का क्षेत्र है पाली में, जालौर में और बाड़मेर जिले में उस पानी को लम्बे चौड़े इलाके में फैलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि वहां पानी भरा हुआ है लेकिन सीमित क्षेत्र में भरा हुआ है कहीं 10-10 फीट पानी चल गया है कहीं पर पानी किनारे से सूखा पड़ा है। इस तरह से कहीं पर काम करे तो बारानी नदी की बहुत ही अच्छी फसल हम ले सकते हैं। इसलिए अकाल यदि एक बड़ी विपत्ति है, बड़ी भारी आफत होती है तो उसके अन्दर हमको इस तरह के उपयोगी काम हाथ में लेने चाहिए और अकाल के लिए एक दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए हमारे यहां अभी कोई योजना नहीं है कि अकाल पड़ेगा तो कौन से कार्य को हाथ में लेंगे ? इसका कोई प्लान हमारे पास बनाया हुआ नहीं है। अकाल में ग्रेवल सड़कों का निर्माण हो सकता है, हमारे यहां पेयजल की कमी है तो बड़े-बड़े तालाब इसमें निर्मित किये जा सकते हैं, इसमें टांके बनाये जा सकते हैं इसमें भू-सर्वेक्षण के काम हो सकते हैं, पहाड़ों के बड़े-बड़े ढ़ार पड़े हैं वह बिल्कुल मिट्टी है जो खिसक गयी है....

(3.30 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

उबड़ खाबड़ नालों की भूमि हो गयी है वहां पर घास भी उगाई जा सकती है, पेड़ भी उगाये जा सकते हैं, यह सब कार्य अकाल राहत में हो सकते हैं। लेकिन अकाल राहत की इस तरह की हमने कोई योजना नहीं बनाई है तो हमको दीर्घ-कालीन योजना बनानी चाहिए ताकि कभी जब अतिवृष्टि हो तो उस जल का हम आगे भविष्य के लिए उपयोग कर सके। यह कुछ सुझाव थे जो आपके सामने रखे और मैं समझता हूं राज्य सरकार इस बात पर पूरा ध्यान देगी और स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षण ढंग से देगी, मौसम विभाग अच्छी तरह से जानकारियां दे इसकी व्यवस्था करेगी, अकाल की कोई स्थायी योजना बनायेगी जिससे जब अकाल पड़े तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बहुत ही उपयोगी कार्य किए जा सकें, यही मुझे आपको निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया। पांच मिनट। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं व्यवस्था चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : काहे की व्यवस्था। जो मर्जी आवे वही बोल दें हाऊस में।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं की बात आते ही राजस्थान को अकाल से जोड़ा जाता है और यह बात सही है कि राजस्थान के अधिकांश भाग के अन्दर प्रायः सूखा रहता है और कभी-कभी त्रिकाल और महाकाल की बातें भी हमने देखी हैं। लोग अपना घर बार छोड़-कर अन्य प्रान्तों को जाने में मजबूर होते हैं और पानी की बूंद-बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं। लेकिन विधि की विडम्बना है कि जहां हम एक-एक बूंद के लिए आकाश की ओर देखते रहते हैं वहां कभी-कभी अतिवृष्टि से और फिर बाढ़ आ जाने से जो कुछ विनाश हम कभी-कभी देखते हैं वह भी एक अत्यन्त ही दुःख का विषय है। मैंने अपने जीवन काल में सात बार लूनी की बाढ़ को देखा है। एक बार जब स्टेट टाइम के अन्दर बाढ़ आई थी, तत्कालीन महाराज ने उसी वक्त बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था, खाना गिरवाया था और राहत के जितने काम थे अविलम्ब किये थे गए। चार बार कांग्रेस के शासन काल के अन्दर मैंने बाढ़ को देखा है और उस विनाश लीला को भी देखा है लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उस बाढ़ के समय एक भी किसी मन्त्री ने, तत्कालीन मन्त्री ने दौरा नहीं किया, किसी प्रकार की तुरन्त राहत नहीं दी गई। यहां पर चर्चा हुई बाढ़ के बारे में और यह कहा गया कि इस बार बाढ़ के अन्दर, (व्यवधान)

आप मेरे को सुन लीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं-नहीं आप गलत तथ्य बता रहे हैं, लूणी नदी की बाढ़ तो आपके समय में ही आई है, हमारे समय में आई नहीं। संवत् बता दो।

श्री चम्पालाल बांठिया : मैं बता रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, आप बताओ ना।

श्री चम्पालाल बांठिया : मैं बताऊंगा। एक बार जब हमारे यहां डी. आर. मेहता कलक्टर थे लूणी ने अपने किनारे छोड़ दिये थे और अनाप-शनाप गांवों के अन्दर वेरों को बर्बाद किया था और उस वक्त यही संघ के स्वयं सेवक थे जो खेड़ और तिल-वाड़े के बीच में सवारी गाड़ी (ट्रेन) फंस गई थी, 450 यात्री थे उसके अन्दर, मैं और मेरे साथियों ने और हम जैसे कार्य कर्ताओं ने निकाला था, प्रशासन वहां पर नाममात्र का भी नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दूसरा और उदाहरण

(श्री चम्पालाल बांठिया)

आपके सामने देना चाहता हूं। जिस वक्त में आदर्श किशोर सक्सेना कलक्टर थे, लूणी के अन्दर तूफान आया था, बाढ़ आई थी जोजरी नदी उस वक्त भी आई थी, बांडी और सूकड़ी नदियों के अन्दर भी पानी था। गांदेब के पुल को भी खतरा हो गया था। उस वक्त यही संघ के कार्य-कर्ता थे जिन्होंने गिरते हुए मकानों के अन्दर घुसकर लाशों को निकाला था, नदी के पार जाने के लिए वही लोग थे और उन्होंने ही सबसे पहले राहत पहुंचाई थी। दो बार बाढ़ जनता शासन और इस बार भी आई है। आपने ठीक फरमाया कि वह बाढ़ अचानक आई थी, इतनी भयंकर अतिवृष्टि हुई कि किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिल पायी थी और देखते ही देखते अनेकानेक गांव बाढ़ की चपेट में आ गये, कई गांव डूब गये। बड़े अच्छे-अच्छे फार्म और बेरे रेत के टीलों में छा गये। इस प्रकार से जान माल और मवेशी का नुकसान हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता है उस बाढ़ के अन्दर आज के जो मुख्य मंत्री हैं वही मुख्य मंत्री उस वक्त थे, कोई मंत्री ऐसा नहीं था, मैं कहना चाहूंगा कि जो किसी गांव के अन्दर बाकी रह गया हो और वहां नहीं गये हों।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कोई सैक्टर ऐसा नहीं है चाहे नमक का उद्योग हो, चाहे खादी के उद्योग के ऊपर लोग हों, चाहे जिन लोगों की जानें चली गई, चाहे जिन लोगों के बेरे बरबाद हो गये खेत और खलिहान में नुकसान हो गया, मवेशी चलेगई, चाहे दुकानदार था, चाहे अनाज का व्यापारी था, चाहे लघु उद्यमी था, उन सब लोगों का तुरत-फुरत प्रबन्ध किया गया और यही वजह थी कि देखते ही देखते बालोतरा और आसपास का क्षेत्र दुगने तरीके से बढ़ गया और तरक्की कर गया। उस वक्त तुरन्त लघु उद्यमियों को दो प्रतिशत के ब्याज से वहीं पर बैठकर जो ऋण उपलब्ध कराया गया उसी की वजह से सब लोगों की मजदूरी प्रारम्भ हो गई और सब लोगों को काम मिल गया देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बार जो बाढ़ आई, यहां चर्चा की गई, इस बाढ़ के अन्दर स्वयंसेवी संस्थाओं ने और सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे ही दिन माननीय मुख्य मंत्री जी जोधपुर पहुंच गये उन्होंने सारा हवाई सर्वे किया और 7 तारीख को हम सब लोग वहां पर पहुंच गये, मिलिट्री के जवान वहां पहुंच गये और पानी का बिजली का प्रबन्ध किया गया और आर. एस. एस. के लोगों ने दिन-रात एक करके लगातार चार दिन तक पांच-पांच हजार पैकेट अपने घरों से इकट्ठे करके लाये और पैकेट अपने सिर पर रख कर के पहुंचाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,

श्री चम्पालाल बांठिया : कहीं पर

(श्री चम्पालाल बांठिया)

बाढ़ के अन्दर जाकर उन्होंने पहुंचाये। विनाश बहुत हो रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गंगाराम जी चौधरी.

श्री चम्पालाल बांठिया : मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बस हो गया।

श्री चम्पालाल बांठिया : कि सरकार इसको बाढ़ग्रस्त घोषित करे और लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाई जाय और जिनके बेरे समाप्त हो गये हैं अनुदान राशि बढ़ाई जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय गंगारामजी चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान बाढ़, अकाल और फसल को कीटाणु जो नुकसान पहुंचाते हैं इनसे, आगजनी से, कइयों से पीड़ित रहता है। अकाल या प्राकृतिक प्रकोप में यह सारी चीजें शामिल हैं। आरम्भ से लेकर अब तक कई अकाल पड़े होंगे लेकिन इस आजादी के वक्त में भी, इस जमाने में भी पश्चिमी राजस्थान में करीब सात-आठ भयंकर अकाल पड़े हैं। कांग्रेस सरकार ने जो भी राहत कार्य सहायता अनुदान का तरीका अपनाया था उससे एक ऐसी रीति पड़ गई कि भ्रष्टाचार फैल गया, जरूरतमन्द आदमी को काम नहीं मिलता था और (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मंत्री तो आप भी थे।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं भी बताऊंगा साहब। मैंने क्या किया था वह भी बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि गलत तरीके, सन् 1971 से ही शुरू हुए थे। राहत कार्यों में जबसे कार्य मात्रा या टास्क बेसिस इण्ट्रोड्यूस किया और जबसे श्रमिक सीमा इन्होंने लागू की तबसे यह भ्रष्टाचार ज्यादा फैलने लगा। उससे पहले राहत कार्यों पर जो भी मजबूर आदमी जो भी जरूरतमन्द आदमी आता था उसको काम पर लगा दिया जाता था और उसको पूरा श्रम दिया जाता था लेकिन इन्होंने 1971 से जबसे टास्क बेसिस शुरू किया तबसे भ्रष्टाचार इतना गहरा बैठ गया मजदूरों को कि मजबूर होकर कार्य मात्रापूरी नपवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। इस कारण इस राहत कार्य का जो सही उपयोग या वास्तव में जो राहत दिलाने का उद्देश्य था वह उद्देश्य खत्म हो गया पहले भी कई बार इस सदन में यह कहा गया है कि टास्क बेसिस राहत कार्यों पर आप खत्म कीजिये, मजदूरों की सीमा निर्धारित मत कीजिये, जो भी आदमी मजबूर हो काम पर आना चाहे उसको काम मिल जाय, और दैनिक मजदूरी जो भी न्यूनतम मजदूरी है वह मजदूरी उसको पूरी मिल जाय। पहले भी सरकार ने 11/- रुपये प्रति दिन की मजदूरी मुकर्रर की थी। न्यूनतम मजदूरी 14/- रुपये हो गई लेकिन उसकी लागू

160

(श्री गंगाराम चौधरी)

नहीं किया। तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अब क्योंकि न्यूनतम मजदूरी 22/-रुपये निर्धारित कर दी गई है तो राहत कार्यों में लगे हुए मजदूरों को भी यह न्यूनतम मजदूरी लागू करें। यह पूरी दी जाये। कार्य मात्रा के आधार पर उस पर पैसा उसका नहीं काटा जायें। तो राहत कार्यों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार, पिछली साल सदन में चारा काण्ड के बारे में काफी जक्र हुआ था। बाड़मेर में और जोधपुर में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने चारे का, राजकीय धन का भारी दुरूपयोग किया और उसमें कुछ ही दिनों का जो गबन आंका गया है ये चार महीने का गबन आंका गया। ऑडिट इन्स्पेक्शन होने पर औडिट के अपने अधिकारियों, राहत विभाग के अधिकारी ने यह बात कही थी तब सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि चारे के सम्बन्ध में जो भी जोधपुर और बाड़मेर में धन का दुरूपयोग किया है। उसकी जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी। अध्यक्ष महोदय वह जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा नहीं हो पाई और अब भी वे सारी चीजें बकाया हैं। एक चीज मैं और निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि बाड़मेर में आगजनी और फसल को चूहे भी नुकसान पहुंचाते है। आगजनी से कई घर जल जाते हैं इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक जो भी राहत दी है या जो भी प्रावधान किया है वह बहुत ही कम है। डेजर्ट एरिया में ये दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस मात्रा को कुछ बढायें। चूहों ने पिछले साल फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब भी रेगिस्तानी इलाकों में चूहे बहुत हैं। फेमिन के सम्बन्ध में पुरानी किताबों में लिखा है कि एक वर्ष ऐसा था जब आसाम में चूहों ने भारी मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचाया और सरकार को मदद देनी पड़ी थी। अब तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि चूहों को किस तरह से खत्म किया जा सकता है या उनसे राहत किस तरह से दी जा सकती है अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से भी भारी नुकसान हुआ है अभी फरवरी के अन्दर मेड़ता तहसील के लाम्बा जाटान गांव में 170 किसानों की फसल ओले से बिल्कुल खराब हो गई। सरसों की फसल भी ज्यादातर खराब हो गई। इस सम्बन्ध में तखमीना भी किया गया। रिपोर्ट भी दी गई लेकिन सरकार की ओर से राहत पहुंचाने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि ऐसे नुकसान का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी किस तरह से किसानों को पांवों पर खड़ा किया जा सके उनको कोई न कोई मदद देनी चाहिए। फसल बीमा इसमें एक तरह की राहत है हालांकि यह विषय इन मांगों से सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि फसल बीमा योजना एक साल तक केवल लागू रखी, कांग्रेस सरकार ने। लेकिन हमें भी इस सम्बन्ध में पूरी तरह से विचार करके कुछ निर्णय लेना चाहिए। सावणु फसल या उन्यालु फसल या केवल उन्यालु फसल जिसका बीमा किया जाये तो

(श्री गंगाराम चौधरी)

किसानों का जो इस प्रकार का हानि नुकसान होता है वह बच सकता है। पश्चिमी राजस्थान बाढ़ से भी अछूता नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा था लूणी नदी, जोजरी नदी, सूकड़ी नदी और लूणी की दूसरी शाखा बांडी वगैरह इन नदियों से बाड़मेर, जोधपुर जिलों को भारी नुकसान होता है। मुझे दोनों बाढ़ों में इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने का अवसर मिला है सन् 79 मैं में बिलाड़ा में चार दिन रूकना पड़ा और बिलाड़ा में जो तांडव नृत्य नदी ने किया वह मिश्रा जी ने बताया था इस वार भी कुछ ऐसा ही मौका हुआ कि जोधपुर में रूका पड़ना और एक चीज मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर में बनाड़ में गाड़ी रूकने के बाद में जो पेशेंजर्स रवाना हुए सड़क पर जो पानी बह रहा था और ट्रेफिक जाम हो गया था लेकिन वहां पर पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं था ताकि वह ट्रेफिक का जाम किसी तरह से दूर कर सके और हम लोग बनाड़ से बस में चढ़ कर के जब जोधपुर पहुंचे ढाई घण्टे हमको लग गये और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करूंगा कि कार्य मात्रा समाप्त कर मजदूरी पूरी दें और बाढ का स्थाई हल निकालने की कुछ न कुछ व्यवस्था करें।

सदन की कार्यवाही

मुख बन्द के समय में वृद्धि।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुखबंद का समय साढ़े चार वजे रखा है लेकिन जो सूची मेरे पास आई है उसको देखते हुए आप लोग यदि मुझे सहयोग करे तो मैं इसका समय बढ़ा रहा हूं। लेकिन जो समय वढ़ा रहा हूं उसमें हो सकता है कि यदि आप लोगों ने अधिक समय लिया तो बहुत से वक्ता रह जायेंगे। इसलिए आप इस पर स्ट्रीक्टली पांच और ज्यादा से ज्यादा सात मिनट से अधिक नहीं बोलें तो साढ़े पांच बजे मंत्री जी जवाब देंगे। छः बजे मुखवंद किया जायेगा। आपका पूरा सहयोग मिलेगा।

मांग संख्या 34 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह जी।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : अध्यक्ष महोदय मैं मांग संख्या 34 जिसमें नेचुरल केलेमिटिज अकाल और बाढ़ पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। जालौर जिले में या पश्चिमी राजस्थान के काफी हिस्से में इस बार बाढ़ आई और इससे काफी नुकसान भी हुआ और जो नुकसान हो चुका है उसके बारे में सरकार से निवेदन करूंगा और उसमें कुछ प्वाईंट दूंगा जिसमें किस तरह से नुकसानशुदा लोगों को फायदा दिया जा सकता है उनको किस तरह से कमी को पूरा किया जा सकता है साथ में बाढ़ से आगे के लिए नुकसान नहीं हो उसके लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा जिससे कि आईंदा कभी बाढ़ आये तो सरकार को फिर हर्जाना या खामियाजा न भरना पड़े और उसकी जगह पहले से कुछ काम करवाकर तैयार रखें। जिससे कि इतना नुकसान न हो। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे इलाके में छः नदियां हैं। छः नदियों में लूणी है, बांडी है, सूकड़ी है

(162)

(श्री गोपालसिंह)

खेवाह नदी है जोजरी है। इन नदियों में ज्यादातर बाढ़ आती है और इन सभी नदियों में नुकसान होता है तो बड़ी प्रलयकारी स्थिति बन जाती है इसके किनारे पर ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से ज्यादातर गांव नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं और किनारों पर बसने का मुख्य कारण यही था कि वहां पर कुएं मिल जाते हैं उनको पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाता है और खेती के लिए भी वे कुएं इसमें काम आ जाते हैं। चूंकि ये नदियां बाढ़ की आदी नहीं है इन नदियों की केपेसिटी ज्यादा पानी को उठाने की नहीं हैं इस वजह से थोड़ा ज्यादा पानी आने से किनारों से बाहर निकल जाता है और वह बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। तो उसके लिए तो जहां जहां भी नदियों पर गांव बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ बचाव के सर्व या धोरे या बाढ़ बचाव के फण्डे बनाने बहुत आवश्यक हैं ये चाहे अकाल राहत के समय में बने, चाहे किसी समय में। मैं तो कहता हूं कि इन दिनों में भी बने तो जिन लोगों के गांवों में नुकसान हुआ है उनको राहत देने का यह एक तरीका हो जायेगा। राज्य सरकार जिनको पैसा दे रही है या जिनको चार-चार रुपये मजदूर के लिए प्रति परिवार पन्द्रह दिन के लिए दे रही है मैं तो कहता हूं कि पन्द्रह दिन के बाद में ये बाढ़ बचाव के कार्य शुरू कर दें जिसमें उन लोगों को और अपनी जीविका को चलाने के लिए और अपने खाने पीने के साधन को फिलहाल जब तक की वो नहीं सैटल हो जावें जब तब बाढ़ बचाव का कार्य भी हो जायेगा। राज्य सरकार से उनको सहायता भी मिल जायेगी और साथ में ऐसे काम भी हो जावेंगे जिनसे आइन्दा इन गांवों में ऐसी स्थिति भयंकर रूप न लें शायद बाढ़ तो फिर भी आ सकती है लेकिन इतना नुकसान नहीं हो कई गांवों में मैं गया। वहां पर मैंने देखा कि जहां पर पुराने बाढ़ बचाव के स्पर बने हुए हैं उनकी वजह से वो बच गयें। गांव वालों ने मुझे कहा कि साहब यदि यह धोरा नहीं बना होता तो आज इस गांव में आपको मिलने वाला कोई नहीं होता। कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं वो गांव का गांव साफ हो जाता। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूं कि ये दोनों ही फायदे देगा। उस बाढ़ बचाव के धोरे से कम पानी होता है उस वक्त तो खेती हो जाती है उसके अन्दर पानी रूकता है उसकी वजह से। ज्यादा पानी आता है तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं। जिसमें कि गांवों को बचाकर आगे निकल जाता है और उससे आगे खेती हो जाती है। जो इस वक्त तालाब टूट गये हैं या बांध टूट गये हैं उनकी मरम्मत करानी बहुत निहायत जरूरी है अभी कोई बारिश का मौसम खत्म नह हुआ अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो पन्द्रह दिन ही तो जुलाई के निकले हैं। अभी तो आगे डेढ महीना या दो महीना बाकी पड़ा है। तो मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से कि ये बाढ़ फिर ना आ जाये और अब चूंकि जमीन तर हो चुकी है और पानी काफी जज्ब हो चुका है जमीन के अन्दर, तो ऐसी हालत में अगर अब थोड़ी भी बारिश ज्यादा होगी तब भी ऐसी स्थिति

(श्री गोपालसिंह)

इससे आधी बारिश में ही हो सकती है। लिहाजा जहां-जहां धोरे कटने से बांध टूटने से या ऐसी कोई स्थिति बन गई है इनको जल्दी फिर से बनवा दिया जाये और इनका फिटिंग ठीक तरह से कर दिया जाये। जिससे कि अब वापिस वर्षा हो जाये तो फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहाव को रोकने के लिये एक छोटी सी बात यह है कि जहां-जहां जिन-जिन गांवों में नुकसान हुआ है उन गांवों में यह जरूर देखा जाये अगर वहां आइंदा भी पानी ज्यादा आने से घर टूटने वाले हैं तो वहां पर किसी हालत में उनको पैसा देकर गांव वालों को बसने के लिये जगह दें, उनको ऐसे सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाये जहां पर और आईंदा पानी आ जाये तो पानी वहां न पहुंचे। उनके पीने के पानी की समय से व्यवस्था कर दी जाये, पहुंचने की व्यवस्था हो जाये तो वह गांव वाले स्वयं सहर्ष वहां बसने को तैयार हैं। कई जगह मैं गांवों में गया उन्होंने यह कहा है हमको अच्छी जगह दिलवा दीजिये, हम वहां जायेंगे हम वहां बसने के लिये तैयार हैं। जिनके मकान टूटे हैं उनको जो राशि इस समय राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है वह बहुत कम दी जा रही है। पूरा मकान गया उसको एक हजार रुपये, जिसका कम नुकसान हुआ उसको 500 रुपये और जिसका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको दो सौ रुपये। मैं चाहता हूं कि इसमें आप इन्दिरा आवास योजना को ले लीजिये, एन. आर. वाई. के प्रोग्राम को भी इसमें शामिल कर लीजिये। इसमें मुख्य मंत्री कोष में भी पैसा जमा कर लीजिये और यह हजार रुपया जोड़कर कम से कम पांच हजार या छः हजार रुपया जिसका मकान टूटा है उसको जब तक नहीं देंगे तब तक वह पक्का मकान नहीं बना पायेगा। इसके अन्दर में यह निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इतना पैसा दे दें जिससे एक पक्का मकान हर व्यक्ति को मिल जाये। ज्यादातर कच्चे मकान वालों के घर गये हैं और उन्हीं का नुकसान हुआ है। मैंने गांव में देखा है जिसने पक्का बना रखा है उसने अपनी सामग्री बचा ली, उसने अपने बच्चे को औरतों को ऊपर बैठाकर उनकी जान बचा ली। इसलिये कम से कम ऐसा किया जाये एक मकान पक्का बन सके उतने पैसे तो उनको दिये ही जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां कहीं ज्यादा वर्षा हुई है वहां कुएं तो ढह गये हैं, कुओं के अन्दर मिट्टी आ गई है और उनके पम्पिंग सेट कुओं में डूब गये। उनके लिये ऐसी राहत दी जाये, इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दे दीजिये जिससे वह फिर से अपने मशीन सेट या पम्प सैट ले सकें और उन जमीनों को रीक्लेम करने के लिये भी चाहे लोनिंग का सिस्टम दे दीजिये, चाहे सबसिडी कर दीजिये। अगर वह जमीन ठीक करने लायक है तो ठीक किया जा सके। नहीं तो उन जमीनों की किस्म जल्दी से जल्दी बदल दी जानी चाहिये। अगर वह चाही जमीन थी और अगर उसमें कुआ खतम हो गया है, उसके ऊपर पांच पांच छः छः फीट रेत या मिट्टी आ गई है जिसको हटाना संभव नहीं

(1.6.4)

(श्री गोपालसिंह)

है तो उनको चाही से आप बैरानी पर ले आईयें और वह बारानी के लायक भी नहीं हो तो उसको गैर मुमकिन कर दीजिये उस आदमी से इस्तीफा दिलाकर के या उनको कहीं भी दूसरी जगह भूमि अलाट करिये नहीं तो उसके ऊपर रेवेन्यू का बहुत वजन बढ़ जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें एक और निवेदन करना चाहूंगा। इस बाढ़ से नुकसान तो अवश्य हुआ है इससे फायदे भी हुए हैं। वह फायदा उठाना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बाढ़ की वजह से जो पानी बढ़ा है उसकी वजह से अब रबी की फसल और अच्छी होने वाली है। उसका भी अगर हम फायदा नहीं उठायेंगे, इधर तो हमारा दो तरफा नुकसान हो जायेगा। हमारा नुकसान तो हो गया, जान माल की हानि हो गई। लेकिन अब अगर इसका फायदा भी उठा लें तो में समझूंगा कि इसमें हमारी दूर-दर्शिता दिखेगी। इसके लिये एक तो खाद बीज अवश्य समय पर मुहैया करवा दिया जावे जिससे लोग अपनी खेती कर सकें। इसके अलावा उनके बैल वगैरह भी मर गये हैं तो उनको कुछ इस तरह से सहायता दी जाये जिससे वह ट्रैक्टर किराये पर लेकर अपनी खेती कर सकें। इसके अलावा जहां पर हमारी अच्छी जमीन थी और उस पर रेत आ गई है, उस रेत में इस समय अरण्डी की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। हालांकि हमारे इलाके में अरण्डी बहुत नहीं बोई जाती लेकिन अगर इस वक्त अरण्डी (केस्टर) का बीज मुहैया करवाया जाये तो उस इलाके में बहुत अच्छी खेती केस्टर की करवा सकते हैं। इसी तरह से रबी की फसल के लिये भी रस्ट प्रूफ की वैरायटीज हैं, इस साल हमें नुकसान आयेगा क्योंकि अगर हम गेहूं बो भी देंगे इतना ज्यादा पानी हो गया है कि उसके अन्दर रस्ट अवश्य लगेगा गेहूं के अन्दर। तो रस्ट को बचाने वाली जो वैरायटीज है वैसी वैरायटीज को अभी से हमें मंगवा लेना है जिससे जब हम खेती करेंगे, इस साल हमें बहुत बीज चाहियेगा, रस्टप्रूफ बीज मिल जायेगा तो हम आराम दे सकते है।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो बाढ़ आई वह अनएक्सपेक्टेड आई। बाढ़ आती है हमेशा महिड़ इलाके में जाती है कैज्युलिटी भी वहां होती है। मगर यह हमारा सौभाग्य रहा कि महिड़ इलाके में 45 गांवों में एक भी कैज्युलिटी नहीं हुई। मगर महिड़ से ऊपर के जो गांव थे जहां बाढ़ 80 साल में कभी देखी नहीं, उन गांवों में भयंकर नुकसान क्यों हुआ? जगह-जगह आपने बांध बनाये पोलिटिकल बांध लगाये 1 बन्डर का बांध टूटा उससे पमाना को, देवड़ा को यह हमारी तहसील में नुकसान हुआ। जहां खारा में 6 कैज्युलिटीज हुई। हरियाली में बन्डर का पानी आया। पोलिटिकल बांध पुर में भीखाराम सरपंच के खेत में मंगाया वह बांध टूटा उससे पुर में नुकसान हुआ। बसवा में नुकसान हुआ और इस प्रकार से सीदेसर में आपने पोलिटिकल बांध बांधा, बदवाखेड़ा, सीदेसर

(165)

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

और डबलकी कांकड़ पर उससे पालड़ी गांव को नुकसान हुआ है। पालड़ी गांव में हम गये तो उन्होंने हाथ जोड़ कर एक ही बात कही, इस बांध को तुड़वा दीजिये, हमें कोई राहत नहीं चाहिये। इस प्रकार से जगह-जगह हमारे बांध टूट गये और वह सब पोलिटिकल बांधों के टूटने से हमको नुकसान हुआ। 48 गांव हमारे घिरे हुए हैं जहां कोई व्हीकल जा नहीं सकता पैदल भी कोई आदमी उन गांवों में पहुंच नहीं सकता। उसके उपरान्त भी सरकार ने भी व्यवस्था की, और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी व्यवस्था की। हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे। आपका हैलीकाप्टर से सामान गिराया गया मगर हैलीकाप्टर से जिस प्रकार से सामान गिरता है किसी आदमी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मगर हमने बोरियों में तारुओं को भेजकर सैक्टर कायम किये। मण्डाली में सामान पहुंचाने के लिये गुजरात में मावसी होकर हम गये। सैक्टर मण्डाली में था। हमारे बाकोलिया साहब ने स्टेटमेंट दिया मालूम नहीं आकोड़िया कहां पर है चोरा कहां पर है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि चोरां में लोग वह गये। चोरे में एक भी कैज्युलिटी नहीं हुई न कोई बात हुई। हमारे दो पूर्व मुख्य मंत्री जी भी सांचोर पधारे वह भी रात को वहां ठहरे। उनसे आत्मा पर हाथ देकर पूछिये। आपने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र सांचौर में किसी से जाकर पूछा है क्या हरियाली में आप गये हो जहां कैज्यलिटी हुई है। जहां नुकसान हुआ है। भाषण तो दे सकते हैं। कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार ने जो काम किया है पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया....(व्यवधान)

ठहरिये साहब, बोलने दीजिये। आप बाद में जवाब दे देना। (व्यवधान) कैज्युलिटी हरियाली में पांच तारीख को हुई और 6 तारीख को मुख्यमंत्री के कोष से पेमेंट किया है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री बताइये किसी व्यक्ति को आपने इस प्रकार से पेमेंट किया है? कभी भी नहीं किया है। सब का सब पेमेंट हुआ है। 40 गावों में जहां राशन नहीं पहुंच सकता है वहां राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। पहुंच गया है और पेमेंट भी हो रहा है और इतना जल्दी पेमेंट शायद कभी नहीं हुआ होगा....

एक माननीय सदस्य : बहुत कुछ किया है।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : बहुत किया किन के लिये किया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : किन के लिये किया है गरीबों की जेबों को काट कर +++ किया था और आज वही शिकायत हो रही है। शिकायक इस बात की हो रही है कि आज पैसा डाइरेक्ट गरीब के हाथ में जा रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहूं एक कांग्रेसी ने हमें सहयोग नहीं दिया। सांचोर तहसील में इतना फल्ड आया एक पैसे का सहयोग नहीं दिया और एक दिन काम नहीं किया....

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(166)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है आपने किसी ने नहीं दिया अब तक।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : धर्मात्मा बनना चाहते हैं कोई थोड़े बहुत पूड़ियां बांट करके इससे जनता बहकावे में नहीं आने वाली है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : सरकार जो पैसा देती है उसमें जनता का पैसा है हम सब का पैसा है। सरकार में बैठे हुए लोग जेब से पैसा नहीं देते हैं सरकार का पैसा हम सब का पैसा है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अंगुली कटवा कर शहीद बनना चाहते हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।
(व्यवधान)

(4.00 म. प.)

माननीया उजलाजी बिराजें।(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) **:** पूड़ियां भी नहीं बांटी थीं जयपुर में तो।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो कट्टे कांग्रेसियों ने दिये थे, वे मण्डी में बिके। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) **:** कांग्रेस लोगों को पैरों पर खड़ा करेगी, भिक्षावृत्ति नहीं करवायेगी और जो धर्मात्मा बनना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बोलने दें तो बताऊ, आपने क्या किया है बाद में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय लक्ष्मी चन्द जी मेहता। (व्यवधान) आप बिराजिये। आप क्यों खड़े हुए हैं? आप बोलेंगे? आपका भी नम्बर है।

माननीय सदस्य, अब यदि कोई बीच में सदस्य बोलेगा, जिसका नाम इस लिस्ट में है, मैं उसका नाम नहीं पुकारुंगा और यह मान लूंगा कि वह बोल चुका है। मैं बता देता हूं। (व्यवधान)

आप तो बोल चुके।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मेरा विषय है कि किसी ने यह बात कही नहीं, झट से लेकर कांग्रेस और हमने अंगुली कटाकर शहीद बन गये। हमने कोई विवादास्पद बात इस पर नहीं की।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) **:** हमें कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिये। इस समय लोगों को हमदर्दी की जरुरत है। मौके पर पहुंचे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) बिराजिये। हो गया आपका।

माननीय लक्ष्मी चन्दजी।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रोवोक मत करिये। बोलिये आप। जो काम किया है, बोलिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम तो आ गया साहब।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : जहाँ तक दवाई वितरण का सवाल है, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। आज दिन तक कोई बीमारी पैदा नहीं हुई और 17 टोलियां डाक्टर्स की पूरे इलाके में घूम रही हैं। व्यवस्था जितनी हो सकी, सरकार ने करने की कोशिश की और हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप जो मर्जी आये, बोलने के लिए प्रिविलेज है। मैं किसी को रोक नहीं सकता। मैं तो व्यवस्था के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि व्यवस्था रखिये, शान्ति से सुनिये, एक दूसरे को प्रोवोक मत करिये। विषय बहुत गम्भीर है। सामान्य जनता से सम्बन्धित है। विराजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सुझाव तो हमने भी दिये हैं। इसमें घर से क्या गया है? बाढ़ से 7 जने वह गये थे आपके राज में और इत्तला दे नहीं सके आप। (व्यवधान) शर्म की बात है। बचा नहीं सके।

एक माननीय सदस्य : आप तो विराजें महावीर जी। महावीर जी, आपको क्या पता बाढ़ क्या होती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके घर से कौन वह गये हैं? आप क्यों खड़े हो रहे हैं। जबरदस्ती खड़े हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : जिस समय बाढ़ आई थी, उस समय तो आपको....

श्री अध्यक्ष : माननीय महावीर जी, बैठिये। प्लीज। बिराजें। कृपया बैठिये (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : डूबा हो तो बताऊं, कैसे बाढ़ में और कैसे अकाल में वहां स्थिति जो है, वह बता रहा हूं। अच्छा नहीं लगे आपको तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराज जाय। ठीक है। श्री अमीन खां। आप बैठिये। हो गया आपका।

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के नाम पर यहां बाढ़ पर चर्चा हो रही है। हमारे एरिया जैसलमेर, जो 38000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां चौमासे में इस तरह के मवेशी जैसे गाय इत्यादि जानवर, उस एरिये में बसते हैं। जो यह जैसलमेर जिला, पोकरन तहसील नाचना सब तहसील, सब-तहसील और शिव तहसील के पश्चिमी क्षेत्र में, जहां गाय का बचाव होता है, वहां पिछले 5 साल से लगातार अकाल का एरिया रहा है और आज तक वहां बारिश की एक बूंद नहीं होने से लोग घबरा रहे हैं। अकाल की स्थिति और इस एरिये के बाड़मेर जिले के धोरी-

(168)

(श्री अमीन खां)

मन्ना, चौहटन, बायतू, और बाड़मेर समितियों के मवेशी पालक लोग हमेशा....

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ी सी बाढ़ अपने यहां ले जाइये खींच कर। दोनों समस्याएं हल हो जायेंगी।

श्री अमीन खां : जो समस्या है, वह मैं कहूंगा और वह इस डिमान्ड से सम्बन्ध रखती है। अकाल राहत से सम्बन्धित हैं। मैं विषयान्तर नहीं हो रहा। इस इलाके में आज मवेशी खतरे में है। राजस्थान के जिस इलाके सीवण घास होती है, इस पूरे बीट में बरसात नहीं है और जहां सीवण घास नहीं होती है, वहां बरसात ज्यादा होती है। तो इस पश्चिमी राजस्थान में गाय, भेड़, बकरी आज की तारीख में खतरे में हैं और बरसात का औसत भी मौसम के अनुसार बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि 10 अगस्त के बाद में बरसात यहां से चली जाती है और इस पश्चिमी राजस्थान में 10 अगस्त के बाद में बरसात नहीं आती है और 10 अगस्त में टाइम बहुत कम बचा है। इन मवेशियों के लिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जहां-जहां बरसात हुई है, उस जगह, कौनसी जगह फोरेस्ट की जमीन है और कौनसी जगह और किसी किस्म की सरकार की जमीन है जहां घास हो सकती है। जहां डी. डी. सी. में जो ट्यूब वैल खुदाये गये हैं, सीवण घास के एरिये में अभी जहां पानी अच्छा निकल सकता है, अकाल राहत में ऐसी जमीन में ट्यूब वैल खुदाया जावे ताकि वहां के मवेशी बच सके अन्यथा बाद में सरकार अगर प्रयास करेगी तो भी मवेशियों को बचना मुश्किल हो जायेगा। पहली बात तो है यह।

दूसरी बात है, पिछले 5 साल में लगातार हो रहा है। एक साल तो कांग्रेस की सरकार ने वहां राहत कार्य कुछ भी नहीं खोला और इसी साल में आपकी सरकार ने भी एक टके की भी काम नहीं खोला और मानकर यह ऐसा विश्वास हम करते हैं, कि वहां के लोग असत्य बताते हैं, अकाल की हालत है ही नहीं। जबकि वहां पर अकाल की हालत बहुत खराब है और लोग गुजरात गये, महाराष्ट्र गये, पंजाब गये। जुलाई के महीने में लोग खेती करने की नीयत से वापस इस वक्त घरों में पहुंच गये हैं। जहां बरसात नहीं हुई है, उस जगहों पर फेमिन की जो पुरानी ग्रेवल रोड है, उन पर भयंकर रेता आ गया। गांव की बसों का आना-जाना बन्द हो गया है। पानी के टेंकर कई गांवों में और ढाणियों में जाते थे। ऐसे रेतों में जहां पानी के टेंकर जाते थे, वे रूक गये। तो वहां की हालत बहुत नाजुक हो गई है। उस हालत में जुलाई में भी हमेशा अकाल राहत कार्य चले हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक भी वहां अकाल राहत कार्य हेतु जिला प्रशासन को तत्काल आदेश दिया जाय जहां लोग, साइट पर मजदूर आते हैं, बरसात नहीं हुई है, वहां कार्य चालू किया जाय। जहां कार्य चालू करने की स्थिति नहीं हो, वहां स्पेशल राहत लोगों को दी जाय ताकि लोग मवेशी बचा सके या बरसात आजकल में हो जाय तो खेती कर सके अन्यथा वहां के गरीब किसान 5 साल से अकाल से पीड़ित खेती से महरूम रह जायेगा।

(श्री ग्रमीन खां)

नम्बर 3. पिछले फेमिन में मस्टररोल में हजारों ग्रादमियों के ऐसे पड़े हैं जो फेमिन के चलते समय जो भुगतान हुग्रा, वह तो हो गया, उसके बाद में मस्टररोल वापस दफ्तरों में जमा हो गये ग्रौर उन लोगों के पेमेन्ट ग्राज तक भी नहीं हुए। हां, ये कोई कह करके ग्रपना पिण्ड छुड़ाया हो कि वे मस्टररोल फर्जी थे। हम कहते हैं उस मस्टररोलों की जांच करा लो। जो फर्जी पाये जाय उनके खिलाफ कार्यवाही करे लेकिन हकीकत में जो गरीब मजदूर को उनका हक रह गया मजदूरी का, उस मजदूरी का तत्काल भुगतान करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नम्बर चार, ग्रभी बाढ़ के दिनों में खुलेग्राम 90 रुपये बाड़मेर से जोधपुर प्राइवेट बस वालों ने किराया लूटा। सिर्फ तीन चक्कियां चली डीजल की, दो रुपया प्रति किलो वसूल किया गया ग्राटे की पिसाई का। हर चीज के व्यापारी ने खूब पैसे कमाये ग्रौर प्रशासन देखता रहा ग्रौर वहां लोगों की लुटाई हुई। इसके ग्रलावा ग्रकालग्रस्त एरिया में जहां काम खुलने चाहिये, वह पहले भी नहीं खुले हैं, आज भी नहीं खुले हैं। वहां की मवेशी खतरे में है, लोग खतरे में हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि उन गांवों में सस्ती दर की ग्रनाज की दुकानें पहले भी नहीं खुली हैं, ग्रब भी नहीं खुली हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री ग्रमीन खां : उन गांवों में सस्ती दर का ग्रनाज पहुंचाया जावे ग्रौर उन मवेशियों के लिये इन्तजाम किया जावे।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हेतरामजी। ग्राप क्या बोल रहे हैं? हेतरामजी बोल रहे हैं।

श्री किशनाराम : एक मिनट मुझे बोलना है।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं नहीं, हेतरामजी बोल रहे हैं। पहले इनका नम्बर है। ग्रापका नम्बर ग्रायेगा तब बुलाऊंगा। श्री हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रसल में बोलने की बात तो हमारी है बाकी को क्या बोलना है? ग्रसल में ग्रापको बोलने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हेतरामजी, बोलिये ग्राप। ग्रार्डर प्लीज। ग्रार्डर। बोलिये ग्राप।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें स्थगन प्रस्ताव था, मुझे तो प्रायोरिटी में मौका दें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। ग्राप न तो ग्रासन की व्यवस्था मानते हैं, न सदन की स्वीकृति को मानते हैं। तय हो गया साढ़े पांच बजे मंत्रीजी बोलेंगे। मुझे इन सबको बुलाना है। ग्राप बीच-बीच में इसमें खड़े हो रहे हैं। ग्रापका नाम होगा तो ग्रा जायगा। ग्राप बिराजिये, स्थगन प्रस्ताव गये।

(170)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से विशेष तौर से जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने की बजाय जो कुछ उन्होंने पहले बोला है अगर आप उस पर अमल करलो तो आप समझ लो यह बोला हुआ ही हो गया। आपने जो कुछ अकाल पर विशेष तौर से पहले बोला है और इस बात के लिये बोला है कि अकाल की फसल यह कांग्रेस के लोग उठाते रहे हैं, हर बार अकाल के लिये केन्द्र से पैसा लेते रहे और पैसा लेकर चुनाव में इस्तेमाल करते रहे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब आपके पास मौका आया है जो भी पैसा हमें अकाल की सहायता के लिये मिलता है, जो भी हमें मिलेगा नाइन्थ कमीशन के तहत उस पैसे को हम उसी तरह से इस्तेमाल न करके हमारे जो स्थायी प्रबन्ध में अकाल को मिटाने के लिये वह करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रमुख तौर से विशेष जो पश्चिमी राजस्थान में अकाल को मिटाना है तो राजस्थान कैनाल को पूरा करने का प्रण लें।

इसके साथ साथ दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जिस जगह बाढ़ आती है और उसी जगह बहुत दफा अकाल होता है। हमारी विडम्बना यह है कि बहुत दफा पाली, सांचौर इन क्षेत्रों में अकाल भी होता है और बाढ़ भी आती है। क्या हम इसको एक साथ नहीं मिला सकते। कि बांध बनाये जायं और ऐसी परमानेन्ट व्यवस्था की जाय जिससे वह पानी हम इस्तेमाल कर सकें उन क्षेत्रों में।

इसी तरह मुझे एक बात सबसे बड़ी यह कहनी है, जो हम यह बांटने का काम करते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि यह स्वांग है कि हम बाढ़ पीड़ित लोगों को या जो अकाल पीड़ित लोग हैं उनको किसी तरह का पैसा बांटे। उसकी बजाय हम रोजगार और व्यवस्था जो उनकी है उसको करने के लिये साधन दें। यह सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिये। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और बोलने वाले बोलेंगे भी, आपने आपदाओं के अन्दर जो हमारी जनता थी उसका जिन लोगों ने फायदा उठाया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मुझे बहुत अफसोस है, मैं उन आंकड़ों को आपके सामने रख रहा हूं, 80 रुपये किलो तेल बिका। क्या कोई भी आपकी मशीनरी, कोई कानून, व्यवस्था नहीं थी जीवित उस वक्त जो उनके खिलाफ एक्शन लेती जिन्होंने 80 रुपये तेल बेचा, 6 रुपये लीटर कैरोसिन बेचा, 9 रुपये किलो दूध बेचा, दो रुपये किलो आटे की पिसाई जो हमारे गेहूं का भाव है उसके बराबर ली गई। ऐसे लोगों की जिन्होंने....

श्री देवीसिंह भाटी : वहां पहुंच ही नहीं सकते, एक्शन क्या लेते।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक्शन लेने वाले बाद में तो पहुंच गये, पता लग गया। हम शिकायत कर रहे हैं, आपके पास इस बात की प्रार्थना करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ताकि यह जो कार्यवाही हो गई, आइन्दा न हो। मुझे आपसे यही कहना है कि जो कुछ फ्लड में हमारे साथ होता

(श्री हेतराम बेनीवाल)

है, मैं भी उन क्षेत्रों में से हूं जिसमें इस तरह से अचानक फ्लड आती है। हमारे यहां जितनी कैज्युलटी होती है, उसका कारण यह है कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर है कि यहां बारिश आयेगी। पिछले डेढ़ साल दो साल पहले सितम्बर के महीने में गंगानगर जिले में बाढ़ आई जबकि इसकी सम्भावना ही नहीं, सोच ही नहीं सकते हैं। उस वक्त फ्लड आया और फ्लड में इतनी बड़ी तबाई हुई। मुझे आज राजस्थान सरकार ने जो कुछ किया है मैं इस बात को निश्चित रूप से सच्चाई से मानूंगा कि राजस्थान सरकार ने हिम्मत से और जो भी कुछ उसके पास साधन थे उन साधनों को इस्तेमाल करके राजस्थान के लोगों को हिम्मत दिलाई है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारे गंगानगर जिले में डेढ़-दो साल पहले जो तबाही आई उसमें यह जो हमारे साथ बैठे हैं पड़ोस में मेरे, राजस्थान की हमारी ही बदकिस्मत सरकार थी, हमारा ही बदकिस्मत प्रदेश था जिसको एक पैसा नहीं मिला, बाकी सारी स्टेट्स में जो सितम्बर की बाढ़ आई उसमें राजीव गांधी ने पैसा दिया। हमारे यह मुख्य मंत्रीजी इसलिये चुप रहे कि राजीव गांधी को राजी रखना था। जो चार करोड़ रुपये दिये, अध्यक्ष महोदय, अगर उसकी जांच कराये आज के माननीय मुख्य मंत्री तो वह सारे के सारे लोग जेल में जायेंगे जिन लोगों ने वह चार करोड़ रुपये इस्तेमाल किये हैं। क्योंकि वह जो चार करोड़ रुपये मिले उसमें से दो करोड़ रुपये तो उन बांधों के लिये इस्तेमाल किये गये जो नाली में बांध बंधे। मुझे इस बात का निवेदन करना है कि अगर कोई इन नदियों में और नालियों में बांध आता है, हमारी कम से कम फ्लड रिवर के बारे में कह सकता हूं घग्घर में उस बांध का कारण राजनैतिक है। राजनैतिक असर वाले अपने खेतों को बचाने के लिये उस नदी को संकरा करते जा रहे हैं जो कभी पांच सौ फीट, दो हजार फीट या चार हजार फीट में चलती थी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह 25 फीट में चलती है। 25 फीट की एक नदी में अगर 14 हजार या 20 हजार क्यूसेक पानी आयेगा तो वह सारे शहरों को बहा ले जायगा। इसलिये मैं समझता हूं फ्लड के मामले में और अकाल के मामले में, जो दैवीय विपत्तियां हैं उन मामलों में कभी राजनीति को इस्तेलाम नहीं करना चाहिये। हम अगर राजनीति से ऊपर उठ कर इनका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से हम तभी राजस्थान को बचा सकते हैं। चाहे वह बांध के मामले में हो, बांध अगर राजनैतिक तौर पर बांधेंगे....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मोहनलालजी चौहान।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे यही कहना था कि इस मामले में जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, गैर राजनैतिक तौर से इसको इस्तेमाल करेंगे।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्षजी, आज मांग संख्या 34

(श्री मोहनलाल चौहान)

प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर चर्चा सदन में हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकृति की लीला अनोखी है, प्रकृति की लीला को कोई नहीं पहचान सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ जहां पर अधिक लोग रहते हैं, जिनके कच्चे झोंपड़े, छानें आदि होती हैं अधिकतर गर्मी के मौसम में तूफान से या गर्म हवाएं चलने से अग्निकांड होते हैं, अग्निकांड में कई मोहल्ले के मोहल्ले जल जाते हैं और मकान उनके स्वाहा हो जाते हैं, जीवन भर की अर्जित की हुई सम्पत्ति सब स्वाहा हो जाती है। उनको जब सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, तो एक परिवार के एक सदस्य के पीछे 75 रुपये दिये जाते हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूर्व सरकार ने अजमेर में पब्लिक पार्क में शराब पीकर मरने वाले लोगों को लाखों रुपये दिये, सहायता पहुंचाई जब कि अग्नि पीड़ितों को, जिनकी अर्जित की हुई सम्पत्ति पूरी नष्ट हो जाती है, दो सौ ढ़ाई सौ रुपये या तीन सौ, चार सौ रुपये दो तीन साल में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो यह सदन को सोच करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है, अध्यक्ष महोदय, सरकार को आपकी मार्फत कि अग्नि पीड़ित लोगों को इमीजिएट रिलीफ पहुंचाने के लिये कम से कम एक टीन शैड की व्यवस्था तो करनी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की छानें, झोंपड़ें जल जाते हैं उनको रहने के लिये कोई सुविधा नहीं होती है तो इमीजिएट रिलीफ के लिये एक टीन शैड की व्यवस्था करनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, खानों में कई दब कर मर जाते हैं, कई दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाते हैं, कई वृक्षों से गिर कर मर जाते हैं, कई बाढ़ से मर जाते हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से थोड़ी-थोड़ी सहायता देते हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिये अकाल राहत के अन्तर्गत या अग्नि कांड के लिये कोई फण्ड नहीं है और कभी-कभी मुख्य मंत्री कोष से देते हैं। तो उसके लिए हमें दुर्घटना संबंधी या किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु होती है तो उन लोगों के लिए फण्ड तैयार करना चाहिए ताकि उनको तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।

अकाल राहत के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान में जो बाढ़ आई और मुख्य मंत्री जी ने उनकी सहायता, उनको बसाने के लिए टीन शैड आदि की घोषणा की उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करता हूं।

पूर्व सरकार में अकाल राहत के समय काफी गड़बड़ियां हुई। चारा घोटाले के कई मामले पड़े हैं। मकराना में भी लाखों रुपये के घोटाले के मामले पैंडिग हैं। हमारे यहां कोई ठेकेदार भीलवाड़ा का था। उसने फर्जी बिल बना कर पैसा उठाने की कोशिश की है, ऐसे मामलों पर तत्काल सरकार कार्यवाही करे।

अकाल राहत के अन्तर्गत पिछले तीन साल में जो सड़कें और बान्ध बने उनमें कई अधूरे पड़े हैं। सड़कों के सिर्फ रास्ते ही साफ हुए हैं लेकिन ग्रेवल खुदे हुए मौके पर ही पड़े हैं और सड़कें अधूरी पड़ी हैं।

(श्री मोहनलाल चौहान)

तो उन अधूरी सड़कों और बान्धों को पूरा करना चाहिए।

ओलावृष्टि मे और शीत लहर से किसानों को नुकसान होता है। कई कुओं में दब कर मर जाते हैं। उनको भी राहत देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय रतनाराम जी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ और अकाल के दैवी प्रकोप पर चर्चा होने जा रही है। मैं भी अपने विचार सदन के सामने रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जालोर जिले में बाढ़ की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिली। करीब 9 आदमी तो मेरे थीम गांव में मर गये और 4-5 आदमियों का पता नहीं है मर गये या जमीन के नीचे दब गये। अभी तक अता-पता नहीं है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र के गांव पूरण, करवाड़ा, चोंचरू दातवाड़ा, बन्दर और जालेरा-खुर्द के 6 बान्ध टूट जाने से उनके नीचे बसे हुए गांव, कुएं, खेत और कुओं नीचे जाव थे वह नष्ट हो गये। उनकी किसान खुद क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर या ट्रैक्टरों से उनकी जमीन, उनके बेरों की जमीन को ठीक करवाने के लिए उनको सहायता करवायें तो अति कृपा होगी। जो बेरे मिट्टी में दब गये हैं उनको निकालने के लिए मजदूरी के रूप में या सहायता के रूप में जो आप फरमा रहे हो, इशारा हो रहा है, एक हजार की सहायता फरमा रहे हैं, आपके इस कदम का मैं स्वागत करूंगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी के बहकावे में मत आइये आप।

श्री रतनाराम चौधरी : आप अपना रिप्लाई देंगे उस समय पूरी बात हम को सुनने को मिलेगी।

दूसरी जो विपदा, हमारे यहां दो-तीन साल से भयंकर अकाल पड़ा जिसके कारण किसान बिल्कुल कमजोर हो गये थे और ऊपर से यह बाढ़ आ गई इसलिए जितना हो सके उनको जल्दी से जल्दी सहायता दें। उनके घर बसाने, मकान बनाने, पशु-धन मर गया, उसके लिए उनको सहायता करवाने की कृपा करें।

एक हमारे उस साइड में सिर्फ एक जगह पर पूरे गांव का लाटा लिया जाता है यानि खेती की सारी फसल को एक जगह निकालने का रिवाज है। कभी-कभी ऐसी घटना घटती है कि आग के प्रकोप से उनकी सारी की सारी फसल जल कर भस्म हो जाती है। परन्तु न पूर्व में और न अभी, किसी सरकार ने किसानों की जो 12 महीने की कमाई, मेहनत से की हुई फसल एक जगह लाकर रखते हैं वह जल जाती है उसके लिये सहायता का प्रावधान नहीं किया। उसमें भी आप कोई न कोई सहायता करने का प्रावधान करें। क्योंकि जैसे फैक्टरी में आग लग जाती है तो फैक्टरी मालिक को सहायता मिलती है।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री जी की आदत जानते हो, आप कम बोले तो

(श्री अध्यक्ष)

उन्होंने इशारा कर दिया। ज्यादा बोलेंगे तो कम कर देंगे.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मन से बोलते हैं किन्तु इनके पास माननीय रामसिंह जी बैठे इनको बहकाते हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं साहब, मैं किसी के बहकाये नहीं बहकूंगा। इसलिए धन्यवाद देता हूं....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रतनाराम चौधरी : बाढ़ में किसानों के कुएं दब गये उनकी व्यवस्था करें.... (व्यवधान) आपका काम लोगों के सामने जायगा तो लोग अपने आप जानेंगे कि हमारी सेवा किसने की है।

जय हिन्द।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू): अध्यक्ष महोदय मैं मांग सं. 34 अकाल एवं बाढ़ राहत अर्थात् प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अकाल राहत मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके अकाल राहत का चार्ज सम्भालने के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां हमेशा अकाल पड़ा करता था वह अकाल समाप्त होकर बाढ़ की स्थिति आई। आज तक लोग अकाल राहत मंत्री रहते थे वह अकाल राहत मंत्री थे तन्दुरूस्त हो जाते थे लेकिन माननीय पुष्पाजी का वजन घटा है, वह दुबली हुई हैं चिन्ता से। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 6 तारीख को उद्योग मंत्री जी जयपुर पधार रहे थे, उनका कार्यक्रम था खादी संस्थान और चैम्बर आफ कामर्स में लेकिन उन सब को छोड़ कर पहले मुख्य मंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गये। यही नहीं राजस्थान के खाद्य मंत्री, आयुर्वेद मंत्री, वन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पशुपालन मंत्री जी भी तुरन्त पहुंचे और वहां जाकर जम गये और वहां व्यवस्था की, जानकारी प्राप्त की कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तैदी से कैसे दुःख में घिरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवा सकें। लेकिन समय कम है इसलिए मैं बिन्दु ही बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली चीज तो यह है हमको प्राकृतिक आपदा चाहे बाढ़ हो या अकाल हो उसकी रोकथाम के स्थायी समाधान का पूर्व में ही प्रबन्ध करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्रीजी ने बयान दिया था कि प्राकृतिक विपदाओं और महामारी की रोकथाम के लिए एक स्थायी कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था कायम की जायेगी लेकिन वह व्यवस्था टांय-टांय फिस्स हुई, उसका कुछ नहीं हुआ। सरकार के साथ वह व्यवस्था भी चली गई। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी उनमें आज भी मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से पुनः वर्षा होने से खतरा पैदा हो सकता है इसलिए जहां पर पुल नहीं है वहां पर स्थायी रूप से पुल बनाये जाने चाहिए। जहां पर नालियां रूकी हुई हैं, उनकी सफाई करानी चाहिए।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

बांधों की भी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए और ढलान के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार ने हमेशा अकाल पीड़ितों (व्यवधान) जरा सुनने की भी क्षमता रखिये, जब आपका समय आये तब बोल लेना। पिछली सरकार के समय प्रदेश में सदियों का भयंकरतम अकाल पड़ा। पश्चिमी राजस्थान का तीन चौथाई पशुधन नष्ट हो गया। फेमिन कोड के तहत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार उन क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करती और वहां के लोगों के खाने-पीने की और दूसरी व्यवस्था फरमाने की जिम्मेदारी लेती। लेकिन पिछली सरकार ने फेमिन कोड के तहत अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बजाय उसको केवल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय अकाल-बाढ़ सहायता मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व के अनुमान के तहत राजस्थान के 25 जिलों के 14015 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया था परन्तु अब पश्चिमी राजस्थान में अच्छी वर्षा होने के कारण पुनः सर्वे करवाया जाना चाहिए कि कौन-कौन से क्षेत्र अकालग्रस्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी विपदाओं के समय चाहे कैसा ही कठोर हृदय का व्यक्ति हो, उसका भी मन यह करता है कि हम जितनी भी सहायता जरूरतमंद लोगों की कर पायें, हमको करनी चाहिए। लेकिन पिछले शासनकाल में अकाल राहत को लोगों ने ईद और दीवाली की तरह मनाने का काम किया और बाड़मेर, बीकानेर और भीलवाड़ा में बड़ी मात्रा में चारा घोटाला काण्ड हुए। लोग अकाल राहत और पशुओं के चारे के अन्दर भी भ्रष्टाचार करके लाखों, करोड़ों रुपये डकार गये। एक बयान उस समय दिया गया था कि इस चारा घोटाला काण्ड पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। सदन की तरफ से भी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को मैटर सौंप दिया गया था, उसकी जांच रिपोर्ट मंगवा कर उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से प्रभावित होकर जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनको आज भी पांच हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। वैसे तो मृतक के परिजनों को आप चाहे तो पूरी तिजोरी खोल कर दे दें, चाहे जितना पैसा दे दें लेकिन उसकी भरपाई नहीं होती। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पांच हजार रुपये की सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए। अभावग्रस्त इलाकों और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो राजस्व की वसूलियां स्थगित की गई हैं, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। यह सरकार का सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में जितना पैसा अकाल राहत पर खर्च किया जाता रहा है, हमारी अकाल राहत मंत्री ने अकाल राहत के लिए 131 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, यह सर्वाधिक राशि है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। माननीय

(178)

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो सुझाव ग्रौर देना चाहूंगा। उन क्षेत्रों में जहां ग्राज भी पानी की निकासी की समस्या है चाहे वह चूरू हो या चाहे वह झुन्झुनू का पीपली चौक हो ग्रौर दूसरे गांव हों, उनका सर्वे करवाकर अभी से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था कराई जाना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इन क्षेत्रों के लोगों को भी ग्रकाल ग्रौर बाढ़ से हानि उठानी पड़े। मैं एक बात ग्रौर कहना चाहूंगा कि ग्रग्निकाण्ड भी एक प्राकृतिक विपदा में ग्राता है। सरकार के पास इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम या योजना नहीं है कि जहां पर ग्रग्निकाण्ड हो उनको कितनी सहायता राशि दी जायेगी। इसलिए यह निर्धारण होना चाहिए कि जहां सामूहिक ग्रग्निकाण्ड हो या अग्निकाण्ड से बड़े पैमाने पर नुकसान हो उनको कितनी सहायता दी जायेगी। इसका निर्धारण होना चाहिए। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्राज बाढ़ पर हमारे माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे पीड़ितों की सहायता करने की, मुझे एक शेर याद ग्राया है....

श्री ग्रध्यक्ष : हां, शेर बोल दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : "खुदा महफूज रखे बड़ा जालिम जमाना है। दिलों में द्वेष रखते हैं बड़ा ग्रजीब दोस्ताना है।"

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह जी दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्राज दैवी विपदाग्रों के सम्बन्ध में जो मांग है उसके अन्तर्गत ग्रपने विचार रख रहा हूं। वैसे तो दैवी विपदाएं कई तरह की होती हैं। जो बाढ़ ग्राती है उससे हमारे यहां पर नदियों के ग्रन्दर बबूल उगकर जंगल बन जाते हैं। नदियों के ग्रन्दर से जो पानी ग्राता है उसका कारण यह है कि नदियों के ग्रन्दर जंगल बन गये हैं। उसके कारण पानी सीधा प्रवाहित नहीं हो करके दोनों तरफ बाहर निकल जाता है ग्रौर उससे तबाही होती है। इसलिए मेरा बाढ़ राहत मंत्री जी से यह निवेदन है कि यह जो बबूल नदियों के ग्रन्दर हैं ग्रौर वहां पर उन्होंने वन का रूप धारण कर लिया है उसको बाढ़ के पहले कटवाया जाना चाहिए। इसी तरह नदियों का जो तल है उससे गांवों का धरातल नीचे होने से बाढ़ का पानी गांवों के ग्रन्दर घुस जाता है इसलिए उन गांवों में बाढ़ का पानी नहीं ग्राये इसके लिए बाढ़ प्रोटक्शन बाड़ उन गांवों के बाहर लगाई जानी चाहिए। इसके लिए 1985 के ग्रन्दर जालौर जिले के ग्रन्दर एक फ्लड प्रोटक्शन स्कीम बनाई गई थी 12 करोड़ 75 लाख रुपये की, उसमें उन तमाम गांवों को लिया गया था जहां बाढ़ ग्राने की सम्भावना थी परन्तु यह 12-13 करोड़ रुपये का खर्चा सरकार नहीं कर पाई ग्रौर ग्रभी पिछली पांच-छः दफा जो बाढ़ ग्राई है उससे करीब एक हजार करोड़ रुपये की जमीन का नुकसान हुग्रा है। यह नुकसान केवल जालौर जिले का ही नहीं है, यह राजस्थान का नुकसान नहीं है,

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

यह तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, यह तो राष्ट्र का नुकसान है। इसलिए किसी क्षेत्र का भेदभाव नहीं समझ कर इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह से दैवी विपदाओं में पिछले तीन साल पहले और अभी पिछली साल पर्टिकूलर बैल्ट के अन्दर तूफान आया था, जो सांचौर के अन्दर आया था। उससे कई पिलर गिर गये, बिजली के कई खम्भे गिर गये और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। वह बैल्ट सिर्फ तीन या चार किलोमीटर चौड़ा था। इसी तरह से पिछली साल एक पर्टिकूलर बैल्ट के अन्दर ही ओले गिरे और वह भी दो, तीन किलोमीटर चौड़ा था। यह क्यों है? इसके कारण का हमारे वैज्ञानिक पता लगाये। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पड़ोसी देश अणु बमों का एक-प्रयोग कर रहे हैं और उनके प्रयोग से यह पर्टिकूलर बेल्ट में ही यह धारायें बनकर नुकसान होता है। माननीय अकाल राहत मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि पाली जिले के अन्दर प्रशासन द्वारा जो भी राहत में पूड़ियां और दूसरी किसी तरह की सामग्री पहुंचाई जा रही है वह प्रशासन की जीपों से पहुंचाई जा रही है। परन्तु उसमें हिन्दू महासभा के झण्डे लगा कर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही हैं। प्रशासन को यह शिकायतें मिली हैं। माननीय मंत्री महोदया, इसकी आप पुनः जानकारी लें। इस तरह से जो बैनर लगाकर आर. एस. एस. वाले सरकारी गाड़ी के अन्दर यह सरकारी राहत पहुंचा रहे हैं और....

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : यह आप गलत बात कह रहे हैं। आप यह गलत बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

ये तो हिन्दू महासभा का झण्डा, आर. एस. एस. का झण्डा है आप क्यों बोल रहे हैं। ये तो हिन्दू महासभा का झण्डा बता रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : ये हिन्दू महासभा और आर. एस. एस. के बैनर से सरकारी गाड़ियो के अन्दर सरकारी राहत, सरकारी पैसे से पहुंचा रहे है।

कई माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम समाप्त हो रहा है और आप + + + में रह जायेंगे। आप बोलिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह जो राहत अभी पिछले समय दी गई है....

श्री सम्पत सिंह : आर. एस. एस. का तो ध्वज होता है, झण्डा नहीं होता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने दल-बदल कर लिया है क्या ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : पिछली जो राहत दी गई है अभी हमारे जालौर जिले के अन्दर दस-दस दिनों तक कुछ भी नहीं पहुंच पाई। वहां पर सभी लोग एक तरह से भूखे मरे हैं। हैलीकॉप्टर का प्रयोग सिर्फ

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

178

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

बालोतरा में ही किया गया है । इसका प्रयोग जालौर के अन्दर क्यों नहीं किया गया ? ये सारा पालिटिकल और राजनैतिक फायदा उठाने के लिए किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री गुलाब सिंह ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सम्पत सिंह जी, आपने दल बदल कर लिया क्या ?

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की मांग संख्या 34 केबारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो राजस्थान का मौसम राजस्थान के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहा और जिस तरह से मौसम का हाल है वही हाल राजस्थान के मौसम विभाग का भी है। जब वह कहता है कि पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी तो वहां तो गर्म लू चलती है और पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आती है । जब वह दक्षिण राजस्थान की घोषणा करता है तो उत्तरी राजस्थान में बरसात होती है । यही कारण था कि पश्चिमी राजस्थान अकाल के चलते-चलते रातों-रात बाढ़ की चपेट में आ गया । पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली और जालौर जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए । मैं सुधार कर लेता हूं, सिरोही जिला भी प्रभावित हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 15 दिन तक लगातार मेरे क्षेत्र और जालौर क्षेत्र में रहा और दौरा किया । एक तारीख से पन्द्रह तारीख तक मैं वहीं रहा । आज तक जो बहस सदन में चल रही है, कोई माननीय सदस्य यह नहीं बोला कि पाली जिले का क्या हाल है, पाली जिले में कौन गया, पाली जिले में क्या स्थिति है, पाली जिले के गांवों की स्थिति क्या है........(व्यवधान)

मैं बता देता हूं । वह सरकार की बात है, जो सदस्य भी बोले हैं, उनकी बात कहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो यहां बैठे-बैठे बोल रहे हैं ।

श्री जुबेर खान : व्यवधान मंत्री जी मौजूद हैं ।

श्री गुलाब सिंह : मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि सरकार के मुख्य मंत्री और सारे मंत्री, लगभग आधे दर्जन से भी अधिक मंत्री उन गांवों के दौरों में गये और वहां के लोगों के हाल पूछे, उनको राहत प्रदान की । लेकिन दुर्भाग्य यह है, मैं कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं, कि जो प्रयास सरकार का रहा, मंत्रियों का रहा, अगर वही प्रशासन का रहता तो इतना नुकसान नहीं होता । जिला प्रशासन पाली और जालौर का, बिल्कुल निष्क्रिय रहा । हर गांव में सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति मैं था और उसके बाद प्रशासन पहुंचा । आर. एस. एस. और स्वयंसेवी संस्थाओं को दोष देते हो, × × × उन लोगों को, वह संस्थाएं उन लोगों को मरने से बचा रही थीं, उनको भूख से बचा रही थीं, उनको राहत सामग्री पहुंचा रही थीं और उसमें भी राजनैतिक भेदभाव की बात करते हैं । मैं

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री गुलाब सिंह)

बता देना चाहता हूं आपको, सुमेरपुर के जाखत नगर में जब बाढ़ की स्थिति आयी, लोग बेघर हो गये, वहां पर राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के स्वयंसेवक और रोटरी क्लब के कार्यकर्ता गये, साथ में मैं था। जब हम उनको भोजन के पैकेट देने गये, कांग्रेस के सेवादल के एक पदाधिकारी वहां पहुंच गये, उन्होंने रोटरी क्लब के अध्यक्ष का गिरहबान पकड़ा और बोले कि आप इनको भीख डाल रहे हो क्या? इस तरह की बात करते हैं यह। मैं आपको बता देता हूं, शांति रखिये, धीरज रखिये, थोड़ा सुनने का साहस कीजिए। समझे, माननीय सदस्य। उसके बाद बाछुन्दा गांव में गया, जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ, मेरे सुमेरपुर क्षेत्र का गांव है....

श्री अध्यक्ष : शान्ति तो एक है, रखेंगे कितने लोग?

श्री गुलाब सिंह : बाछुन्दा गांव में जब मैं गाड़ी लेकर पहुंचा, मेरे साथ चार आटे की बोरियां, प्याज, दाल, कपड़ा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम राशन सामग्री वितरण करने लगे तब वहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राजस्थान के मंत्री और उनके पदाधिकारी मौजूद थे, हाल-चाल पूछ रहे थे....

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह पूर्व केन्द्रीय मंत्री कौन थे?

श्री गुलाब सिंह : पूर्व केन्द्रीय मंत्री अशोक जी गहलोत थे, रघुनाथजी परिहार थे। सुनिये सब, और इस तरह से पांच-छह थे, सारी टीम थी, मानता हूं कि टीम थी। उन्होंने दो सौ रुपये वहां के गांव वालों को दिये कि लो यह दो सौ रुपये आपके लिए। तब मैंने उनको कहा कि 217 मकान यहां पर ध्वस्त हो चुके हैं, आप 17 रुपये और दे दीजिए ताकि एक-एक रुपया तो इनको बंटवारे में आ जाय और इनको कुछ राहत मिल जाय . (व्यवधान)

भीख आप दे रहे थे, आपने उन लोगों का मजाक उड़ाया रुपया-रुपया देकर, + + + आप लोगों को कि जो सरकार राहत दे रही है उस सरकार को इस तरह की कह रहे हो। क्या राहत कार्य किये? और जब हमने कारण जानना चाहा कि अतिवृष्टि से बाढ़ आयी, जितनी बरसात नहीं हुई उससे भी ज्यादा बाढ़ आई, लोगों ने हमको बताया.......(व्यवधान)

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये। थोड़ा आप धीरज रखिये। आप पाली की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको। जब मैंने पूछा, कारण क्या है? लगभग डेढ़ दर्जन गांव सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित घोषित हुए लेकिन सुमेरपुर के साठ प्रतिशत गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन गांव वालों ने हमको बताया कि जितने एनीकट, जितने खडीन कार्य, धोरा, पानी के कार्य, जितने कच्चे बांध बने हुए हैं, हमने लिखित में सरकार को मनाही की थी कि यह हमारे गांव के लिए दुर्भाग्यशाली

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब सिंह)

सिद्ध होंगे लेकिन राजनैतिक, प्रभावशाली और अपने चहेते दो-चार लोगों के भले के लिए यह बांध बना दिये और उसकी परिणति यह हुई कि सारा का सारा पानी सुमेरपुर क्षेत्र में और जालौर क्षेत्र में जाकर उन गांवों के निवासियों को डुबो गया और लोग मर गये। अगर वह बांध राजनैतिक लाभ के लिए नहीं बनाये जाते, अगर वह एनीकट नहीं बनाये जाते, अगर वह खडीन कार्य नहीं किये जाते तो इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं होती, जो कि हुई है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा, समय कम है, मेरा कहना यह है कि एनीकट, खडीन कार्य और जितने वहां पर कार्य किये जायें, उनको सारी जनता के बीच में बैठ कर, जनता का निर्णय शिरोधार्य करके ही वह जहां चाहें, वहां पर खडीन कार्य और एनीकट बनाये जायें। जहां यह मना कर दें, वहां नहीं बनाये जायें। दूसरा मेरा कहना है—

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। बिराजिए। मुख्य सचेतक महोदय—

श्री गुलाब सिंह : एक मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक मिनट बोलिये।

श्री गुलाब सिंह : जो कुएं ढह गये हैं उन कुओं के लिए बिना ब्याज लिए राहत दी जाये, उनके लिए ऋण दिया जाये और इस तरह लोगों को जो भी राशि प्रदान की जाये, वह सारी सोच-समझ कर अधिक से अधिक जनता के भले के लिए धनराशि प्रदान की जाये। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं आप ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : समय के लिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मैन नहीं थे, आपने साबित कर दिया कि कांग्रेस मैन पहुंचे थे और पैसे भी बांट रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : हम तो सुन ही नहीं सकते, आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ा साफ बोलिये।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदा और उसके पश्चात् मुखबंद करके...

श्री अध्यक्ष : आज की कार्य सूची बोलिए....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आज की कार्य-सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : हो चुका है। क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

आज की कार्यसूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 34 पर विचार

माननीय श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी राजस्थान में अकाल पड़ता है तो चूरू जिला सबसे पहले अकाल की चपेट में आता है। मैं माननीय राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले में मई के महिने में अकाल राहत कार्य खोलने के आदेश जारी किये गये कि कार्य चालू किये जायें। लेकिन माननीय मंत्री महोदया, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मई में नाममात्र के भी अकाल राहत कार्य वहां चालू नहीं किये गये। आपका एक परिपत्र हमें मिला। मैं मानकर चलता हूं कि सभी विधायकों को आपने भेजा होगा। उसमें इन्होंने लिखा था कि आपके जिला कलकटर से हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि आपके यहां श्रमिक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने आपको फिर लैटर लिखा कि हमारे यहां श्रमिक उपलब्ध हैं, लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन कार्य चालू नहीं कर रहा है। मैंने आपको साथ में एक लिस्ट भी दी थी कि कृपया हमारे इन कार्यों की आप स्वीकृति जारी करवायें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी स्पष्ट मान्यता है कि चूरू जिले के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया। 25 हजार की आपने जून में श्रमिक संख्या निर्धारित की थी लेकिन 25 की जगह आपने 22 हजार आदमी लगाये और मैंने आपसे यह निवेदन भी किया था उस लैटर में कि जो भी काम आपके प्रशासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं उनमें श्रमिक संख्या लगा दी गई है तो श्रमिक कैसे लग सकते हैं ?

अकाल के समय में चूरू जिले में कांग्रेस के शासन में लाखों लोगों को राहत दी गई थी लेकिन आपके शासन में 25 हजार की जो आपने श्रमिक संख्या दी, उसमें भी आपने पूर्ण श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया और आपके प्रशासन ने आपको गुमराह किया कि श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे निवेदन किया था कि श्रमिक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं........(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि आपको जिस अधिकारी ने गुमराह किया है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, उसकी जांच कीजिए कि क्यों नहीं पूर्ण राहत कार्य खोले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अतिवृष्टि की तरफ इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब-जब कांग्रेस से विपक्ष की सरकार आई है, चूरू जिले में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, भगवान जाने, क्या हमारे साथ यह खेल हुआ। सन् 78 में भी अतिवृष्टि से हमारे यहां हजारों मकानों को नुकसान हुआ और इस बार भी अतिवृष्टि से हजारों मकानों को चूरू जिले में नुकसान हुआ। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री चन्दनमल जी बैद और मैंने 13

(श्री इन्द्रसिंह पूनियां)

और 14 तारीख को राजगढ़ और तारानगर तहसील के गांवों का दौरा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर तहसील के गांवों में इतना नुकसान हुआ है कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। ग्राम मनीन में हजारों मन अनाज अतिवृष्टि में बह गया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे किसानों को तो तुरन्त राहत उपलब्ध करायें। इसी तरह राजगढ़ तहसील के ददरेवा, किशनपुरा और राजगढ़ कस्बे में हजारों मकान गिरे हैं लेकिन जिला प्रशासन ने बहुत कम मकानों को क्षतिग्रस्त बताया है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम ददरेवा में चार-पांच सौ मकान आंशिक और पूर्ण गिर गये हैं लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक 86 मकानों को ही राहत दिलायी गयी है। इसी तरह ग्राम किशनपुरा में सैंकड़ों मकान गिरे लेकिन 14 तारीख को जब मैं वहां पहुंचा तो जिला प्रशासन द्वारा 36 घरों को ही राहत दी गयी है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत घणाऊ के गांव बांस, चैनपुरा, चानण में कम से कम दो तीन सौ घर गिरे हैं लेकिन 16 तारीख तक जिला प्रशासन ने एक नया पैसा उनको नहीं दिया, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि चूरू जिले में जितने कस्बे हैं राजगढ़, तारानगर, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, डूंगरगढ़, ये सब छतरीनुमा बसे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब भारी बरसात होती है तो यह कस्बे पानी से भर जाते हैं, इसलिए आपके माध्यम से राज्य और मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी योजनाएं बनायें कि वहां, बड़े नाले बनें, मोटर पम्प लगायें ताकि आने वाले समय में जन धन की हानि न हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या–34 का समर्थन करता हूं। जिस प्रकार की पाली जिले में बाढ़ आयी है इस प्रकार की बाढ़ और किसी जिले में नहीं आयी है। आज शिवचरणजी माथुर और माननीय श्री परसरामजी मदेरणा चले गये हैं। मुझे सन् 1983 की याद आती है जब मैं बाली नगरपालिका का चेयरमैन था। उस समय भी भयंकर बाढ़ से तबाही हुई थी। माननीय अभी जो मुख्य मंत्री जी है भैरोंसिंहजी, उस समय पुष्पा जी भी उनके साथ आयीं थीं और सारे छोटे-छोटे गांवों में जाकर बाढ़ को देखा था। कुछ दिनों बाद हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर भी पधारे थे, मैं नगरपालिका का चेयरमैन होने के नाते उनके साथ था। जो ढाणी थी, जहां से मैं चुनकर आता हूं, मैंने कहा, वहां पर कितने रावतों के घर गिर गये, गाय-बकरी सब मर गये वहां चलकर आप देख लीजिये। आप कांग्रेस वालों को सुनकर ताज्जुब होगा और शर्म भी आयेगी इस बात की कि मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी से कहा आप दो कदम आगे बढ़िये, जहां लोग मर रहे हैं, मकान गिर गये हैं उनके खेतों पर तो चलो इनकी दो कदम आगे चलने

(श्री अमृतलाल परमार)

की हिम्मत नहीं हुई। परसरामजी बोले, मुझे ऊंट की सवारी चाहिए। तो अब घडियाली आंसू बहाने आये थे पाली जिले के अन्दर। उन्होंने कोई काम तो किया नहीं और आर. एस. एस. और बी. जे. पी. वालों ने किया है तो उनके खिलाफ बोलने लगे। मैं बोलना चाहता हूं कि आप पहले काम करना सीखो, फिर बोलना।

बाली क्षेत्र के अन्दर इतने मकान गिर गये लेकिन उनका उल्लेख नहीं है। पाली का नाम आया, सुमेरपुर का नाम आया, रानी का नाम आया, बाली का नाम नहीं आया। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं बाली को भी याद करिए कि बाली में कितने मकान गिर गये हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : आप कर्तव्य-हीन हो गये। आपका कर्तव्य था कि आप याद कराते।

श्री अध्यक्ष : माननीय रतनाराम जी, सहायता राशि कम हो जायेगी, क्यों बीच में बोल रहे है।

श्री अमृतलाल परमार : आज बाली की हालत खराब है। बाली के अन्दर पांच सौ मकान गिर गये हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि कृपया बाली को भी देखें। उस जिले के अन्दर, आपको ताज्जुब होगा, रैगर जाति के लोग हैं उनको कितनी तकलीफ है। वहां खेतों में रेत भर गयी है। मेरी मांग है कि जिनके खेतों में रेत भर गई है उस जगह बुलडोजर चलाकर जमीन को ठीक करायें और उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए। फ्री बीज दिया जाय, मेरी यह मांग है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ के तहत जिनकी हालत खराब है उनको तुरन्त राहत पहुंचायें और वहां लोग काम कर रहे हैं, उनको फ्री अनाज और कपड़ा भी हम पहुँचा रहे हैं, सरकार से मेरी मांग है कि जिस प्रकार वे दूसरी तहसीलों की चिन्ता करती हैं, बाली की भी चिन्ता करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री भंवरलाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल एवं बाढ़ के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिला भी हमेशा अकाल की चपेट में रहता है। पिछले साल चूरू जिले की सभी तहसीलों में अकाल पड़ा था। जैसा मंत्री महोदय ने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा था और सभी विधायकों को पत्र भी लिखा था कि वहां पर श्रमिकों की संख्या के आधार पर राहत कार्य खोल दिये हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू जिले के अन्दर जहां 25 हजार की सीलिंग संख्या लगायी थी वहां पर मात्र 20–25 हजार के आस-पास श्रमिक लगे थे और इन श्रमिकों को भी मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि मेरे जितने भी अकाल प्रभावित गांव थे उन गांवों के अन्दर 16 जून से कार्य चले और उन कार्यों को 30 जून को ही बन्द कर दिया। उसके बाद मैं जिला कलक्टर से मिला तो उन्होंने 11 जुलाई तक अकाल राहत कार्य आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा

(184)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि अनेक कार्य जिस प्रकार से दीवार के कार्य हैं, मकानों के कार्य हैं वह अधूरे पड़े हैं। इन अधूरे कार्यों को कृपया 30 जुलाई तक आदेश देकर पूरा कराने की कृपा करें।

दूसरा निवेदन है कि बाढ़ के अन्दर अभी वर्तमान में राजगढ़ और तारानगर के अन्दर जो मकान गिरे, इन मकानों के अन्दर भेदभाव बरता जा रहा है। जो अनुग्रह राशि दी जा रही है उसमें पांच सात आदमियों को बुलाकर चुपचाप दी जा रही है। हर मकान को, हर परिवार को नहीं दी जा रही है। कृपया इसके लिए भी निर्देश जारी करें ताकि सब को राहत मिल सके।

तीसरा मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ में 1988 के अन्दर 606 मकान अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे पर वर्षा होने के कारण वह मकान 30·6·88 तक 15 दिन तक कार्य चलने के बाद अधूरे पड़े रह गये। इन मकानों में से 200 मकान ऐसे थे जिनको पूरी राशि दे दी गयी थी लेकिन राजगढ़ व पंचायत समिति के 481 मकान ऐसे हैं जिनको पूरी राशि नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया इसके सम्बन्ध में सुनिश्चित तौर पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा जिनके मकान, घर जल जाते हैं उसके लिये पांच सौ से ज्यादा की राशि नहीं दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे घर जल गये और उसके लिये पांच सौ रुपये की राशि दी जाय यह बहुत कम है। यह भी बढ़ायी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। (अनुपस्थित) श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 34 के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित है। इस सरकार ने अपने आपको किसान और मजदूरों के प्रति संवेदनशील बताया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि उद्योगपति की इण्डस्ट्री में अगर आग लगती है तो उसको इन्श्योरेन्स का पूरा पैसा मिलता है। इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की फसल का बीमा, बाड़े, खेत और खलिहान का बीमा नहीं होता। जो आगजनी से दुर्घटनाएं होती हैं, बाढ़, अति-वृष्टि से दुर्घटनाएं होती हैं, यह भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। काश्तकार सारे देश का अन्नदाता ही नहीं सर्वदाता है। वह कपड़ा, तेल और अनाज देता है। गांव के मजदूर हैं वह देश का निर्माण करते हैं, कारखाने में काम करते हैं लेकिन उनके लिए सरकार कहीं भी नहीं सोचती। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि फसल कटने के बाद जब वह माल खलिहानों में ले जाता है, उस खलिहान पर बीमा योजना लागू की जाये और किसान जो पशुपालन के लिए खेत में बाड़ा रखते हैं, पक्की दीवार नहीं बना सकता है, वह कांटों की दीवार

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

बनाता है, उसे आग का खतरा रहता है, उस पर बीमा योजना चालू की जाये तब जाकर के किसान को राहत मिल सकती है। उद्योगपति और व्यापारी के गोदाम पर बीमा योजना लागू है, उसकी इण्डस्ट्री के लिए है और उसको गवर्नमेंट फाइनेन्स करती है, उसको लोन देती है। लेकिन किसान को अपनी उपज के लिए लोन भी नहीं देती है और उसकी सुरक्षा के लिए बीमा योजना भी चालू नहीं करती। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में अगर आप किसान के प्रति थोड़े से भी संवेदनशील हैं और उसे खुशहाल बनाना चाहते हैं तो बीमा योजना चालू कीजिए। विशेष तौर से मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह की ओर ले जाना चाहता हूं कि गये साल हमारे यहां भी अकाल था लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से बरसात से पहले तालाबों की मरम्मत नहीं करायी गई। सिंचाई विभाग को चाहिये कि चाहे फेमिन हो या नहीं हो, बरसात आने से पहले वह उनकी मरम्मत का काम करवा दे तो बरसात आने पर वह टूटे नहीं उनकी ओर विशेष ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का दूसरा बड़ा राज्य है।

श्री अध्यक्ष : आप बड़ा इतिहास छोटा करेंगी, टाइम खतम हो जायेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : जल्दी-जल्दी बोल लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, जो बात कहनी है, कह दीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : अच्छा साहब। इसमें भी पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान का बहुत बड़ा भाग है। इस रेगिस्तान को रोकने के लिए मरु अनुसंधान कार्यों में बहुत व्यय किये गये, सिंचाई के कार्यों में भी बहुत व्यय किये गये लेकिन न तो रेगिस्तान रुका और न ही कोई सिंचाई के उचित माध्यम प्राप्त हुए। आज भी हमारा काश्तकार अधिकतर वर्षा पर और अपने कुओं पर खेती के लिए डिपेण्ड करता है। आज राजस्थान में जो वनों की अवैध कटाई हुई है और हमारा मानसून जो राजस्थान आने से रूठा है, पिछले 40 वर्षों से अकाल की पीड़ा को भोगता हुआ राजस्थान आज बाढ़ की विभीषिका से भी जूझ रहा है। इस अकाल को रोकने के लिए न तो कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया, न ही कोई दूरगामी योजनाएं बनाई गई। इसी के कारण हम कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि को भुगत रहे हैं। राजस्थान की अकाल संहिता 30 अप्रेल, 1962 में बनाई गई थी और, अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि यह अकाल संहिता बहुत पुरानी हो चुकी है, समय के अनुसार इसके मापदण्ड बदल गये हैं, अतः इसमें पुनर्विचार कर परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान को इस बार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 5 वर्षों के लिए जो धन मिला है वह भी बहुत नाकाफी है। पिछली सरकारों को

186

(श्रीमती तारा भण्डारी)

तो दो वर्षों के लिए ही करीब 800 करोड़ रुपया मिल गया था और यह राजस्थान के अकाल की दृष्टि से बहुत कम है। इसलिए इसमें भी विचार करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार जो राजस्थान को अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है उसमें भी एक विचारणीय बात है कि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उसमें रेगिस्तानी भाग भी बहुत है, पिछड़ी हुई आबादी, पहाड़ी आबादी, इस प्रकार का रेगिस्तानी क्षेत्र वाला जो राजस्थान है इसके लिए जो केन्द्रीय सरकार राशि देती है उसमें विचार करना पड़ेगा कि जो अन्य राज्यों की तरह राजस्थान को माना जाता है वह नहीं मानकर जिस प्रकार से केन्द्र पहाड़ी राज्यों के लिए अपनी विशेष योजना बनाता है, उसी प्रकार राजस्थान को भी प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष योजना बनाकर धनराशि दे और इसके लिए केन्द्र पर दबाव डालने का कार्य करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घण्टी ही बजा दी आपने तो। मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं पायी।

श्री अध्यक्ष : घर पर बहुत मिलेगा मौका।

श्रीमती तारा भण्डारी : पिछले दिनों राजस्थान में भयंकर बाढ़ आई है और पश्चिमी राजस्थान पूरा ही लगभग इस बाढ़ से घिरा है। माननीय सदस्यों ने इस बारे में कई प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। मैं बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों मैं भी सिरोही, जालौर इत्यादि के दौरे पर गयी और मैंने गांवों में जाकर स्वयं अध्ययन किया है। मैं एक-एक गांव में गयी हूं। वहां बता रहे थे कि 16 तारीख तक वहां कोई सहायता नहीं पहुंची, भुगतान नहीं पहुंचा। मैं आहोर तहसील के कई गांवों में गयी हूं और मुख्यत: मेरे सामने जो बात आयी है, वह यही बात है कि जो बाढ़ बचाव के कार्य किये गये वह कच्चे काम हुए। खडीन के काम कच्चे हुए, धोरापाली के काम कच्चे हुए, बांध और एनीकट कच्चे बनाये। इसके साथ-साथ कुछ लोगों को राजनैतिक फायदा पहुंचाने की दृष्टि से, कुछ सामन्तों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से यह अकाल और बाढ़ बचाव के कार्य किये गये और वह सब इस अतिवृष्टि में टूट गये। पश्चिमी राजस्थान में, विशेष तौर से जालौर में जो धन और जन की हानि हुई है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी पिछली सरकार की है, यह मैं आरोप लगाती हूं। यह सारा वहां के लोगों ने हमें बताया है, एक-एक एनीकट के नाम बताये हैं कि इस प्रकार से यह कार्य हुए हैं और जन-धन से खिलवाड़ किया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि आम जनता ने हमें यह बताया कि प्रशासन के कई लोग 6-6, 5-5 फीट पानी में चलकर आये, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आयीं, आर. एस. एस. के लोग भी आगे आये, विश्व हिन्दू परिषद के लोग भी आगे आये और उन्होंने हमारे खाने-पीने की व्यवस्था की। एक गांव की मैं बात बताना

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चाहूंगी, पादरली गांव, वहां के स्वयंसेवकों ने जो बाढ़ में लोग घिर गये थे उनके रस्सा हाथ नहीं आया तो एक बिजली का तार, जो रस्से जैसा पड़ा था, बहुत लम्बी दूर तक उस तार को बांधकर एक-एक व्यक्ति को बाहर निकाला और बाढ़ में मरने से बचाया। पशु चिकित्सकों की टोलियां वहां पहुंच गयी हैं। मरे हुए पशुओं को गाड़ने और जलाने का वहां कार्यक्रम हुआ है, सहायता राशि और ग्रेचुएटी बराबर दी जा रही है। क्षतिग्रस्त मकानों का वहां पूरा पैसा दिया जा रहा है। मैं यह भी कहूंगी कि जो आहोर तहसील के प्रभारी थे, मेरे साथ 2—3 दिन रहे, उनका नाम तो ध्यान नहीं, वह पी. डी. हैं, उनकी टीम का हर गाँव में गांव के कार्यकर्त्ताओं ने, गांव के लोगों ने स्वागत किया है। एक पी. डी. साहब थे जो रोज चलकर उनके पास आये और उनके सुख-सुविधा की बात की। इस प्रकार से जो यह बाढ़ आई है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आगे से जो खडीन कार्य किये जावें, जो एनीकट बनाये जावें वे ढंग से बनाये जावें। सिरोही का मानता एनीकट केवल इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि वहां लोगों की जान का खतरा हो गया था। कमेड़ी का बांध बनाया, पहले मानसून की पहली बारिश में वह बांध चला गया। इस प्रकार के जो भी फर्जी कार्य हुए हैं और सरकार और जनता के धन का अपव्यय किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है उसकी पूरी जांच करायी जाय कि इस बार कौन-कौन से बांध बह गये, कौन कौन से एनीकट बह गये।

लास्ट में, अध्यक्ष महोदय, एक ही निवेदन है कि इस बार जालौर, सिरोही और अन्य जिलों में जो तबाही हुई है और जो लोग बाढ़ में बह कर चले गये उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर ऊंचे स्थान पर बसाने की प्रक्रिया को सबसे पहले हमें लेना चाहिए ताकि आगे इस प्रकार का खतरा नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक मिनट।

जिनके कुएं और खेत पूरी तरह टूट गये हैं उन्हें बिना ब्याज का कोई ऋण वगैरह उपलब्ध कराकर पैरों पर खड़ा करना होगा, अध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, समय कितना? कितने मिनट का टाइम दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष : पांच।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सिर्फ? बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज कुदरत की कड़ी नजरों पर विचार हो रहा है। राजस्थान बना तब से लेकर आज तक जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस अकाल का इलाज करें। यह जरूर है कि भारत सरकार से आये दिन बड़ी भारी धनराशि अकाल और बाढ़ के नाम से मिलती रही है। उस धनराशि का अगर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सही ढंग से उपयोग कर लिया जाता तो निश्चित रूप से अकाल को कमजोर और समाप्त किया जा सकता था। लेकिन ऐसे लोगों के हाथों में व्यवस्था रही कि नाम अकाल का, धनराशि भारत सरकार की और उसका लम्बे समय तक दुरुपयोग किया गया। अगर सदुपयोग होता, उपयोग ढंग से करते और राजस्थान के जिन जिलों में धरती के नीचे मीठा पानी है, अकाल के पैसे से कुएं खोदकर या ट्यूबवैल से उस पानी को ऊपर लाया जाता तो निश्चित रूप से राजस्थान में अकाल कमजोर होता और हम 40 साल में इस अकाल को बोदा करके समाप्त कर देते। लेकिन किसको कहें? सत्ता में आने के बाद आदमी को बड़ा भारी नशा आ जाता है। 40 साल में सत्ता में जो लोग रहे उनको नशा ही नहीं चढ़ा, वह तो बेहोश हो गये। खतरा इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस दल में अपन बैठे हैं वही हाल हमारा हो गया तो हम भी उन्हीं की श्रेणी में चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है कि हम उनको जगाते रहें, अकाल के खिलाफ संघर्ष करते रहें।

अध्यक्ष महोदय, अब अकाल पर दो मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो ही मिनट रहे हैं आपके।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन आपने जो मौका जिस तरह जिस तरीके से और जिन लोगों के कहने से दिया है, आप जानते हो और मैं जानता हूं। फिर भी मैं मेरी बात बहुत कम समय में रखूंगा।

आप बात कर रहे हैं जनतंत्र की, चुनी हुई सरकार की, भूतपूर्व रियासतों के जमाने में भी बाढ़ का और अकाल का इलाज किया जाता था समय पर काम करके। बीकानेर दरबार के उस जमाने में भी, सन् में भूल गया, देखिये, फेमिन में कितनी लेबर थी एक जिले में, एक बीकानेर रियासत में। उस जमाने में भी नहरें आयी हैं, महाराजा गंगासिंह जी नहर लाये थे।

इनकी हालत तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि रतनगढ़ का जो बस अड्डा है, वह 24 घण्टे कीचड़ से भरा हुआ है। वहां से एक बहुत अच्छा, बुद्धिजीवी जन प्रतिनिधि चुना गया, उसके बाद भी सरकार वहां के इस कीचड़-कादे का कोई इलाज नहीं कर रही है। क्या उम्मीद रखें कि अकाल के खिलाफ संघर्ष करेंगे यह लोग? क्या उम्मीद रखें इन लोगों से कि यह बाढ़ से घिर हुए लोगों को बचा सकते हैं? जहां से एक बुद्धिजीवी, राजस्थान विधान सभा का सबसे बड़ा, हाई अथारिटी जिसको हम कहते हैं, सुप्रीम जन प्रतिनिधि हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के बस स्टैण्ड के गन्दे पानी का इलाज नहीं कर सकते, तो यह क्या अकाल का इलाज करेंगे, क्या बाढ़ का इलाज करेंगे और क्या बाढ़ से घिरे हुए लोगों को निकालेंगे? अभी माननीय पूनम चन्द जी कह रहे थे कि 11 गोलियों की पुड़िया बांट रहे हैं। पुड़ियां क्या, परांठे भी बांटें तो इलाज होने वाला नहीं है। मैं उस इलाके से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा रास्ता वही है रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन की

(श्रीचुनी लाल इन्दलिया)

गोलाई। यह वह जगह है जहां से इस चुनाव में हमारा जन प्रतिनिधि निकला जीत कर। ढोल बजाते हुए जनता ने फूल मालाएं पहनाकर मौके पर उस जन प्रतिनिधि को बताया कि अबकी बार इस कादे का, इस कीचड़ का और इस गन्दगी का आप निश्चित रूप से इलाज करोगे। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं और जन प्रतिनिधि लाचार है। इस लम्बे समय में उस कादे का इलाज नहीं कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि जन प्रतिनिधि नरम है, जन प्रतिनिधि दयालु है, सरकार को वह लगा नहीं सकते, थोड़ा आप लगाइये परखी। मैं वापस जाऊंगा बीकानेर, रतनगढ़ होकर। निश्चित रूप से कादे को खत्म करेंगे, निश्चित रूप से नया बस स्टैण्ड बनेगा, आज के युग के मुताबिक बनेगा। मेरे आगे बैठे हैं आपके मंत्री महोदय। क्या हाल है रतनगढ़ के बस स्टैण्ड का? हम लायक नहीं किसी को बताने के। वही राजाओं के जमाने में, वही यह नवाब बैठे हैं इनके जमाने में, और आज हमारी प्रगतिशील सरकार के जमाने में भी बस स्टैण्ड वही है।

इसलिए आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि अकाल और बाढ़ को तो छोड़िये, और रतनगढ़ के उस गन्दे पानी को हटाइये और नये तरीके का बस स्टैण्ड वहां बनवाइये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्राकृतिक आपत्तियों और विपत्तियों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इन विभीषिकाओं के के विभिन्न पहलुओं पर मेरे से पूर्व वक्ता विस्तार से प्रकाश डाल चुके हैं। मैं सदन का समय इसमें नहीं लूंगा, बस जैसलमेर की चन्द समस्याओं पर ही प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि परम्परा के अनुसार जैसलमेर में आज दिन तक वर्षा का सर्वथा अभाव है। परम्परा के अनुसार अकाल की विभीषिका पूरे जिले में व्याप्त है। राज्य सरकार ने 15 जुलाई से जिले में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि अकाल राहत कार्य जैसलमेर जिले में पुनः तत्काल चालू कर दिये जायं।

दूसरा, जैसलमेर जिले में कुल 568 ग्राम हैं और सभी 568 के 568 गांव अकाल ग्रस्त हैं, अकाल की विभीषिका वहां व्याप्त है। परन्तु राज्य सरकार ने 568 में से 559 गांवों को ही अकालग्रस्त घोषित किया है, जबकि शेष 9 गांवों में अकाल की विभीषिका सर्वाधिक है। आंकड़ों की गलती हुई या क्या, वहां बुवाई भी नहीं हुई है और वे 9 गांव अकालग्रस्त घोषित भी नहीं हुए हैं। सरकार चाहे तो जिला प्रशासन से सम्पूर्ण और विस्तार से जानकारी मंगा सकती है। मेरा यह निवेदन होगा कि इन 9 गांवों को भी तत्काल

(श्री जितेन्द्र सिंह)

अकालग्रस्त घोषित किया जाय ताकि अकाल राहत कार्यों के लाभों से ये वंचित न रहें।

तीसरा, निवेदन है कि अगर अकाल की विभीषिका जिले में इसी प्रकार कुछ दिन और चली तो सरकार को चारे की व्यवस्था तुरन्त करानी पड़ेगी। इस जिले में पशुधन का बाहुल्य है, इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि चारे की व्यवस्था के लिए सरकार तत्काल विचार करे।

चौथा निवेदन यह है कि इस जिले में पशुधन का बाहुल्य है, परन्तु आज तक अकाल के अन्तर्गत भेड़ों और बकरियों के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की जाती है। न पशुपालन विभाग और न भेड़ और ऊन विभाग इस मुद्दे पर विचार करता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस पहलू पर भी सरकार अविलम्ब विचार करे।

पांचवां निवेदन यह है कि राज्य सरकार का फेमिन कोड बहुत प्राचीन हो चुका है, उसको मोडिफाई किया जाय।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, प्राकृतिक विपदाओं अकाल एवं बाढ़ के ऊपर चर्चा चल रही है। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के इस वक्त में जिस तरह से काम चलाये गये वह नाकाफी ही नहीं थे बल्कि मजदूरों का शोषण किया गया। एक ही परिवार के, तथाकथित नेताओं के पूरे के पूरे परिवार के जिस तरह से मजदूर लगे, कुछ मजदूर बैठे रहे और बाकी मजदूरों से काम लिया गया।

टास्क बेसिस के नाम से जिस तरह से मजदूरों को पेमेन्ट कम किया जा रहा है बड़ी विचारणीय और शोचनीय बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं एक सड़क में मान लीजिए 100 मजदूर लग रहे हैं, 50 मजदूर बैठे रहकर 50 मजदूर पूरा काम करते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाय, बैठे हुए व्यक्तियों को भी उनके किए हुए काम की मजदूरी कम दी जाय ?

मैं अकाल राहत मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 13 तारीख को घोषणा की थी कि मिनिमम मजदूरी राजस्थान में 22 रुपये की जाती है उसकी पालना नहीं की गई। मजदूरों को 14 रुपया नहीं दिया जाता है। मेरे क्षेत्र का मैं निवेदन करूं वहां मजदूरों को 8–8, 9–9 रुपये चुकाए जा रहे हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए कि गरीब मजदूरों को पूरा पैसा मिले। एक परिवार में से एक मजदूर ने काम किया है, बड़ी मुश्किल से उनका समय कटा है, कम काम उनको मिला है। मेरे क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के सामने अकाल राहत के कार्यों में मजदूरी मिलने की सबसे बड़ी समस्या रही है। पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प्स जहां लगाए गए हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के मोहल्लों को नेग्लेक्ट

(श्री रामनारायण वर्मा)

किया गया है। मैंने यह बात जिला कलक्टर को और आप सबको लिखित में दी है। आज की तारीख तक भी उनको पीने का पानी नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, अकाल राहत की मीटिंग माननीय राज्य मंत्रीजी ने बुलाई थी, मैंने यह समस्या उनके सामने रखी थी। मैं सरकार के ऊपर एलीगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन इस बात की वास्तविकता का पता सरकार को करना चाहिए कि कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उनको क्यों नहीं दण्डित किया गया, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यह काफी विचारणीय बात है।

एक बात मैं दैवी विपदा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। गांवों में काफी जगह फसल बर्बाद हो जाती है .. (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसमें एक कमेटी बनी थी जिसमें जिलाध्यक्ष, जिलाधीश, आप, प्रधान, ये बैठकर तय करते थे।

श्री रामनारायण वर्मा : उसकी पालना नहीं की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें तय करने के बाद उन-उन स्थानों पर नहीं लगाया गया, या वो स्थान ही तय नहीं हुए थे? यह जवाब हम चाहते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : जहां कमेटी ने निर्णय लिया उन-उन स्थानों पर भी नहीं लगाया गया। मैंने लिखित में दिया है, इसके बावजूद आपने नहीं लगाया। मेरा भरियाली गांव है बैरवाओं का। यह शिड्यूल्ड कास्ट का गांव है, इसलिए वहां नहीं लगाया गया। मैं निवेदन कर रहा था कि प्राकृतिक विपदा में अग्निकांड भी शामिल है। अग्निकांड के लिये आज की तारीख में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरकार किसी गरीब आदमी को सहायता देना चाहे तो दे सके। 500/- रुपया, 1000/- रुपये से....

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम समाप्त हो गया। 7 मिनट बोल गये आप 5 की जगह। इसलिए आप ध्यान घड़ी की तरफ रखें तो अच्छा होगा। बिराजिये।

माननीय मंत्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं सदन की कि माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। यद्यपि कुछ तंज भी किये गये लेकिन मैं आपके तंज में भी जो सुझाव आपने दिये हैं मैं उसको स्वीकार करते हुए उस पर यथासम्भव पूरा अमल करने का प्रयास करूंगी।

अध्यक्ष महोदय, कुदरत की लीला बड़ी अजीब है। यह किसी के बस में नहीं। इन्सान क्या सोचता है लेकिन होता क्या है। राजस्थान में लोग अकाल से जूझ रहे थे। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में पिछले 5 साल में। पश्चिमी राजस्थान में मैंने लोगों को बूंद-बूंद पानी को तरसते देखा है। मैंने देखा है कि लोग कितने दुःखी थे और कभी कल्पना नहीं की थी कि कुदरत इस प्रकार से मेहरबान होगी कि

(सुश्री पुष्पा जैन)

चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और धन और जन की क्षति हो जाएगी। लेकिन यह सब हुआ, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चाहे 1981 का साल हो, चाहे 1989 का साल हो, चाहे 1990 का साल हो, जब-जब कुदरत ने अपना प्रकोप दिखाया, जब-जब कुदरत मेहरबान हुई, जो कुछ भी होना था वो हुआ, उस पर हमारा जोर नहीं। जोर था तो हम कुदरत के प्रकोप के बाद क्या कर सकते थे उस पर।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कुछ संक्षिप्त बात अकाल के बारे में कहना चाहूंगी। यद्यपि मैं उन सारी बातों से सदन को अवगत करा चुकी हूं, फिर भी संवत 2046 में माह जून से सितम्बर तक अपर्याप्त वर्षा के कारण 25 जिलों के 123 तहसीलों के 14013 गाँवों में खरीफ की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराब होने के कारण उनको अभावग्रस्त घोषित किया गया। केन्द्रीय अध्ययन दल ने 19-1-90 से 22-1-90 तक राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर अभाव स्थिति का जायजा लिया। दिनांक 5-6-90 को अभावग्रस्त क्षेत्रों में पूर्ववत् चालू योजनागत कार्यों में श्रमिक लगाने का निर्णय लिया। इस हेतु अभावग्रस्त जिलों के कलक्टर्स को निर्देश दिये गये कि जिलों में मरु विकास, सूखा पीड़ित क्षेत्र एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-4-90 की अवशेष राशि 48.76 करोड़ रुपये को देखते हुए 2 लाख अतिरिक्त श्रमिक कार्य पर लगाये जाएं।

यह निर्णय मजदूरों को तुरन्त रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से लिया गया, ताकि विभिन्न चालू कार्यों में रोजगार दिया जा सके। दिनांक 1-5-90 को जवाहर रोजगार योजना, राहत कार्य कराने का निर्णय लिया गया। रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मई, 1990 के लिए 3.25 लाख, तथा जून, 1990 के लिए 4.40 लाख अधिकतम श्रमिक संख्या निर्धारित की गई। अकाल राहत जवाहर रोजगार के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का भुगतान करने हेतु विशिष्ठ योजना संगठन को सहायता विभाग द्वारा इस प्रकार राशि आवंटित की गई।

मार्च, 1990 में 560 लाख रुपये, मई 1990 में 803 लाख रुपये, जून 1990 में 1810 लाख रुपये, टोटल 3173 लाख रुपये व्यय हुए। रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मरु विकास सूखा प्रभावित क्षेत्र, जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रमों में सड़क, बांध, तालाब, एनीकट, सार्वजनिक कूप, भवन, मरम्मत, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, पंचायत घर, औषधालय, स्कूल भवन, निर्माण आदि कार्य करवाये गये। समस्त 25 जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने हेतु पर्याप्त कार्य स्वीकृत कराये गये।

अध्यक्ष महोदय, स्वीकृत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों की स्थिति इस प्रकार है।

मई, 1990 के अन्त में 17484 कार्य स्वीकृत किये गये जिस पर 2,89,284

(सुश्री पुष्पा जैन)

श्रमिक कार्यरत थे। जून, 1990 के अन्त में 27875 कार्य स्वीकृत किये गये जिस पर 4,13,718 श्रमिक कार्यरत थे। 7-7-90 को 28,326 कार्य स्वीकृत किये गये जिस पर 3,81,043 श्रमिक कार्यरत थे। अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों के नियोजन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। अकाल राहत कार्य, जवाहर रोजगार योजना में श्रमिक एवं सामग्री घटक का अनुपात जवाहर रोजगार योजना के अनुसार 60.40 रखा गया है। यथासम्भव सामग्री घटक विभागीय योजनाओं के लिए सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं। इसी प्रकार विभिन्न अन्य अभिकरणों द्वारा भी सामग्री घटक उनके द्वारा वहन करने हेतु निर्देश दिये हैं जबकि श्रमिक मद की राशि सहायता विभाग द्वारा वहन की जाती है। अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों की मजदूरी 14 रुपये प्रतिदित की दर से टास्क बेसिस पर दी जाती है। राजस्व विभाग ने आदेश दिनांक 22-2-90 के जरिए घोषित अकालग्रस्त गांवों के ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो भू-अभिलेखों में बारानी, तालाबी अथवा सलाबी दर्ज हैं, और जिन पर वर्तमान में सिचाई नहीं हो रही है, भू-राजस्व के बकाया 30 सितम्बर, 1990 तक स्थगित की हैं। अकाल राहत कार्यों पर हर पखवाड़े में शीघ्र भुगतान के आदेश दिये गये हैं। समस्त जिला कलक्टर्स यह आश्वस्त करते हैं कि समय पर भुगतान किया जायेगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी वर्षा होने के फलस्वरूप काश्तकारों ने बुवाई का कार्य चालू कर दिया। अतः निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई के पश्चात् अकाल राहत कार्य बंद कर दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिए हमें 1990 में 10,57,20,000/- रुपये व मई, 1990 में 10 करोड़ रुपये पी. एच. ई. डी. को उपलब्ध कराये। कुल 93,95,80,000/- रुपये खर्च किये गये हैं। 9 मई, 1990 से हर जिले से प्रतिदिन की लेबर जनरेशन की जानकारी ली गई ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही या अनियमितता न हो। जिला प्रशासन को इस बात के निर्देश दिये जाते रहे कि वे अभावों से पीड़ित रोजगार चाहने वालों को किसी कीमत पर मायूस नहीं करेंगे चाहे इसके लिए हमें श्रमिक सीमा कितनी ही निर्धारित करनी पड़े।

(5.30 सायं)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में श्रमिकों की सीमा निर्धारित करने के बारे में स्वयं मेरे द्वारा प्रेस नोट भी जारी किया गया एवं सांसदों, विधायकों एवं जिला प्रमुखों को इस आशय के पत्र भी जारी किये गये। तो यह कहना कि रिलीफ के काम करवा कर अप्रेल में जे. आर. वाई. के काम करवाये गये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मकसद लोगों को काम देना था ना कि योजनाओं का उल्लेख करना।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि रिलीफ का पैसा समय पर खर्च न करने

(सुश्री पुष्पा जैन)

पर केन्द्र सरकार मदद नहीं देगी। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार की नई नीति के अनुसार अब एक साल के 124 करोड़ रुपये, जिसमें 93 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार और 31 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा होगा, बैंक में जमा रहेंगे। यदि इसमें से राशि खर्च न हुई तो 5 साल की जमा राशि 620 करोड़ रुपये मय ब्याज राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगी।

सभापति महोदय, माननीय श्री इन्द्र सिंहजी पूनिया ने कहा कि चूरू में काम नहीं करवाये गये। मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाये हैं वह बिलकुल निराधार हैं। बार-बार कलक्टर के पूछने के बावजूद भी, जो श्रमिक संख्या हमने निर्धारित की थी, वह श्रमिक सीमा क्योंकि इनके जिले में पूरी नहीं हुई, लोग काम पर नहीं आ रहे थे, लिहाजा काम चलाने के लिए जरिया नहीं था। मैंने जो सम्भाग की मीटिंग बुलाई, उसमें माननीय विधायक महोदय आये नहीं। चूरू जिले से ही, तारानगर से माननीय श्री चन्दनमल जी बैद जो विधायक हैं, उनका पत्र मेरे पास आया। मैंने स्वयं ने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि यह श्रमिक सीमा है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद को मुगालता हो गया था आपने श्रमिक सीमा अगर बढ़ा दी है तो ठीक है, काम तो करने वाले जितने आयेंगे उतने ही आयेंगे।

सभापति महोदय, एक बात बहुत जोर-शोर से कही गई चारे के सम्बन्ध में। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि चारे के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि 17-4-90 को केबिनेट की मीटिंग हुई और केबिनेट की मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गये। विभाग को यह कहा गया कि चारे के जितने भी मामलात हैं उनकी जांच करा ली जाए। मैं कहना चाहती हूं कि केबिनेट की मीटिंग में जो 3 माह का समय हमें दिया गया था उसमें करीब-करीब, एक उदयपुर को छोड़कर, हमने जांच करवा ली है। आगामी केबिनेट की मीटिंग में जांच रिपोर्ट रख दी जायेगी।

सभापति महोदय, अब मैं उस पहलू की तरफ आना चाहती हूं जो अचानक अकाल की विभीषिका को तोड़कर के एकदम आया, वह है बाढ़।

सभापति महोदय, राज्य में जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में जोधपुर सम्भाग के 5 जिलों में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अधिकांश स्थानों पर 500 मि.मी. से ज्यादा वर्षा 3 हिस्सों में हुई जो कि उस क्षेत्र के साल भर की सामान्य वर्षा के आंकड़ों से लगभग दुगुनी है। कुछ स्थानों पर वर्षा 800 मि. मी. से 1600 मि. मी. तक भी हुई। इस अत्यधिक वर्षा के कारण जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, उसका असर जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली जिलों में रहा। जालौर एवं बाड़मेर जिलों में जान-माल की अत्यधिक क्षति हुई। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 134 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं 1 लापता है। लापता व्यक्तियों के लिए भी उनके आश्रितों की राशि प्रदान करने के

(सुश्री पुष्पा जैन)

निर्देश दे दिये गये हैं। जिलेवार मृतक व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार से है—

जोधपुर में	23	90 लाख की सहायता दी गई
जालौर में	63 1 लापता	3.15 लाख की सहायता दी गई
सिरोही में	1	19.00 लाख की सहायता दी गई।
बाड़मेर में	34	1.40 लाख की सहायता दी गई
पाली में	6	18.00 लाख की सहायता दी गई
चूरू में	1	सहायता लेने मे इन्कार किया।

इस तरह से कुल 134 मृतक, 1 लापता को 5.82 लाख रुपये की सहायता दी गई।

सभापति महोदय, मैं उस पहलू की तरफ आना चाहती हूं जिस पर बहुत छींटाकशी गई है। कहा गया कि राज्य सरकार पूरी तरह अपने कर्तव्यों में जागरूक नहीं रही। सभापति महोदय, अगर राज्य सरकार सतर्क नहीं होती, तो तत्काल वायुसेना की मदद नहीं ली जा सकती थी। मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही बाढ़ की स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई, तुरन्त थल सेना और वायुसेना की सहायता जोधपुर से प्राप्त की गई। जोधपुर, बालोतरा, सांचोर, मथानिया के आस-पास के क्षेत्रों में हैलीकाप्टर से खाना एवं दवाइयां ड्राप करवाई गयीं। लगभग एक सप्ताह तक सेना की मदद से यह काम चालू रहा।

यहां मुझे यह कहते हुए भी फख्र है कि वायुसेना एवं थल सेना ने बहुत कड़े परिश्रम एवं तत्परता से राहत प्रदान किये गये तथा 62 उड़ानें भर कर 48,645 किलो ग्राम खाद्य पैकेट्स वितरित किये उन्होंने। सभापति महोदय, जयपुर के विभिन्न विभागों की टोलियां तुरन्त रवाना की गई जिनमें पशु-पालन, चिकित्सा विभाग तथा इण्डियन आइल कारपोरेशन के अधिकारी, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के दल आदि शामिल थे। यह समस्त दल उस क्षेत्र में व्यवस्था को ठीक करने में अभी भी कार्यरत हैं।

जैसे ही बाढ़ का पानी उतरा रास्ते में से, जयपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक जिले में भेजा गया ताकि वह राहत कार्यों को सुचारू रूप से चला सकें तथा जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करवा सकें। यह अधिकारियों तीन दिन तक वहां रह कर सारी व्यवस्था को चालू करवा कर सुबह लौटे और इन्हें वापस भेजने के भी निर्देश दिये गये हैं। यह हैं श्री पी. वी. माथुर जोधपुर, श्री महेन्द्रसिंह बाड़मेर, श्री एन. के. बैरवा जालौर, श्री डी. पी डाकुर पाली एवं श्री बी. एस. मिन्हास सिरोही। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, जो कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में अध्ययनरत थे, उन्हें भी जोधपुर सम्भाग में बाड़मेर क्षेत्र में भेजा

(सुश्री पुष्पा जैन)

गया। जिला कलक्टर का हाथ बंटाने हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया।

जालौर में विशेष प्रयत्नों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व मण्डल के सदस्य श्री परमेश्वरचन्द्र जी जो जालौर जिले में लगाया गया जो वहीं पर कैम्प कर रहे हैं।

अब तक विभिन्न जिलों में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है, सभापति महोदय, राज्य के 1346 गांव प्रभावित हुए, 134 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 1.29 लाख मवेशी मरे, 1102 कुओं में रेत भर जाने से क्षतिग्रस्त हुए। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई विभाग के 24 बांध टूटे हैं। क्षति का सम्पूर्ण ब्यौरा अभी तक आना बाकी है। सर्वे कार्य चालू है जिसमें विभिन्न विभागों की सम्पत्ति, जैसे सड़कें, बांध आदि का ब्यौरा उपलब्ध होना बाकी है।

सड़कें, बांध, जलदाय विभाग एवं बिजली बोर्ड की सम्पत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं हुआ है। प्रभावित जिलों में बाढ़ सहायता मद में इस प्रकार सहायता दी गई—

मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु	105.47 लाख रुपये
मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता हेतु	5.62 लाख रुपये
निःशुल्क सहायता हेतु	36.20 लाख रुपये

मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति मृतक कर दिया गया है। पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1986 में पक्के मकान के लिए हजार रुपये, टीन व केन की छत वाले कच्चे मकान के लिए 500 रुपये, झोंपड़े के लिए 200 रुपये के हिसाब से सहायता दी जाती थी, यह राशि राज्य सरकार ने तय की थी। अब उसे बढ़ाकर पक्के मकान के लिए 1750 रुपये, कच्चे मकान के लिए 1000, झोंपड़ों के लिए 500 रुपयों का निर्णय लिया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए 500 रुपये प्रति मकान, कच्चे मकान के लिए 200 रुपये सहायता दी जायेगी। निशुल्क सहायता, जो पहले 2 रुपये प्रति वयस्क और 1 रुपया प्रति बालक के हिसाब से दी जाती थी, उसे राज्य सरकार से बढ़ाकर क्रमशः 4 रुपये एवं 2 रुपये कर दिया है।

इसी प्रकार कैम्पों में जो अस्थायी आवास एवं खाने की व्यवस्था की जाती है, उस राशि को भी दुगुना कर दिया गया है। वयस्क के लिए अब 4 रुपये एवं बालक के लिए 2 रुपये प्रति दिन देय है।

कुओं की मिट्टी हटाने पर माननीय सदस्यों का काफी जोर रहा। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कई कुओं में रेत वास्तव में आ गई है, रेत निकालना अत्यन्त आवश्यक है ताकि किसान अगली रबी की फसल ले सके। अतः सरकार ने ऐसे सभी किसानों को, जिनके कुएं रेत से भर गये हैं, रेत निकालने के लिए 3 हजार रुपये तक मजदूरी हेतु सहायता उपलब्ध कराने का

(सुश्री पुष्पा जैन)

निर्णय लिया है। जिन खेतों में रेत भर जाने से खेत अभी काश्त के काबिल नहीं रहे, वहां खेतों के सुधार के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना बनाकर खेतों के सुधार का कार्य करवाया जायगा। सिंचाई विभाग के टूटे हुए बांधों की मरम्मत का कार्य सिंचाई विभाग प्राथमिकता से करेगा जिस पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार के अनुरोध पर आवासीय एवं नगरीय विकास निगम के अध्यक्ष ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और हुडको से बाढ़ग्रस्व क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार इस बारे में हुडको से योजना स्वीकार करवाकर बाढ़ पीड़ितों को गृह निर्माण हेतु ऋण सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि किसानों के पास अपना बीज नहीं रहा, अतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 3 किलो पैकिंग में बाजरे के 70 हजार मिनि किट्स वितरण का कार्य कर दिया है। अब तक लगभग 50 हजार मिनि किट्स किसानों को निःशुल्क दे दिये गये हैं। शेश मिनि-किट्स भी अगले दो-तीन दिन में किसानों में वितरित कर दिये जायेंगे। कुल 2270 क्विंटल बाजरा और 100 क्विंटल मक्का के बीज वितरित किये गये हैं। बाढ़ से प्रभावित कुओं में रेत भर गई है या पानी भर गया है। ऐसे कुओं के बिजली कनेक्शन के लिए राज्य सरकार इस प्रकार व्यवस्था करेगी कि ऐसे कुओं के कनेक्शन पर 2 माह तक वास्तविक विद्युत उपभोग का शुल्क ही लेगी, मिनिमम चार्जेज या अन्य चार्जेज नहीं लिया जायेगा।

सभापति महोदय, इन कुओं पर विद्युत मण्डल द्वारा मीटर आदि सामान भी लगाया जाता है, उसके लिए रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित उपभोक्ता स्वयं की होती है। परन्तु इन मामलों में विद्युत मण्डल स्वयं अपने खर्चे से विद्युत मण्डल का मीटर यदि नष्ट हो गया है तो उसका खर्चा कृषकों से नहीं लेगा। यदि ऐसे कुओं पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद हो गया है अथवा बाढ़ के के कुप्रभाव के कारण किसान कनेक्शन करवाता है तो पुनः कनेक्शन निःशुल्क कर दिया जाएगा। राजस्व की वसूलियां भी रोक दी गई हैं।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि राज्य सरकार लापरवाह रही, राज्य सरकार ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गई नहीं, तो मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदय, 6 तारीख को ही आदरणीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं पश्चिमी राजस्थान का दौरा किया। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, खाद्य मंत्री श्री रामकिशोर जी मीणा, वन मंत्री श्रीमती मदन कौर जी, पशुपालन मंत्री श्री देवीसिंह जी भाटी, आयुर्वेद मंत्री श्री जोगेश्वर गर्ग और मैं स्वयं पश्चिमी राजस्थान में काफी स्थानों का दौरा करके आई और व्यवस्था को देखा।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि पाली में सरकारी गाड़ियों में विश्व हिन्दू परिषद के लोग झण्डा लगाकर घूम रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने उस झण्डे को तो देखा लेकिन जिन लोगों ने गहरे पानी में उतर कर लोगों को मरने से बचाया इन्होंने उनको नहीं देखा....(व्यवधान)

(सुश्री पुष्पा जैन)

यह तो अपना-अपना नजरिया है, सभापति महोदय,....

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकारी गाड़ियों में झण्डा लगाने की जरूरत नहीं है। यूं भी हो सकती है सेवा।

एक माननीय सदस्य : यह मन्त्री जी, चुनाव वर्क नहीं है कि आप इस तरह झण्डा और बैनर लगाकर घूमें। यह सहायता का काम था वहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं एक भी सरकारी गाड़ी, जिसके ऊपर झण्डा लगा हो, उसका नम्बर तो बता दें जरा।

श्री सभापति : नम्बर नोट नहीं किया। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप अपने प्रशासन से मालूम कर लीजिए। शिकायतें आपके पास आई हैं या नहीं ?

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं पूर्व केन्द्रीय मंत्री माननीय अशोक गहलोत की, जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवाओं को स्वीकार किया। सभापति महोदय, स्वयं सेवी संस्थाएं हिन्दू सेवा मण्डल, मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उम्मेद मिल, जेसीज, रोटरी, वर्षा सेवा समिति ऐसी कई संस्थाओं ने आटा, दाल, भोजन के पैकेट्स, दवाइयां, कपड़े और पानी स्वच्छ करने की दवाइयां आदि-आदि सेवाएं दीं जिनको कभी भूला नहीं जा सकता। मैं राज्य सरकार की तरफ से आभारी हूं उन संस्थाओं की। सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि यह कहा गया कि दो पूड़ी बांट कर धन्ना सेठ बनना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं दो पूड़ी बांटना भी बड़ा मुश्किल काम है। कभी करके तो देखें। धरना लगाना तो बहुत आसान है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया तो धरना लगा दिया। आप भी दो पूड़ी बांट कर देखते। कभी सेवा करके तो देखते।

(5.45 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : यह आपने कोई मेहरबानी नहीं की .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने समाप्त कर दिया क्या, आप बोल रही हैं (व्यवधान)

माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। इनको बोलने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : यह समाप्त कर दें, फिर आप सवाल पूछ लेना। आपको मैं सवाल करने के लिए अलाउ कर दूंगा। इनको समाप्त तो करने दीजिए। वरना यह टाइम

(श्री अध्यक्ष)

हल्ले-गुल्ले में निकल जायेगा। मुख बन्द हो जायेगा। (व्यवधान)

Near her please. Please Co-operate.

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे को कहने का मौका मिलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : I will allow you. आप बैठिये। आप संयम रखेंगे तो अलाउ कर दूंगा आपको।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में डीजल व मिट्टी के तेल की जो सप्लाई की गई है उसका ब्यौरा इस प्रकार है। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक जोधपुर में 16 लाख 28 हजार लीटर डीजल, 2 लाख 81 हजार लीटर कैरोसीन तेल, पाली में 3 लाख 35 हजार लीटर डीजल, 1 लाख 8 हजार लीटर कैरोसीन तेल, जालौर में 45 हजार लीटर डीजल व 12 हजार लीटर कैरोसीन तेल, बाड़मेर में 35 हजार लीटर डीजल व 12 हजार लीटर कैरोसीन तेल, जैसलमेर में 1 लाख 47 हजार लीटर डीजल व 24 हजार लीटर कैरोसीन तेल।

एक माननीय सदस्य : यह दिया किसको गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो रहे हैं। इनको समाप्त करने दीजिए। मैं आपको मौका दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : इस तरह से सप्लाई की गई। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी जो माननीय सदस्यों के अमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं बिना राजनीति से ग्रस्त हुए उनके सुझावों का अभिनन्दन करते हुए यथा सम्भव उन पर विचार करूंगी। यदि उसमें ऐसे सुझाव हुए कि जिनको लागू करने से अकाल और बाढ़ विभाग को सतर्क किया जा सकता है, निश्चित रूप से किया जाएगा। वैसे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि इस अकाल और बाढ़ के महकमे की राजस्थान में फिर कभी ऐसे काम न करने पड़ें तो बेहतर हो, चाहे मुझसे यह महकमा छिन जाए तो कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि राजस्थान में फिर कभी अकाल की विभीषिका आये, मैं नहीं चाहती कि ऐसी बाढ़ आये जिसमें जन-धन की क्षति हो जाए। लेकिन फिर भी भगवान न करे यदि कभी ऐसा मौका आये तो इस विभाग को पूरा सतर्क किया जायेगा। आपके बहुमूल्य सुझावों का उसमें समावेश करके आपसे राय लेकर, आपको साथ लेकर, आपका सहयोग लेकर इन विभागों को सुचारू रूप से चलाने का मैं प्रयास करूंगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक करके पूछेंगे तो सबका नम्बर आ जायेगा। मैं एक-एक करके सबको बुला लूंगा। श्री गहलोत साहब।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने यह अन्त में जो शब्द कहे हैं, अगर यह बात आप पहले ही कह देती तो हमें क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने यह कहा कि सबके सहयोग से जो सुझाव अच्छे मिलेंगे, उसके ऊपर सबकी बात सुनकर

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

करेंगे। लेकिन तकलीफ तब होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई राजनीतिकरण किया जाता है। आज राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल के लोग, सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के लोग, कांग्रेस के लोग, बाढ़ के अन्दर सब लोग लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं ? आप सवाल पूछिये। मैं एक-एक का नाम बोल रहा हूं। विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बाकी तो काफी बातें आपने क्लियर की हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की वजह से जो नाडी और तालाब टूट गये हैं, और पानी का एक मात्र जो स्रोत हैं, क्या आप बरसात वापस शुरू हो उससे पहले उनको मरम्मत करने का इरादा रखती है ?

नम्बर दो, जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसकी सूची भी पटवारी और जो रेवेन्यू एजेन्सीज हैं, बना रहे हैं। पैसा देने का काम भी रेवेन्यू एजेन्सी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह कर रहे हैं। क्या आप यह उचित समझते हैं कि यह लिस्ट बनाने वाली एजेन्सी अलग हो और पैसे देने वाली एजेन्सी अलग हो ? यह मेरे प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत अकाल राहत मन्त्री जी से, बाढ़ राहत मन्त्री जी से, पूछना चाहता हूं कि यह संयुक्त सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की। अपने जवाब में इन्होंने एक पार्टी का नाम लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सिवाय जनता दल ने उसमें कोई सहयोग नहीं दिया या असहयोग किया ? नम्बर दो; मुझे यह पूछना हैं कि मैंने एक सवाल उठाया था 80 रुपये किलो तेल बिका, 9 रुपये लीटर कैरोसीन बिका, दो रुपये किलो आटे की पिसाई हुई। आपने उसके सिलसिले में क्या एक्शन लिया ? जब वह हो चुका, लुट चुके लोग, तब आप वहां गये थे सारे के सारे, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगा कि जब यह बाढ़ आई और केन्द्रीय खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री नाथूराम जी मिर्धा ने दौरा किया और उन्होंने कुछ सामग्री और 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की, आपने अपने जवाब के अन्दर उस चीज को शामिल नहीं किया। क्या उन्होंने जो घोषणा की थी वह घोषणा असत्य थी या वास्तव में कोई राहत मिली है तो कृपया बतावें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूरू जिले के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : और भी पूछने वाले हैं। हो गया आपका प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वास्तविकता यह है कि मजदूर नहीं मिले, और कलेक्टर ने मन्जूरी जारी की ही नहीं। तीसरी बात जो अधूरे काम हैं, जे. आर. वाई. के काम, उन अधूरे कामों की मजदूरी की राशि का भुगतान कब करा देंगे यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि चूरू जिले में 25 हजार की श्रमिकों की संख्या थी, और 22 हजार लगे; तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 22 हजार श्रमिक लगने के बाद भी जन प्रतिनिधि, एम. ऐल. ए. और प्रधानों के द्वारा भी कार्य जारी करने की मांग आपके पास पहुंची, और पहुंची तो कब पहुंची और क्यों पहुंची?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का मैं जवाब दे दूं। यह सही है कि आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हुई। यह भी सही है कि वहां वर्षा के अभाव में लोगों के सामने कई प्रकार की समस्यायें पैदा हो गई हैं। इसके सम्बन्ध में मैं जानकारी कर रहा हूं, मेरे पास जानकारी भी है। जहां भी सम्भव हुआ उस प्रकार का हम काम करेंगे ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो।

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र सिंह जी ने उठाया। शायद वह होंगे नहीं, इनकी बातों का उल्लेख में परसों जिस दिन बाढ़ पर डिबेट हुई थी उस समय कर चुका हूं। यह सही है कि नाथूराम जी मिर्धा आये, उन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है, इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं.... (व्यवधान) मैं परसों कह चुका जब आप भाग गये थे। मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी फण्ड से राजस्थान को 10 लाख रुपये की सहायता दी है। मैंने उनसे और भी मांगी की है। मुझे विश्वास है कि यह राशि और भी बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई जी ने प्रश्न उठाया, यह बड़ा जटिल प्रश्न है जो आपने उठाया, जितने भी बांध, एनीकट टूट गये, क्या बरसात से पहले उनको रिपेयर कराया जा सकता है। रिपेयर करवाने के लिए हमनें सिंचाई विभाग को कह दिया। लेकिन इस शर्त के साथ कह दिया कि यदि आप जालौर, पाली, बाड़मेर क्षेत्रों का पूरा प्रवास करेंगे तो जनता एक शिकायत करेगी कि कहीं एनीकट बन गया, कहीं सोइल कन्जरवेशन के काम हो गये, कहीं छोटे मोटे बांध बन गये और यह बांध तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे, इस प्रकार के बांधों में तबाही आई है। इसलिए पहले इस बात का सर्वे करवाना पड़ेगा क्या हम उसी प्रकार की गलती को पुनः रिपीट करें या उस गलती से सबक ले कर हम इस प्रकार का काम करें कि पानी भी इकट्ठा हो जाये और लोगों के सामने भविष्य में किसी प्रकार की समस्या भी खड़ी नहीं हो। कई एनीकट में आज भी देखता हूं, जिस इलाके में बाढ़ नहीं आई, मुझे मालूम है, ऐसे एनीकट बने हुये हैं जिस समय भी बरसात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आयेगी उन एनीकट्स में पानी भरेगा या नहीं भरेगा, अगर बरसात ज्यादा हो गयी तो वह एनीकट तबाही के कारण बन जायेंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह तो होगा जब होगा, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है । मैंने नाडी और जाब की बात की है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही मैं कह रहा हूं । जाब के बारे में तो कह ही दिया पिछली सरकार ने भी; मैं समझता हूं उचित निर्णय था । जहां मिट्टी उठाई जा सकती है, मिट्टी उठा कर खेती की जा सकती है या नहीं की जा सकती है । मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और खास तौर से कंजरी से इस सम्बन्ध में हम सहयोग लेंगे कि कहां कहां से मिट्टी उड़ सकती है । उसमें सहयोग करेंगे कि नहीं । अब रही नाड़ियों के टूटने की बात मैं समझता हूं उनकी मरम्मत करवायेंगे इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय हेतराम जी ने कही कि वहां पर चीनी के भाव यह हो गये, तेल के भाव यह हो गये, मैं समझता हूं यदि आपके पास पर्टिकूलर कोई शिकायत हो और आप देंगे तो निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही जो भी हो सकती है वह हम करेंगे । आपको शायद यह ध्यान होगा कि लगातार हम रेडियो से यह प्रचार करते रहे हैं कि कोई भी आदमी इस समय मुनाफाखोरी करे तो कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही हो सकती है वह हम निश्चित रुप से करेंगे । आपने कहा 2 रुपये चक्की की पिसाई के ले लिये । माथुर साहब का भाषण मुझे याद है, दो दिन पहले ही दिया था, उन्होंने कहा एक रुपया । अब एक रुपये और दो रुपये में तो बड़ा अन्तर है । बिजली तो है नहीं और चक्की चली....

श्री देवेन्द्र सिंह : रेट तो इसमें फिक्स नहीं है । उस वक्त जो मर्जी आये ले लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किस का प्रभाव है, मैं नहीं समझता । पूर्व मुख्य मंत्री का प्रभाव है कि दो से एक रुपया हो जाये । लेकिन मैं बताता हूं आपको कि ऐसे मौके पर कई लोगों की लाभ उठाने की प्रवृत्ति रहती है, जो घातक है । इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं । सरकार जो इसमें कर सकती हैं निश्चित रूप से करेगी । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति थी और जितना समय था, मैं समझता हूं कि कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया या सहायता नहीं दी । यह अप्रत्याशित स्थिति थी, जिसका मुकाबला करने में सरकार ने पूरी शक्ति के साथ लोगों को बचाने, लोगों को सहायता देने का कार्य किया है । मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि जो कुछ काम हुआ है सदन उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा करेगा ।

मांग संख्या 34 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,48,00,04,000 दो अरब अड़तालीस करोड़ चार हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

मुखबन्द के पश्चात् मैं बाकी की मांगें ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,91,44,000 (चार करोड़ इक्यानवें लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–2 मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,46,87,000 (एक करोड़ छियालीस लाख सत्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गया।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 16,68,19,000 (सोलह करोड़ अड़सठ लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 38,94,48,000 (अड़तीस करोड़ चौरानवे लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,25,45,000 (दस करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि, भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,48,00,04'000 दो अरब अड़तालीस करोड़ चार हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकर की गयी।

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाने वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,76,29,000/-(दो करोड़ छिहत्तर लाख उन्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,74,73000/- (इक्यावन करोड़ चोहत्तर लाख तेहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,59,000/- (दस लाख उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,40,41,000/- (रुपये पांच करोड़ चालीस लाख इकतालीस हज़ार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य मद के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,36,71,000/- (रुपये नौ करोड़ छत्तीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति के लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,50, 23,000/-(एक अरब छत्तीस करोड़ पचास लाख तेईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध से 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,56,08,000/- (नौ करोड़ छप्पन लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,09,77,000/- (तीन करोड़ नौ लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त

(200)

(श्री अध्यक्ष)

होने होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,67,09,000/- (इक्कीस करोड़ सड़सठ लाख नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,85,54,43,000/- (रुपये एक अरब पिचासी करोड़ चव्वन लाख तियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,28,11,000/- (चौरासी करोड़ अट्ठाइस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,03,38,000/- (बीस करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,62,85,000/- (रुपये बाहर करोड़ बासठ लाख पिचासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,38,76,000/-

(श्री अध्यक्ष)

(तिरेसठ करोड़ अड़तीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,67,06,000/- (एक अरब बाइस करोड़ सड़सठ लाख छः हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,09,000/- (नौ नौ लाख हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,06,91,000/- (पांच करोड़ छः लाख इकरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 81,04,34000/- (इक्यासी करोड़ चार लाख चौतीस चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

208

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपए 48,35,73,000/- (अड़तालीस करोड़ पैंतीस लाख तिहेतर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशु पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,12,90,000/- (पैंतालीस करोड़ बाहर लाख नब्बे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,20,49,000/- (नौ करोड़ बीस लाख उनचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,57,83,000/- (दस करोड़ सत्तावन लाख तिरासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी समिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,43,00,000/- (इक्कतीस करोड़ तियालीस लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-47

प्रश्न है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,56,38,000/- (तीन करोड़ छप्पन

(श्री अध्यक्ष)

लाख अड़तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48–विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,21,01,000/– (एक अरब छियालीस करोड़ इक्कीस लाख एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग सख्या 49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,92,53,000/– (ग्यारह करोड़ बानवे लाख तिरेपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,33,45,000/– (एक अरब सत्रह करोड़ तैंतीस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1990

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (सख्या–4) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेदक, 1990 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 19 जुलाई, 1990 को पूर्वाह्न 11·00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 6·11 बजे गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई, 1990 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 412 का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	आवेदकों की संख्या	प्राप्त की गई राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	71	28,500/–
2.	अल्प आय वर्ग	367	3,10,500/–
	कुल योग :—	438	3,39,000/–

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 415 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सोजत में सड़कों की सूची जिन पर डामरीकरण नहीं हुआ

क्र. सं.	सड़क का कार्य	लम्बाई					डामरीकरण हेतु अनुमानित राशि लाखों में
		डामर	मेटल	ग्रेवल	कच्चा मार्ग	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	विभागीय रख-रखाव सूची के अधीन सड़कें :—						
	(अ) अन्य जिला सड़कें						
1.	सरदार समन्द से मारवाड़ जंक्शन सड़क	46	—	4	—	50	7·00
2.	सोजत सिटी से राजोला सड़क	30	8	7	—	45	12·25
3.	साण्डिया से बगड़ी सड़क	7	—	3	—	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सोजतसिटी से मेव घरासनी सड़क	—	—	21	—	21	36·75
5.	सम्पर्क सड़क रेपड़ावास	—	7	3	—	10	13·100
6.	सोजत धाकडी सड़क	3	—	8	—	11	16·00
7.	घूंधला से बोरनाडी सड़क	—	—	4	—	4	7·00
8.	सोजत रोड़ से सरूपा वाया वड़ा गुडा सड़क	21	—	3	—	24	5·25
9.	सोजतसिटी से सोजत रोड़ वाया रेन्दडी भैसाणा	11	7	—	—	18	7·70
10.	बागावास से शिवपुरा	20	6	4	—	30	13·60
	योग:–	138	28	57	—	223	118·55
	(ब) ग्रामीण सड़कें						
1.	खारिया नीव से अटपड़ा	—	5 —	7	—	7	16·00 12·25
2.	पाबूनाडी से मोडावास	9	—	10	—	19	17·50
3.	घीनावास से अजीतपुरा	—	—	5	—	15	18·75

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	नागा के बेरी से पाबूनाडी	5·5	2	4·5	—	12	10·00
5.	सम्पर्क सड़क पान्चुण्डा कलां	—	—	3	—	3	5·25
6.	सोजत नेहरा सियाट	—	—	9	—	9	15·75
7.	बगड़ी पीपलदा-केलवाज	—	—	10	—	10	17·50
8.	सम्पर्क सड़क रामासनी बाला	—	—	4	—	4	7·00
9.	सम्पर्क सड़क बिलावास	4	—	2	—	6	—
	योग–	18·50	2	54·5	—	75	94·00

सूची "अ"

सोजत विधान सभा क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई				कुल कि. मी.
		डामर	मेटल	ग्रेवल	कच्चा मार्ग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सोजत सिटी से सोजत रोड़ वाया रेन्दडी भंसाणा	11·00	7·00	—	—	18·00
2.	बड़ा गुडा से हरियामाली वाया गुडा श्यामा केर खेड़ा	—	—	4	6	10·00
3.	शिवपुरा से सरदार समन्त	0·75	4·00	—	4·25	90.0
4.	सोजत सिटी से राजोला	30·00	8·00	7·00	—	45·00
5.	सोजत से मंडला वाया रामासनी वाला	1·00	2·00	—	6·00	9·00
6.	हींगावास से मोडावास वाया गागुड़ा	1·00	—	9·00	—	10·00

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 417

(स्थगित)

चूरू जिले में इन्दिरा आवास योजना

418. श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला चूरू में इन्दिरा आवासीय कालोनियों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो स्वीकृति तिथि, तहसील एवं ग्रामवार विवरण लाभान्वित व्यक्तियों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह स्वीकृतियां बिना डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में निर्णय लिये अधिकारियों द्वारा निकाली गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिन अधिकारियों के खिलाफ अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) इन्दिरा आवास योजना के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच करवायी जा रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहाड़ा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

419. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विभिन्न चिकित्सालयों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं व उन्हें भरे जाने की क्या व्यवस्था है ?

(2) उक्त क्षेत्र में इस वर्ष किन-किन अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है व कहां-कहां नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विभिन्न चिकित्सालयों में केवल 11 पद चिकित्सकों

(चिकित्सा मंत्री)

के रिक्त हैं, जिन्हें शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उप केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(2) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मापदण्डों के अनुसार चिकित्सा संस्थानों का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लाडनूं तहसील के गांवों में पेयजल

420. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के ग्राम हयावा, आस की ढाणी, समना, रेवाड़ा, डोबरा घोलिया, रोडू, छपारा बिदूड़ा, तंबरा, धीरडोदा, खारा व मीठा, जैसलान पेयजल योजना से जुड़े हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गांवों में पीने का पानी वर्तमान योजना से नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन गांवों को पीने का पानी सुलभ कराने हेतु योजना में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा पेयजल योजनाओं में संशोधन करने हेतु सुझाव सरकार को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? संशोधन के सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित सभी ग्राम क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए हैं।

(2) ग्राम समना, डोबरों का बास तथा रेवाडों का बास में पाइप लाइन अवरुद्ध होने के कारण वितरण में व्यवधान है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के स्रोत ग्राम कनवाई में स्रोत में पानी की कमी के कारण अन्तिम छोर के गांव जैसलान में वितरण व्यवस्था में व्यवधान है। ग्राम रोडू व तंवरा में भी पाइप लाइन अवरुद्ध होने के कारण जल की वितरित मात्रा मांग के विरुद्ध कम है एवं नियमित नहीं है। अन्तिम छोर के ग्राम ध्यावा में स्रोतों पर विद्युत लगातार उपलब्ध न होने के कारण वितरण नियमित नहीं है। ग्राम घोलिया हेतु स्रोत ग्राम में नया नलकूप बनाया जाकर वितरण व्यवस्था कर दी गई है। शेष गाँवों में जल वितरण व्यवस्था सन्तोषप्रद है। वितरण में सुधार करने की दृष्टि से अवरुद्ध पाईप लाईन को ठीक किया जा रहा है। वितरित मात्रा में कमी वाले ग्रामों हेतु योजनाओं में संवर्धन विचाराधीन है। जिन्हें धन उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां, प्राप्त सुझाव (प्रति संलग्न) विचाराधीन हैं।

प्रेषक:—तनसुख शर्मा
पोस्ट—ध्यावा
तहसील—लाडनूं
दिनांक—15·4·90

श्रीमान्,

मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय:—ग्राम ध्यावा (तह.-लाडनूं, जिला नागौर) में पेयजल की विकट समस्या के सन्दर्भ में।

तीन सौ पांच घरों में 2962 की जनसंख्या और 6048 मवेशियों की संख्या वाला यह ग्राम लाडनूं तहसील के अन्तर्गत निम्बीजोधा व जोडू के बाद तीसरे नम्बर का ग्राम है, मगर दुर्भाग्य से इसके तीनों कुओं का पानी इतना जहरीला है कि भरपेट पीने के बाद कोई भी जीव-जन्तु डेढ-दो घण्टे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। गत अठारह वर्षों से ग्यारह किलोमीटर दूर फिरवासी स्कीम में पानी सप्लाई योजना भी (जो कि सन् 1969 में केवल ध्यावा के लिये निर्धारित थी) चालू है मगर दर्शाए गये नक्शों के मुताबिक बीच के गांवों का अत्यधिक व्यवधान होने के कारण (संलग्न जल वितरण तालिका) योजना पक्षाघाती सिद्ध हो रही है। इसका एक मात्र निदान आखिरी सिरे के इस ग्राम को जब तक फिरवासी स्कीम से सीधा नहीं जोड़ा जाये तब तक कोई समाधान होना असम्भव है।

अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मानवीय समस्या के समाधान में यथोचित कार्यवाही करने का निर्देश प्रदान करके ग्रामवासी मूक-बधिर प्राणियों को राहत पहुंचाएं।

निवेदन
तनसुख शर्मा

हिण्डौन के विद्युतीकृत गांवों को बिजली

421. श्री भरोसा लाल (हिण्डौन) : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल द्वारा तहसील हिण्डौन के विद्युतीकृत ग्राम बरगमा, नगलामीना, बीनेगा एवं इरनियां में दिनांक 26 नवम्बर से 30 मार्च, 1990 तक बिजली उपलब्ध नहीं करवाई गई ? यदि हां, तो किस कारण ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के बिजली के बिलों में पूरा सरचार्ज लगा कर बिल वितरित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों की 11 के. वी. लाइन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो 11 के. वी लाइन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि ग्राम बरगमा, नगला मीणा, विनेगा एवं इरनियां को 28·11·89 से 30 मार्च, 90 तक बिजली उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपितु केवल 28·11·89 से 8·12·89 तक ग्रामीणों द्वारा वर्णित गांवों की 11 के. वी. लाइन को क्षतिग्रस्त करने से व दिनांक 6·2·90 के प्रातः से 8·2·90 की सायं तक 132 के. वी. जी. एस. एस. हिण्डौन का जनता द्वारा घेराव करके 33 के. वी. फीडर बन्द कर देने के कारण अन्य गांवों के साथ-साथ उक्त गांवों की विद्युत आपूर्ति इन दिनों नहीं कराई जा सकी।

(2) सामान्यतया उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में बिल की राशि जमा करने पर नियमानुसार छूट का लाभ दिया जाता है लेकिन निर्धारित अवधि के पश्चात् छूट का लाभ नहीं दिया जाता। प्रश्न में वर्णित ग्रामों के उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग की राशि के बिल भेजे गये तथा जिन उपभोक्ताओं ने निर्धारित अवधि में बिल जमा नहीं कराया उनको छूट का लाभ नहीं दिया गया तथा उन्हें आगामी माह के बिलों में उपभोग के बिलों के साथ मे पिछले माह के बकाया राशि का बिल भी भेजा गया।

(3) जी हां। एक 11 के. वी. का नया फीडर 33/11 के. वी. जी. एस. एस. जाट का तालाब (62 नं. टेलीफोन) से ग्राम बरगमा तक खींचने हेतु स्वीकृत किया गया था जिसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया तथा रेलवे क्रासिंग की अनुमति रेलवे से प्राप्त होने के बाद इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

जयपुर में नगरीय बस सेवा

422. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने गत विधान सभा में कई सत्रों में जयपुर शहर में परिवहन निगम की सिटी बसें चलाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्वित में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) क्या राज्य सरकार निजी बसों से आम नागरिकों को हो रही आर्थिक व अन्य कठिनाइयों की दृष्टि में निगम की सिटी बसों के चलन को उचित मानती है ? यदि हां, तो अब कब तक निगम की बस सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वर्तमान में निगम के पास बसों का अभाव है। बसों की संख्या में बढोतरी होने पर सिटी बस सेवा प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

नगर परिषदों/नगरपालिकाओं द्वारा व्यय

423. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लोक सभा चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् नवम्बर 1989, से फरवरी 1990 तक की अवधि में राज्य की नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं द्वारा सड़क, नाली, बिजली आदि कार्यों पर कितना व्यय किया गया ? क्या उक्त व्यय हेतु बजट प्रावधान था ? यदि नहीं, तो किस मद से राशि व्यय की गई ?

(2) अप्रेल, 1989 से अक्टूबर, 1989 तक की अवधि में उपरोक्त कार्यों पर नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं द्वारा कितना व्यय किया गया ? कुल व्यय राशि का चुनाव से पूर्व व पश्चात् पृथक्-पृथक् व्यय कितना प्रतिशत रहा ?

उत्तर

(1) लोक सभा चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् नवम्बर 1989 से फरवरी 1990 तक की अवधि में राज्य की नगर-परिषदों/पालिकाओं द्वारा सड़क, नाली, बिजली आदि कार्यों पर 3,83,82,846·00 रुपये व्यय किये गये। उक्त व्यय हेतु बजट प्रावधान था।

(2) अप्रेल 1989 से अक्टूबर 1989 तक की अवधि में सड़क, नाली, बिजली, आदि कार्यों पर 5, 49,28,175/- रुपये की राशि व्यय की गई। कुल व्यय राशि का चुनाव से पूर्व व्यय 58·87 प्रतिशत व चुनाव के पश्चात् 41·13 प्रतिशत रहा।

जिला मुख्यालयों में बस स्टैण्ड

424. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 के पश्चात् राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा किस-किस जिला मुख्यालय पर नये बस स्टैण्ड बनाये गये तथा मुसाफिरों के बैठने के लिए कुल कितने प्लेटफार्म बनाये गये ?

(2) उक्त बस स्टैण्ड व प्लेटफार्म पर कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(3) नागौर में बस स्टैण्ड व प्लेटफार्म कब तक बनाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1980 के पश्चात् वर्ष 1990 की अवधि में निम्न स्थानों पर बस स्टैण्डों का निर्माण कराया गया है, जिनमें यात्रियों के लिये शैड व प्लेटफार्म की व्यवस्था भी है:—

1. बस स्टैण्ड, बांसवाड़
2. ,, ,, झुन्झूनू
3. ,, ,, सिरोही
4. ,, ,, आबूरोड़
5. ,, ,, भरतपुर
6. ,, ,, सीकर
7. ,, ,, बीकानेर
8. ,, ,, नागौर
9. ,, ,, ब्यावर

इसके अलावा जवाहर नगर जयपुर में बस स्टैण्ड का कार्य प्रगति पर है। बीकानेर हाउस, दिल्ली व चित्तौड़गढ़ पर यात्री शैड व प्लेटफार्म का निर्माण कराया गया है। सिन्धी कैम्प, जयपुर में एक अतिरिक्त यात्री शैड व प्लेटफार्म डीलक्स वाहनों के लिये बनाया गया है।

उपरोक्त बस स्टैण्डों पर प्रत्येक पर एक प्लेटफार्म बनाया गया है।

(2) उक्त बस स्टैण्डों, प्लेटफार्मों पर कुल 162·31 लाख की राशि खर्च की गई है। विवरण संलग्न है।

(3) नागौर बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु यात्री शैड एवं प्लेटफार्म का निर्माण 1989 में किया जा चुका है।

बस स्टेण्ड एवं प्लेटफार्म पर खर्च की राशि का विवरण :—

(व्यय राशि लाखों में)

1.	बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा	12.10	
2.	,, ,, झुन्झुनू	16.45	
3.	,, ,, सिरोही	31.40	
4.	,, ,, आबूरोड	6.74	
5.	,, ,, भरतपुर	12.10	
6.	,, ,, सीकर	34.30	
7.	,, ,, बीकानेर	25.00	
8.	,, ,, नागौर	1.10	
9.	,, ,, ब्यावर	1.90	
10.	,, ,, जवाहर नगर, जयपुर	15.10	(निर्माणाधीन)
11.	,, ,, सिन्धी कैम्प, जयपुर	1.65	(यात्री शैड तृतीय मय प्लेटफार्म)
12.	,, ,, चित्तौडगढ़	2.75	(यात्री शैड मय प्लेटफार्म)
13.	,, ,, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली	1.72	(यात्री शैड मय प्लेटफार्म)

222

जैसलमेर जिले में पर्यटन विकास

425. श्री जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में 1 अप्रेल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक किन-किन देशों से कितने पर्यटक आये और उनसे कितनी आय हुई ?

(2) क्या सरकार जिले में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिले में विदेशी पर्यटकों के रहने के लिये सस्ते मकान या सस्ते होटल का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

(4) चालू वित्तीय वर्ष में जिले में विदेशी पर्यटकों के लिए कितनी धनराशि किस-किस मद में व्यय किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 1 अप्रेल 1989 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि में आये विदेशी पर्यटकों का विवरण इस प्रकार है :—

अमरीकी	2058
जर्मन	3705
ब्रिटिश	6118
फ्रेन्च	7643
स्विस	1795
इटालियन	3057
जापानी	1183
कनेडियन	2030
आस्ट्रेलियन	2946
डच	2231
अन्य	5906
योग :	38672

विभाग को पर्यटकों से कोई आय नहीं होती हैं।

(2) राज्य सरकार ने जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु जैसलमेर किले की फ्लड लाइटिंग करने एवं वहां एक शिल्पीग्राम के निर्माण की योजना बनाई है। इन योजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित किए गए हैं। जिनकी रूप रेखा संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) विदेशी पर्यटकों के लिए अलग से ऐसी कोई योजना नहीं हैं।

जैसलमेर ज़िले में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिए योजनाओं की रूपरेखा

1. शिल्पी ग्राम :—

(अ) योजना की लागत — 19.85 लाख रुपये

(ब) उद्देश्य :—इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राचीन कला को जीवित रखना है। कलाकार एक ही स्थान पर रहते हुए अपनी कला कृतियों का निर्माण कर सकें एवं पर्यटक इन वस्तुओं को निर्मित होते हुए देख सकें। इस केन्द्र पर क्रय/विक्रय की भी सुविधा होगी।

2. आवास एवं प्रावधान :—

(1) शिल्पियों हेतु आवास व्यवस्था—28 कमरे
(2) गोबर गैस संयत्र
(3) सोलर लाइट
(4) सांस्कृतिक गतिविधियां
(5) पानी की खेली, कैटलशैड
(6) पूजा स्थल
(7) चौपाल
(8) कुआं एवं पानी का टैंक

3. जैसलमेर किले की फ्लड लाइटिंग :–

(i) लागत — 19.21 लाख रुपये

(ii) उद्देश्य:—किले की फ्लड लाइलिंग का मुख्य उद्देश्य किले ओर को आकर्षक बनाना है। फ्लड लाइटिंग के बाद यह किला रेल्वे स्टेशन, पर्यटक-विश्रामगृह, गड़ीसर, स्टेडियम एवं अन्य स्थानों से रात्रि में भी दिखाई देगा।

सड़क निर्माण में असमानता

426. श्री सांवरलाल (मिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किस जिले में प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हुई हैं व किस विधान सभा क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़कें हैं ?

(2) विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण में असमानता के क्या कारण हैं और अब सरकार इस असन्तुलन को किस प्रकार सुधारने का विचार रखती हैं ?

(3) क्या पिछड़े क्षेत्र में सड़क निर्माण को प्राथमिकता है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सब प्रकार की सड़कों को शामिल करते हुए तथा धौलपुर जिले में पक्की सड़कें 100 कि.मी. वर्ग क्षेत्र में सबसे अधिक हैं। जिलेवार सूची संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र के अनुसार सड़कों की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है क्योंकि ऐसी सूचनाएं राज्य सरकार द्वारा नहीं मांगी जाती हैं।

(2) भौगोलिक स्थिति एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले बजट के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में कुछ असमानताएं रही हैं। सड़कों की लम्बाई क्षेत्रफल के अलावा उस क्षेत्र की आबादी पर भी निर्भर करती है। राज्य सरकार अब इस असमानता को दूर करने का पूरा प्रयास करेगी जैसाकि बजट भाषण में भी कहा गया है।

(3) जी हां। पिछड़े क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता है जिसके अन्तर्गत परिगणित क्षेत्र (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर) (गिर्वा तहसील सिरोही (आबूरोड तहसील) व चित्तौड़गढ़ (प्रतापगढ़ तहसील) जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए राज्य योजना के सड़क एवं पुल मद का 10% व्यय करने का प्रावधान रखा जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 427

(स्थगित)

उमरेन जिला (अलवर) में बस स्टाप

428. ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उमरेन जिला अलवर में बस स्टाप होते हुए भी बस नहीं रोकी जा रही है ? क्या इस असुविधा से वहां की जनता काफी परेशान है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उमरेन में बस स्टाप होते हुए भी जयपुर से अलवर का ही टिकट देते हैं ?

(3) यदि हां, तो सरकार जनता की सुविधार्थ उक्त कठिनाइयों को कब तक दूर कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी, प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूचना

क्र.सं.	नाम केन्द्र	आरम्भ वर्ष
	राज्य सरकार द्वारा संचालित	
1.	राजकीय आयुर्वेद कालेज, उदयपुर	1978–79
2.	राजकीय नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर	1979–80
3.	राजकीय नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	1983–84
	निजी संस्थाओं द्वारा संचालित	
1.	आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र मंचकुण्ड, धौलपुर	1983–84
2.	रामचन्द्र शिक्षण संस्थान, बापूनगर, जयपुर	1987–88
3.	श्री भगवती विद्या मन्दिर समिति, भांकरोटा, जयपुर	1987–88

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची

राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित प्राचीन किलों की सूची

जिला–जयपुर

1. सुदर्शन गढ़ (नाहरगढ़), जयपुर
2. चौमू का किला परकोटा व खाई सहित, चौमू
3. पहाड़ी पर अवस्थित समूचा नायला दुर्ग, नायला

जिला–कोटा

4. किला, रामगढ़
5. किला, नाहरगढ़
6. किला, शाहाबाद
7. किला, केलवारा

जिला–झालावाड़

8. किला, गगरोन

जिला–जोधपुर

9. जोधपुर का किला, जोधपुर

जिला–जालोर

10. जालोर का किला, जालोर

जिला–अलवर

11. किला, इन्दोर
12. राजगढ़ का किला, राजगढ़

जिला–नागौर

13. नागौर का किला, नागौर
14. मालकोट, मेड़ता सिटी

जिला–अजमेर

15. अकबर का किला या मैग्जीन या दौलत खाना, अजमेर
16. अकबर के किले का मुख्य द्वार, अजमेर

जिला-भरतपुर

17. किला (कमरा खास, पुराना किला, किशोरी महल, किले के अन्दर का भाग), भरतपुर

18. चौबुजा अथवा गढ़ी खेमकरण, भरतपुर

19. किला डीग

20. किला, बैर

जिला-धौलपुर

21. शेरगढ़ का किला, धौलपुर

जिला-बाड़मेर

22. सिवाना का किला, सिवाना

जिला-सीकर

23. फतेहपुर का किला, फतेहपुर

229

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 665 का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	कुल निर्मित ग्रहों की संख्या
1.	नाहरी का नाका	1583
2.	जवाहर नगर	3821
3.	मालवीय नगर	8644
4.	वन विहार	752
5.	घाट की गूणी	342
6.	ज्योति नगर	350
7.	मानसरोवर	17640
		योग : 33,132

क्र.सं.	योजना का नाम	पार्क			विद्यालय			चिकित्सालय			सड़कें	
		प्रस्तावित	पूर्ण	अपूर्ण	प्रस्तावित	पूर्ण	अपूर्ण	प्रस्तावित	पूर्ण	अपूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण
1.	नाहरी का नाका	7	7	—	1	1	—	1	1	—	✓	×
2.	वन विहार	3	3	—	–	–	—	–	–	—	✓	×
3.	घाट की गूणी	2	2	—	–	–	—	–	–	—	✓	×
4.	मालवीय नगर	86	86	—	2	2	—	1	1	—	✓	×
5.	जवाहर नगर	18	18	—	2	2	—	1	1	—	✓	×
6.	ज्योति नगर	1	1	—	–	–	—	–	–	—	✓	×
7.	मानसरोवर	154	47	6	4	4	1	8	1	1	80%	20%

नोट :–1. पार्कों में बाउण्ड्री वाल एवं पेड़ पौधे लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

2. विद्यालय, चिकित्सालय एवं जनपयोगी की सूचना में रखे गये भूखण्डों को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 671 की सूची

तहसील निवाई में स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र/एडपोस्टों की सूची:—

क्र. सं.	संस्था का नाम	क्र. सं.	संस्था का नाम
1.	एडपोस्ट करेडाबुजुर्ग	11.	अलियाबाद
	उच्चीकृत उपकेन्द्र	12.	चतुर्भुजपुरा
2.	डांरथल	13.	शिवपुरा
3.	दतवास	14.	खण्डदेवल
	उपकेन्द्र	15.	नटवाडा
1.	राहोली	16.	जामडोली
2.	सिरोही	17.	ललवाड़ी
3.	नोहटा	18.	सिदडा
4.	मूडिया	19.	हरमावता
5.	बनस्थली	20.	बस्सी
6.	दहलोद	21.	विछपडी
7.	रजवास	22.	श्री रामपुरा
8.	पहाडी	23.	पडागांव
9.	हिगोनिया	24.	नला
10.	बहड		

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 674 का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम			पदो का नाम	रिक्त पदो की संख्या
1.	राजकीय चिकित्सालय, नागौर			वरिष्ठ विशेषज्ञ	2
				कनिष्ट विशेषज्ञ	5
				उप नियंत्रक	1
2.	,,	,,	मेडतासिटी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
3.	,,	,,	मकराना	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
4.	,,	,,	परबतसर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	4
5.	,,	,,	लाडनू	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3
6.	,,	,,	कुचामन सिटी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
7.	,,	,,	डीडवाना	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3
				उप नियंत्रक	1
				वरिष्ठ चिकि. अधिकारी	1
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जायल			कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
9.	,,	,,	रियाबडी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
10.	,,	,,	कुचेरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
11.	,,	,,	मौलासर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
				वरिष्ठ चिकि. अधिकारी	1
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पादुखुर्द			चिकित्सा अधिकारी	1
13.	,,	,,	दुगोली	चिकित्सा अधिकारी	1
14.	,,	,,	आलनियावास	चिकित्सा अधिकारी	1
15.	,,	,,	पीपलाद	चिकित्सा अधिकारी	1
16.	,,	,,	कुरडाया	चिकित्सा अधिकारी	1
17.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मीण्डा			महिला चिकि. अधिकारी	1
18.	,,	,,	बग्गड	महिला चिकि. अधिकारी	1
19.	,,	,,	थांवला	महिला चिकि. अधिकारी	1
20.	,,	,,	बागोट	महिला चिकि. अधिकारी	1

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 676 का ब्यौरा

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण ।

क्र. सं.	नाम संस्थान	चि. अ.		मे. नं. 2		म. स्वा. दर्शिका		एस. आई.		म. स्वा. कार्यकर्ता		लेब. तकनि.		च. श्रे. कर्म.		व. लि.		क. वि.	
		स्वी	रिक्त	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11		12	13	14		15	
1.	ग्रा. प. क. केन्द्र पीपाड शहर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
2.	न. प. क. केन्द्र ,,	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
3.	मा. शि. क. केन्द्र बिलाडा	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
4.	न. प. क. केन्द्र ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	मा. शि. क. केन्द्र खारिया मीठापुर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र पीपाड शहर	3	—	4	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—

	1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14	15
7. ,, खोजडाला	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—
8. ,, बौसन्दा	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—
9. प्रा. स्वा. केन्द्र बाला	1	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—
10. ,, तिलवासनी	1	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—
11. रे. अस्प. बिलाडा	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	2
12. राज. चिकि. बिलाडा	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. प्रा. स्वा. केन्द्र भावी	1	1	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
14. प्रा. स्वा. केन्द्र कापरडा	1	1	2	1	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
योगः—		3		1		3		5		1		7			4			5

नाम संस्थान		व. चि. अ.		मे. नं.1		स्टाफ नर्स		रेडियो.		एक्स. तक.		कं. लि.		वा. चा.		वी. ई.ई. संगणक		सेक्टर सुपर प. ण. का.		नेत्र का सहा सिस्टर	
		स्वी	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी	रि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ग्रा. पं. के.	पीपाड़शहर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—
न. प. क, केन्द्र,	पीपाड़शहर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
मा. शि. क., केन्द्र,	बिलाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न. प. क, केन्द्र,	बिलाड़ा	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मा. शि. क., केन्द्र,	खारिया मीठापुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रा. स्वा. के.	पीपाड़शहर	2	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—
,,	खेजडाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
प्रा. स्वर के. बोरुन्द	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
,, बाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
,, तिलवासनी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
रेफ. अस्प., बिलाडा	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
राज. चिकि., बिलाडा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रा. स्वा. केन्द्र, भावी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
,, कापरडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग:—		—		1		1		—	1		—	—	—	1	—		—	1
रिक्त पद																		

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 682 का विवरण

विगत 3 वर्षों में एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई कार्यक्रम के तहत प्राप्त राशि

(लाखों रु. में)

वर्ष	क्रमांक	पत्र दिनांक	राशि	योग
1987–88	1.	1-4-87	819.00	
	2.	25-9-87	557.75	
	3.	29-12-87	1207.60	
			2564.35	2664.36
1988–89	1.	4-4-88	1373.00	
	2.	7-4-88	823.25	
	3.	6-4-88	713.40	
	4.	30-11-88	1000.00	
	5.	6-12-88	246.00	
	6.	3-1-89	713.40	
	7.	12-1-89	100.00	
			4969.05	4969.05
1989–90	1.	23-2-90	8.78	
	2.	31-3-89	1261.00	
	3.	7-4-90	572.00	
	4.	17-5-89	247.00	
	5.	19-5-89	67.00	
	6.	19-7-89	123.00	

1		2	3	
	7.	15-9-89	1261.00	
	8.	15-9-89	572.00	
	9.	5-12-89	245.59	
	10.	—	8.80	
			4368.17	4368.17
1990–91	1.	10-4-90	916.00	
	2.	15-6-90	916.00	
			1832.00	1832.00
		एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के तहत स्वीकृत राशि		
1987–88	1.	12-3-87		1081.35
	2.	26-6-87		676.70
	3.	6-10-87		3923.02
	4.	21-12-87		2118.00
			योग वर्ष 8788	7799.60
1988–89	1.	21-12-87		1375.80
	2.	7-6-88		816.00
	3.	30-6-88		1100.00
			योग वर्ष 88–89	3526.80
1989–90	1.	29-5-89		912.50
	2.	3-7-89		90.00
	3.	20-2-90		557.20
			योग वर्ष 89–90	1614.70

1	2	3	4
		टैक्नोलाजी मिशन के तहत प्राप्त राशि	
1987–88	1.	4-11-87	206.00
	2.	10-3-88	20.00
1988–89	3.	26-10-88	300.00
	4.	4-1-89	40.00
1989–90	5.	15-5-89	
	6.	21-6-89	256.00
	7.	22-9-89	100.00
1190–91	8.	25-5-90	—
		योग:–	916.00

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 696 की विवरण

आवंटित नई वाहनों की सूची (दिनांक 1-1-85 से 5-7-90)

क्र. सं.	आगार का नाम	नई वाहनों की संख्या	क्र. सं.	आगार का नाम	नई वाहनों की संख्या
1.	अलवर (अ)	50	21.	भीलवाड़ा	46
2.	अलवर (ब)	24	22.	नागौर	16
3.	भरतपुर	55	23.	जोधपुर	62
4.	धौलपुर	28	24.	आबू रोड	44
5.	हिण्डौन	54	25.	सिरोही	24
6.	जयपुर (पश्चिम)	88	26.	जालौर	23
7.	जयपुर (पूर्व)	76	27.	फालना	19
8.	सुविधा वाहन	152	28.	बाड़मेर	27
9.	जवाहर नगर	26	29.	फलौदी	13
10.	कोटपूतली	35	30.	उदयपुर	83
11.	सीकर	57	31.	डूंगरपुर	49
12.	झुन्झुनू	48	32.	बांसवाड़ा	53
13.	खेतड़ी	33	33.	चित्तौड़गढ़	51
14.	कोटा	55	34.	बीकानेर	45
15.	बांरा	34	35.	गंगानगर	51
16.	बून्दी	43	36.	हनुमानगढ़	33
17.	झालावाड़	48	37.	सरदारशहर	31
18.	टौंक	33	38.	अनूपगढ़	15
19.	अजमेर	81			
20.	ब्यावर	34		कुल:–	1739

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 698 की प्रति

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कोषाधिकारी,
जयपुर।

क्रमांक प. 7 (2) ऊर्जा/85 जयपुर, दिनांक 31 मार्च, 1990

विषय:– राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विनियोजन बाबत।

महोदय,

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थानराज्य विद्युत मण्डल में एक मुश्त 10.00 करोड़ रु. (दस करोड़ रु.) अंश पूंजी के रूप में विनियोजन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1048 की धारा-12 (क) अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को ऊर्जा विभाग की आज्ञा सं० एफ (2) ऊर्जा /85 दिनांक 29 मई, 89 के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को निगमित निकाय घोषित करते हुए, उसकी अधिकृत पूंजी की सीमा 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है।

उक्त राशि का समायोजन निम्नानुसार बजट मदों में वित्त (आय-व्ययक) विभाग की आज्ञा से जमा खर्च कर किया जायेगा।

खर्च की मद 4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय
80 सामान्य
राज्य विद्युत बोर्डों में निवेश (आयोजना)

जमा की मद 6801 विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार
800 बिजली बोर्डों को अन्य उधार
(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को उधार (आयोजना)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल उक्त राशि के हिस्से प्रमाण-पत्र राजस्थान के राज्यपाल महोदय के नाम में जारी कर वित्त (व्यय)–IV एवं सा. वि. विभाग को 3 माह की अवधि के भीतर–2 उपलब्ध करावेंगे।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अपने बजट अनुमान/लेखे विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1348 के अनुसार निर्धारित अवधि में राज्य सरकार, महालेखाकार कार्यालय व राजस्थान विधान सभा को जांच व अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय IV एवं सा. वि.) विभाग की सहमति आई. डी. संख्या 347 दिनांक 31-3-1990 की अनुपालना में जारी की जावेगी।

भवदीय,
ह०/
(आर. जे. मजीठिया)
शासन सचिव

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 704 की सूची

सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), रा.रा.विम., किशनगंज के अन्तर्गत वर्ष 1985–86–87–88–89–90 में दिये गये कृषि कनेक्शनों की सूची—

क्रमांक	वर्ष	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम
1.	1985–86	श्री हरिशंकर/जयलाल	जलवाड़ा
2.	,,	,, नाथूलाल/छीतरलाल	किशनगंज
3.	,,	,, धन्नालाल/मांगीलाल	,,
4.	,,	,, सुन्दरलाल शर्मा	दीगोदपार
5.	,,	,, रामनाथ/गणेशराम	बड़ोदिया
6.	,,	,, शम्भुसिंह	कांकड़दा
7.	,,	,, मदनसिंह/ईश्वरसिंह	मोयदा
8.	,,	,, सुखदेवसिंह	खेड़दा
9.	,,	,, सोमदत्त त्यागी	रेलावन
10.	,,	फूला बाई	काकड़दा
1.	1986–87	,, लखमा/पन्ना माली	किशनगंज
2.	,,	श्रीमती दाखाबाई	,,
3.	,,	श्री मूलचन्द/अमरलाल	,,
4.	,,	,, मोतीलाल/पन्नालाल	,,
5.	,,	,, हरिलाल/बालाबख्श	,,
6.	,,	,, भीमराज/रामगोपाल	,,
1.	1987–88	नाथूलाल/छीतरलाल	किशनगंज
2.	,,	,, तुलसीराम/चतुर्भज	,,
3.	,,	,, नाथूलाल/कन्हैयालाल	,,
4.	,,	,, नाथूलाल/कन्हैयालाल	,,
5.	,,	,, हेमरामसिंह चौधरी	,,

1	2	3	4
6.	1987–88	श्री गुलाबचन्द/रामगोपाल	किशनगंज
7.	,,	,, शम्भूसिंह/	दजलवाडा
8.	,,	,, प्रभूलाल/नाथूलाल	अमलावदा
9.	,,	,, किशन गोपाल/रामधन	,,
10.	,,	,, पुरूषोतम/भैरूलाल	गीगचा
11.	,,	,, धन्नालाल/रघुनाथ	खल्दा
12.	,,	,, भेरूसिंह/चन्दनसिंह	गोवरचा
13.	,,	,, बद्रीलाल/अमरलाल	खण्डेला
14.	,,	,, राधेश्याम/केशव	,,
15.	,,	,, कुंजी/जगरू	,,
16.	,,	,, मोतीलाल/किशनलाल	कूंडी
17.	,,	,, देवलाल/रामभरोस	,,
18.	,,	,, मन्सूर अली/निसार अहमद	पीप्लदा
19.	,,	,, संग्रामसिंह/	काकडदा
20.	,,	,, माधोसिंह/अमरलाल	अमलावदा
21.	,,	,, हरलाल/	काकडदा
22.	,,	,, शंकरलाल/	मेघपुर
23.	,,	,, अमरलाल/	कागला भमोरी
24.	,,	,, बिरधीलाल	छतरपुरा
25.	,,	,, रामगोपाल	अमलावदा
26.	,,	श्रीमती धोसीबाई	रानी बड़ोद
27.	,,	श्री गोपसिंह	काकडदा
28.	,,	,, चन्दनसिंह	मोहन बमोरी
29.	,,	,, कल्याणसिंह	,,
30.	,,	,, हरलाल/बजरंगलाल	कामठा
31.	1988–89,,	जगदीश/रामप्रसाद	बीवोदा
1.	,,	,, खेमचन्द/बिहारी	,,

1	2	3	4
2.	1988–89	श्री भैरूसिंह/चन्दनसिंह	गोवरचा
3.	,,	,, भंवरसिंह/धन्नालाल	,,
4.	,,	,, हीरालाल/जगन्नाथ	,,
5.	,,	,, बाबूलाल/धन्नालाल	,,
6.	,,	श्रीमती शान्तीबाई/रामकृष्ण	नाहरगढ़
7.	,,	श्री छीतरलाल/गोविन्द	,,
8.	,,	,, मोहन प्रसाद/भागचन्द	खलदा
9.	,,	,, नाथूलाल/हीरालाल	अमलावदा
10.	,,	,, बलराम/नारायण	,,
11.	,,	,, शान्तीलाल/खेमलाल	,,
12.	,,	,, गंगाराम/गोरधन	कामठा
13.	,,	,, अशरफअली/रहमान खां	जैतपुरा
14.	,,	,, राधाकिशन/जगन्नाथ	मामली
15.	,,	,, भगवानलाल/नरवरिया	भैरूपुरा
16.	,,	,, शरीफ मोहम्मद	गोरधनपुरा
17.	,,	,, सुरेन्द्रकुमार/नरेन्द्र	,,
18.	,,	,, रूपनारायण/लालचन्द	खेड़ली
19.	,,	,, कन्हैयालाल/सूरजमल	लालपुरा
20.	,,	,, धन्ना/गोपाल	किशनगंज
21.	,,	,, रमेशचन्द्र/कल्यण	,,
22.	,,	,, मनोहरलाल/गोरधन	,,
23.	,,	,, भवानीशंकर/प्रभुलाल	,,
24.	,,	,, शम्भूसिंह/श्रीलाल	,,
25.	,,	,, बद्रीलाल/तुलसीराम	,,
26.	,,	,, कन्हीराम धनालाल	,,
27.	,,	,, घनश्याम/रामप्रसाद	,,

1	2	3	4
28.	1988–89	श्री धूलीलल/नरसी	किशनगंज
29.	,,	,, पन्नालाल/भैरूलाल	,,
30.	,,	,, गड़कसिंह/गंगाराम	गणेशपुरा
31.	,,	,, गोविन्दा/प्यारेलाल	खण्डेला
33.	,,	,, सुखलाल/भूरालाल	,,
34.	,,	,, नेमीचन्द/धूलीलाल	किशनगंज
35.	,,	श्रीमती/शकिला बानू	,,
36.	,,	श्री दल्ला/भैरूलाल	जलवाड़ा
37.	,,	,, कल्याणसिंह/पृथ्वीसिंह	मोहन खम्भोरी
38.	,,	,, अशोककुमार/नागेश्वर	कामठा
39.	,,	,, शिवनारायण/बद्रीलाल	आकोदिया
40.	,,	,, भैरूलाल/किशनलाल	,,
41.	,,	,, कन्हैयालाल/रतनलाल	काकडदा
42.	,,	,, कालू/मोती	,,
43.	,,	,, मोतीसिंह/गुसाईसिंह	,,
44.	,,	,, शंकरसिंह/तुलसीराम	भंवरगढ
45.	,,	,, माणकचन्द/देबलाल	,,
46.	,,	,, मोतीलाल/श्रीलाल	,,
47.	,,	,, सीताराम/मन्सा	रूयावदा
48.	,,	,, किशनलला/लच्छीराम	,,
49.	,,	,, रामप्रताप/मन्ना	,,
50.	,,	,, श्रीतरलाल/धन्ना	रामपुरिया लाखाखेड़ी
51.	,,	,, धन्ना/ओंकार	,,
1.	1989–90	,, सन्तोकसिंह/जगदीश	नयागांव
2.	,,	,, भागचन्द/गोकुल	,,
3.	,,	,, मदनसिंह/ईश्वरसिंह	चालापुरा
4.	,,	,, ,, ,,	,,

1	2	3	4
5.	1989–90	श्री प्रहलाद/भंवरलाल	ब्रह्मपुरा
6.	,,	,, सुर्दीपसिह/मोहनसिह	गणेशपुरा
7.	,,	,, जरदारखां/रहमान	गोरधनपुरा
8.	,,	,, छीतर/कन्हैया	किशगंज
9.	,,	,, द्वारकालाल/श्यामसुन्दर	खण्डेला
10.	,,	,, मदनमोहन/जगन्नाथ	छतरपुरा
11.	,,	,, रतनलाल/बालमुकुन्द	दुर्जनपुरा
12.	,,	,, जयकिशन/ओंकार	लकडियाई
13.	,,	,, सरदुलसिह/निरंजन	बादीपुरा
14.	,,	,, नारायण/बलदेव	बन्दखुर्द
15.	,,	,, ठाकुरसिह/भागसिह	बादीपुरा
16.	,,	,, मोहनलाल/मथुरालाल	बन्दाकला
17.	,,	,, बृजमोहन/हरनारायण	छतरपुरा
18.	,,	,, ललजूराम/शंकरलाल	दौलतपुरा
19.	,,	,, गुलाबचन्द/रूपचन्द	बन्दाकलां
20.	,,	,, भगवानलाल/जयलाल	रणवासी
21.	,,	,, भैरूलाल/श्रीकिशन	काकड़दा
22.	,,	,, अमरचन्द/मांगीलाल	अहमदा
23.	,,	,, यशभानुकुमार/निदेशचन्द	छीनोद
24.	,,	,, रुपनारायण/बद्रीलाल	सीमलिया
25.	,,	,, रामप्रसाद/धन्ना	सीमलिया
26.	,,	,, जलोत्थान योजना	बडोदिया
27.	,,	श्री गुरूभागसिह	गणेशपुरा
28.	,,	,, हरनारायण/रामचन्द्र	बन्दाकलां
29.	,,	,, भंवरलाल/नन्दा	चारपुरा
30.	,,	,, माधो/धूलीलाल	डीलोद

1	2	3	4
31.	1989–90	श्री छीतर/भैरूलाल	डीलोद
32.	,,	,, सोमदत्त त्यागी	रेलावत
33.	,,	,, भूरालाल/धन्नालाल	पीपल्दा कलां
34.	,,	,, घासी/मदनलाल	पचलावड़ा
35.	,,	,, चन्द्रमोहन/तंवर लाल	खेड़ली नाहरगढ़
36.	,,	,, श्रीकिशन/बलदेव	बन्दा खुर्द
37.	,,	,, धन्ना/माधो	प्रेमपुरा
38.	,,	,, मदनलाल/शंकरलाल	नाहरगढ़
39.	,,	,, आत्मासिह/भागसिह	बादीपुरा
40.	,,	,, शान्तीलाल/कन्हैयालाल	जलवाड़ा
41.	,,	,, रुपचन्द त्यागी	रेलावन
42.	,,	,, प्रभुलाल/भैरूलाल	अमलावदा
43.	,,	,, सीताराम/घनश्याम	जलवाड़ा
44.	,,	,, असरफ अली/रहमान	गोरधनपुरा
45.	,,	,, नाहरसिह बेरीशालसिह	छतरगंज
46.	,,	,, नारायण/ऊदा मेघवाल	किशनगंज
47.	,,	,, सालगराम/पांचूलाल	लकड़ीआई
48.	,,	,, गोपाल/रामचन्द्र	पींजना
49.	,,	,, धन्ना/हीरालाल	असचनावर
50.	,,	,, गोरधन/घासी	सिगरी
51.	,,	,, बद्रीलाल/जमनालाल	,,
52.	,,	,, मेवारास/कन्हैयालाल	खलदी
53.	,,	,, नाथूलाल/लक्ष्मीनारायण	पचलावड़ा
54.	,,	,, बृजमोहन/कंवरलाल	अहमदी
55.	,,	,, रामकिशन/खेमचन्द	दुर्जनपुरा

1	2	3	4
56.	1989-90	,, देवकिशन/भागचन्द	नाहरगढ
57.	,,	,, मुरलीधर/भार्गव	,,
58.	,,	,, चन्द्रप्रकाश/गुलाब चन्द	,,
59.	,,	,, जवाहरलाल/कालू	दुर्जनपुरा
60.	,,	,, रामप्रसाद/रामचन्द	बीलोदा
61.	,,	,, मांगीलाल/रामगोपाल	नाहरगढ
62.	,,	,, चन्दा/जगन्नाथ	दौलतपुरा
63.	,,	,, हीरालाल/भैंरूलाल	दुर्जनपुरा
64.	,,	,, मन्दिर माफी लक्ष्मीनारायण	नाहरगढ़

सूची (ब)

सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), रा.रा.वि.म, शाहबाद के अन्तर्गत वर्ष 1985-86,-87-88-89-90 में दिये गये कृषि कनेक्शनों की सूची।

क्रमांक	वर्ष	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4
1.	1985–86	शून्य	शून्य
2.	1986–87	श्री रामकंवार/मदनलाल	केलवाड़ा
2.	1986–87	श्री रामलाल/घुट्टीलाल	अनी
1.	1987–88	श्री प्रेमनारायण/मोतीलाल	केलवाड़ा
2.	,,	श्री सुवालाल/कंवरलाल	मंझारी
3.	,,	श्री बद्रीप्रसाद/मांगीलाल	सहरोल तलेड़ी
4.	,,	श्री सुरेश चन्द्र/मंगलिया	शाहबाद

249

1	2	3	4
5.	1987-88	श्री श्रवणकुमार/मोतीलाल	हनोतिया
6.	,,	श्री रामसिंह/भंवरसिंह	फरेदवा उपरेड़ी
7.	,,	श्री दुर्गाप्रसाद/भंवरलाल	देवरी
8.	,,	श्री चतुर्भुज/चौधरी	शाहबाद
9.	,,	श्री राजेद्रप्रसाद/बृजमोहन पाठक	पेनावदा
10.	,,	श्री कालीपद बाछड़/महेन्द्र	नाटई
11.	,,	श्री रामचन्द्र/जीवनलाल	हथवारी
12.	,,	श्री बालकिशन/कन्हैयालाल	मुंगावली
13.	,,	श्री ख्यालीराम/काशीराम	गोरधनपुरा
14.	,,	श्री रंगलाल/प्रभुलाल	बीलखेड़ा माल
15.	,,	श्री श्रवणलाल/प्यारेलाल	देवरी
16.	,,	श्री गुरूदयालसिंह/विक्रमसिंह	छिछरोली
17.	,,	श्री अब्दुल करीम/	छिछरोली
18.	,,	श्री जोगेन्द्रसिंह/प्रीतमसिंह	छिछरोली
1.	1988–89	श्री हरिया चमार/घासीलाल	हणोतिया
2.	,,	श्री मंगना/रतना किराड़	ऊनी
3.	,,	श्री चन्दनसिंह/प्रीतमसिंह	पेनावदा
4.	,,	श्री मनोजकुमार/मनीकुमार	छिछरोनी
5.	,,	श्री रामावल्लभ शर्मा/	मुंगावली
1.	1989–90	शून्य	शून्य

(250)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 706 की सूची

कर्मचारियों की सूची जिन्होंने कलकत्ता इन्स्टीट्यूट से कास्ट अकाउन्टेन्ट की इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण करली है—

क्रमांक	नाम	पद	कलकत्ता इन्स्टीटयूट से कास्ट अकाउन्टेन्ट की इन्टर परीक्षा पास कर ली—
1.	श्रीमती प्रभा अग्रवाल	उप लेखा नियंत्रक	इन्टर
2.	श्री रामसहाय	,, ,,	,,
3.	श्री ए. के. जैन	वरिष्ठ लेखाधिकारी	,,
4.	श्री जी. के. शर्मा	लेखाधिकारी	,,
5.	श्री मदनलाल जैन	लेखाकार	,,
6.	श्री आर. पी. शर्मा	लेखाकार	,,
7.	श्री रवि मोहन माथुर	लेखाकार	,,

सूची (अ–11

कर्मचारियों की सूची जिन्होंने कलकत्ता इन्स्टीट्यूट से कास्ट अकाउन्टेन्ट की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करली है।

क्रमांक	नाम	पद	कलकत्ता इन्स्टीट्यूट से कास्ट अकाउन्टेन्ट फाइनल परीक्षा पास कर ली—
1.	श्री हजारीलाल अग्रवाल	लेखा नियंत्रक	फाइनल
2.	श्री एम. के. राजपुरा वाला	लेखाधिकारी	,,
3.	श्री शंकरलाल माथुर	लेखाकार	,,
4.	श्री सोमेश त्रिवेदी	लेखाकार	,,

251

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 709 की सूची

तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	5
1.	चक नोखना	22/3/1	22.	खेरडी	33
2.	नोखना	2	23.	पारडा सरोडा	34
3.	पिछोली	8	24.	सरोडा	35
4.	भावनपुरा	9	25.	चतुरपुरा	36
5.	भैंखपुरा	10	26.	खरलई	37
6.	मॉडव	12	27.	शिवराजपुर	38
7.	सुरेला	14	28.	सामलिया	40
8.	भासोर	16	29.	पाडवा	41
9.	ज्ञानपुर	17	30.	कोकपुर	42
10.	अखेपुर	18	31.	मालवी	45
11.	गावडी देवकी	20	32.	रानोली	47
12.	डोली	21	33.	काहिला	48
13.	कराडा	22	34.	ढाणी उपली	49
14.	झाकरी	23	35.	बचडिया जगतान	52
15.	गढा वरूण	25	36.	टामटिया	53
16.	करियाणा	26	37.	बीजावाड़ा	54
17.	पडोली	28	38.	नोगामा	55
18.	बमासा	29	39.	पादरा	58
19.	पादरली बडी	30	40.	ओड	59
20.	पादरली छोटी	31	41.	मावीता	63
21.	मुवासा	32	42.	वरसिंहपुर	65

1	2	3	1	2	3
43.	नवागांव	67	72.	जखाडा	101
44.	कल्याणपुरा	69	73.	बडदा	102
45.	घडा जुमजी	70	74.	बिलिया	103
46.	बुचिया छोटा	71	75.	राजपुर	104
47.	गोडा कलां	72	76.	बडगामा	105
48.	बुचिमा बड़ा	73	77.	केशरपुरा	106
49.	गडा लालसिंह	74	78.	डेंचा	107
50.	सूखा पादर	75	79.	पत्रवटा	22/3/108
51.	चीबुडा	76	80.	बोरखेड	109
52.	कैलाशपुरी	79	81.	ओबरी	110
53.	सेमलिया पाड्या	80	82.	पारडा मेहता	111
54.	नीम्बोड बडी	81	83.	जोहरा	112
55.	नीम्बोड छोटी	82	84.	पटली	113
56.	आरा	83	85.	पीपला गोंज	114
57.	मानकपुरा	84	86.	गामडि बामनिया	117
58.	जेठाना	85	87.	डेयाणा	118
59.	बनोरी	86	88.	खडगडा	119
60.	हडमाला	87	89.	उदयपुरा माफी	120
61.	लक्ष्मणपुरा	88	90.	उदयपुरा खालसा	121
62.	मडकोला	89	91.	जोधपुरा	122
63.	गोवाडी	90	92.	पंचवटी	123
64.	नन्दोर	91	93.	गोटाद	124
65.	डोला	92	94.	नाहरपुरा	126
66.	ठाकरडा	93	95.	लीमरी	127
67.	गुलाबपुरा	94	96.	सलोटा	129
68.	पाठला हाडलिया	95	67.	भीलुडी	130
69.	गडा नेजनिया	98	98.	पाडा मोरू	131
70.	बिराट	99	99.	ढाणी मालाजी	133
71.	वरखूदनिया	100	100.	बगेरी	134

1	2	3	2		3
101.	भीलूरी	135	132.	उदैया	167
102.	कानुपुर	136	133.	गलियाकोठ	168
103.	दिबडा बड़ा	137	134.	गडीयर	172
104.	बान्दर खेड	138	135.	ढेबरिया	173
105.	सीलोई	139	136.	मोदा पृथ्वीपुरा	174
106.	बणियाना	140	137.	मोदरा दौलतपुरा	175
107.	पारडा मातीजी	141	138.	खेडासा	176
108.	दिबडा छोटा	142	139.	विजयपुरा	177
109.	सुरज गांव	143	140.	नरदिया	178
110.	जोगपुर	143	141.	महुवाडा	180
111.	खूटंवाडा	145	142.	विजोला	181
112.	खुमानपुर	146	143.	वामणियावाडा	182
113.	अम्बाडा	147	144.	मगरा तालाब	183
114.	सेमलिया घाटा	148	145.	कुवां	185
115.	भेमई	149	146.	चन्डेरी	186
116.	घटा-का-गांव	150	147.	पंच गुण्डी	187
117.	भेसरा बड़ा	151	148.	पिचौला	188
118	भेसरा छोटा	152	149.	मान पारडा	189
119.	भोंसावा	153	150.	रोयडा	190
120.	हांसला	154	151.	ढूंडी	191
121.	दादरोडा	155	152.	सेन्डोला	192
122.	हिन्डोलिया	156	153.	सोहन मडली	193
123.	फोफली बोर	157	154.	चन्द्रोडिया	194
124.	बाबा की बार	158	155.	लिखतिया	195
125.	बार बेजणिया	159	156.	वा कावेरी बडी	196
126.	पूछियावाडा	160	157.	कावेरी छोटी	197
127.	रातडिया	161	158.	दरियाटी	198
128.	मोरडी	162	159.	पारडा दरियाटी	199
129.	वडगी	163	160.	खुमानपुरा	200
130.	चतरी	163	161.	चडियाला	201
131.	गडा जसराजपुर	165	162.	सारणखांस	202

1	2	3	1	2	3
163.	डूंगर	204	179.	उदडिया	230
164.	छेबरा	206	180.	राठडी	231
165.	गुन्दलारा	207	181.	पिचोंला	232
166.	गुलाबपुरा	210	182.	शिशोद	235
167.	भवडिया जगतान	215	183.	चिरवाली	251
168.	धनगांव	216	184.	बोरमाता	245
169.	पाटिया	217	185.	पारडा बिष्णुजी	252
170.	नोलियाबाडा	218	186.	जसोला	253
171.	गरियाता	219	187.	तम्बोलिया	254
172.	लेमडिया	220	188.	मोदरी	256
173.	काली का पारडा	222	189.	रामसोर	263
174.	छापरों का कुवा	223	190.	नलवाडा	4
175.	गडा मेडनिया	224	191.	वडगांवा	238
176.	कतारा पाडा	225	192.	मोवाई	66
177.	ससराई	226	193.	टीटुवा	57
178.	साकोदरा	227			

तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के विद्युतीकरण से
वंचित ग्रामों की सूची ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	बेण	22/3/6	7.	मचड़िया	27
2.	पंचावल	7	8.	चारवाड़ा	43
3.	खेमेला	13	9.	खोखरा	44
4.	खेरीया	15	10.	भीमदडी	60
5.	ढाणी बरवा	19	11.	बड़लिया	66
6.	रामपुर	24	12.	साइयों का तालाब	105

1	2	3	1	2	3
13.	पारडा जून	166	42.	टीमरूवा	78
14.	गेहूवा	179	43.	रंग थोर	96
15.	घनोरा	184	44.	मेटूवट	97
16.	मोरा शरण	203	45.	वीरगामड़ा	116
17.	बरूनाड़ा	205	46.	काशीपुरी	125
18.	पलसांऊ	208	47.	राजपुर	128
19.	दारूधांवड़ा	209	48.	ढाणी कलाजी	132
20.	फतेहपुरा	211	49.	नवघरा माताजी	169
21.	बाछड़िया खास	212	50,	केसारिया	170
22.	राफडी	213	51.	रतनपुरा	171
23.	धर्मपुरी	214	52.	डबली	221
24.	गुमानपुरा	228	53.	कोचरी	233
25.	गाडोल	229	54.	अम्बारा	234
26.	कुन्डेली	242	55.	दांद	236
27.	गलालपुरा	243	56.	डूंगर सारण	237
28.	भान्डेला	244	57.	रूहदोर	239
29.	ओजड़िया	250	58.	सालाखड़ी	264
	असेंवक्रित ग्रामों की सूची		59.	वागवा	240
30.	कन्तरी	3	60.	बावड़ी	241
31.	मागेली	5	61.	सालेड़ा	246
32.	प्रतापपुरा	11	62.	कमेला	247
33.	सुन्दरपुर	39	63.	नवागांव	248
34.	पदमपुरा	46	64.	भैरूपुरा	249
35.	ढाणी निचली	50	65.	केसरपुरा	255
36.	मलावाड़ा	51	66.	मेडीटेम्बा	257
37.	गामडा चारनिया	61	67.	मुंजवाड़ा	258
38.	कोपड़ा	62	68.	औडा	259
39.	शिवपुरी	64	69.	माली	260
40.	शिवरामपुर	68	70.	बेड़वा	261
41.	वलरामपुर	77	71.	नेनसावा	262

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 710 का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	खोले गये कार्यों की संख्या	कार्य का विवरण	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	सवाईमाधोपुर	58	सार्वजनिक कूप गहरा, तालाब गहरा, अपूर्ण पटवारघर निर्माण, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा लिंक रोड निर्माण पंचायत भवन निर्माण ।	35,49.880=00
2.	खण्डार	66	साव. कूप गहरा तालाब गहरा, स्कूल बाउण्ड्री निर्माण कार्य, सिंचाई विभाग द्वारा बन्ध मरम्मत कार्य	4,59,000=00
3.	बौंली	49	सार्वजनिक कूप गहरा तथा सिंचाई विभाग द्वारा बन्ध मरम्मत कार्य ।	1,62,000=00
4.	गंगापुर	71	सार्व. कूप गहरा, प्राथमिक शाला भवन निर्माण तालाब गहरा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य, सिंचाई द्वारा बन्धों की मरम्मत	7,79,000=00

1	2	3	4	5
5.	बामनवास	46	सार्व, कूप गहरा, तालाब गहरा, स्कूल बाउन्ड्री एवं सिंचाई विभाग द्वारा बन्धों की मरम्मत कार्य ।	6,57,000 = 00
6.	नादौती	30	सार्व. कूप गहरा व सिंचाई विभाग द्वारा बन्धों की मराम्मत कार्य ।	7,08,000 = 00
7.	टोडाभीम	13	सार्वजनिक कूप गहरा कार्य ।	65,000 = 00
8.	करौली	50	सार्वजनिक कूप गहरा कार्य ।	2,50,000 = 00
9.	सपोटरा	53	सार्वजनिक कूप गहरा व सिंचाई विभाग द्वारा बन्धों की मरम्मत ।	3,85,000 = 00
	योग:–	441		70,27,800 = 00

जिला कलक्टर (सहायता)
सवाईमाधोपुर

257

संवत् 2046 में अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्यों की सूची—तहसील–नादौती

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	गढ़खेड़ा	बैरवा कूप सार्वजनिक कूप गहरा कराने हेतु	5000/-
2.	खोपाली	,, ,,	5000/-
3.	दलपुरा	गऊ कुण्ड को गहरा कराने हेतु	20000/-
4.	ढहरिया	तालाब को गहरा करने	20000/-
5.	चिरावड़ा	,, ,,	20000/-
6.	बरदाला	,, ,,	20000/-
7.	सोप	,, ,,	20000/-
8.	कुन्जेला	,, ,,	20000/-
9.	रोसी	,, ,,	20000/-
10.	बामोरी	,, ,,	20000/-
11.	मालपाडा	,, ,,	20000/-
12.	केमरी	,, ,,	20000/-
13.	खोयली	,, ,,	20000/-
14.	रायसना	बैरवा कूप गहरा कराने हेतु	15000/-
15.	धोलादाता	सा. तालाब को गहरा कराने हेतु	20000/-
16.	इब्राहीमपुर	,, ,,	20000/-
17.	गठमोरा	बैरवा बस्ती सार्वजनिक कूप गहरा कराने हेतु	5000/-
18.	मिलकसराय	तालाब गहरा कराने हेतु	15000/-
19.	जीतकीपुर	सा. बैरवा कूप गहरा कराने हेतु	5000/-

1	2	3	4
20.	हरलोदा	कोलिया कूप गहरा कराने हेतु	5000/-
21.	इब्राहिमपुर		
22.	शहर	सा. तालाब गहरा कराने हेतु	10000/-
23.	हरलोदा	,, ,,	5000/-
24.	लोदा	,, ,,	5000/-
25.	गुड़ली	हरिजन कूप को गहरा कराने हेतु	5000/-
26.	गददीखेमपुर	,, ,,	5000/-
24 ग्राम में 26 राहत कार्य		योग	3,50,000/-

तहसील नादौती में सिंचाई विभाग द्वारा निम्न कार्य कराये गये

1.	फतेह सागर बन्ध व नहर	1.00 लाख रुपया
2.	बन्ध रोसी	1.00 लाख रुपया
3.	गुमान सागर	0.58 लाख रुपया
5.	राम तालाब	1.00 लाख रुपया
	योग :	3.58 लाख रुपया

परिशिष्ट'-स'

संवत् 2046 अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्यों की सूची—तहसील-टोडाभीम

क.सं.	नाम ग्राम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	लुहार खेड़ा	सार्वजनिक कूप गहरा कराने	5000/-
2.	राणोली	हरिजन सार्वजनिक कूप गहरा कराने	5000/-
3.	खिलचीपुर	बैरवा सार्वजनिक कूप गहरा कराने	5000/-
4.	तिघरिया	सार्वजनिक कूप गहरा कराने	5000/-
5.	भादोली	,, ,,	5000/-
6.	धवान	बैरवा कूप सार्वजनिक गहरा कराने	5000/-
7.	लपावली	,, ,,	5000/-
8.	मोरडा	हरिजन कूप ,,	5000/-
9.	रानौली	चमारन ,,	5000/-
10.	बाडा बिचपुरी	चमारान ,,	5000/-
11.	तिघरिया	नाले के पास वाला ,,	5000/-
12.	तिघरिया	हरिजन कूप राजमलपाडा गहरा कराने	5000/-
13.	तिघरिया	भंगीवाला कूप गहरा कराने	5000/-
9 ग्राम 13 कार्य		योग :	65,000/-

261

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 711 का विवरण

कार्यालय कलक्टर सहायता बीकानेर

संवत् 2043 तथा 2044 में जिला बीकानेर के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के साण्डों को दी सहायता की सूची तथा गोशालाओं को दी गई सहायता की सूची

तहसील बीकानेर नाम ग्राम पंचायत

1. उदयारामसर
2. जयमलसर
3. शेरेरा
4. रूणिया बड़ा बास
5. मुण्डसर
6. केसरदेसर जाटान
7. सोथल
8. करमीसर
9. तेजरासर

गोशालाओं को सूची

1. श्री गंगा जुबली पिंजरापिरोल बीकानेर
2. श्री सन्त सेवाराम गोशाला नापासर
3. श्री मुरली मनोहर गोशाला भीनासर
4. श्री करणी गोशाला देशनोक
5. कृषि गो सेवा केन्द्र छत्तरगढ़

तहसील नोखा की ग्राम पंचायतें

1. ढीगसरी
2. बाधणू
3. कुचौर आगूणी
4. कुचौर आथूणी
5. जैसलसर
6. मैनसर
7. थावरिया
8. सलूंडिया
9. बोकासर
10. पांचू
11. उपासर
12. रासिसर
13. भामटसर
14. जांगलू
15. सारूंडा
16. साधूना
17. दावा
18. चरकड़ा
19. नोखा गांव
20. देसलसर
21. सिजगुरु
22. बैरासर
23. कक्कू

24. जयसिंहदेसर मगरा
25. नाथूसर
26. जसरासर
27. घरनोक
28. गजसुखदेसर
29. सोमलसर
30. कूदसू
31. रोडा
32. मोरखाना
33. गजरूपदेसर
34. काकडा
35. सुरपुरा
36. उडसर
37. रायसर
38. हिमटसर
39. मुकाम
40. साघासर
41. भादला

ह०/–
कलक्टर (सहायता)
बीकानेर

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 713 का विवरण

बनास नदी पर लगे हुए 250 एच. पी. के पम्प सैट से सम्बन्धित विवरण

क्र.सं.	वर्ष का नाम	माह का नाम	विद्युत चारजेज पर व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	1988-89	4/88	98,037 00	
		5/88	1,12,605.02	
		6/88	1,12,605.02	
		7/88	1,12,605.02	4/88 से 3/89 की अवधि में चलने का कुल समय 2277 घण्टे।
		8/88	1,12,605.02	
		9/88	1,12,605.02	
		10/88	1,12,605.02	
		11/88	1,12,605.02	
		12/88	61,517.70	
		1/89	45,837.70	
		2/89	47,592.00	
		3/89	63,039.20	
		ड्यूज	2,27,189.78	
			13,31,438.52	
2.	1989-90	4/89	1,16,807.60	
		5/89	1,01,408.60	
		6/89	47,876 00	4/89 से 3/90 की अवधि में चलने का कुल समय 1157 घण्टे।
		7/89	48,476.00	
		8/89	48,476.00	
		9/89	48,476.00	

264

1	2	3	4	5
		10/89	48,476.00	
		11/89	52,410.00	
		12/89	48,479.75	
		1/90	48,572.45	
		2/90	34,540.80	
		3/90	34,583.25	
			6,78,582.45	
3.	1990-91	4/90	34,608.75	4/90 से 6/90 की अवधि में चलने का कुल समय 772 घण्टे।
		5/90	34,689.45	
		6/90	—	
			69,298.20	

क्र.सं.	वर्ष	मोटर जलने का माह	मरम्मत पर व्यय	फर्म का नाम
1.	1988-89	6/88	16,025.00	विभाग द्वारा
2.	,,	11/88	16,451.00	मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रेडर्स, सवाई माधोपुर
3.	,,	12/88	21,805.00	मैसर्स विकास इंजीनियरिंग, सवाई माधोपुर
4.	1989-90	6/89	21,045.00	मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रेडर्स, सवाई माधोपुर
5.	,,	2/90	(मरम्मत कार्य जारी है)	
6.	1990-91	6/90 तक	(शून्य)	

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	माह का नाम	मजदूरी पर व्यय	सामान पर व्यय	माह में मरम्मत पर कुल व्यय	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	1988-89	अप्रेल, 88	2656/-	9013/-	11669/-	क्रय किये सामान में मुख्यतः कास्ट आइरन के डिटेचिबल जोइन्ट्स, रबर शीट, क्लैम्पस नट बोल्ट इत्यादि थे।
2.	,, ,,	मई, 88	2656/-	4681/-	7337/-	
3.	,, ,,	जून, 88	3020/-	11460/-	11480/-	
4.	,, ,,	जुलाई, 88	3020/-	9870/-	12890/-	
5.	,, ,,	अगस्त, 88	3020/-	7739/-	10754/-	
6.	,, ,,	सितम्बर, 88	3020/-	3080/-	6100/-	
7.	,, ,,	अक्टूबर, 88	2292/-	3720/-	6012/-	
8.	,, ,,	नवम्बर, 88	1928/-	1500/-	3428/-	
9.	,, ,,	दिसम्बर, 88	1928/-	1695/-	3428/-	
10.	,, ,,	जनवरी, 89	—	—	—	माह जनवरी, 85 में पाइप लाइन द्वारा पानी नहीं लिया गया।

265

1	2	3	4	5	6	7
11.	1988-89	फरवरी, 89	1928/-	320/-	2248/-	
12.	,, ,,	मार्च, 89	2292/-	2273.40	4565.40	
		योग :	27760/-	55351.40	83111.40	
13.	1989-90	अप्रैल, 90	2292/-	1190/-	3482/-	
14.	,, ,,	मई, 89	2292/-	1706.20	3998.20	
15.	,, ,,	जून, 89	....	....	—	मानसून न आने पर नदी में पानी आ जाने के कारण तीन माह तक मोटर चलाना संभव नहीं हो पाया था।
16.	,, ,,	जुलाई, 89	....	....	—	
17.	,, ,,	अगस्त, 89	...	....	—	
18.	,, ,,	सितम्बर, 89	2656/-	6636/-	9292/-	

1	2	3	4	5	6	7
19.	1989-90	अक्टूबर, 89	1928/-	806/-	2734/-	
20.	,, ,,	नवम्बर, 89	2292/-	1604.40	3696.40	
21.	,, ,,	दिसम्बर, 89	2292/-	1110/-	3462.00	
22.	,, ,,	जनवरी, 90	2292/-	802/-	3094.00	
23.	,, ,,	फरवरी, 90	2292/-	3230/-	5522.00	
24.	,, ,,	मार्च, 90	1928/-	1010/-	2938.00	
		योग :	20264/-	18094.60	38358.60	
25.	1990-91	अप्रेल, 90	2256/-	942.00	3598.00	
26.	,, ,,	मई 90	3020/-	262.00	3282.00	
27.	,, ,,	जून, 90	3020/-	1092.00	4112.00	
		कुल योग :	8696/-	2296.00	10992.00	

267

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 714 की सूची

नागौर जिले की नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की सूची :—

क्र.सं.	नाम नगर पालिका	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	नागौर	—	—	—	कोई पद रिक्त नहीं हैं।
2.	कुचेरा	—	—	—	,,
3.	मेड़तासिटी	—	—	—	,,
4.	कुचामनसिटी	—	—	—	,,
5.	मकराना	1. कनिष्ठ लिपिक	1	6-1-90 से	
		2. नाकेदार	2	वर्ष 89-90 से	
		3. सब नाकेदार	6	वर्ष 89-90 से	
		4. चपरासी	1	1-6-89 से	
		5. ड्राईवर	1	वर्ष 90-91 से	
6.	परबतसर	1. कनिष्ठ लिपिक	2	18-8-88 व 12-10-89 से	
		2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	वर्ष 1978 से	
		3. राजस्व निरीक्षक	1	3-9-89 से	
		4. सब नाकेदार	2	वर्ष 84-85 से	
		5. नाका गार्ड	2	16-10-89 व 6-7-90 से	
		6. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	6-1-88 से	
		7. सफाई कर्मचारी	2	27-12-82 व 1-5-87 से	

269

1	2	3	4	5	6
7.	लाडनूं	सफाई निरीक्षक (द्वितीय)	1	15-9-88 से	
8.	नावां	1. सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1-11-80 से	
		2. सब नाकेदार	1	मार्च 90 से	
		3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	वर्ष 79-80 से	
		4. मिस्त्री	1	1-12-82 से	
		5. सफाई कर्मचारी	2	फरवरी 90 से	
9.	डीडवाना	1. सब नाकेदार	3	19-6-89 से, 26-5-90 से एवं 7-7-90 से	
		2. सफाई कर्मचारी	2	17-1-89 से व 31-1-89 से	
10.	मारवाड़ मूण्डवा	1. कनिष्ठ लिपिक	1	25-2-89 से	
		2. नाकेदार	1	27-4-89 से	
		3. सब नाकेदार	1	1-5-89 से	
		4. सफाई कर्मचारी	3	3-2-90 से 1-2-90 से व 1-3-90 से	

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 720 की सूची

विधान सभा क्षेत्र अटरू में वर्ष 1983 से ग्राम वि. नि. योजना के तहत विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
	पंचायत समिति अटरू		18.	मन्यागण	89
1.	सहरोद	25/10/2	19.	बिछालख	90
2.	घटोटी	3	20.	कराडया गुलजी	91
3.	खडीला	21	21.	मेहला	99
4.	खूरी	22	22.	शेरगढ़	104
5.	बोकडा	23	23.	नरसिंहपुरा	106
6.	मनोहरपुर	25	24.	बढोदिया	107
7.	निमोदा	33	25.	सरसोदिया	113
8.	गोविन्दपुरा	39	26.	खेडली काडिया	122
9.	कापरा	46			
10.	चोथ्या	53		**पंचायत समिति सांगोद**	
11.	किशनपुरा	56	27.	सहीपुर	25/9/66
12.	कराड्याहडा	60	28.	बगांडस्या	167
13.	खानपुरिया	64	29.	अकोडिया	171
14.	फतुखेड़ी	73	30.	बम्बुलिया जागीर	168
15.	छेलाबेल	76	31.	भानक्याहेड़ी	170
16.	नीमोदा	79	32.	दौरानी	158
17.	सीधनी	80	33.	लालाखेडी	93

विधान सभा क्षेत्र अटरू में वर्ष 1983 से ग्रा. वि. निगम योजना के तहत स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
पंचायत समिति अटरू ग्रा. एम. एन. पी. वर्ष 1984–85 (17937)					
1.	सहरोद	25/10/2	16.	छेलाबेल	76
2.	घढोटी	3	17.	निमोदा	79
3.	खडीला	21	18.	सीघनी	80
4.	खूरी	22	19.	मान्यायख	89
5.	बोकड़ा	23	20.	बिछालस	90
6.	मनोहरपुर	25	21.	कराडया गुलजी	91
7.	निमोदा	33	22.	मेहला	99
8.	गोविन्दपुरा	39	23.	शेरगढ़	104
9.	काचरा	46	24.	नरसिंहपुरा	106
10.	चोथ्या	53	25.	बडोदिया	107
11.	देवपुरा	114	26.	सरसोदिया	113
12.	किशनपुरा	56	27.	खेडली का दिया	122
13.	कराड्याहड़ा	60	28.	नरसिंहपुरा	1
14.	खानपुरिया	64	29.	बेरपुर	8
15.	फतुखेडी	73	30.	रहलाई	9

272

1	2	3	1	2	3
31.	डाबडिया	11	37.	खेडली छपका	50
32.	कोटडा	13	38.	खेडली रावण	52
33.	अरनिया	14	39.	बहलावान	55
34.	आसन	27	40.	मोटुका	65
35.	खेडली माजर	31	41.	बिशनपुरा मशालदरान	103
36.	महेशपुरा	38			

पंचायत समिति सांगोद ओ.बी. (आर) वर्ष 1988–89 (170672)

42.	लालाहेड़ी	25/9/93	43.	प्रताप सागर	103
44.	सूण्डा	91			

(273)

वर्ष 1983 से अटरू विधान सभा क्षेत्र के कुल स्वीकृत/अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	नरसिंहपुरा	25/10/1
2.	बेरपुर	8
3.	रहलाई	9
4.	डाबडिया	11
5.	कोटडा	13
6.	अरनिया	14
7.	आसन	17
8.	खेडली माजर	31
9.	महेशपुरा	38
10.	खेडली ढपका	50
11.	खेडली रावण	52
12.	बहलावान	55
13.	मोटुका	65
14.	बिशनपुरा मशाल दरान	103
15.	देवपुरा	114
	तहसील सांगोद	
16.	प्रताप सागर	25/9/103
17.	सूण्डा	91

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 721 का विवरण

एल. एम. पी. प्रिसियन इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि. बिल्लीमोरा से प्राप्त 5 रोटरी रिग्स डी. आर. 1500 को को चालू करवाने एवं मरम्मत पर 30 जून, 90 तक निम्न राशि व्यय की गई।

		व्यय की राशि
1.	रिग संख्या 352	81051/–रुपये
2.	रिग संख्या 353	64648/–रुपये
3.	रिग संख्या 354	8800/–रुपये
4.	रिग संख्या 355	6200/–रुपये
5.	रिग संख्या 356	शून्य

ह०/–
अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण विकास अधिकारी

275

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 726 की सूची

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर क्षेत्र में आने वाली योजनाओं में वार्षिक शहरी जमा बंदी की दर की सूची

क्र.सं.	नाम योजना	दरें
1	2	3
1	सी स्कीम	0.06 पैसे प्रति वर्ग गज एवं 0.08 पैसे प्रति वर्ग गज
2.	बनीपार्क विस्तार योजना	0.22–1/2 पैसे प्रति वर्ग गज
3.	बनीपार्क योजना	0.04 पैसे एवं 0·06 पैसे प्रति वर्ग गज
4.	बापू नगर	0·03 पैसे प्रति वर्ग गज
5.	बजाज नगर	0·03 ,, ,,
6.	जनता कालोनी	0·75 ,, ,,
7.	मोती डूंगरी योजना	0·03 ,, ,,
8.	फतेह टीबा	0·04 ,, ,,
9.	नाहरी का नाका	0 0125 ,, ,,
10.	बस्सी सीतारामपुरा	0·03 ,, ,,
11.	अम्बावाड़ी	0·175 व 0.375 एवं 0·75 प्रति वर्ग गज
12.	अर्जुनलाल सेठी नगर	10 पैसे प्रति वर्ग गज
13.	विद्याधर नगर पुराना	नीलामी/आवंटन के समय की सुरक्षित दरें का 2–1/2 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत

1	2	3
14.	मुरलीपुरा	नीलामी/आवंटन के समय की सुरक्षित दर का 2–1/2 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत
15.	वैशाली	,, ,, ,, ,,
16.	त्रिवेणी	,, ,, ,, ,,
17.	वृ. विद्याधर नगर योजना	,, ,, ,, ,,
18.	मालवीय नगर	,, ,, ,, ,,
19.	इन्द्रा नगर	,, ,, ,, ,,
20.	आमागढ़/लक्कड़ पत्थर योजना	आवंटन/नीलामी के समय सुरक्षित दर की 5 प्रतिशत
21.	विभिन्न कच्ची बस्तियां	आवंटन की तिथि को सुरक्षित दर की 2–1/2 प्रतिशत 1-3-1984 के बाद की स्थिति में एवं पूर्व में आवंटन की दर की 2–1/2 प्रतिशत
22.	बर्मीज कालोनी	,, ,, ,, ,,
23.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान	आवंटन/नीलामी की तिथि को सुरक्षित दर की 5 प्रतिशत
24.	कलवाड़/फतेहसिंह की धर्मशाला	,, ,, ,, ,,
25.	कल्पतरू नाहरी का नाका	,, ,, ,, ,,
26.	कामधेनु अजमेर रोड़	,, ,, ,, ,,
27.	कुबेर (लाल कोठी) योजना	,, ,, ,, ,,
28.	उपकार (मालवीय नगर)	,, ,, ,, ,,
29.	ए. सी. मार्केट राजापार्क	,, ,, ,, ,,
30.	ट्रांसपोर्ट नगर	,, ,, ,, ,,

1	2	3
31.	नवजीवन भवानीसिंह रोड	आवंटन/नीलामी की स्थिति को सुरक्षित दर की 5 प्रतिशत
32.	नेहरू पैलेस	,, ,, ,, ,,
33.	संजय मार्केट	,, ,, ,, ,,
34.	साकेत कालोनी	आवंटन की तिथि को सुरक्षित दर की 2–1/2 प्रतिशत
35.	न्यू राजापार्क	,, ,, ,, ,,
36.	सुभाष नगर	,, ,, ,, ,,